शुक्रवार, 08 आषाढ़, शक संवत् 1934
(29 जून, 2012 ई0)

खण्ड-480
अंक-08

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11.00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये।

श्री अध्यक्ष ने श्री हुकुम सिंह की रुचि पर नत्थी (क) के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 को लिये जाने की अनुमति प्रदान की।

श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या-1 को श्री प्रमोद तिवारी की रुचि पर लिये जाने हेतु पुकारने पर श्री धर्मपाल सिंह ने नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या-4 को लिये जाने का अनुरोध किया। श्री अध्यक्ष ने कहा कि जब आपका नम्बर आया था तब आप नहीं थे अगर समय बचता है तो दिखवा लेंगे। बाद में नत्थी (ग) का तारांकित प्रश्न संख्या-4 भी लिया गया।

आज नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 28 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिसमें विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुये श्री अध्यक्ष ने 15 के बजाय 20 सूचनायें स्वीकार कीं। प्राप्त सूचनाओं में से श्री अजय मिश्र टेनी, श्री अगयश रामसरन वर्मा एवं श्री संजय कपूर के अतिरिक्त शेष सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं :-

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
1	श्री राधेश्याम	जनपद छत्रपति शाहूजी महाराजनगर के विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर में खराब पड़े राजकीय नलकूपों को ठीक कराये जाने एवं रजबहों की सफाई कराकर पानी की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री शेरबहादुर सिंह	जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर में सलदहीपुर चौराहे से भिसवां चितौना क्षतिग्रस्त पिच रोड की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री भगवती प्रसाद	जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर में कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

4	श्री शारदा प्रताप शुक्ल	विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर, लखनऊ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त गम्भीर पेयजल संकट के सम्बन्ध में।
5	श्री गोरख पासवान	प्रदेश में दुसाध जाति की विभिन्न उपजातियों का अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र न जारी किये जाने के सम्बन्ध में।
6	श्री अजय मिश्र 'टेनी'	विधान सभा क्षेत्र निघासन खीरी, लखीमपुर में सफाई कर्मियों से उनकी ड्यूटी के बजाय उच्चाधिकारियों द्वारा अपने घरों में बेगार कराये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री मुकुट बिहारी वर्मा	जनपद बहराइच के कैसरगंज के राजस्व ग्राम मंझारा, तकौली में चकबन्दी न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
8	श्रीमती विमला सिंह सोलंकी	जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर में स्थित संयुक्त चिकित्सालय में व्याप्त घोर अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में।
9	श्री अगयश रामसरन वर्मा	प्राथमिक शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा कर्तव्यों की अवज्ञा के सम्बन्ध में।
10	श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)	काशी विश्वनाथ मन्दिर न्यास द्वारा बिना किसी सूचना के अनुष्ठान की दरें पांच गुना बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।
11	श्री संजय कपूर	जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर व मलिक में स्थित कतिपय ग्रामों में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
12	श्री रामहेत भारती	जनपद सीतापुर के विकास खण्ड बेहटा के अन्तर्गत ग्राम शेखनापुर से ग्राम दोनवां के अत्यन्त खराब एवं दुर्गम रास्ते को पेन्टेड रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में।
13	श्री पूर्णमासी देहाती	जनपद कुशीनगर अन्तर्गत रामकोला-कसया सम्पर्क मार्ग पर लगभग 30 करोड़ रुपये का भुगतान हो जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

14	श्री वीरपाल राठी	जनपद बागपत में कृष्णा नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में।
15	डा0 धर्मपाल सिंह	विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के शहरी क्षेत्र में व्याप्त भयंकर पेयजल समस्या के निवारण हेतु जवाहर लाल नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन शिरोपरि जलाशयों को शीघ्र चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।
16	श्री सतीश महाना	कानपुर स्थित सरसौल ब्लाक के हलुआ खेड़ा रजवाहा को तत्काल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।
17	श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी	जनपद बस्ती सदर के अन्तर्गत वाल्टरगंज शुगर मिल के प्रदूषित पानी के मनौरी नाले में जाने से हो रहे जल प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
18	श्री रामचन्द्र यादव	लखनऊ-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रानीमऊ में 100 शैय्या के चिकित्सालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।
19	श्री प्रमोद तिवारी	सई नदी के दूषित जल की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में।
20	श्री उमेश पाण्डेय	जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन की तहसील मधुबन के ब्लाक दोहरी घाट एवं ब्लाक-फतेहपुर मन्डाव, ब्लाक-सीमर के अन्तर्गत दोहरीघाट मधुबन बेलधरा होते बलिया और बिहार को जोड़नें वाली सड़क को बनाये जाने के सम्बन्ध में।

आज नियम-300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न की 3 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जो अग्राह्य की गईं।

श्री हुकुम सिंह ने सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों को आगामी सत्र तक पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाते हुये कहा कि प्रक्रिया नियमावली में यह प्राविधान है कि जो आश्वासन आयेंगे वह आश्वासन समिति को सन्दर्भित कर दिये जाते हैं और आश्वासन समिति की रिपोर्ट काफी विलम्ब से आने के कारण उस रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं रह जाता है। उन्होंने पिछली विधान सभा में टोल टैक्स की समस्या के बारे में उठाये गये प्रश्न का हवाला देते हुये कहा कि देर में रिपोर्ट आने से उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। उन्होंने आश्वासन समिति की रिपोर्ट को कम से कम अगले सत्र तक लाने की व्यवस्था हेतु संसदीय कार्य मंत्री अथवा श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठन का अनुरोध किया जो मा0 सदस्यों के ज्वलन्त प्रश्नों पर दिये गये आश्वासनों की शीघ्र पूर्ति कर सके ताकि विधान सभा की गरिमा

बनी रहेगी। संसदीय कार्य मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित टोल बैरियर पर वी0आई0पी0 गाड़ी की जांच कर वी0आई0पी0 के आगमन पर रोष व्यक्त करते हुये कहा कि इस सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष एवं नेताओं के साथ एक बैठक कर उस पर कोई निर्णय लिया जाय।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि आश्वासन को निपटाने में कई वर्ष लग जाते हैं इसलिये विधायकों से सम्बन्धित जो भी मामले हैं उनको आश्वासन समिति जल्दी निपटा दे इसके लिये यही विकल्प है कि आश्वासनों को निपटाने का एक समय निर्धारित कर दिया जाय जिसमें सभी दलीय नेताओं की सहमति से एक बैठक कर मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु विचार कर लिया जाय। संसदीय कार्य मंत्री ने इस प्रकरण को श्री अध्यक्ष के विवेक पर छोड़ने का सुझाव दिया। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय, बीसलपुर में सृजित पद के अनुरूप प्राध्यापक एवं कर्मचारियों की नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में श्री अगयश राम सरन वर्मा के औचित्य के प्रश्न को श्री अध्यक्ष ने अस्वीकार किया।

मा0 सदस्य को 10 प्रतिशत अंशदान पर उपलब्ध करायी गयी सुरक्षा व्यवस्था हटा लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज के औचित्य के प्रश्न की सूचना पोषणीय न होने के कारण अस्वीकार हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 (1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक) को सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-33 की उपधारा (4) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने वन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-312/14-2-2011-343 (एल)-2001, दिनांक 04 जून, 2011 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन (पंचम संशोधन) नियमावली, 2011, जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 78 की उपधारा (2) के अधीन दिनांक 05 अगस्त, 2011 को 14 दिनों की कालावधि के लिए सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके दिनांक 09 मार्च, 2012 को पन्द्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-01-2011 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

श्री हुकुम सिंह ने लोक आयुक्त के विशेष प्रतिवेदन पर चर्चा की मांग की।

प्रमुख सचिव, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 154 के अन्तर्गत ''उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012'' को, उसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा की गयी सिफारिश सहित, सदन के पटल पर रखा।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, सदस्य, विधान सभा, जनपद बहराइच के अन्तर्गत विकास खण्ड पयागपुर के ग्राम पयागपुर में बडना तालाब के बरसात का पानी निकालने हेतु 500 मीटर पक्के नाले का निर्माण कराये जाने विषयक श्री नरबदेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव तथा श्री राम भवन शर्मा, निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका मा0 सदस्य के अनुपस्थित होने के कारण उपस्थित नहीं की गयी।

आज नियम-56 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुईं, जो कार्य-स्थगन के रूप में अग्राह्य हुईं।

जनपद प्रतापगढ़ के थाना नवाबगंज में दिनांक 20-6-2012 को कुंवारी रेखा सरोज, दिनांक 25-6-2012 को थाना लालगंज में कुमारी आशा एवं दिनांक 26-6-2012 को थाना कन्हई में कुमारी प्रियांशी से बलात्कार की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री प्रमोद तिवारी ने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि इस हृदय विदारक घटना की एफ0आई0आर0 न लिखे जाने तथा प्रशासन एवं पुलिस बल की मौजूदगी में गरीब पीड़ितों के घर में आग लगाने की घटना की जुडीशियल जांच कार्यरत हाई कोर्ट के न्यायाधीश से करवाते हुये बेघर हुये पीड़ितों के पुनर्वास की मांग की।

श्री राजबली जैसल, नेता विरोधी दल, पशुधन मंत्री (श्री पारस नाथ यादव), श्री आलमबदी एवं श्री जियाउद्दीन रिजवी ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किये।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

जनपद सुल्तानपुर के थाना गोसाईगंज में दिनांक 16-6-2012 को एस0ओ0जी0 एवं स्थानीय पुलिस द्वारा बब्लू निषाद की पिटाई किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर नेता विरोधी दल ने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि बब्लू निषाद की एस0ओ0जी0 एवं स्थानीय पुलिस द्वारा अकारण पिटाई की गयी है। उन्होंने दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री ने प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये न्यायोचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शहर गोरखपुर की यातायात व्यवस्था सुनिश्चित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल ने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि धार्मिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से गोरखपुर पूरे उत्तर प्रदेश का ऐसा अकेला नगर है जहां की जन संख्या 11-12 लाख है जिस कारण वहां पर यातायात की समस्या

बढ़ गयी। संसदीय कार्य मंत्री ने भी गोरखपुर में यातायात की समस्या को शीघ्र सुव्यवस्थित कराने का आश्वासन दिया। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

उत्तर प्रदेश में सन् 1960 से विस्थापित बंगाली परिवारों को 30 वर्ष की कृषि भूमि की लीज डीड किये जाने के बावजूद भूमिधरी अधिकार न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री संजय कपूर ने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि जो भूमि उन्हें आवंटित की गयी थी, उसका उन्हें अधिकार दिये जाने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखा। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव के गोदाम प्रभारी की संलिप्तिता से गोदाम पर खाद्यान्न माफियाओं का कब्जा होने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामहेत भारती के अनुपस्थित होने के कारण अस्वीकार हुई।

जनपद कुशीनगर के थाना कप्तानगंज निवासी श्री बृजनारायण सिंह उर्फ भोला सिंह आदि लोगों के विरुद्ध थाना अहिरौली में मु0आ0सं0208/2012 के अन्तर्गत फर्जी शिकायत के आधार पर फंसाये जाने विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर नेता विरोधी दल ने विचार व्यक्त करते हुये शासन से वक्तव्य दिलाने की मांग की। श्री अध्यक्ष ने शासन से वक्तव्य दिलवाये जाने के निर्देश के साथ सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद सिद्धार्थनगर के थाना डुमरियागंज के थानाध्यक्ष द्वारा मा0 अध्यक्ष द्वारा लिखे गये पत्रों पर न्याय न दिलाये जाने एवं स्वयं के संदेश देने के बावजूद मुलाकात न किये जाने विषयक श्री कमाल यूसुफ मलिक की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष ने गम्भीर प्रकरण को देखते हुये संसदीय कार्य मंत्री के साथ अपने कक्ष में सुने जाने के निर्देश दिये।

जनपद आगरा में विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के शहरी क्षेत्र गढ़ी चांदनी में दिनांक 27-6-2012 को मतदान के दौरान पुलिस की बर्बरता के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर डा0 धर्मपाल सिंह ने विचार व्यक्त किये।

श्री गुटियारी लाल दुबेश ने भी विचार व्यक्त किये।

श्री गुटियारी लाल दुबेश के विचार व्यक्त किये जाने के मध्य 1.00 बजकर 53 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अनुग्रह नारायण सिंह पीठासीन हुये।

संसदीय कार्य मंत्री ने उक्त प्रकरण पर शासन का पक्ष रखा।

नेता विरोधी दल ने संसदीय कार्य मंत्री के भाषण से असन्तुष्ट होकर अपने दल के साथ सदन का त्याग किया।

तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

जनपद बरेली के प्रभारी निरीक्षक आंवला द्वारा दिनांक 16-6-2012 को मा0 सदस्य द्वारा दी गई सूचना के बावजूद हो रही गोहत्या को नजरअंदाज किये जाने से उत्पन्न स्थिति

विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री धर्मपाल सिंह ने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि गोहत्या को तत्काल रोकने हेतु प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। पशुधन मंत्री के प्रकरण को दिखवा लेने का आश्वासन दिये जाने के साथ सूचना अग्राह्य हुई।

जनपद पीलीभीत के पुलिस उपाधीक्षक, बीसलपुर द्वारा दलित उत्पीड़नात्मक प्रसंगों के पंजीकृत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री अगयश राम सरन वर्मा ने विचार व्यक्त किये।

श्री अगयश राम सरन वर्मा के भाषण के मध्य 2 बजकर 04 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।

पशुधन मंत्री के प्रकरण को दिखवा लेने के आश्वासन दिये जाने के साथ सूचना अग्राह्य हुई।

राजस्व मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से निम्नलिखित अनुदानों पर मांगों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-

(1) 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,83,46,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(2) 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,05,00,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(3) 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,25,78,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री हुकुम सिंह ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-50, 51 एवं 52 के अधीन मांगी गई धनराशियां घटाकर एक-एक रुपया कर दी जायं, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री हुकुम सिंह के भाषण के मध्य 2 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अनुग्रह नारायण सिंह पुनः पीठासीन हुए।

निम्न सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री दलवीर सिंह,

श्री मो0 इरफान,

श्री लोकेश दीक्षित,

श्री लोकेश दीक्षित के भाषण के उपरान्त श्री दलवीर सिंह द्वारा पुनः अपनी बात कहने पर श्री अधिष्ठाता ने कहा कि आप अपनी बात मा0 मंत्री जी को लिखकर दे दें जिसे वे देख लेंगे।

निम्न सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय,

श्री बंशी सिंह पहाड़िया,

श्री मदन चौहान,

श्री धर्मपाल सिंह,

श्री लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद,

श्री अली यूसुफ अली,

श्री हेमराज वर्मा,

श्री अनीसुर्रहमान,

डा0 अजय कुमार,

श्री मो0 मुस्लिम।

श्री मो0 मुस्लिम के भाषण के मध्य 4 बजकर 22 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

निम्न सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री अब्दुल मशहूद खां,

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत,

श्री इन्दल कुमार।

विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा बोलने का आग्रह किये जाने पर उद्यान मंत्री द्वारा समय की बचत हेतु सभी विभागों पर एक साथ चर्चा कराये जाने का श्री अध्यक्ष से अनुरोध किया

गया। श्री अध्यक्ष ने कहा कि नये सदस्य अपने क्षेत्र की समस्या रखना चाहते हैं इन्हें रोकना ठीक नहीं है।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

सुश्री सावित्री बाई फूले,

श्री सोबरन सिंह यादव,

श्री भगवती प्रसाद,

श्री जियाउद्दीन रिजवी,

श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि।

श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि के भाषण के मध्य राजस्व मंत्री ने चर्चा पर अधिक समय व्यय हो जाने के कारण श्री अध्यक्ष से अनुरोध किया कि मा0 सदस्यों के सुझाव लिखित रूप से आ जाय उसे वे देख लेंगे, श्री अध्यक्ष ने सहमति प्रदान करते हुए श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि को अपनी बात रखने का निदेश दिया।

श्री हुकुम सिंह ने उत्तर भाषण दिया।

राजस्व मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री हुकुम सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव अस्वीकृत हुए तथा मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या-50, 51 एवं 52 के अधीन मांगी गई धनराशियां पूर्ण रूप से स्वीकृत हुईं।

लघु सिंचाई एवं पशुधन मंत्री एवं श्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,89,68,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उमेश पाण्डेय ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-13 के अधीन मांगी गई धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

निम्न सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री दीप नारायण सिंह (दीपक यादव),

श्री मुकुट बिहारी वर्मा,

श्री मदन चौहान,

श्री बंशी सिंह पहाड़िया,

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया',

श्री दलवीर सिंह,

श्री सुधीर कुमार,

श्री रामहेत भारती,

श्री रामलाल अकेला।

भाजपा के कई अन्य सदस्यों द्वारा बोलने का अनुरोध किये जाने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि लगभग 100 शब्दों में अपने सुझाव लिख कर दे दें, कार्यवाही का अंग बन जायेगा।

निम्न सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री राजबली जैसल,

श्री सत्यवीर 'मुन्ना'।

श्री उमेश पाण्डेय ने उत्तर भाषण दिया।

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री उमेश पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या-13 के अधीन मांगी गई धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

लोक निर्माण, सिंचाई एवं सहकारिता मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से निम्नलिखित अनुदानों पर मांगों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-

(1) 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,35,07,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(2) 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,89,56,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

संसदीय कार्य मंत्री ने भी विचार व्यक्त किया।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-23 एवं 24 के अधीन मांगी गई धनराशियां घटाकर एक-एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

निम्नलिखित सदस्यों/मंत्रियों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री राधेश्याम सिंह,

श्री सुरेश राणा,

चौधरी फसीहा बशीर (गजाला लारी),

श्री पंकज कुमार मलिक,

श्री अभय नरायन सिंह पटेल,

श्री वीरपाल राठी,

श्री हेमराज वर्मा,

श्री गजेन्द्र सिंह,

कृषि राज्य मंत्री (श्री राजीव कुमार सिंह),

श्री संजय कपूर,

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया',

श्री लोकेश दीक्षित,

श्री गुलाम मोहम्मद।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या ने उत्तर भाषण दिया।

कई मा0 सदस्यों द्वारा बोलने का अनुरोध किये जाने पर श्री अध्यक्ष ने कहा अपने सुझाव लिखकर दे दें कार्यवाही का अंग बन जायेगा।

लोक निर्माण, सिंचाई एवं सहकारिता मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या-23 एवं 24 के अधीन मांगी गई धनराशियां पूर्ण रूप से स्वीकृत हुईं।

खेलकूद मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22-खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को

चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 79,01,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,73,63,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आज दिनांक 29 जून, 2012 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 41 सूचनायें प्राप्त हुईं :-

निम्नलिखित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गईं :-

1-श्री राधे श्याम	जनपद हरदोई की ग्राम सभा भगतूपुर संतपुर में कोटेदार द्वारा खाद्यान्न एवं मिट्टी का तेल ब्लैक किये जाने के सम्बन्ध में।
2-(1) श्री अवस्थी बाला प्रसाद (2) श्री रामवीर उपाध्याय	उ0 प्र0 में प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के 800 से अधिक रिक्त पड़े पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।
3-श्री रामचन्द्र यादव	जनपद फैजाबाद के बाबा बाजार विकास खण्ड मवई में साधन सहकारी समिति गणेशपुर में गेहूं क्रय केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

1-श्री प्रमोद तिवारी	प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ नियुक्त शिक्षकों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में।
2-श्रीमती कृष्णा पासवान	जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत जमुना के बीहड़ क्षेत्र अर्जुनपुर गढ़ा में स्थापित राजकीय इण्टर कालेज में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3-श्री प्रभु दयाल बाल्मीकि	थाना ठाकुरगंज, जनपद लखनऊ की पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही व सुरक्षा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं :-

1-श्री मदन गोपाल वर्मा	जनपद फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के ग्राम बसन्त खेड़ा व सुल्तानगढ़ के बीच 133 के0वी0ए0 विद्युत केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

2-श्री सतीश महाना — जनपद कानपुर स्थित श्यामलाल गुप्ता पार्षद राजकीय बालिका इण्टर कालेज, नरवल में प्रयोगशालाओं में संसाधनों एवं उपकरणों को उपलब्ध कराते हुए अध्यापकों की कमी को भी दूर कराये जाने के सम्बन्ध में।

श्री पूरन प्रकाश की आज सदन में अनुपस्थित को देखते हुये श्री अध्यक्ष ने कहा कि मा0 सदस्य के आज अनुपस्थित रहने पर उनकी सूचना किसने लगाई इसकी जांच होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष ने संजय कपूर के अनुरोध पर उनकी उ0प्र0 में सन् 1960 में विस्थापित बंगाली परिवारों को 30 वर्ष की कृषि भूमि की लीज डीड किये जाने के बावजूद भूमिधरी अधिकार न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार की।

श्री अध्यक्ष ने नेता विरोधी दल के अनुरोध पर श्री रामहेत भारती की जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव के गोदाम प्रभारी की संलिप्तता से गोदाम पर खाद्यान माफियाओं का कब्जा होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार की।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुई।

जनपद श्रावस्ती की तहसील भिनगा में स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध बालू खनन कराने तथा करोड़ों रुपये के सरकारी राजस्व का नुकसान पहुंचाने के सम्बन्ध में श्री अब्दुल मशहूद खां द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद फतेहपुर के क्षेत्र जहानाबाद में यमुना नदी पर पीपे के पुल के स्थान पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन गोपाल वर्मा द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ के गढ़ीकनौरा में खुले एवं गन्दे नाले से हो रही दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार सिंह यादव द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का वक्तव्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था ठीक न कराये जाने एवं रात में माओवादियों द्वारा की जा रही लूट-खसोट को रोकने में असफल होने के सम्बन्ध में श्रीमती लालमुन्नी सिंह द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा, कुशीनगर में बस डिपो की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम सिंह द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत परिवहन मंत्री का वक्तव्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में स्थापित विद्युत उप केन्द्र का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद इलाहाबाद के ग्राम नैनी चक गुलाम में बंद पड़ी त्रिवेणी इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड की भूमि अधिग्रहीत कर स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय द्वारा दिनांक 11 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद इलाहाबाद अन्तर्गत मेजा रोड कोडहार खीरी मार्ग के गड्ढायुक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बहराइच के कैसरगंज विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ठीक करने के लिए दूसरा फीडर लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकुट बिहारी वर्मा द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत 20 साल पहले स्वीकृत हुए राजकीय बालिका विद्यालय के भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मेरठ में घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गोरखपुर के नगर पंचायत क्षेत्र सहजनवां में विद्युत की आपूर्ति गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के फीडर से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ बृजेश सिंह द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मऊ के मधुबन विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत घाघरा नदी के किनारे स्थित परसिया, जैरामगिरी, सूरजपुर आदि ग्रामों के किनारे बांध का उच्चीकरण एवं बोल्डर पिचिंग का कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री उमेश पाण्डेय द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन अपराह्न 08 बजकर 57 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

खण्ड-480, अंक-8
शुक्रवार, 08 आषाढ़, शक संवत् 1934
(29 जून, 2012 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2012)

(खण्ड 480 में 10 अंक है)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2012

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-39
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	39-40
जनपद छत्रपति शाहूजी महाराजनगर के विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर में खराब पड़े राजकीय नलकूपों को ठीक कराये जाने एवं रजबहों की सफाई कराकर पानी की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	40-41
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर में सलदहीपुर चौराहे से भिसवा चितौना क्षतिग्रस्त पिच रोड की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	41
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर में कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	41
विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर, लखनऊ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त गम्भीर पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	41-42
प्रदेश में दुसाध जाति की विभिन्न उपजातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र न जारी किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	42
विधान सभा क्षेत्र निघासन, लखीमपुर खीरी में सफाई कर्मियों से उनकी ड्यूटी के बजाय उच्चाधिकारियों द्वारा अपने घरों में बेगार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	42-43
जनपद बहराइच के कैसरगंज के राजस्व ग्राम मंझारा, तकौली में चकबन्दी न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	43
जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर में स्थित संयुक्त चिकित्सालय में व्याप्त घोर अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	43-44
प्राथमिक शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा कर्तव्यों की अवज्ञा के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	44
काशी विश्वनाथ मन्दिर न्यास द्वारा बिना किसी सूचना के अनुष्ठान की दरें पांच गुना बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	44-45
जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर व मलिक में स्थित कतिपय ग्रामों में पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	45
जनपद सीतापुर के विकास खण्ड बेहटा के अन्तर्गत ग्राम शेखनापुर से ग्राम दोनवां के अत्यन्त खराब एवं दुर्गम रास्ते को पेन्टेड रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	46

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद कुशीनगर अन्तर्गत रामकोला-कसया सम्पर्क मार्ग पर लगभग 30 करोड़ रुपये का भुगतान हो जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	46
जनपद बागपत में कृष्णा नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	46
विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के शहरी क्षेत्र में व्याप्त भयंकर पेयजल समस्या के निवारण हेतु जवाहर लाल नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन शिरोपरि जलाशयों को शीघ्र चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	47
कानपुर स्थित सरसौल ब्लाक के हलुआ खेड़ा रजवाहा को तत्काल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	47
जनपद बस्ती सदर के अन्तर्गत वाल्टरगंज शुगर मिल के प्रदूषित पानी के मनौरी नाले में जाने से हो रहे जल प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	48
लखनऊ-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रानीमऊ में 100 शैय्या के चिकित्सालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	48
सई नदी के दूषित जल की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	48-49
जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन की तहसील मधुबन के ब्लाक दोहरीघाट एवं ब्लाक फतेहपुर मन्डाव, ब्लाक सीमर के अन्तर्गत दोहरीघाट मधुबन बेलधरा होते हुए बलिया और बिहार को जोड़ने वाली सड़क को बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	49
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	49-50
सरकार द्वारा विधान सभा में दिये गये आश्वासनों को अगले सत्र तक पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	50-52
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 (1 अप्रैल, 2009 से 3 मार्च, 2010 तक) (सदन के पटल पर रखा गया)	52-53
वन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 312/14-2-2011-343(एल)-2001, दिनांक 4 जून, 2011 (सदन के पटल पर रखी गयी)	53
लोक आयुक्त, उ0 प्र0 के विशेष प्रतिवेदन संख्या 01-2011 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	53
उत्तर प्रदेश, लोक आयुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012 (सदन के पटल पर रखा गया)	53

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	54-79
वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या 50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या 51-राजस्व विभाग (दैवीय विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत), अनुदान संख्या 52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	79-127
वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या 13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत) ...	127-146
वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या 23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना), अनुदान संख्या 24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत)	146-172
वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या 22-खेल विभाग (स्वीकृत)	172
वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या 91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत)	172-173
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	173-175
जनपद श्रावस्ती की तहसील भिनगा में स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध बालू खनन कराने तथा करोड़ों रुपये के सरकरी राजस्व का नुकसान पहुंचाने के सम्बन्ध में श्री अब्दुल मशहूद खां द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	175-176
जनपद फतेहपुर के क्षेत्र जहानाबाद में यमुना नदी पर पीपे के पुल के स्थान पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन गोपाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	176-177
जनपद लखनऊ के गढ़ीकनौरा में खुले एवं गन्दे नाले से हो रही दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	177
जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था ठीक न कराये जाने एवं रात में माओवादियों द्वारा की जा रही लूट-खसोट को रोकने में असफल होने के सम्बन्ध में श्रीमती लालमुन्नी सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	178
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा, कुशीनगर में बस डिपो की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर परिवहन मंत्री का वक्तव्य	179
जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में स्थापित विद्युत् उप केन्द्र का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	179-180

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद इलाहाबाद के ग्राम नैनी चक गुलाम में बंद पड़ी त्रिवेणी इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड की भूमि अधिग्रहीत कर स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	181
जनपद इलाहाबाद अन्तर्गत मेजा रोड कोडहार खीरी मार्ग के गड्ढायुक्त होन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	182
जनपद बहराइच के कैसरगंज विधान सभा क्षेत्र में विद्युत् आपूर्ति ठीक करने के लिए दूसरा फीडर लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकुट बिहारी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	182-183
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत 20 साल पहले स्वीकृत हुए राजकीय बालिका विद्यालय के भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	183-184
जनपद मेरठ में घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	184-185
जनपद गोरखपुर के नगर पंचायत क्षेत्र सहजनवां में विद्युत् की आपूर्ति गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के फीडर से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ बृजेश सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	185
जनपद मऊ के मधुबन विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत घाघरा नदी के किनारे स्थित परसिया, जैरामगिरी, सूरजपुर आदि ग्रामों के किनारे बांध का उच्चीकरण एवं बोल्डर पिचिंग का कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री उमेश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य ...	186-187

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

शुक्रवार दिनांक 29 जून, 2012

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे
अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-303

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
4. अजय मिश्र टेनी, श्री — लखीमपुर खीरी
5. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
6. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
7. अजीमुलहक पहलवान, श्री — अम्बेडकर नगर
8. अताउररहमान, श्री — बरेली
9. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
10. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
11. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
12. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
13. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
14. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
15. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
16. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
17. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
18. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
19. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
20. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
21. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
22. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीरनगर
23. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
24. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
25. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
26. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
27. आनन्द सिंह कुंवर, श्री — गोण्डा
28. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
29. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
30. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
31. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
32. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
33. आशीष यादव, श्री — बदायूं
34. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
35. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
36. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
37. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
38. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
39. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी
40. उदयराज, श्री — उन्नाव
41. उदय लाल मौर्या, श्री — वाराणसी
42. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
43. उमाकान्ती, श्रीमती — जालौन
44. उमाशंकर, श्री — बलिया
45. उमेश पाण्डेय, श्री — मऊ
46. ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
47. ओम प्रकाश, श्री — गाजीपुर
48. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री — जौनपुर
49. ओम प्रकाश वर्मा, श्री — फिरोजाबाद
50. कमाल युसुफ मलिक, श्री — सिद्धार्थनगर
51. कामेश्वर, श्री — देवरिया
52. काली चरन सुमन, श्री — आगरा
53. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
54. कृष्ण कुमार ओझा, श्री — बहराइच
55. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री — झांसी
56. कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर
57. कैलाश, श्री — गाजीपुर
58. कैलाश चौरसिया, श्री — मिर्जापुर
59. गंगा, श्री — कुशीनगर
60. गजेन्द्र सिंह, श्री — बुलन्दशहर

61. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
62. गायत्री प्रसाद, श्री क्षत्रपति शाहूजी महराज नगर
63. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
64. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
65. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
66. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
67. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
68. गोरख पासवान, श्री बलिया
69. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
70. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
71. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
72. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
73. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
74. जगपाल, श्री सहारनपुर
75. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
76. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
77. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ
78. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
79. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
80. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
81. जाहीद बेग, श्री संत रविदास नगर (भदोही)
82. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
83. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
84. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
85. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
86. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
87. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
88. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौऩ
89. दलजीत सिंह, श्री बांदा
90. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
91. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
92. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
93. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
94. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
95. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
96. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
97. धर्मराज, श्री बाराबंकी
98. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
99. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
100. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
101. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
102. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
103. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
104. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
105. नागेन्द्र सिंह "मुन्ना यादव", श्री प्रतापगढ़
106. नारद राय, श्री बलिया
107. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
108. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
109. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
110. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
111. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
112. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
113. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
114. पीतमराम, श्री पीलीभीत
115. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
116. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
117. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
118. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
119. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
120. प्रदीप यादव, श्री औरैया
121. प्रभुदयाल बाल्मीकि, श्री मेरठ
122. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
123. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
124. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
125. फसीहा बशीर (गजाला लारी), चौधरी देवरिया
126. फेरन लाल, श्री ललितपुर
127. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
128. बदलू खां, श्री उन्नाव
129. बाबू खां, श्री हरदोई
130. बाबूलाल, श्री गोण्डा
131. बावन सिंह, श्री गोण्डा
132. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
133. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
134. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
135. बैजनाथ, श्री मऊ

136. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
137. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
138. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
139. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
140. भारतेन्द्र, कुंवर बिजनौर
141. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
142. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
143. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
144. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
145. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
146. मनबोध, श्री देवरिया
147. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
148. मनीष रावत, श्री सीतापुर
149. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
150. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
151. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
152. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
153. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
154. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
155. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
156. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
157. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
158. महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
159. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
160. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
161. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
162. मानपाल सिंह, श्री काशीराम नगर
163. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
164. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
165. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
166. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
167. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
168. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
169. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
170. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
171. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
172. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
173. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
174. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
175. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
176. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
177. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
178. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
179. यासर शाह, श्री बहराइच
180. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
181. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
182. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
183. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
184. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
185. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
186. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
187. रणजीत सुमन, श्री एटा
188. रमेश चन्द्र, श्री मिर्जापुर
189. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
190. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
191. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
192. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
193. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
194. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
195. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
196. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
197. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
198. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
199. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
200. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
201. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
202. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
203. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
204. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
205. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
206. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
207. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
208. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
209. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर

210. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
211. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
212. राधे श्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
213. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
214. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
215. राम गोविन्द, श्री बलिया
216. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
217. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
218. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
219. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
220. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
221. राम मगन, श्री बाराबंकी
222. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
223. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
224. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
225. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
226. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
227. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
228. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
229. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
230. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
231. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
232. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
233. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
234. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
235. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
236. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
237. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
238. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
239. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
240. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
241. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
242. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
243. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
244. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
245. विजय सिंह, श्री रामपुर
246. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
247. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
248. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
249. विशम्बर सिंह, श्री बांदा
250. वीरपाल राठी, श्री बागपत
251. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
252. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
253. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
254. शमीमूल हक, श्री मुरादाबाद
255. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
256. शाकिर अली, श्री देवरिया
257. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
258. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
259. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
260. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
261. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
262. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
263. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
264. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
265. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
266. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
267. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
268. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
269. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
270. संजय कपूर, श्री रामपुर
271. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
272. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
273. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
274. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
275. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
276. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
277. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
278. सर्वेश कुमार, कुंवर मुरादाबाद
279. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
280. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
281. सियाराम सागर, डा0 बरेली
282. सीमा, श्रीमती जौनपुर

283. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
284. सुदामा प्रसाद, श्री	महराजगंज
285. सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
286. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री	सोनभद्र
287. सुनील कुमार लाला, श्री	लखीमपुर खीरी
288. सुभाष पासी, श्री	गाजीपुर
289. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
290. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
291. सुरेश राणा, श्री	प्रबुद्धनगर
292. सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
293. सुरेश बंसल, श्री	गाजियाबाद
294. सुल्तान बेग, श्री	बरेली
295. सूरज पाल सिंह, श्री	आगरा
296. सैय्यद कासिम हसन, श्री	फतेहपुर
297. सोबरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
298. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
299. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	लखीमपुर खीरी
300. हुकुम सिंह, श्री	प्रबुद्धनगर
301. हेमराज वर्मा, श्री	पीलीभीत
302. हेमलता चौधरी, श्रीमती	बागपत
303. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), राजस्व, आभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जनपद लखनऊ में गोमती नदी की बाढ़ से लखनऊ शहर को बचाने की मांग

**1-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

(अनुपस्थित)

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में गोमती नगर के आस-पास बने स्मारकों के कारण गोमती नदी क्या अत्यन्त सकरी हो गयी है ? यदि हां, तो क्या गोमती नदी की बाढ़ से शहर को बचाने हेतु सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

प्रश्नगत प्रकरण का तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, नत्थी 'क' के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0 1 में हम लोगों की रुचि है, इसलिए अनुरोध है कि उसे ले लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

नत्थी 'क' के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0 1 में माननीय हुकुम सिंह जी ने रुचि दर्शायी है, इसलिए मा0 मंत्री जी इसका जवाब दे दें।

श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, यह प्रश्न दो भागों में है। पहले भाग में यह है कि लखनऊ शहर में गोमती नगर के आस-पास बने स्मारकों के कारण गोमती नदी क्या अत्यन्त सकरी हो गई है ? मान्यवर, इसका उत्तर तो आ ही जाना चाहिए था कि अत्यन्त संकरी हो गयी है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी, मा0 मंत्री जी ने बताया कि प्रकरण की छानबीन हो रही है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सरकार अगर यह स्वीकार करे कि हां सकरी हो गई है तो फिर मैं आगे दूसरी बात पर आऊं। मान्यवर, आप इस पर तकनीकी सर्वे करा रहे हैं और उसके बाद में कार्ययोजना बनाने की बात कही है। मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर, नदी कोई नहर नहीं है, नदी एक प्रकृति का उपहार है, जिसे कुदरत ने हमें दिया और हमने उसे नष्ट किया। किसी सरकार या विपक्ष की बात नहीं है, सभी लोग इस काम में लगें। अभी मैं इस बात की जानकारी चाहता हूं कि लखनऊ शहर के जितने हिस्से में गोमती नदी बहती है, जैसे दिल्ली में एक प्रयास किया गया पुल के दोनों ओर तार लगाये गये ताकि कोई नदी में कूड़ा-करकट न डाल सके, गन्दगी न फैला सके, इसलिए कम से कम

नोट :-नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न सं0 3 के मा0 सदस्य के अनुपस्थित होने पर अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0 1 श्री हुकुम सिंह की रुचि पर लिया गया।

इतना तो आप भी प्रयास कर सकते हैं कि जितने हिस्से में गोमती नदी लखनऊ में बहती है उसके दोनों तरफ एक सुनिश्चित क्षेत्रफल में आप रुकावट कर दें, तार से करें, दीवार से करें, या किसी भी चीज से करें जिससे कि उस पर अतिक्रमण न हो सके, कूड़ा-करकट डाल करके उसे पाटा न जा सके, गन्दगी करके प्रदूषित न किया जा सके। अभी आपने बजट भाषण में कहा कि "जल ही जीवन है" उस जीवन को आप कैसे बरबाद कर रहे हैं। बरबादी से रोकने के लिए जो आपका टेक्निकल सर्वे हो रहा है वह तो हमेशा चला है और चलता रहेगा लेकिन आप क्या इस बात का आश्वासन सदन में देंगे कि लखनऊ के जितने हिस्से में गोमती नदी का प्रवाह है उस प्रवाह में कोई रुकावट नहीं की जायेगी और हम दोनों ओर से ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कोई उस पर अतिक्रमण न कर सके और गन्दगी न फैला सके, यह मेरा सवाल है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है। वैसे तो बहुत खर्चा हुआ है, पत्थर लगे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर पत्थर लगे हैं। मिट्टी बाहर से ला-ला करके दोनों तरफ पार्क भी बने हैं। इस तरीके से कार्य हुए हैं और दिक्कत यह है कि तकनीकी सलाहकार समिति तक ने अनुमोदन दे दिया है और दूसरे जो गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग, पटना है उसने भी अनुमोदन दे दिया है तो मान्यवर, खर्चा बहुत हुआ है। पूरा बजट मैंने बताया कि शारदा सहायक परियोजना का जो 468 करोड़ रुपये का बजट था वह खर्च हो गया और एल0डी0ए0 से भी बहुत खर्च हुआ है। इस प्रकार से मान्यवर, यह बहुत लम्बा प्रश्न है और यह सूचना हम इकट्ठी करा रहे हैं। हैदर कैनाल जहां पर गिरती थी, उसे नहीं बनना चाहिए था, प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी, नदियों से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए था लेकिन परमीशन दी गई है, किन परिस्थितियों में परमीशन दी गई है, इसकी पी0आई0एल0 भी हाईकोर्ट में है, तो मान्यवर, इसका परीक्षण भी कराना आवश्यक है। मान्यवर, बहुत खर्च हुआ है और दुरुपयोग भी बहुत हुआ है तो मा0 अध्यक्ष जी हम इसका परीक्षण करा लेंगे और मौके का निरीक्षण भी करा लेंगे, बरसात आने वाली है उसका भी परीक्षण करा लेंगे और परीक्षण करा करके पूरी स्थिति से माननीय हुकुम सिंह जी को अवगत करा देंगे।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

मा0 अध्यक्ष जी, जो सवाल माननीय हुकुम सिंह जी ने पूछा है उस पर माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है। जहां तक गोमती नदी का सवाल है या किसी भी नदी का सवाल है यह सही है कि प्रकृति अपने आप बहती है थ्रू-ग्रैविटी, उसमें कोई पम्प वगैरह नहीं है बल्कि प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि नदी अपने आप थ्रू-ग्रैविटी बहती है। गोमती नदी पर बहुत सी योजनायें बनी हैं, जब भी जिसकी सरकार आई है उसने गोमती नदी को ले करके जरूर कुछ न कुछ योजना बनाई है। जब बी0जे0पी0 की सरकार थी तो उस समय गोमती नदी के किनारे कुछ काम हुआ है। बी0एस0पी0 की सरकार ने तो केवल डाउनस्ट्रीम में हाइड्रोलाजिकल स्टडी करा ली और डाउनस्ट्रीम में कोई काम न करके केवल पत्थर मूर्तियां लगाई हैं और रिवर फ्रंट जैसा बनना चाहिए था वैसा न बना करके केवल अपने लिए और अपनी सुविधा के लिए इन्होंने इन्तजाम किया है। एक जगह तो ऐसा है जहां नाला जुड़ता था, सरकार अगर पुराने रिकार्ड निकालेगी तो कितना अर्थव किया इन्होंने, यदि कभी बाढ़ आ जाये और गोमती में पानी ज्यादा हो जाये तो हो सकता है कि लखनऊ में सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास में पानी चला जायेगा। यह पुरानी सरकार की गलतियां हैं कि उसने पम्पिंग स्टेशन लगा दिया और नीचे भी कुछ किया है वह जानकारी शायद आपको हो लेकिन भविष्य में हम लोगों ने फैसला लिया है कि लखनऊ को और देश के पैमाने पर भारत सरकार भी नदियों पर काम कर रही है, जहां तक उत्तर

प्रदेश और लखनऊ का सवाल है यहां केवल डाउनस्ट्रीम में काम हुआ है जो अपस्ट्रीम है उसमें कुछ जगह पर काम हुआ है, उसकी हाइड्रोलाजिकल स्टडी हो रही है और जो गोमती नदी का किनारा है उसे ऐसा सुन्दर बनाया जायेगा जिसमें पत्थर मूर्तियां नहीं होंगी बल्कि पेड़-पौधे होंगे और लोग घूमने निकल सकेंगे, धन्यवाद।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं माननीय मुख्य मंत्री जी का कि उन्होंने हमें विस्तार से योजना बताई। चिन्ता दूसरी भी है, आज बयान पढ़ रहा था मैं मा0 सिंचाई मंत्री जी का। उसी का उन्होंने उल्लेख भी किया कि हजारों करोड़ रुपये लगा दिये गोमती को बर्बाद करने में, कैसे गोमती को रोका जाये, कैसे लखनऊ में कोई ऐसा बना दिया जाये कि बाढ़ आये और चूंकि मुख्य मंत्री का आवास ऐसा है, कोई न कोई मुख्य मंत्री, अभी आप हैं पहले कोई और था, शायद उस आवास से नाराजगी रही होगी कि सबसे पहले बाढ़ वहीं आयेगी। एक बार पहले आ भी चुकी है जब मा0 सी0बी0 गुप्ता जी मुख्य मंत्री थे, तब सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास में बाढ़ आयी थी तब यह बंधा बना था। अब चिंता की बात यह है कि आपने काम किया, सौन्दर्यीकरण तो इन्होंने भी किया। हैदर कैनाल का वजूद ही मिटा दिया, पता नहीं कैनाल वहां है या नहीं, पानी बह रहा है या नहीं यह पता नहीं है, उस पर सड़क बन गयी है। अभी मेरा प्रश्न यह है कि जितना कुछ हो चुका वह हो चुका, सर्वे अपनी जगह है, लेकिन मोटी-मोटी बात है जिन पर कार्यवाही हो सकती है, वह यह है कि जो आस-पास कचरा भरा हुआ है नदी के किनारे पर, उसमें सर्वे की आवश्यकता नहीं है, धन की आवश्यकता है, धन का प्राविधान करके उसको हटाया जा सकता है। यह बरसात से पहले शुरू हो जाना चाहिए था। सर्वे की रिपोर्ट साल, दो साल में आयेगी तब तक लखनऊ की, गोमती नदी की स्थिति और भी खराब हो जायेगी। कम से कम इतना तो कर दें कि बाढ़ फुटिंग पर युद्धस्तर पर उस कचरे को हटवा दें जो नदी के दोनों तरफ जमा हो गया है और पानी के प्रवाह में रुकावट पैदा कर रहा है। मान्यवर, अविरल पानी का प्रवाह शुरू हो जाये। इस वक्त तो नदी गन्दे नहर, नाले में परिवर्तित हो गयी है, कचरा भरा पड़ा है। इसमें टेक्निीकल सर्वे की आवश्यकता ही नहीं है, वह सबके सामने नजर आ रहा है तो मान्यवर, उसमें कम से कम कार्यवाही शुरू हो जाये ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि यह नगर विकास से भी संबंधित है और सिंचाई विभाग से तो है ही। दरअसल यह बहुत चौड़ा नाला था और इसीलिए इसको हैदर कैनाल कहा गया था, यह सिमटता हुआ एक छोटी सी नाली रह गया है। इल्लीगल इन्क्रोचमेंट जरूरत से ज्यादा है उसे हटाने की जरूरत है। दरअसल गुजरे हुए पांच सालों में कानून नाम की कोई चीज नहीं थी। लिहाजा जिसको जहां मौका मिला वह आगे बढ़ा और हैदर कैनाल को एक नाली में परिवर्तित कर दिया गया। उसके अलावा जो दूसरी समस्या है, वह यह कि जो नाले बने हैं उन नालों के मुंह पर लोहे के राड्स लगे हुए हैं, जिससे कूड़ा आ करके वहां रुक गया है और नाले चोक हो गये हैं। तीसरे, नगर विकास विभाग ने, पिछली सरकार ने गोमती के तटों का सौन्दर्यीकरण करने के लिए कंक्रीट वर्क नहीं किया था वहां हमने जैसे समन्दर के किनारे, बीच टाइप उसे डेवलप किया था, वहां कैन्टीन बनायी थी मेयर साहब ने बड़ा कोआपरेट किया था, दोनों ने मिलकर उसका सौन्दर्यीकरण किया था और यह भी किया था कि इस सौन्दर्यीकरण की एक पहचान बने। गोमती पुल पर एक गेट बना रहे थे और उसकी असल कीमत

पाइलिंग में लगी थी। पाइलिंग हो गयी, गेट ऊपर तक आ गया और तकरीबन सड़क से बारह-चौदह मीटर उसकी हाइट हो गयी और सिर्फ एक-डेढ़ मीटर बनने के बाद उस पर स्लैप पड़ना था और उसकी लेसाई होनी थी। जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार गयी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार आयी तो वह गेट जिस पर 90 प्रतिशत पैसा लग चुका था उसका काम रोक दिया गया। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले-इटावा, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, अमरोहा, सम्भल, रामपुर जहां हजारों करोड़ रुपया, गरीबों की मेहनत का सीवर सिस्टम के लिए इस्तेमाल हुआ था, 90-95 प्रतिशत पैसा लग चुका था, उन कामों को रोक दिया गया और इन पांच वर्षों में वह हजारों करोड़ रुपया बेकार चला गया। सारा सीवर सिस्टम चोक हो गया। कल मैं इलाहाबाद गया था, वहां जा करके मैंने देखा है, जो अनर्थ हुआ है। जितने मेनहोल्स थे उन मेनहोल्स के अन्दर कंक्रीट डालकर उस पर सड़क बना दी गयी। अब अगर कुम्भ मेले के वक्त बारिश हो जाये तो पूरा इलाहाबाद डूब जायेगा। कल ही हम जांच बिठाकर आये हैं और सारे मेनहोल्स खोलने के लिए एक पूरी मुहिम चलानी पड़ेगी। मान्यवर, जिस तरह से काम हुआ है उसमें यह देखा ही नहीं गया कि हमें करना क्या है ? हमें लूटना कैसे है सिर्फ यह सोचा गया।

(सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपायी गयीं)

गोमती के सौन्दर्यीकरण में जहां आपका (सिंचाई विभाग) सहयोग है, वहां नगर विकास विभाग का भी अपना एक रोल है। कोशिश की जा रही है इस बात की कि वह तमाम पुरानी योजनायें जिसमें गोमती को चौड़ा किया जा सके, गोमती को गहरा किया जा सके, गोमती को बहाया जा सके और गोमती को साफ रखा जा सके। थोड़ा सा समय आप देंगे तो इस पर काम होगा और जो आपने एक सन्टेंस बोला है कि कुदरत ने तो हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन बर्बाद किया, बरबाद करने वालों को उसकी सजा मिलेगी। आबाद करेंगे तो बेहतर होगा हम अच्छा करेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में क्या नूरा कुश्ती चल रही है यह बात समझ में नहीं आई। जिन्होंने अपने भगवान को धोखा दिया जिन्होंने ईटा और पत्थर भी पुजवा लिया मुद्दत बीत जाने के बाद आज भी एक ईट नहीं पड़ा। ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद को ढहा दिया आज वह केवल विध्वंस में यकीन करते हैं। कोई भी सकारात्मक कार्य हो निर्माण कार्य हो उसमें उनका यकीन ही नहीं है जिस गोमती नदी की बात कर रहे हैं मान्यवर, वह ऐसा स्थान है जहां पर आने-जाने वाले लोग अपनी नाक बन्द करके जाया करते थे। आस-पास के क्षेत्रों में जिस तरह से दुर्गन्ध फैला करती थी जो लोग गोमती नगर में रहते हैं वह इसको बेहतर तरीके से जानते हैं। चूंकि मैं भी गोमती नगर में रहता हूं प्रतिदिन उसी पुल से आता-जाता हूं तमाम माननीय सदस्य ऐसे होंगे जो गोमती नगर में रहते हैं यह भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को धोखा देने का काम किया है यहां तक इन्होंने अपने भगवान को भी धोखा देने का काम किया।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष जी आप प्रश्न पर आइये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं उसी पर आ रहा हूं। आज भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर अन्य महापुरुषों के नाम पर तमाम वहां पर ऐतिहासिक कार्य हुए गोमती तट का

भी सुन्दरीकरण किया गया और गोमती नदी के उस तलहटी क्षेत्र को जो प्रचण्ड बाढ़ के बावजूद भी पानी से अछूता रह जाता था उन क्षेत्रों में जहां गन्दगी सड़ांध पैदा करके पूरे क्षेत्र का जीना हराम किया करती थी उसको खूबसूरत बनाया दर्शनीय बनाया प्रतिदिन वहां पर हजार डेढ़ हजार दो हजार महिलायें बच्चे अपने अभिभावकों के साथ आज भी वहां आते हैं जहां लोग नाक दबाकर जाते थे वहां आज आते हैं इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, नगर विकास मंत्री जी और हमारे माननीय लोक निर्माण मंत्री जी यदि कहीं भी भ्रष्टाचार आपको दिखाई पड़ता है आप उसकी निष्पक्ष जांच करायें हम उसका स्वागत करते हैं। जांच पर कोई ऐतराज नहीं है लेकिन अगर राजनीतिक द्वेष भावना से प्रेरित होकर किसी महापुरुष के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जायेगा तो हम समझते हैं कि यह कतई उचित नहीं है। नयी परिपाटी नहीं पड़नी चाहिए। आप महापुरुषों के सम्मान में जो भी काम करेंगे हम उसका भी स्वागत करेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में मत आइयेगा। नहीं तो इन्होंने अपना सत्यानाश किया है आपका भी सत्यानाश होगा इसलिए मैं सावधान करना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि प्रश्न और उसके जवाब को माननीय नेता प्रतिपक्ष दूसरी तरफ ले गये तो मैं आपके पहले प्रश्न का आखिर में जवाब दूंगा और बाद के प्रश्न का पहले जवाब देता हूं। यह हम मान रहे हैं कि पांच साल की रुकी हुई गिलाजत अब सड़ रही है। यह सही है जो बदबू आ रही है वह पांच साल की रुकी हुई गन्दगी की बदबू आ रही है। हम उसे साफ कर रहे हैं और साफ करेंगे। आप जांच कराने की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जितने शौचालय बने तीन करोड़ के शौचालय सिर्फ मेरे जनपद में मेरे शहर में कागज पर बने जिसमें सी0डी0ओ0पी0डी0 और दूसरे अधिकारी जिन्होंने बनवाये उनकी पत्नी की जो सर्विस रूल्स के अगेंस्ट है अधिकारी की पत्नी की संस्था से शौचालय बनवाये गये तीन करोड़ के जिसमें तीन रुपये का भी एक शौचालय नहीं बना तीनों की एफ0आई0आर0 हो गई वारण्ट पीछे है और अधिकारी भागे हुए हैं आपके कार्यकाल में एक जनपद ही नहीं उत्तर प्रदेश के हर जनपद में जब आपके उस जमाने के पाप सामने आयेंगे तब आपको पता चलेगा और मान्यवर, पहला प्रश्न था आपका कि बाबरी मस्जिद का। आप तो इन्हीं के साथ थे। इन्होंने पाप किया। माननीय कांशी राम जी ने क्या कहा था मालूम है ? उन्होंने कहा था कि अगर मुझे बाबरी मस्जिद का मसला हल करने का हक हासिल हो तो मैं बाबरी मस्जिद की जगह लैट्रिन और पैखाना बनवा दूंगा। (बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा झूठ-झूठ बोलने पर) अगर यह झूठ है, अगर यह झूठ है तो मेरी सजा तय कर लेना और अगर यह सच है तो नेता प्रतिपक्ष अपनी सजा तय कर लें।

(सत्ता पक्ष द्वारा मेजें थपथपायी गईं)

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों को लिया जाय। प्रश्नों से अलग चल रहे हैं हम। प्रश्नों तक ही सीमित रखें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, पार्टी का नाम लेकर के हम पर कुछ आरोप लगाये गये। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा मान्यवर। आपने कहा अपने भगवान के नहीं हुए किसके होंगे ? हम तो इतना कह सकते हैं मान्यवर, कि गलती हमसे हुई है। सबसे पहली गलती तो यह हुई कि काल कोठरी से निकाल कर हमने मुख्यमंत्री के पर पर बैठा दिया। एक बार नहीं, गलती हमसे बार-बार हुई है। हमने तो केवल यह

सोच करके कि किसी दलित को यह अवसर मिलना चाहिए, नम्बर एक की कुर्सी पर बैठना चाहिए। हमने अपना त्याग करके तीन-तीन बार वहां बिठा दिया। जो बदला हमको मिलना चाहिए, वह बदला हमको मिला और हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं आपको। प्रकरण अदालत में है, सर्वोच्च न्यायालय में है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन कम से कम जो बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे है अपने दामन में तो झांक कर देख लें क्या-क्या पाप स्वयं ने किये हैं। मान्यवर, 6 महीने हमने सरकार चलाई यह 6 दिन नहीं चला सके। धोखा दिया हमको। छठवें दिन इन्होंने अपना समर्थन हमसे वापस ले लिया। यह अपने दामन में झांक कर देखें। आप पर कौन विश्वास करेगा ? मान्यवर, सबसे बड़ा विश्वासघाती कोई दल है आज इस देश में तो वह एकमात्र बहुजन समाज पार्टी है।

(माननीय नेता विरोधी दल के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपने कहा उन्होंने जवाब दे दिया। अब प्रश्न लेते हैं। प्रश्न लेने दीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

वही तो मैं कह रहा हूं जो अपने भगवान को धोखा दे सकते हैं वह किस को धोखा नहीं दे सकता मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

तारांकित प्रश्न

नत्थी (ग)

प्रदेश में नकली दवाइयों तथा दवाइयों में मिलावट की रोकथाम हेतु सरकार की नीति

*1-डा0 रीता बहुगुणा जोशी-

(अनुपस्थित)

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नकली दवाइयों तथा दवाइयों में मिलावट की रोकथाम हेतु सरकार ने कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? नहीं तो, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

प्रदेश में नकली, अधोमानक मिथ्याछाप औषधियों के निर्माण एवं विक्रय के रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने तथा इस संबंध में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तत्संबंधी नियमावली, 1945, के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का गठन दिनांक 30-07-09 को किया गया है। नकली, अधोमानक मिथ्याछाप औषधियों के निर्माण एवं विक्रय की रोकथाम हेतु मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त के अधीन सहायक आयुक्त (औषधि) व जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के अधीन औषधि निरीक्षक तैनात होते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा

एवं औषधि प्रशासन, उ0 प्र0, लखनऊ के अधीन एक टास्कफोर्स भी गठित है जिसके प्रभारी अपर पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अपर आयुक्त (अभिसूचना/प्रवर्तन) है। नैत्यिक निरीक्षण के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार पुलिस/प्रशासन के सहयोग से टीम के माध्यम से औषधि विक्रय/निर्माण प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर नमूने एकत्रित कर उनकी जांच कराई जाती है और नमूनों के अपमिश्रित, अधोमानक अथवा नकली पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही कराई जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के गठन से लेकर माह मई, 2012 तक की अवधि में कुल 5,067 छापे डालकर 10,381 नमूने लिए गये तथा 3,489 विश्लेषित नमूनों में से 68 नमूने नकली व 438 नमूने अधोमानक पाये गये। दोषी के विरुद्ध 385 वाद पंजीकृत किये गये।

दिनांक 30-07-2009 से माह मई, 2012 तक विभाग द्वारा बिना लाइसेंस चल रही निर्माण/विक्रय इकाईयों व रक्तकोष, फिजीशियन सैम्पल की अवैध बिक्री, राजकीय आपूर्ति की औषधियां, आक्सीटोसिन तथा अवसानित औषधियों के संबंध में व्यापक छापामार कार्यवाही की गयी। अब तक 509 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए 521 व्यक्तियों को गिरफ्तार कराया गया। वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 (माह मई, 2012 तक) में 7.91 करोड़ रुपये मूल्य की संदिग्ध औषधियां जब्त की गयी।

जनमानस को गुणवत्तापरक औषधियों की उपलब्धता बनी रहे, इस संबंध में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री, 1940 एवं नियमावली, 1945 में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन न करने तथा अन्य अनियमितताओं के पाये जाने के संबंध में विभाग के गठन के उपरान्त से माह मई, 2012 तक 75 निर्माण इकाइयों के लाइसेंस निरस्त किये जा चुके हैं तथा इस अवधि में 46 निर्माण इकाइयों के लाइसेंस निलम्बित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

नत्थी 'ग' प्रश्न सं0 1, रीता बहुगुणा जोशी के प्रश्न पर आप लोगों ने रुचि दिखाई थी।

(माननीय सदस्य श्री धर्मपाल सिंह के बोलने के लिए खड़े होने पर)

धर्मपाल जी आप थे नहीं, जब आपको बुलाया तो मेरा क्या दोष है। आप थे ही नहीं जब आपका नम्बर आया। अब आगे प्रश्न ले रहे हैं। अगर समय बचता है तो दिखवा लेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि कुल कितने मुकदमें कायम हुए, इसमें कितने लोगों को सजा दी गई ? दूसरी बात मा0 मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बहुत सी ऐसी दवायें हैं जो पूरी दुनिया में बैन हो गई हैं, प्रतिबन्धित हो गई हैं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जा रही हैं लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में वह दवायें प्रेसक्राइव की जा रही हैं, लिखी जा रही हैं, बेची जा रही हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी सदन को यह स्पष्ट करेंगे कि ऐसी दवायें जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बैन हो गई हों यहां पर उनकी बिक्री बंद करायेंगे। उनकी सूची

नोट :-नत्थी 'ग' तारांकित प्रश्न सं0 1 श्री प्रमोद तिवारी की रुचि पर अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उपरान्त लिया गया।

लेकर उनका पता लगाकर जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, हृदय के लिए हानिकारक हैं जिनके साइड इफेक्ट्स हैं और जो पूरी दुनिया में बैन हैं उन दवाओं को यहां भी प्रतिबन्धित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी, जो आपने पहला प्रश्न किया वह प्रश्न के उत्तर में हैं कि अब तक 509 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और 521 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। यह उत्तर में है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मेरा प्रश्न यह था कि कितने लोगों को सजा हुई ?

श्री अध्यक्ष-

अभी तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

डा0 वकार अहमद शाह-

यह प्रकरण अदालत के विचाराधीन है अभी तक की जानकारी के अनुसार सजा किसी को नहीं हुई है।

श्री प्रमोद तिवारी-

अन्तर्राष्ट्रीय मानक पर जो दवायें प्रतिबन्धित हैं उनकी बिक्री यहां हो रही है तो क्या मंत्री जी उन दवाओं का पता लगा करके उनकी बिक्री पर रोक लगायेंगे ?

डा0 वकार अहमद शाह-

सरकार पूरी तरह से इसको देखेगी। जो इस तरह की दवायें हैं उनको प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, इसी सदन में दो-तीन वर्ष पूर्व इस विभाग की स्थापना की गई थी और बहुत लम्बी-लम्बी घोषणायें की गई थी जब यह विभाग नया-नया 2009 में बना था। मुझे स्मरण है यह कहा गया था कि जो लोग नकली दवायें बेचते हैं उन पर एन0एस0ए0 लगाया जायेगा और यह भी कहा गया था कि जो लोग इसकी सूचना देंगे उनको पुरस्कृत किया जायेगा। मेरे दो-तीन सवाल हैं माननीय मंत्री जी से, पहला सवाल तो यह है कि सरकार ने घोषणा की थी इस विभाग को खोलते समय, तो क्या आपने किसी पर एन0एस0ए0 की कार्यवाही की है। दूसरा आपको किसी नागरिक के माध्यम से किसी संगठन के माध्यम से, या किसी समिति के माध्यम से सूचना मिली है और क्या आपने उनको पुरस्कृत किया है ?

डा0 वकार अहमद शाह-

घोषणा जिस सरकार ने की है मुझे पता नहीं है। लेकिन हमारी सरकार ने अल्पकाल में छापे मारकर अर्थदण्ड दिये हैं हम समझते हैं कि इससे ज्यादा प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष-

जिन लोगों ने सूचना दी है क्या उनको कोई इनाम दिया गया है।

डा0 वकार अहमद शाह-

हम लोगों ने छापे मारकर अर्थदंड दिये हैं जिलाधिकारी और कमिश्नर के अधीन हमारी टीमें गठित हैं जहां सूचना मिलती है वहां कार्यवाही की जाती है।

श्री अध्यक्ष-

जो सूचना देते हैं नकली दवायें बेचने वालों के बारे में, उनको कभी पुरस्कृत किया गया है या उनको प्रोत्साहन दिया गया है इस तरह की कोई जानकारी आपको है।

डा0 वकार अहमद शाह-

इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि उनको प्रोत्साहन दिया गया है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

दूसरा प्रश्न मेरा यह है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है, 3489 जांच कराई गयी, जिसमें से 504 सैम्पुल नकली पाये गये अर्थात् 15 प्रतिशत दवाइयां इस प्रदेश में नकली बिक रही हैं और यह सरकार स्वयं सदन में कह रही है। मैं जानना चाहता हूं कि 10381 नमूने आपने लिए और इन तीन सालों के कार्यकाल में सिर्फ 3489 नमूनों की जांच कर पाये। प्रश्न यह है कि जो बाकी 7 हजार नमूने आपने लैबोरेट्री में भेजे हैं, यह किसी जांच के लायक बचे भी होंगे या उससे उन भ्रष्ट और घटिया दवायें बेचने वालों की मदद की जा रही है कि हम जानबूझ करके जांच लैबोरेट्रीज को नहीं बढ़ा रहे हैं जिससे कि नकली दवाओं की तेजी से जांच हो सके ?

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, जिनके नमूने नकली पाये गये हैं, उनके लाइसेंस रद्द कर दिये गये हैं या निलम्बित कर दिये गये हैं और उनके विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करके कार्यवाही की जा रही है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, प्रश्न यह है कि 10381 सैम्पुल लिय गये और अभी तक इन तीन सालों में 3489 सैम्पुल की जांच हुई। मात्र 3489 नमूनों का विश्लेषण हुआ, बाकी लैबोरेट्री में पड़े हुए हैं। मैं पुनः स्पष्ट कर दूं, 10381 नमूने लिए गये और सिर्फ 3489 नमूनों का विश्लेषण किया गया, शेष लगभग पौने सात हजार नमूने लैब में पड़े हुए हैं। अब सवाल है कि जब इतनी बड़ी संख्या में नमूने लिए गये और उनकी जांच नहीं की जा रही है तो क्या ऐसी अधोमानक या नकली दवायें बेचने वालों के खिलाफ सरकार अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रही है या यह स्वीकार करती है कि जांच की सुविधायें कम हैं और इन सुविधाओं को बढ़ा करके इन जांचों को तेजी से करने की आवश्यकता है ?

डा0 वकार अहमद शाह-

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को यह विश्वास होना चाहिए कि सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और ऐसे किसी आदमी को बक्शा नहीं जायेगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न बहुत साफ है, आपका संरक्षण नहीं होगा तो कैसे होगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, यह कह रहे हैं कि 10 हजार नमूने लिये गये जिसमें से केवल 3489 का विश्लेषण हुआ, क्या शेष का भी विश्लेषण हुआ या वह नमूने ही खराब हो गये, मंत्री जी, यदि इसकी सूचना आपके पास हो तो माननीय सदस्य को बता दें।

श्री वकार अहमद शाह-

मान्यवर, इसकी सूचना नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि विभाग के गठन से ले करके अब तक का आपने आंकड़ा दिया और इतने ज्यादा नमूने लिये गये, हो सकता है कि उसकी पूरी जानकारी विस्तार से आपके पास न हो तो मैं इसको आसान करना चाहता हूं। केवल अप्रैल और मई, दो महीने में कितने छापे मारे गये और कितने नमूने लिये गये और इन दो महीनों के अन्दर कितने लोगों पर कार्यवाही हुई ?

श्री वकार अहमद शाह-

मान्यवर, इसकी सूचना एकत्रित करनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष-

सूचना नहीं है, सूचना लेकर आयेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आपक इसको स्थगित कर दें। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

हम खूब समझते हैं, आप ही नहीं समझते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यदि आप समझते हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

(हंसी)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। नकली दवाओं के सम्बन्ध में कितने छापे मारे गये, कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई, कितनी दवाइयां अधोमानक पाई गई, इसका जवाब दिया है और उसके ऊपर अनुपूरक प्रश्न भी आये है। मान्यवर, प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से या जो नकली दवा बेंच रहे हैं, उनकी बात की गई है, मान्यवर, साल-दो साल पहले हमने अखबार में पढ़ा था कि नकली पोलियो ड्राप पिलाये गये थे, जिसके कारण 4 बच्चों की जान चली गयी थी। मान्यवर, मैं अपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं।

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि आज से लगभग तीन वर्ष पहले जो सरकारी पोलियो ड्राप्स पिलाये गये थे जिसमें कुछ बच्चों की जानें भी चली गयी थीं क्या उसकी भी जानकारी सरकार को है, क्या उसकी जांच करवायेंगे ? और मान्यवर, पिछले दिनों जो एन0आर0एच0एम0 का घोटाला हुआ जो बहुत बड़ा घोटाला है। मान्यवर, यह तो हमने पढ़ा ही है कि एक रुपये 20 पैसे वाली दवा 18 रुपये में ली गयी लेकिन यह असली है या नकली है यह बात नहीं पता है। तो क्या पिछले दिनों में एन0आर0एच0एम0 घोटाले के अन्तर्गत क्या कुछ नकली दवाओं की भी खरीद की गयी है ? इसकी जानकारी दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर प्राइवेट आदमी कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिये। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है अगर वह नकली दवा खरीद रहा है तो उसको भी सजा होनी चाहिये। और कड़ी सजा दी जानी चाहिये। मान्यवर, मैं यह नहीं कह रहा कि इन्होंने किया है। मान्यवर, जिस समय यह हुआ है क्या इसकी जांच करवायेंगे ? यह बता दें।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, इस बात को दिखवा लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

जो अद्योमानक दवायें पायी गयी हैं वह बाडी के लिये जीरो अफेक्टेड थीं या प्वाइजनर्स थीं ? मान्यवर, यह प्रश्न बहुत जरूरी है क्योंकि अगर वह दवायें जीरो अफेक्टेड हैं तो बहुत ज्यादा दोष नहीं है लेकिन अगर प्वाइजनर्स हैं तो वह बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। और ज्यादा गुनाह है। और इसमें सख्त से सख्त कार्यवाई दोषी के खिलाफ होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

देखिये वह अद्योमानक हैं। आपका जो प्रश्न है। उत्तर आ गया कि अद्योमानक हैं, उस पर मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया, उनके खिलाफ कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन है तो अब क्या पूछ रहे हैं ?

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मेरा यही प्रश्न है कि वह बाडी के लिये जीरो अफेक्टेड थीं या प्वाइजनर्स थीं ?

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, कुछ जिज्ञासा थी कि अप्रैल-मई, 2012 में कितने मामले दर्ज हुये। मान्यवर, इसका विवरण मैं दे रहा हूं। बिना लाइसेंस की इकाइयां 06, नामजद आदमी 07, गिरफ्तार आदमियों की संख्या 07 और जितना नुकसान हुआ और जो मूल्य था वह था 35-36 लाख। फिजीशियन सैम्पल तीन, नामजद लोग 07, गिरफ्तार लोग 05, 12 लाख रुपये की यह दवायें पकड़ी गयीं। राजकीय आपूर्ति में 01, गिरफ्तार 01।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें, माननीय नेता विरोधी दल जी जो अभी पूछे थे उसी का जवाब मा0 मंत्री जी दे रहे थे।

(श्री बंशी सिंह पहाड़िया के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अरे, पहाड़िया जी बैठ जायें। माननीय मंत्री जी सूचना दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी आपकी सूचना पूरी हो गयी।

डा0 वकार अहमद शाह-

जी मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। माननीय अखिलेश जी आपके प्रश्न का इससे मतलब नहीं है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

नकली दवाओं से मतलब है।

श्री अध्यक्ष-

नकली दवायें पकड़ी गयीं, अद्योमानक पायी गयीं, अद्योमानक पर मुकदमा पंजीकृत हुआ, न्यायालय में विचाराधीन है। अब क्या है कि कितना अफेक्टेड है कितना नहीं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, वह प्वाइजनर्स थीं या जीरो अफेक्टेड थीं ?

श्री अध्यक्ष-

आपके पास क्या ऐसी कोई सूचना है।

डा0 वकार अहमद शाह-

नहीं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं है। बैठिये।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मान्यवर, बड़ी गम्भीर बात है। मान्यवर, यह जो नकली दवाओं की बात हो रही है। यह कुछ ऐसी चीजें हैं जो चिन्हित हैं जहां मेडिकल स्टोर और फैक्ट्री की बात की जा रही है। जहां यह दवाइयां बनती हैं। लेकिन मान्यवर, रेलवे स्टेशनों पर, बसों में, पैठ और हाटों में ऐसी-ऐसी दवायें सिर दर्द की, पेटदर्द की, जुकाम की और दूसरी चीजों की दी जा रही हैं जो कहीं रिकार्ड में ही नहीं है तो उनकी जांच कौन करेगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो दवायें जिस रेपर या सैम्पल में मिल रही है उन बाजार, रेलवे स्टेशनों और पैठों में, वह मेडिकल स्टोर में नहीं मिलती हैं तो क्या सरकार का ऐसा भी कोई नियंत्रण है कि यह दवायें कहां बन रही हैं, कौन बना रहा है और कौन बेच रहा है। गांव के मेडिकल स्टोरों पर, नीम हकीमों के यहां इस तरह की घटनायें ज्यादा हो रही है, लोगों की

मृत्यु हो रही है। इसके साथ में ऐसे फर्जी नर्सिंग होम चलाये जा रहे हैं जहां सर्जरी की सुविधा नहीं है और गर्भवती गरीब महिलाओं से अनाप-सनाप रुपया वसूला जा रहा है, मौतें हो रही हैं, गरीब आदमी जमीन बेंच कर इलाज करा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप सीधे अनुपूरक प्रश्न करिये।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मेरा प्रश्न यह है कि जो इस तरह की दवायें बेची जा रही हैं, जो किसी मेडिकल स्टोर पर भी उपलब्ध नहीं है, जो किसी नाम से बाजार में उपलब्ध नहीं है और वह प्रचलन में आ रही हैं तो क्या सरकार उनकी रोकथाम के लिये भी कोई प्रयास करेगी ?

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, अगर मा0 सदस्य के संज्ञान में हो तो सूचित करें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मान्यवर, निरन्तर छापे मारे जा रहे हैं, टेलीफोन नम्बर दिये हुये हैं अगर कहीं कोई मामला संज्ञान में आये तो तुरन्त सूचित करें, सरकार उस पर प्रभावी कार्रवाई करेगी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी मा0 सदस्य का यह कहना नहीं है। इनका कहना है कि बाजार में कचहरी के पास या बस स्टैण्ड वगैरह के पास, यह पेट की दवा है, यह सिर की दवा है इत्यादि जो इस तरह की दवाइयां लोग बेचते रहते हैं, आपका आशय है कि क्या उन पर भी प्रतिबन्ध लगायेंगे।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, बिल्कुल उन पर भी कार्रवाई होगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब उत्तर आ गया, अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कार्यालयों में 'सारथी योजना', ड्राइविंग लाइसेन्स एवं स्मार्ट कार्ड के सम्बन्ध में जानकारी

*2-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जनपदों के ट्रान्सपोर्ट कार्यालयों में ''सारथी योजना'' लागू हो चुकी है तथा किन-किन जनपदों में ड्राइविंग लाइसेन्स एवं वाहन पंजीयन प्रमाण-पत्र 'स्मार्ट कार्ड' पर बन रहे हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सम्पूर्ण प्रदेश में कब तक ड्राइविंग लाइसेन्स एवं वाहन पंजीयन स्मार्ट कार्ड पर बनने लगेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री मानपाल सिंह)-

प्रदेश के किसी भी जनपद के ट्रांसपोर्ट कार्यालय में 'सारथी योजना' लागू नहीं हुई है और किसी भी जनपद में ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन पंजीयन प्रमाण-पत्र ''स्मार्ट कार्ड'' पर नहीं बन रहे हैं।

वर्तमान में समय सीमा इंगित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया था कि जो 'सारथी योजना' है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। मैंने पूछा है कि किन-किन जनपदों में यह लागू है। संभवतः या तो कोई तकनीकी मामला हो या पूरी जानकारी न दी गयी हो, मा0 मंत्री जी को कि लखनऊ में ड्राइविंग लाइसेंस इस सारथी योजना के तहत बन रहा है। छोटा सा जो बनता है। फर्क यह है कि वो ए0टी0एम0 पेपर पर नहीं बन रहा है। और पूरे प्रदेश में यह जो ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं, या जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उसका बहुत बड़ा पेज होता है और उसको रखने में और मेन्टेन करने में कठिनाई होती है। अब जैसे आर0सी0 हो तो उसे 15-15 साल रखना होता है, पेपर गल जाता है, खराब हो जाता है और उसे लेकर चलने मे तरह-तरह की परेशानियों होती हैं और जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उसे हमेशा लेकर चलना पड़ता हैऔर यदि वह बड़े पेज में हो तो उसकी भी प्राब्लम होती है। कई साल पहले सरकारों ने यह निर्णय लिया था। यह एन0आई0सी0 की योजना है, उनकी अपनी बेवसाइट से बनाने की और हमें जहां तक जानकारी है, देश के अनेक प्रदेशों में इस तरह से रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस बन भी रहे हैं। मा0 मंत्री जी से हम जानना चहेंगे कि हमने जो दूसरा सवाल किया था कि क्या कोई योजना है, तो उसमें बताया गया है कि वर्तमान में समय सीमा इंगित किया जाना सम्भव नहीं है, लेकिन हमें जो अभी जानकारी मिली है, 8 जून को लखनऊ में इस सम्बन्ध में कमिश्नर, ट्रान्सपोर्ट ने मीटिंग ली, इस योजना के लिये और 11 जून, को आगरा में मीटिंग की है। तो मा0 मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या मुख्य मंत्री की जो प्राथमिकतायें हैं, उनमें यह योजना है ?

श्री अध्यक्ष-

एक-एक प्रश्न पूछिये।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

ठीक है, मान्यवर।

श्री मान पाल सिंह-

श्रीमन्, वर्तमान में जो पाइलेट परियोजना के रूप में जो संभागीय परिवहन कार्यालय लखनऊ में सारथी साफ्टवेयर आधारित ड्राइविंग लाइसेंस को फोटो पेपर पर जारी किया जा रहा है। जबकि जो सारथी योजना है उसमें स्मार्ट कार्ड पर दोनों ओर से अंकन होता है। यह इसका प्रारम्भिक चरण है अभी इसमें थोड़ा सा समय लगने की संभावना है। निक्सी भारत सरकार की एक कम्प्यूटर क्षेत्र से सम्बन्धित विशेषज्ञ संस्था है। यह अपने वेडरस् को इस हेतु आमंत्रित करेगी टेण्डर के माध्यम से। इस समय निक्सी से किये जाने वाले ड्राफ्ट एवं एग्रीमेन्ट के विदीक्षण की कार्यवाही शासन स्तर पर चल रही है। विदीक्षण के उपरान्त ड्राफ्ट या एग्रीमेन्ट पर मा0 मंत्री परिषद् का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। इसके पश्चात् स्मार्ट कार्ड पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने हेतु शासनादेश जारी किया जायेगा। तदुपरान्त एन0आई0सी0 निक्सी व उत्तर प्रदेश शासन के मध्य एग्रीमेन्ट हस्ताक्षरित होगा।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, जो लिखित बयान है उसमें और जो मा0 मंत्री जी का अब का बयान है, दोनों में बहुत अन्तर है। सारथी योजना एक साफ्टवेयर का नाम है और स्मार्ट कार्ड जो बनता है वह एक कार्ड का नाम है। मा0 मंत्री जी ने बताया कि पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में सारथी योजना तो लखनऊ में लागू है यह तो आप ही बता रहे हैं। जो हमारा फार्मेट है, जो एन0आई0सी0 ने डेवलप किया है, उसके तहत यह बन रहा है लेकिन स्मार्ट कार्ड जो योजना है वह पेपर योजना है। सारथी योजना तो लखनऊ में लागू है जिसके तहत हमने अपना लाइसेंस बनवाया है। हम यह जानना चाहते हैं कि माननीय मुख्य

मंत्री जी की जो सौ प्राथमिकतायें हैं। उनमें यह है या नहीं है ? क्योंकि उसी से रिलेटेड मेरा दूसरा सवाल है इसमें आपका जवाब आया है कि समय-सीमा निश्चित किया जाना सम्भव नहीं है और अगर है तो यह बहुत जरूरी है, इससे प्रदेश की जनता को बहुत बड़ा लाभ मिल जायेगा क्योंकि उसे पेपर मेनटेन करने में दिक्कतें आती हैं इसलिये सरकार अगर इसे लाती है तो इससे बहुत से लोगों को फायदा होगा। इसलिये हम इसे डिटेल में जानना चाहते हैं कि अगर मा0 मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में है तो फिर इस काम को होना ही होना है। अगर यह चीज प्राथमिकताओं में है तो उसे बता दें और जो आप बता रहे हैं कि प्रॉसेज में है तो यह प्रॉसेज कब तक पूरा होगा ?

श्री मानपाल सिंह-

श्रीमन्, बहुत जल्दी इसको पूरा किया जायेगा, सरकार पूरी तरह से गम्भीर है और यह मा0 मुख्य मंत्री जी की प्राथमिकताओं में है। यह जवाब हमने आपको इसलिये दिया क्योंकि अभी फाइनल प्रस्ताव कैबिनेट में जायेगा, वित्त की स्वीकृति हो गई है, जल्दी से जल्दी इसी वित्तीय वर्ष में होने की सम्भावना है।

प्रदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना

*3-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री अनुग्रह नारायण सिंह अनुपस्थित-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की सरकार ने कोई कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह-

जी हां।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के अधीन सेवायोजन कार्यालयों द्वारा नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों का सम्प्रेषण कर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं, साथ ही बेरोजगार व्यक्तियों को कैरियर काउंसिलिंग एवं रोजगार मेलों का आयोजन कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु सत्ता के विकेन्द्रीकरण विषयक जानकारी

*4-श्री धर्मपाल सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाने हेतु सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके 36 विभाग ग्राम पंचायतों के अधीन कर दिये गये थे ? क्या वर्तमान में यह व्यवस्था लागू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

जी नहीं।

जी नहीं।

सत्ता के विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप जिन विभिन्न विभागों के कर्मी बहुउद्देश्यीय कर्मी के रूप में पंचायतों के अधीन तैनात किये गये थे, उन मूल विभागों का कार्य प्रभावित होने के कारण कार्मिकों को उनके पैतृक विभाग को समय-समय पर वापस कर दिया गया।

श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी का उत्तर ठीक नहीं है। मा0 कल्याण सिंह जी जब मुख्य मंत्री थे, 36 विभागों में से 28 विभाग ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिये गये थे। मा0 राजनाथ सिंह जी ने उन्हें सुदृढ़ करने का काम किया था, उस समय सत्ता गांवों को सौंप दी गयी थी। गांव के प्रधान के पास ग्राम पंचायत से सम्बन्धित अधिकारी और कर्मचारी हाजिरी लगाने का काम किया करते थे। अब गांव में कोई भी अधिकारी, कर्मचारी मिलता नहीं है चाहे मृत्यु प्रमाण-पत्र लेना हो, चाहे इन्तखाब-खतौनी लेना हो, सींचपाल, डाकपाल से काम हो इत्यादि तो यह जो सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया था, उन्होंने इसका उत्तर ठीक नहीं दिया है और मान्यवर, अब जो परिस्थितियां बनी हैं, पंचायतों के सामने प्रधान गांव के चुने हुये प्रतिनिधियों का सम्मान कम हो गया है। थानों में थानेदार अबे-तबे कर के प्रधान जी से बोलता है, कहीं मान-सम्मान नहीं मिलता है। तो मान्यवर, मेरे दो प्रश्न हैं। मान्यवर, मायावती सरकार ने उप प्रधान, उप जिला प्रमुख, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, इनके पद समाप्त कर दिये थे, क्या इन पदों को बहाल करने का सरकार काम करेगी। दूसरा प्रश्न, इस समय सरकार चुने हुये प्रतिनिधियों को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाने का काम कर रही है, जिला पंचायत अध्यक्ष हटा दिये गये, जिला प्रमुख हटाये जा रहे हैं, तो क्या सरकार प्रधानों को भी ऐसे ही हटाने का काम करेगी ?

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, मा0 सदस्य जिन्होंने यह प्रश्न किया है, मान्यवर वर्ष 1999 में इन्होंने इस विभाग का कार्य देखा। मान्यवर, मैंने जो सूचना दी है, इन्होंने पूछा था कि कितने विभाग, 36 नहीं 32 विभाग और मान्यवर, आपने जो किया था, मैं इस प्रकरण में दूर तक नहीं जाना चाहता हूं, सन् 1994 में जब 73 वां संविधान संशोधन आया था तो उस समय और आज जो भी पंचायत का स्वरूप है, संगठन है और जो चुने हुये जनप्रतिनिधियों का आदर और सम्मान है मान्यवर, उस समय इस प्रदेश में इसके सृजन का काम मा0 मुलायम सिंह यादव जी की पिछली सरकार ने उनकी प्रेरणा से किया था। मान्यवर, उस समय क्योंकि कुछ ऐसे प्राविधान थे जो 73 वें संविधान संशोधन के द्वारा पार्लियामेण्ट के द्वारा किया गये थे, शेष जो राज्यों के विषय थे वह उस समय 1994 की सरकार ने किया था मान्यवर, उस समय हम लोगों ने पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया था, राज्य वित्त आयोग का गठन किया था, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने का भी काम किया था।

मान्यवर, महिलाओं के लिये एक तिहाई आरक्षण का प्राविधान किया गया था। पिछड़े वर्ग की जातियों के लिये उनकी आबादी के हिसाब से किन्तु अधिकतम 27 प्रतिशत आरक्षण करने का काम किया गया। मान्यवर, उसी वर्ष 1994 में पंचायतों को विकास कार्यक्रमों में अधिकाधिक सहभागी बनाने के उद्देश्य से प्रशासनिक सुधार एवं विकेन्द्रीकरण आयोग पूर्व ए0पी0सी0 श्री बजाज जी की अध्यक्षता में गठित किया गया था उन्होंने अपनी संस्तुतियां की थीं। मान्यवर, 73वें संविधान संशोधन की जो मंशा थी उसकी प्रस्तावना में यह था कि पंचायतों को त्रिस्तरीय बनाने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए।

जनता के बीच में जितनी सेवायें हैं जितने कार्य हैं जितने कर्मी हैं, वह त्रिस्तरीय पंचायतों को सौंपा जाये। मान्यवर, उसके बाद जैसा कि मैंने बताया बजाज आयोग का गठन हुआ और उसके अन्तर्गत 32 विभागों के कार्यों की संस्तुति की गयी। मान्यवर, इसमें पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर की जिला पंचायत को कार्य सौंपने की उन्होंने संस्तुति की उसी आधार पर मानयवर, 1998-99 में 28 विभागों को कार्य सौंपने का आदेश उन्होंने जारी किया लेकिन वह कार्यान्वित नहीं हो पाया और 4 विभागों ने तो अपने आदेश भी जारी नहीं किये। मान्यवर, उसका कार्यान्वयन नहीं हो पाया वह निष्प्रभावी रहा वह लागू नहीं हो पाया। कालान्तर में मान्यवर, 1999-2000 में विकेन्द्रीकरण और जन सहभागिता सप्ताह मानने के लिये बात कही गयी। मान्यवर, जिन चीजों को 1994 में हमारे नेता जी के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयत्न हुआ था जिसका स्वरूप और संगठन बना था उसको आगे बढ़ाने के लिये आपने यह कार्यवाही की। संविधान की मंशा के अनुरूप में आपने आगे बढ़ाना शुरू किया था लेकिन वह कार्यान्वित नहीं हो पाया।

मान्यवर, इसी तरह से आपने विकेन्द्रीकरण और जन सहभागिता वर्ष मनाने के लिये 1999-2000 में प्रयास शुरू किया। और निर्णय लिया। उसमें यह था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक पूर्ण कालिक कर्मी देने के उद्देश्य से 8 विभागों के 9 ग्राम स्तरीय कर्मी-(पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सींचपाल नहर, नलकूप चालक, सींचपाल भूमि विकास एवं जल संसाधन, किसान सहायक, गन्ना पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण) तथा बहुउद्देश्यीय कर्मियों-(ग्राम पंचायत अधिकारी पद नाम से) के रूप में ग्राम पंचायतों के नियन्त्रण में तैनात किया गये। मान्यवर, जो कालान्तर में यह कार्यालय कर्मी थे इनके बारे मे उनके विभागों ने यह कहा कि विभागों का कार्य हमारा प्रभावित हो रहा है। जिन कारणों से वापस किये गये। मान्यवर, आपने भी डा0 धर्मपाल सिंह जी ने थोड़े दिन इस विभाग को देखा है। और आप सब जानते हैं।

मान्यवर, जहां तक ब्लाक स्तर पर 6 विभागों का कार्य जिसमें (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पशु चिकित्सालय, बीज केन्द्र व कृषि रक्षा केन्द्र, विपणन गोदाम, ग्राम्य विकास के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, अनुश्रवण व मूल्यांकन, युवा कल्याण) क्षेत्र पंचायतों को स्थानान्तरित किया गया।

मान्यवर, जिला पंचायतों के अध्यक्षों को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मत्स्य विकास अभिकरण तथा सिंचाई बन्धु का अध्यक्ष बनाया गया, मान्यवर, कार्य का बंटवारा करते समय यह स्थिति बनी। आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपका एक प्रश्न था कि ब्लाक प्रमुखों , जिला पंचायतों के उपाध्यक्ष तथा प्रधानों को क्या हटाने की कोई योजना है।

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, मैं दोषारोपण नहीं करूंगा। आपने यह कहा कि सरकार यह कर रही है यह बिल्कुल असत्य बात है। सरकार कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला रही है, अविश्वास प्रस्ताव आपने कहा कि सरकार ला रही है, सरकार कहीं पर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं ला रही है। सरकार ने तो मान्यवर, मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि पंचायतीराज और सहकारिता यह तो राष्ट्रपिता महात्मागांधी का सपना था जिसके द्वारा गांव-गांव स्वराज लाया जायेगा। यह हमारे नेता का था उन्होंने क्या किया था उसका भी स्पष्टीकरण आपको दे दूं उन्होंने पंचायतों, चुने हुये प्रतिनिधियों को अविश्वास लाने का

कार्यकाल 2 वर्ष बाद किया था, उन्होंने दो तिहाई के बहुमत के आधार पर इन जनप्रतिनिधियों को हटाने का अधिनियम बनाया था। मान्यवर, अगर आज कुछ हो रहा है तो दायित्व तो मिला था नेता विरोधी दल को। मान्यवर, जब कानून बनाया जाता है तो हम कहां, यह खड़े होकर कानून नहीं बनाया जाता है, कानून देश और समाज सब के लिये बनाया जाता है। परिस्थितियों के अनुसार इन्होंने उसका संशोधन किया आज उसी के आधार पर लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक प्रश्न करना चाहता हूं। इसमें श्रेय रखने की बात नहीं है कि किसने क्या किया, सबने कोशिश की माननीय राजीव जी ने शुरूआत ही की थी और संविधान में संशोधन भी, हम खुद कह रहे हैं इस बात को खड़े होकर के मान्यवर, सीधी स्थिति यह है कि हमारे सबके प्रयास के बावजूद नेता जी के, माननीय मुलायम सिंह जी के प्रयास के बावजूद भाजपा के प्रयास के बावजूद, कांग्रेस के प्रयास के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं आया और यह भी सत्य है कि पंचायत में कोई अधिकारी काम करने के लिये नहीं चाहता कि किसी राजनीतिक व्यक्ति का कन्ट्रोल उनके ऊपर रहे। हमने बहुत कोशिश की, विभाग तो दे दिये लेकिन हर विभाग की कोशिश यह रही कि वहां से निकल जाये और वह निकल गये। आज जो स्थिति है माननीय मंत्री जी, इसको आप थोड़ा सकारात्मक रूप से देंखें, आपने दिया अधिकार गांव पंचायतों को कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का आवंटन करेगी, हो तो नहीं रहा है। एसडीएम बैठ गया, मार्केटिंग इन्सपेक्टर बैठ गया, सप्लाई इन्सपेक्टर बैठ गया, ड्रम के ड्रम पेट्रोल पम्प पर ही बिक रहे कोई नियंत्रण नहीं। चूंकि आगे स्थिति यह है कि एक एप्लीकेशन लो गांव के किसी आदमी से जांच के आडम्बर करो और जांच के आडम्बर करने पर प्रधान के खिलाफ भी कार्यवाही, फलां के खिलाफ भी कार्यवाही कोई कुछ नहीं आज सब निष्प्रभावी हो गया और निष्प्रभावी होने का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने भी ढाल लिया अपने आपको कि जब कोई सुनने वाला नहीं है तो हम भी इसी तरह से बन जायें। आज क्या होना चाहिये कि जो मंशा आपकी, जो मंशा इधर की उस मंशा के अनुरूप दोबारा इस संगठन को हम कैसे पुनर्गठित करें, कैसे मजबूत करें और जो बेसिक इकाई लोकतंत्र की है वह पंचायत है उस बेसिक इकाई को दोबारा पुनर्गठित करके, दोबारा पुनर्जीवित करके कायम करें, यह प्रयास होना चाहिये। इस दिशा में क्या माननीय मंत्री जी कोई विचार करेंगे ?

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, त्रिस्तरीय पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिये और 73वें संविधान संशोधन की मंशा के अनुरूप हम कृतसंकल्प हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी के दिशानिर्देश में हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक बात और बता दें मान्यवर, कर्मी तो आना चाहते हैं, कर्मी तो इस विभाग में बहुत आना चाहते हैं चाहे वह ग्राम स्तर के कर्मी हों विभाग के, चाहे वह ब्लाक स्तर के हों या जिला स्तर के, लेकिन मान्यवर, जनप्रतिनिधियों के नियंत्रण में नहीं रहना चाहते हैं, यह है चिन्ता का विषय। आप लोग सहयोग करेंगे, पूरा सदन सहयोग करेगा, 73वां संविधान संशोधन जिन राज्यों ने ठीक ढंग से लागू किया है उन राज्यों की पंचायती राज व्यवस्था को हमारे अधिकारी पढ़ने तो जाते हैं लेकिन आ करके निष्कर्ष नहीं देते हैं। जो वहां ठीक है, वहां ठीक है, हमारा संकल्प है, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार का संकल्प है। हम किसी को उदाहरण मान करके नहीं बल्कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना करके, आदर्श राज्य स्थापित करेंगे ताकि लोग उत्तर प्रदेश का उदाहरण दें और आप लोगों से सहयोग लेकर के हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

कोई कार्य योजना लायेंगे ?

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, कार्य-योजना लायेंगे।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी मंत्री जी ने जवाब दिया मैं, मा0 पंचायती राज मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले 20 सालों में और पिछले 10 वर्षों में क्या ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी नाम की कोई चीज बची है। मा0 अध्यक्ष जी अभी कल्याण सिंह जी ने विभागों की बात कही, स्व0 राजीव गांधी जी जो पंचायतों के जनक कहे जाते हैं, उनका जिक्र भी किया। मा0 अध्यक्ष जी, आज आपके उत्तर प्रदेश में 75 फीसदी बी0डी0ओ0 नहीं हैं, 75 फीसदी बी0एल0डब्ल्यू0 नहीं हैं, सेक्रेटरी नहीं हैं, पंचायतों का काम प्रभावित हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई सवाल नहीं माना जायेगा। मा0 सदस्य आप बैठ जाइये। प्रश्न से सम्बन्धित जो सवाल है, वह तो आप पूछते नहीं हैं। गम्भीरता से सवाल पढ़ा जाना चाहिये, तब उसमें अनुपूरक पूछा जाना चाहिये। बैठिये, यह सवाल नहीं है, आप बैठ जाइये।

श्री कालीचरण सुमन-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पंचायती राज मंत्री से जानना चाहूंगा कि जो पंचायतों को जल निगम द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो इस तरह की कार्यदायी संस्थायें होती हैं, जैसे कि जल निगम की टंकियां हैं, और बड़े-बड़े नलकूप हैं, उनको ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिया जाता है और उसके बाद, वो नलकूप, पानी की टंकियां या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या अन्य जितने भी चीजें हैं, जो निर्माण संस्थाओं के द्वारा ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दी जाती हैं, और उसके बाद में चूंकि ग्राम पंचायतों के संसाधन बहुत कम होते हैं और सम्बन्धित विभाग उनकी अनदेखी कर देता है तो क्या सरकार यह बतायेगी कि क्या वह ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त साधन उपलब्ध करायेगी या जिस विभाग ने हस्तान्तरण किया है उसकी जिम्मेदारी होगी, उनको ठीक कराने की। सालों-साल से ये ट्यूबवेल बन्द हैं और टंकियां बन्द हैं और यह कह दिया जाता है कि ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित कर दी हैं और ग्राम-पंचायतों के संसाधन कम होते हैं, सीमित साधन होते हैं, वह बना नहीं पाती हैं और जल निगम या जो सम्बन्धित संस्था है, वह भी नहीं बनाती है, तो इस पर सरकार अपने विचार बतायें ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, मा0 सदस्य का कहना है कि ग्राम-पंचायतों को जो काम सौंपा जाता है टंकी बनाने का, इसके लिये जो वित्तीय संसाधन दिया जाता है, क्या उस वित्तीय संसाधन को बढ़ाने पर विचार करेंगे । क्यों मा0 सदस्य जी आपका सही सवाल है ना ?

श्री कालीचरण सुमन-

मान्यवर, मेरा यह सवाल नहीं है। मेरा यह कहना है . . . .

श्री अध्यक्ष-

आप इतना घुमाकर प्रश्न पूछते हैं कि क्लियर नहीं होता है कि आपने क्या पूछा ?

श्री कालीचरण सुमन-

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि जैसे जल निगम या स्वास्थ्य विभाग है ये काम करके ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरण कर देते हैं, जैसे कि पानी की टंकी बनाई और उसे ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित कर दिया गया और उसके बाद ग्राम पंचायत के संसाधन कम होने के कारण उसकी मरम्मत नहीं हो पाती है, तो इसको कौन बनवायेगा ? मेरा यह प्रश्न है।

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, कुछ विभागों के कार्य बनने के बाद ग्राम पंचायत को सौंप दिये जाते हैं। यह कार्य तो सौंप दिये जाते हैं, जैसे कि राजकीय नलकूप हैं, मान्यवर, यह कार्य सौंपे तो जाते हैं लेकिन मरम्मत का पैसा नलकूप विभाग में आता है और मरम्मत उन्हीं को करनी चाहिये। कोष नहीं आता है मान्यवर, लेकिन ग्राम पंचायतों को जो राज्य वित्त से धन दिया जा रहा है। इस तरह के मरम्मत के कार्यों के लिये उनको कहा जाता है कि इस तरह के यदि कोई कार्य हो जैसे कि हैण्डपम्प खराब है, तो उसके लिये कोष दिया गया है। मान्यवर, अगर इस पर कोई अलग से निर्देश जारी करना होगा तो वह कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। आखिरी प्रश्न आप कर ले मा0 धर्मपाल जी।

श्री धर्मपाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी बतायें कि क्या संविधान की 73वें संविधान संशोधन की मंशा के अनुरूप पंचायतों में सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने का काम करेंगे ?

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, मैंने तो खुद कहा कि इस सरकार का संकल्प यही है कि हम उस तरह का और उसी लिये आज हमने जोर देकर के कहा कि यह कार्य हम लोगों ने किया था और उसी को आगे बढ़ा करके जिस तरह की मंशा हो उसके अनुसार हम लोग आप लोगों के समक्ष क्रियान्वयन करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्न समाप्त हो गये हैं।

अतारांकित प्रश्न

1-श्री राम सिंह-

[दिनांक 13-06-2012 के अतारांकित प्रश्न सं0 107 द्वारा उत्तरित।]

2-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[दिनांक 14-06-2012 के अतारांकित प्रश्न सं0 28 द्वारा उत्तरित।]

चिकित्सकों को निर्धारित कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने की जानकारी

3-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ में योजित याचिका संख्या-81एस0बी0/98 में दिनांक 31-05-2012 को माननीय उच्च न्यायालय ने

प्रशिक्षण पर पी0जी0आई0 गये चिकित्सकों ने किस तिथि को प्रशिक्षण ज्वाइन किया एवं किस तिथि को चिकित्सकों का प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् उन्हें कार्यमुक्त किया गया ? क्या उक्त आदेश का अनुपालन दो सप्ताह में करने का भी आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में चिकित्सकों को एक निर्धारित कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण देना चाहेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

याचिका संख्या 81 एस0बी0/98 डा0 अनिल कुमार श्रीवास्तव द्वारा योजित की गई है। वादी डा0 अनिल कुमार श्रीवास्तव ने कार्डियोलाजी विभाग में प्रशिक्षण दिनांक 01-08-1992 से शुरू किया एवं दिनांक 31-07-1993 को प्रशिक्षण पूरा किया।

जी नहीं।

यह एक नियमित प्रक्रिया है बल्कि जनस्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती में शंकरपुर बस्ती मुख्यालय मार्ग पर बस सेवाओं को पुनः प्रारम्भ करने की मांग

4-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में संचालित डुमरियागंज से कानपुर वाया भानपुर बस्ती बस सेवा को बन्द कर दिया गया तथा शंकरपुर से मुख्यालय बस्ती तक जाने वाली बस सेवा भी बन्द कर दी गयी है जिससे क्षेत्र की जनता को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुये उपरोक्त सेवाओं को पुनः प्रारम्भ करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)-

सन्दर्भित स्थानों से परिवहन निगम की बस सेवा कभी भी संचालित नहीं रही है। शंकरपुर से मुख्यालय बस्ती के लिये पूर्व में मिनी बस सेवा संचालित थी। मिनी बसों की नीलामी हो जाने से मिनी बस सेवा बन्द कर दी गयी है। शंकरपुर-बस्ती मुख्यालय मार्ग सकरा एवं काफी मोड़ होने के कारण निगम की बड़ी बस संचालन योग्य नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के रसड़ा में बस डिपो बनाने की मांग

5-श्री उमाशंकर-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के रसड़ा में स्थित रोडवेज बस स्टेशन का विस्तार करते हुये रसड़ा डिपो बनाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नहीं।

नोट-नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या-4 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

रसड़ा स्थान लखनऊ-आजमगढ़-बलिया मार्ग पर आजमगढ़-बलिया के मध्य, बलिया से 33 किमी0 दूर स्थित है। रसड़ा से उत्तर दिशा में बेल्थरा रोड डिपो एवं पश्चिम में स्थित मऊ डिपो से भी पर्याप्त संख्या में बस सेवायें संचालित हो रही हैं। अतः इस स्थान के लिये आजमगढ़ क्षेत्र के विभिन्न डिपो सहित प्रदेश के अन्य डिपो की भी बसें लगातार संचालित हैं। इन कारणों से रसड़ा में डिपो निर्माण का औचित्य नहीं है।

कानपुर नगर में परिवहन विभाग द्वारा जारी परमिट के सम्बन्ध में जानकारी

6-श्री अजय कपूर-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में कुल कितने सवारी टैम्पो को परिवहन विभाग द्वारा परमिट जारी किये गये हैं तथा इनमें बैठने वाली सवारियों की स्वीकृत संख्या कितनी है, क्या सरकार बिना परमिट चलने वाले सवारी टैम्पो एवं निर्धारित सवारी संख्या से अधिक सवारी बैठाने वाले सवारी टैम्पो पर पाबन्दी लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

कानपुर महानगर की सीमा में सी0 एन0 जी0 चालित 3804 टैम्पो/टैक्सी तथा नगर सीमा के बाहर डीजल चालित 403 टैम्पो/टैक्सी अर्थात् कुल 4207 टैम्पो/टैक्सी वाहनों को परिमिट जारी किये गये हैं। एक टैम्पो/टैक्सी में बैठने वाली सवारियों की स्वीकृत संख्या 06 तथा 01 चालक सहित 07 है।

कानपुर नगर में संचालित सभी टैम्पो वाहन परमिट से आच्छादित हैं। चेकिंग के दौरान क्षमता से अधिक सवारी बैठाने वाले टैम्पो वाहन के विरुद्ध केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत चालान/निरुद्ध की कार्यवाही की जाती है। माह मई, 2012 में चेकिंग कार्यवाही के अन्तर्गत 298 वाहनों के चालान किये गये एवं 190 वाहनें निरुद्ध की गयी।

उपर्युक्तानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र किदवई नगर, कानपुर नगर में श्रम विभाग द्वारा श्रमिक कालोनियों का किराया वसूल न किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

7-श्री अजय कपूर-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र किदवई नगर, कानपुर नगर में श्रम विभाग द्वारा श्रमिक कालोनियों का किराया वसूल न किये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी इससे होने वाले राजस्व की हानि के लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह-

विधान सभा क्षेत्र किदवई नगर, कानपुर में औद्योगिक श्रमिक बस्ती, जूही कलां स्थित है। वर्तमान में कानपुर स्थित अन्य श्रमिक बस्तियों समेत जूही कलां में भी अधिकांश भवनों में अनधिकृत अध्यासन है। अध्यासी या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं अर्थात् नियोजन में नहीं है अथवा आवंटी की मृत्यु के फलस्वरूप उनके परिवारीजन बिना नियमतीकरण निवास कर रहे हैं, गृह में अनधिकृत निर्माण कार्य कराया गया है अथवा गृहों को अनधिकृत रूप से खरीद-फरोख्त कर उनमें निवासित हैं। ऐसी स्थिति में

उन गृहों के अध्यासियों से किराया जमा कराया जाना गृह व्यवस्था अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत है। उन मूल आवंटियों, जो किसी पंजीकृत प्रतिष्ठान में नियोजित हैं तथा उनके द्वारा अवैध निर्माण नहीं कराया गया है, के गृहों का किराया जमा कराने पर कोई रोक नहीं है। उक्त शर्तों को पूरा करने वाले वैध अध्यासियों का किराया जमा कराया जा रहा है।

प्रदेश में निर्मित श्रमिक कालोनियों के अध्यासियों को स्वामित्व प्रदान करने की जानकारी

8-श्री अजय कपूर-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निर्मित श्रमिक कालोनियों में रहने वालों को भारत सरकार के शासनादेश संख्या 1424/17/77 एच0-1 नई दिल्ली दिनांक 9 फरवरी, 1978 के अनुपालन में स्वामित्व प्रदान करने की सरकार द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह-

भारत सरकार के शासनादेश संख्या 14024/17/77 एच-1 नई दिल्ली, दिनांक 09 फरवरी, 1978 के तारतम्य में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में स्थित औद्योगिक श्रमिक बस्तियों के गृहों की बिक्री के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 2788/36-4-94-16/92, दिनांक 24 सितम्बर, 1994, शासनादेश संख्या 515/36-4-95-16/92, श्रम अनुभाग-4, दिनांक 21 फरवरी, 1995 एवं शासनादेश संख्या 41 सी0एम0/36-4-95-16/1992, दिनांक 06 दिसम्बर, 1995 द्वारा श्रमिक बस्तियों के गृहों को उनके काबिज अध्यासियों को विक्रय के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था, किन्तु विक्रय की योजना को सामान्यतः श्रमिक बस्तियों के अध्यासियों द्वारा स्वीकार न किये जाने के कारण विक्रय योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी।

मेसर्स गोल्डरस सेल्स एण्ड सर्विसेज लिमिटेड के विरुद्ध कार्यवाही

9-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ महानगर परिवहन बस सेवा के रख-रखाव, मरम्मत की जिम्मेदारी लखनऊ की एक निजी आटो मोबाइल कम्पनी को पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दी गयी थी ? क्या सही है कि महानगर बस सेवा की अधिकांश बसें समय पर ठीक नहीं हो पाती हैं ? क्या रूट नं0 44 डी0 जो कि प्रातःकाल काकोरी से प्रतिदिन सरकारी कर्मियों को लेकर जी0पी0ओ0 तक आती-जाती हैं, खराब होने के कारण दिनांक 26 व 27 अप्रैल, 2012 तक अपनी सेवा नहीं दे पायीं ? यदि हां, तो क्या सरकार बस को ठीक न करने के लिये दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत नगर बसों के अनुरक्षण का कार्य टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से चयनित मेसर्स गोल्डरस सेल्स एण्ड सर्विसेज लिमिटेड को दिया गया था।

जी नहीं।

जी हां।

नियमानुसार मेसर्स गोल्डरस सेल्स एण्ड सर्विसेज लिमिटेड के देयकों से कटौती की गयी है।

इण्डियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा डिप्लोमा इन जी0 एन0 एम0 प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट किये जाने की जानकारी

10-डा0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अस्पतालों में परिचारिकाओं (नर्सेज) की कमी को देखते हुये जी0एन0एम0 ट्रेनिंग, प्रोग्राम में भर्ती होने के न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट (कोई भी विषय में) को शिथिल करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

शैक्षणिक सत्र 2012-13 के लिये इण्डियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा डिप्लोमा इन जी0एन0एम0 प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट (40 प्रतिशत अंक) निर्धारित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में बक्शी का तालाब क्षेत्र से नागरिकों के आवागमन हेतु नगरीय बस सेवा का विस्तार करने की मांग

11-डा0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में बक्शी का तालाब क्षेत्र से नागरिकों के आवागमन हेतु नगरीय बस सेवा का विस्तार इन्जीनियरिंग कालेज चौराहा से इटौंजा तक करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना की गाइड लाइन्स के अनुसार नगर बसों का संचालन नगर सीमा के अन्दर किया जा रहा है। इटौंजा स्थान नगर सीमा के बाहर है।

जनपद बलिया के अन्तर्गत बैरिया तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में होम्योपैथिक अस्पताल खोलने की मांग

12-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के अन्तर्गत बैरिया तहसील से ग्रामीण क्षेत्रों में होम्योपैथिक अस्पताल खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त अस्पताल कब तक खुलवा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना जिला योजना के अन्तर्गत की जाती है। जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति बलिया से इस सम्बन्ध में कोई संस्तुति नहीं प्राप्त हुई है।

जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में वाहन मालिकों से अवैध वसूली की जानकारी

13-श्री तसलीम-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में वर्तमान समय में तैनात आर0टी0ओ0 तथा ए0आर0टी0ओ0 द्वारा ओवर लोडिंग के नाम पर वाहन मालिकों से अवैध वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के बैरिया विधान सभा क्षेत्र में आयुर्वेद अस्पताल खोलने की जानकारी

14-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के बैरिया विधान सभा क्षेत्र में आयुर्वेद अस्पताल खोलने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जनपद बलिया के बैरिया विधान सभा क्षेत्र मे 08 राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल पूर्व से स्थापित हैं।

जनपद बलिया के रसड़ा से वाराणसी मार्ग पर रोडवेज की बस का संचालन

15-श्री उमाशंकर-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के रसड़ा से वाराणसी की दूरी लगभग 150 किमी0 है, वहां आने जाने के लिये कोई समुचित साधन नहीं है ? यदि हां, तो क्या रसड़ा से वाराणसी तक रोडवेज बस चलाने की सरकार की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

रसड़ा-वाराणसी मार्ग पर परिवहन निगम की बस सेवा का संचालन दिनांक 07-6-2012 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चिकित्सा विश्वविद्यालय/संस्थान/मेडिकल कालेज एवं जिला चिकित्सालयों सभी छात्रों को समान रूप से छात्रवृत्ति दिये जाने की जानकारी

16-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एम0बी0बी0एस0, बी0डी0एस0, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा की विधा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी एक वर्ष की अनिवार्य रोटेटरी

इन्टर्नशिप विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में करते हैं ? यदि हां तो क्या चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासनादेशों के अन्तर्गत केवल शासकीय सेवाओं में कार्यरत अभिभावकों के अभ्यर्थियों (इन्टनर्स) को रुपये 7500.00 (रु0 सात हजार पांच सौ) प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति देय होती है, परन्तु निजी क्षेत्र या व्यवसाय में कार्यरत अभिभावकों के अभ्यर्थियों को कोई छात्रवृत्ति देय नहीं होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार चिकित्सा शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में इन्टर्नशिप कर रहे सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से रुपये 7500.00 सात हजार पांच सौ प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं। शासकीय सेवाओं में कार्यरत अभिभावकों/निजी क्षेत्र या व्यवसाय में कार्यरत अभिभावकों के अध्ययनरत अभ्यर्थियों को राजकीय क्षेत्र के चिकित्सा विश्वविद्यालय/संस्थान/मेडिकल कालेज एवं जिला चिकित्सालयों में चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र की सभी विधा मे इन्टर्नशिप करने वाले छात्रों को इन्टर्नशिप स्टाइपेन्ड के रूप में रुपये 7500.00 (सात हजार पांच सौ मात्र) की छात्रवृत्ति देय होती है।

जी नहीं। प्रदेश के अन्दर व बाहर के निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों के सभी विधा के छात्रों को प्रदेश सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज का निर्माण

17-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, खड़ेसरी, बड़हलगंज, गोरखपुर का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा तथा किस सत्र से वहां पर पठन-पाठन कार्य शुरू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गोरखपुर का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2013-14 में पूर्ण होना सम्भावित है। जैसे ही निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा, पठन-पाठन का कार्य शुरू हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक जलालाबाद, मिर्जापुर व कलान में ग्राम पंचायत अधिकारी के स्वीकृत पदों का विवरण

18-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक जलालाबाद, मिर्जापुर व कलान में कितने ग्राम पंचायत अधिकारी के पद स्वीकृत हैं तथा इसके सापेक्ष कितने तैनात हैं, क्या सरकार रिक्त पदों पर तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

विकास खण्ड	ग्राम पंचायत अधिकारी के स्वीकृत पद	तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी
जलालाबाद	10	4
मिर्जापुर	08	4
कलान	09	4

जी हां। प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारियों के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

उप निदेशक जिला पंचायत, अनुश्रवण कोष्ठक उ0 प्र0 लखनऊ के माध्यम से जिला पंचायत मुरादाबाद को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

19-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र 25-काठ में ग्राम सलेमपुर पाकबड़ा एवं सिहाली खददर में तीन सी0सी0 मार्गों का निर्माण 13वें वित्त आयोग से कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 08-05-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

मा0 सदस्य का पत्र उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0 प्र0 लखनऊ के माध्यम से जिला पंचायत, मुरादाबाद को प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत मार्गों के आगणन बनाने की कार्यवाही जिला पंचायत द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में विजय नगर क्षेत्र का फेयर स्टापेज पर बस स्टाप बनवाने की मांग

20-श्री सुरेश बंसल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद में एन0एच0-24 पर स्थित विजय नगर से होकर परिवहन निगम की लगभग सभी महानगरों की बसें गुजरती हैं किन्तु यात्रियों की सुविधा के लिये बस स्टाप निर्धारित नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर बस स्टाप बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

गाजियाबाद में विजय नगर एन0एच0-24 पर स्थित है। यहां से सभी महानगरों की बसें गुजरती हैं। विजयनगर गाजियाबाद क्षेत्र का फेयर स्टापेज है, यहां से गाजियाबाद क्षेत्र की समस्त बसें यात्रियों को चढ़ाती एवं उतारती हैं। विजयनगर पर यात्रियों की सुविधा के लिये शेड बना हुआ है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के होम्योपैथिक अस्पतालों में दवा व शीशी उपलब्ध कराने की मांग

21-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के होम्योपैथिक अस्पतालों में दवा एवं शीशी का अभाव है ? यदि हां, तो क्या सरकार होम्योपैथिक अस्पतालों एवं मेडिकल कालेजों के अस्पतालों में दवा एवं शीशी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं, प्रदेश के होम्योपैथिक अस्पतालों में दवा एवं शीशी के क्रय हेतु आवश्यक धनराशि जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों एवं राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के प्राचार्यों के निस्तारण पर निर्गत की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में रोडवेज परिसर में व्याप्त गन्दगी व बदबू आदि की सफाई करने की व्यवस्था

22-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में रोडवेज परिसर में व्याप्त गन्दगी व बदबू से यात्रियों को अत्यन्त असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

परिसर के बाहर नगरपालिका की नाली चोक होने के कारण मूत्रालयों का गन्दा पानी चहारदीवारी के किनारे एकत्र होने की समस्या थी। वर्तमान में यह समस्या समाप्त हो गयी है।

निगम द्वारा अवरुद्ध मलिन जल निकासी हेतु नाली निर्मित करा दी गयी है तथा मूत्रालय के टाइल्स भी बदलवाये गये हैं। इस सुधार व्यवस्था को बनाये रखा जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के तहसील मुख्यालय, रूधौली में परिवहन निगम के नाम बस अड्डे के लिये भूमि आरक्षित की जानकारी

23-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के तहसील मुख्यालय, रूधौली में राज्य सड़क परिवहन निगम के नाम आरक्षित जमीन पर बस अड्डे का निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नहीं। जनपद बस्ती के तहसील मुख्यालय रूधौली में परिवहन निगम के नाम बस अड्डे के लिये कोई भूमि आरक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण उपलब्ध करने की योजना

24-डा0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग वितरित करने की क्या नीति है ? क्या सरकार प्रदेश के सभी विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्राधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता वाले ऐसे विकलांग जिनकी मासिक आय रु0 1000/- तक है, को अधिकतम रु0 6000/- तक के उपकरण प्रदान किए जाते हैं।

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा एडिप योजना के अन्तर्गत भी कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण काफी अधिक संख्या में वितरित कराये जाते हैं।

प्रदेश में क्षेत्र पंचायत सदस्यों को प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार देने की मांग

25-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में क्षेत्र पंचायत सदस्यों को जन प्रतिनिधि का दर्जा प्राप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ में इगलास में बस स्टैन्ड व कैन्टीन के व्यवस्था की मांग

26-श्री त्रिलोकी राम-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में इगलास बस स्टैन्ड की जमीन उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस स्थल पर मानक के अनुसार भवन निर्माण कराकर कैन्टीन आदि की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां।

जी हां।

इगलास में परिवहन निगम का बस स्टेशन भवन विद्यमान है। इस बस स्टेशन पर कैन्टीन आवंटन हेतु निगम की नियमित प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 05 जुलाई, 2012 की तिथि निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में खैर तहसील मुख्यालय बस स्टेशन पर मंत्रियों हेतु कैन्टीन के संचालित होने की जानकारी

27-श्री भगवती प्रसाद-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में खैर तहसील मुख्यालय पर बस स्टैन्ड की जमीन उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस जमीन पर मानक के अनुरूप भवन निर्माण कराकर कैन्टीन की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां।

जी हां।

बस स्टेशन, खैर पर यात्रियों के सुविधार्थ पूर्व से कैन्टीन संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया स्थित श्रम कार्यालय के कार्यरत वरिष्ठ सहायक श्री शिवशंकर मिश्रा की बहाली व नियुक्ति की जानकारी

28-श्री उमाशंकर-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रसड़ा जनपद बलिया स्थित श्रम कार्यालय में लगभग 20-22 वर्षों से कार्यरत वरिष्ठ सहायक श्री शिवशंकर मिश्रा अपने कार्यकाल में अनेकों वित्तीय घपले एवं गबन के मामले में अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 द्वारा सेवा से पदच्युत किये गये थे ? क्या उन्हें बिना सम्बन्धित पक्षकारों को सुने एकतरफा आदेश के तहत किस आधार पर पुनः बहाल किया गया तथा रसड़ा में ही किस आधार पर तैनात किया गया है ? क्या सरकार उनके द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं एवं गबन की जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह-

श्री शिवशंकर मिश्रा, वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय श्रम प्रवर्तन अधिकारी, रसड़ा, बलिया के विरूद्ध उप श्रमायुक्त, आजमगढ़ क्षेत्र द्वारा जांच करायी गयी एवं जांचोपरान्त उप श्रमायुक्त, आजमगढ़ द्वारा अपने आदेश संख्या 1500, दिनांक 22-06-2010 के द्वारा श्री मिश्रा को पदच्युत कर दिया गया था।

उक्त आदेश दिनांक 22-06-2010 के विरुद्ध श्री शिवशंकर मिश्रा द्वारा श्रमायुक्त, उ0 प्र0 कानपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, श्रमायुक्त कार्यालय के आदेश संख्या 11214-18/स्था0 जी0-2(317)/2010-11, दिनांक 24-12-2010 द्वारा निरस्त कर दी गयी। श्री शिवशंकर मिश्रा द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील), 1999 के नियम 13 के अन्तर्गत शासन में रिवीजन प्रार्थना-पत्र दिनांक 10-02-2011 प्रस्तुत किया गया, जिस पर श्रमायुक्त से दिनांक 13-06-2011 के प्राप्त आख्या के सम्यक् विचारोपरान्त कारित अनियमितताओं के सापेक्ष अपचारी को प्रदत्त दण्ड अधिक होने के कारण शासनादेश संख्या 1261/36-3-2011, दिनांक 12 जुलाई, 2011 द्वारा उप श्रमायुक्त, आजमगढ़ के पदच्युत आदेश दिनांक 22-06-2010 एवं अपील में श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा किए गये आदेश दिनांक 24-12-2010 को निरस्त करते हुए दो वेतन वृद्धियां 03 वर्ष के लिए अस्थायी प्रभाव से रोकने एवं प्रतिकूल प्रविष्टि दण्ड के साथ सवेतन सेवा में बहाल किया गया

तथा श्री मिश्रा को कार्यालय श्रम प्रवर्तन अधिकारी, रसड़ा बलिया में कार्यरत रहते ही पदच्युत किया गया था इसी कारण उसी स्थान पर बहाली के आदेश दिये गये।

उपरोक्तानुसार श्री मिश्रा को दण्ड दिये जाने के उपरांत पुनः जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

29-श्री केशव प्रसाद मौर्य-

[5वें बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0 194 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन विधान सभा क्षेत्र के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

30-श्री अजय मिश्र "टेनी"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन विधान सभा क्षेत्र में कितने आयुर्वेदिक अस्पताल कहां-कहां तथा किस क्षमता के हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त अस्पतालों में मानक के अनुरूप चिकित्सक तथा चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मानक के अनुसार चिकित्सक, स्टाफ तथा चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन विधान सभा क्षेत्र में निम्नलिखित 05 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय (04 शैय्या) स्थापित है :-

1-बेलापरसुआ, 2-करिया डांगा, 3-बनबीरपुर, 4-बेलरायां, 5-खरवरिया नं0 2

चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध हैं, परन्तु कतिपय चिकित्सालयों में चिकित्सक के पद रिक्त हैं।

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में विकलांग पेंशन दिये जाने का विवरण

31-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 में विभाग द्वारा इलाहाबाद जनपद में विकलांग कल्याण पेंशन किन-किन लोगों को प्रदान की गई है एवं कितने शेष हैं ? क्या शेष आवेदकों को भी पेंशन प्रदान की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद इलाहाबाद में प्रश्नगत वित्तीय वर्षों में विकलांग पेंशन से लाभान्वित किए गए लाभार्थियों का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :

वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
2007-08	14812
2008-09	15787
2009-10	10249
2010-11	16082
2011-12	16557

वर्तमान समय में 1486 आवेदन-पत्र जिला विकलांग कल्याण अधिकारी कार्यालय, इलाहाबाद में लम्बित हैं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

सभी जनपदों की कुल नवीन आवश्यकता हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर के स्वार व टाण्डा उपनगरों से रोडवेज बसों के संचालन की मांग

32-श्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के स्वार व टाण्डा उपनगरों से रोडवेज बस न चलने के कारण आम जनता को कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों उपनगरों से रोडवेज बस सेवा आरम्भ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

प्रश्नगत मार्ग अन्तर्राज्यीय एवं गैर अधिसूचित मार्ग है। यहां निजी वाहन स्वामियों को बड़ी संख्या में परमिट प्राप्त हैं और काफी संख्या में निजी वाहन संचालित हो रहे हैं।

इन मार्गों पर रोडवेज बसें चलाने के लिए परमिट की आवश्यकता है। यह द्विप्रान्तीय मार्ग है। अभी तक उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के मध्य पारस्परिक समझौता न होने के कारण रोडवेज बस सेवा आरम्भ करना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के श्री अतुल भारती, प्रबन्धक संचालन निगम मुख्यालय, लखनऊ अपने पद के अतिरिक्त कार्य निर्वहन करने के आदेश

33-श्री दलजीत सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, चित्रकूट क्षेत्र, बांदा में माह सितम्बर, 2009 से क्षेत्रीय प्रबन्धक का पद रिक्त है ? यदि हां, तो उक्त पद पर तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नहीं।

परिवहन निगम के कार्यालय आदेश संख्या-1768 सी0एच0क्यू0/09-150 निगम/सक्षेप्र, दिनांक 31-08-2009 के द्वारा श्री अतुल भारती, प्रबन्धक (संचालन), निगम मुख्यालय, लखनऊ को अपने कार्य के साथ-साथ चित्रकूटधाम क्षेत्र, बांदा के क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन सम्बन्धी आदेश निर्गत किये गये है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बांदा शहर के इन्दिरा नगर, जवाहर नगर आदि मुहल्लों को नगर पंचायत व ग्राम पंचायत में सम्मिलित करने की मांग

34-श्री दलजीत सिंह-

क्या पंचायती राज बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा शहर में पिछले 10 वर्षों से आबाद इन्दिरा नगर, जवाहर नगर, सर्वोदय नगर और शांति नगर मुहल्लों को कब तक नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत में सम्मिलित कर लिया जायेगा ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

नत्थी ''घ''

(माननीय सदस्य के अनुरोध पर नियम-40 के अन्तर्गत स्थगित प्रश्न)

तारांकित प्रश्न

*1-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त] 15-05-2012

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 29 जून, 2012 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 28 सूचनायें प्राप्त हुई, जिसमें विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुये मैनें 15 के बजाय 20 सूचनायें स्वीकार की हैं। पहली सूचना श्री राधेश्याम की जनपद छत्रपति शाहूजी महाराजनगर के विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर में खराब पड़े राजकीय नलकूपों को ठीक कराये जाने एवं रजबहों की सफाई कराकर पानी की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री शेर बहादुर सिंह की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर में सलदहीपुर चौराहे से भिसवां चितौना क्षतिग्रस्त पिच रोड की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। तीसरी सूचना के सूचनाकर्ता श्री रविदास मेहरोत्रा उपस्थित नहीं हैं। चौथी सूचना श्री भगवती प्रसाद की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर में कतिपय क्षतिगस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना श्री शारदा प्रताप शुक्ला की विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर, लखनऊ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त गंभीर पेयजल संकट के संबंध में है। छठी सूचना श्री गोरख पासवान की प्रदेश में दुसाध जाति की विभिन्न उपजातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र न जारी किये जाने के संबंध में है। सातवीं सूचना श्री अजय मिश्रा की विधान सभा क्षेत्र निघासन खीरी में सफाईकर्मियों से उनकी ड्यूटी के बजाय उच्चाधिकारियों द्वारा

अपने घरों में बेगार कराये जाने के संबंध में है। आठवीं सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की जनपद बहराइच के कैसरगंज के राजस्व ग्राम मंझारा, तकौली में चकबन्दी न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। नवीं सूचना श्रीमती विमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर में स्थित संयुक्त चिकित्सालय में व्याप्त घोर अव्यवस्थाओं के संबंध में है। दसवीं सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की प्राथमिक शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा कर्तव्यों की अवज्ञा के संबंध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) की काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा बिना किसी सूचना के अनुष्ठान की दरें पांच गुना बढ़ाये जाने के संबंध में है। बारहवीं सूचना के सूचनाकर्ता श्री भीम प्रसाद सोनकर उपस्थित नहीं है। तेरहवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर व मलिक में स्थित कतिपय ग्रामों में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। चौदहवीं सूचना श्री रामहेत भारती की जनपद सीतापुर के विकास खंड बेहटा के अन्तर्गत ग्राम शेखनापुर से ग्राम दोनवां के अत्यन्त खराब एवं दुर्गम रास्ते को पेन्टेड रोड बनाये जाने के संबंध में है। पन्द्रहवीं सूचना डा0 पूर्णमासी देहाती की जनपद कुशीनगर अन्तर्गत रामकोला कसया सम्पर्क मार्ग पर लगभग 30 करोड़ रुपये का भुगतान हो जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। सोलहवीं सूचना श्री वीरपाल राठी की जनपद बागपत में कृष्णा नदी पर पुल बनाये जाने के संबंध में है। सत्रहवीं सूचना डा0 धर्मपाल सिंह की विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के शहरी क्षेत्र में व्याप्त भंयकर पेयजल समस्या के निवारण हेतु जवाहर लाल नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन शिरोपरि जलाशयों को शीघ्र चालू कराये जाने के संबंध में है। अठारहवीं सूचना श्री सतीश महाना की कानपुर स्थित सरसौल ब्लाक के हलुआखेड़ा रजवाहा को तत्काल चालू कराये जाने के संबंध में है। उन्नीसवीं सूचना श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी की जनपद बस्ती सदर के अन्तर्गत वाल्टरगंज शुगर मिल के प्रदूषित पानी के मनौरी नाले में जाने से हो रहे जल प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। बीसवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रानीमऊ में 100 शैय्या के चिकित्सालय की स्थापना किये जाने के संबंध में है।

चूंकि श्री रविदास मेहरोत्रा तथा श्री भीम प्रसाद सोनकर जी उपस्थित नहीं थे, अतः उनके स्थान पर श्री प्रमोद तिवारी तथा श्री उमेश पाण्डेय की सूचना स्वीकार की जाती है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई। इनके नाम इस प्रकार है। श्री मनबोध प्रसाद, सुश्री सावित्री बाई फूले, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री काली चरन सुमन, श्री राज नारायण बुधौलिया, श्री मदन चौहान।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुईं मानी गयीं।)

जनपद छत्रपति शाहू जी महाराजनगर के विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर में खराब पड़े राजकीय नलकूपों को ठीक कराये जाने एवं राजबहों की सफाई कराकर पानी समुचित व्यवस्था किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राधेश्याम-

[मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद छत्रपति शाहूजी नगर के विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर में खराब पड़े नलकूपों एवं राजबहों की सफाई न होने के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थापित नलकूप सं0 पूरेबोधी पाली 157, पूरे

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोहंगी दखिन क्यार 179, माझगांव 155, सोना 75, गोदिलमऊ 138, सलिरन 152, हरखूमऊ 172, संसारपुर 115, ग्यासपुर 143, हुसैनपुर 170, विश्म्भर पट्टी 153, गढ़ा 130 व दौलतनिसूरा 154 खराब पड़े है तथा इन्हौना रजबहा, सुबेहा रजबहा, शंकरगंज से हाटीमऊ से बुंगेमऊ से होते हुये भाईमऊ तक, देवकली रजबहा, कटेहटी रजबहा व दखिन गांव क्यार से पाली क्यार रजबहा की सफाई काफी समय से नहीं हुयी है, जिसके कारण क्षेत्र के किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। किसानों की फसलें समय से पानी न मिलने के कारण सूख जाती हैं और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अतः क्षेत्र के उपरोक्त खराब नलकूपों ठीक कराया जाय एवं उपरोक्त राजबहों की सफाई करवाकर पानी की समुचित व्यवस्था करायी जाय।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर इस सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर में सलदहीपुर चौराहे से भिसवा चितौना क्षतिग्रस्त पिच रोड की मरम्मत कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शेर बहादुर सिंह-

[मान्यवर, मैं जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र 280 जलालपुर के एक लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सलहदीपुर चौराहे से जगतपुर बिलटई होते हुये भिसवा चितौना पिच रोड तक की क्षतिग्रस्त सड़क आने जाने योग्य नही रह गयी है जिससे आये दिन दुर्घटना होती रहती है।

अस्तु उक्त सड़क का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराने हेतु क्षेत्रीय जनता की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूं]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर में कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवती प्रसाद-

[जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर में पुराने सड़कों का मरम्मत होना है जो कि नितान्त आवश्यक है।

1-कसीसो से फतहगढ़ी सीमा मथुरा तक लगभग 5 किमी0।

2-पिसावा जटटारी मार्ग से जलालपुर तक लगभग सवा किमी0।

3-जट्टारी से हेतनपुर तक लगभग 3 किमी0।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सड़कों को पुर्ननिर्माण/मरम्मत किये जाने हेतु शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं]

विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त गम्भीर पेयजल संकट के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा प्रताप शुक्ला-

[महोदय, मैं सदन का ध्यान लोकमहत्व के इस गंभीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर जनपद लखनऊ के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेय जल की गम्भीर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समस्या बनी हुई है। जिनमें से निम्न स्थानों बेहसा, तेलीबाग, अमौसी, बिजनौर, बन्थरा, भटगांव आदि पर पानी की टंकिया बनी हुई हैं। परन्तु पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। जिससे पेयजल की समस्या को लेकर जनाक्रोश बढ़ रहा है। इसका तत्काल निदान किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। यहां पर यह भी अवगत कराना है कि लखनऊ जल संस्थान द्वारा शहरी क्षेत्र एल0 डी0 ए0 कालोनी, कानपुर रोड, आशियाना कालोनी, साउथसिटी में पानी की सप्लाई की जाती है। जो काफी समय से न के बराबर है तथा गंदे पानी की भी शिकायतें वहां के निवासियों द्वारा की जा रही हैं। परन्तु जल संस्थान समुचित व्यवस्था कर पाने में असफल है। जल संस्थान के अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्यवाही जनसमस्या के निदान हेतु नहीं की जा रही है। जिससे जनता में रोष व्याप्त है। स्वास्थ्य विहार कालोनी, उतरठिया, रायबरेली रोड में भी पेयजल की गम्भीर समस्या हैं वहां पर जब तक पानी की टंकी नही बन जाती हैं तब तक तत्काल इण्डिया मार्का-2 हैंण्ड पम्प लगाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

अतः इस गंभीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल कार्यवाही किए जाने एवं सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

प्रदेश में दुसाध जाति की विभिन्न उपजातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र न जारी किये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गोरख पासवान-

[मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गंभीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं प्रदेश में दुसाध जाति की विभिन्न उपजातियां जैसे ढाढ़ी, धारी, धारही विभिन्न जनपदों में जैसे सन्तकबीरनगर, बलरामपुर, गोण्डा इत्यादि जगहों पर बहुतायत संख्या में पाये जाते हैं पूरे प्रदेश में भी कमोवेश निवास करते हैं जिनका जाति प्रमाण-पत्र अनुसूचित जाति का जारी होता रहा है। विगत कुछ वर्षो से इनका जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। जबकि भारत सरकार के अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की सूची में दुसाध जाति के पर्यायवाची शब्द के रूप में ढाढ़ी, धारी व धारही पंजीकृत हैं। दुसाध जाति सहित समस्त उपजातियां अधिकांशतः भूमिहीन हैं तथा सामाजिक आर्थिक व शैक्षिक स्थिति में काफी कमजोर हैं। बंगाल, बिहार व झारखण्ड राज्य में दुसाध जाति की पर्यायवाची शब्द के रूप में ढाढ़ी, धारी व धारही जाति के अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त हैं व प्रदेश सरकारों द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। यह पूरे प्रदेश से जुड़ा प्रकरण है एवं जनहित के साथ लोकमहत्व का विषय है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र निघासन, लखीमपुर खीरी में सफाई कर्मियों से उनकी ड्यूटी के बजाय उच्चाधिकारियों द्वारा अपने घरों में बेगार कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय मिश्र टेनी-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र निघासन, जनपद खीरी में पिछली सरकार द्वारा गांवों की सफाई के लिये सफाई कर्मियों की नियुक्ति की गयी थी, परन्तु अपवाद स्वरूप 2-4 कर्मियों को छोड़कर कोई भी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सफाई कर्मी अपनी ड्यूटी पर नहीं आता। राज्य सरकार उनकी तनख्वाह पर बहुत धन व्यय करती है। इनकी नियुक्ति गांवों की सफाई के लिये की गयी थी। सफाई कर्मियों के ड्यूटी पर न आने के कारण सफाई का उद्देश्य असफल हो गया है। मैंने जब इस सम्बन्ध में जानकारी की तो मालूम हुआ कि सफाई कर्मी अपने काम पर जाने के बजाय उच्च अधिकारियों के स्थानीय निवास से पैतृक घरों तक बेगार में लगा दिये गये हैं। कुछ अपनी तनख्वाह का कुछ धन उच्चाधिकारियों व कर्मचारियों पर खर्च करके अपने काम पर नहीं आते। जिससे गांवों में तो अव्यवस्था तो होती ही है, राज्य सरकार के उद्देश्य को असफल करने वाला तथा उच्चाधिकारियों की मनमानी को प्रदर्शित करने वाला है। सफाई कर्मी की नियुक्ति होने के बाद भी ड्यूटी पर न आने से सफाई की व्यवस्था नहीं हो रही है जिससे घोर गन्दगी व्याप्त है इससे क्षेत्रवासियों में आक्रोश है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सफाई कर्मियों को उनकी तैनाती स्थल पर ड्यूटी सुनिश्चित कराये जाने हेतु कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच के कैसरगंज के राजस्व ग्राम मझांरा तकौली में चकबन्दी न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

[महोदय बहराइच जनपद के तहसील कैसर गंज का राजस्व ग्राम मझांरा तौकली सबसे बड़ा गांव है। पूरे गांव की आबादी लगभग बीस हजार है लेकिन अब तक चकबन्दी नहीं हुई है। पूरे गांव की लम्बाई 11 किमी0 तथा चौड़ाई 4 किमी0 है। परिणामतः इतने विस्तृत क्षेत्र में फैले गांव में चकबन्दी न होने के कारण खेती कर पाना बहुत कठिन होता है। किसानों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है तथा खेत भी इकट्ठा न होकर थोड़े-थोड़े टुकड़ों में होने के कारण चक्कर लगाना पड़ता है और चकरोड न होने के कारण आवागमन में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि चकबन्दी हो जाये तो किसानों को खेती करने में आसानी होगी चकरोड व रास्तों की उपलब्धता भी अधिकतम किसानों को मिल सकेगी।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए चकबन्दी कराये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर में स्थित संयुक्त चिकित्सालय में व्याप्त घोर अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी-

[महोदय जनपद बुलन्दशहर का सिकन्दराबाद नगर तहसील मुख्यालय है तथा नेशनल हाइवे 91 पर स्थित होने के साथ-साथ एक औद्योगिक नगरी हैं। कहने को यहां पर एक संयुक्त चिकित्सालय है जिसमें 25 बेड की व्यवस्था है लेकिन उस चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधाओं के लिए लोग तरसते रहते हैं। अस्पताल में डाक्टरों के दर्शन नहीं होते। ओ0 पी0 डी0 कभी चलती नहीं। यहां पर एक आपरेशन थियेटर है लेकिन पिछले छः माह से कोई आपरेशन नहीं हुआ। मरीजों के एक्सरे होते नहीं, खून आदि की कभी जांच होती नहीं। अगर नेशनल हाइवे पर या औद्योगिक क्षेत्र में कोई दुर्घटना हो जाती है तो गंभीर स्थिति में मरीज को बचाने के लिये अस्पताल में आपातकाल की सुविधाएं भी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपलब्ध नहीं होती केवल देखने की औपचारिकता करके तुरन्त जिला अस्पताल या अन्य किसी अस्पताल को रेफर कर दिया जाता है। यहां पर एम्बुलेन्स की सुविधा नहीं है। इस स्थिति में नेशनल हाइवे पर या औद्योगिक क्षेत्र में दुर्घटना में घायल व्यक्ति को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा न मिलने के कारण बचना मुश्किल हो जाता है। उक्त चिकित्सालय की जर्जर व्यवस्थाओं के कारण नगर व औद्योगिक क्षेत्र के निवासियों को चिकित्सा सुविधाओं के लिए दर-दर भटकना पड़ता है या किसी प्राइवेट अस्पताल में महंगा इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से नियम 301 के अन्तर्गत सरकार से जवाब की मांग करता हूं।]

प्राथमिक शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा कर्तव्यों की अवज्ञा के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश रामसरन वर्मा-

[महोदय जनपद पीलीभीत के क्षेत्र पंचायत एवं थाना बीसलपुर के अन्तर्गत गांव परासी उर्फ परसिया निवासी मंगलेश भारती गांव अर्जुनपुर के जू0 हा0 स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मुनेन्दपाल के नाम से वेतन अहरित करता हुआ चला आ रहा है। एक लंबी अवधि से कभी भी विद्यालय नहीं जा रहा है। अनेकों बार कार्यवाही की गई परन्तु अधिकारियों ने वांछनीय कार्यवाही नहीं की है। लगातार उक्त मंगलेश भारती नेतागिरी में संलिप्त रहकर जनसामान्य का शोषण, उत्पीड़न एवं दमन करता रहता है। दिनांक 18 नवम्बर, 2010 को उक्त मुनेन्द्र पाल उर्फ मंगलेश भारती सहित छः अभियुक्तों के विरुद्ध एक अभियोग संख्या 1341/2010 थाना बीसलपुर अंतर्गत धारा 302/201 भा0 दं0 सं0 के पंजीकृत हुआ है। जिसमें तीन पुलिसकर्मी भी अभियुक्त हैं। जिसके विवेचक भी अभियुक्तों के समान स्तर का पुलिस कर्मचारी नामित हुआ है। जिसके कारण कथित अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना संभव नहीं है। एक बार अभियोग समाप्त किया जा चुका है तथा मा0 न्यायालय ने दिनांक 27 जनवरी, 2012 को पुन विवेचना के आदेश निर्गत किए हैं। कथित प्रकरण की उच्चस्तरीय जाच कराया जाना तथा कथित मंगलेश भारती को बर्खास्त किया जाना अपरिहार्य है। उक्त अभियोग की विवेचना भी सी0बी0सी0आई0डी0 से कराया जाना आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर कथित कर्मचारी को बर्खास्त करने एवं उल्लिखित सी0बी0सी0आई0डी0 से कराये जाने की मांग करता हूं।]

काशी विश्वनाथ मन्दिर न्यास द्वारा बिना किसी सूचना के अनुष्ठान की दरें पांच गुना बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्यामदेव राय चौधरी दादा-

[महोदय, काशी विश्वनाथ के प्रति सनातन धर्मावलम्बियों में गहरी आस्था है और इसी कारण हर हिन्दू के मन में जीवन में एक बार काशी में आगमन, मां गंगा का दर्शन स्नान और बाबा विश्वनाथ का दर्शन, पूजन की आस जरूर रहती है। हजारों लोग ऐसे होते हैं जो मन्दिर में अनुष्ठान भी कराते हैं लेकिन आस्थावान लोगों को गहरा आघात तब लगा जब उनके अनुमान के बाहर अनुष्ठान की दरें पांच गुना बढ़ाकर लागू कर दी गयी जो निश्चित रूप से व्यवसायिक मानसिकता और

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न्यास परिषद् का घोर मनमानापन है। उल्लेख के रूप में जो अनुष्ठान पहले 151/- रु0 में था के स्थान पर 652 रु0, 451 रु0 के स्थान पर 1602 रु0, 901 रु0, स्थान पर 2251 रु0, 2101 रु0, के स्थान पर 4252 रु0, 2001 रु0, के स्थान पर 5100 रु0, 3001 रु0, के स्थान पर 5100 रु0, 21001 रु0, के स्थान पर 33101 रु0, में पांच गुना वृद्धि कर देने से जो धार्मिक लोगों को गहरा ठेस लगा है साथ ही शुद्ध दूध के स्थान पर सफेद पानी ही प्रयोग में आता है। बाबा विश्वनाथ को एक पांच फुट ऊंची कटघरे में कैद कर दिया गया है जिससे दर्शनार्थी दरस परस से भी वंचित हो गये है। उल्लेखनीय है कि मन्दिर के पुजारी, अर्चक तथा अन्य सेवादारों को बहुत ही कम मानदेय प्राप्त होता है और आज तक बार-बार मांग के बावजूद भी उनकी सेवा नियमावली नहीं बनायी गयी और न ही उनका वेतन निर्धारित किया गया। जबकि देश के अन्य कई अधिग्रहीत मन्दिरों में ऐसी व्यवस्था लागू है। दर्शनार्थियों के सुविधा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है और दूर दराज से आने वाले आस्थावान लोगों को सुरक्षा के नाम पर विभिन्न प्रकार से अपमानित भी होना पड़ता है। विश्वनाथ गली के अन्दर सिकड़ी, छिनैती तथा पाकिट मारी की घटनायें अक्सर होती हैं लेकिन बाहर के होने के कारण वे रिपोर्ट दर्ज कराने से कतराते है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय ध्यानाकर्षण सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर व मिलक में स्थित कतिपय ग्रामों में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर-

[महोदय आपका ध्यान जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर व मिलक में स्थित ग्रामों में विद्युत आपूर्ति न मिलने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ग्राम लखीमपुर ब्लाक बिलासपुर, ग्राम सईदाबाद ब्लाक मिलक, ग्राम बकनौरी ब्लाक मिलक, ग्राम बन्सीपुर ब्लाक मिलक, ग्राम सिमरिया ब्लाक मिलक, ग्राम रहसेना ब्लाक मिलक, ग्राम उदयपुर पट्टी ब्लाक बिलासपुर, ग्राम लखना खेड़ा ब्लाक मिलक, ग्राम इमरतपुर ब्लाक मिलक ग्राम मझरा चकिया हयात नगर ब्लाक मिलक, ग्राम बहादुर पुर ब्लाक मिलक उपरोक्त ग्रामों में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं मिल पा रही है तथा उपरोक्त ग्रामों का आगणन उच्चाधिकारियों के पास विस्तारित बिजनिस प्लान के अन्तर्गत काफी समय से लम्बित है। विद्युत आपूर्ति सुचारू न होने से जनता द्वारा लम्बे लम्बे तार डालने से रोज दुर्घटनायें हो रही हैं तथा जनता भी रोज धरने व प्रदर्शन कर रही है मगर बहुत प्रयासों के बावजूद भी किसानों को विद्युत आपूर्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि काफी संख्या में जनता द्वारा विद्युत कनेक्शन भी लिये हुये हैं एवं उनको बिल का भुगतान भी करना पड़ रहा है।

उपरोक्त ग्रामों में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से न मिलने के कारण जनता में भारी रोष व्याप्त है तथा विद्युत आपूर्ति न मिलने से किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है।

मैं इस अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड बेहटा के अन्तर्गत ग्राम शेखनापुर से ग्राम दोनवां के उत्पन्न खराब एवं दुर्गम रास्ते को पेन्टेड रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामहेत भारती-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद सीतापुर के वि0 ख0 बेहटा के अन्तर्गत ग्राम शेखनापुर से ग्राम दोनवा आने जाने का रास्ता अत्यन्त खराब व दुर्गम है। बरसात के दिनों में ग्राम दोनवा के लोग अपनी दैनिक जरूरत की वस्तुओं को लेने के लिए ग्राम शेखनापुर व शाहपुर की ग्रामीण बाजारों तक नहीं आ सकते है। जिससे ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों व मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है। साथ ही जीवन भी संकट में पड़ जाता है। जिससे क्षेत्रीय जनता को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ग्राम सेखनापुर से ग्राम दोनवा तक पेन्टेड रोड बनवाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर अन्तर्गत रामकोला कसया सम्पर्क मार्ग पर लगभग 30 करोड़ रुपये का भुगतान हो जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 पूर्णमासी देहाती-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अतिलोक महत्व की ओर दिलाना चाहता हूं कि रामकोला कसया मार्ग वर्षों से चल रहा है पूरी सड़क उबड़ खाबड़ गड़ढे में तब्दील हो चुकी है। जनता एवं पर्यटकों को कुशीनगर बौद्ध स्थल तक आने जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। रामकोला कसया सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 19 किमी0 है ढ़ाई वर्ष पूर्व इसका अनुबन्ध लगभग 42 करोड़ रुपये में हिन्द कान्स्ट्रक्सन कम्पनी के नाम से किया गया था। लगभग तीस करोड़ रुपये से ज्यादे का का भुगतान हो चुका है। जबकि निर्माण कार्य अभी तक आधे से भी कम हुआ है। उक्त सम्पर्क मार्ग अधूरे निर्माण को लेकर दर्जनों बार अखबारों में प्रकाशित हो चुका है। तथा जनता के तरफ से कई बार आन्दोलन किया जा चुका है। बार बार सिर्फ आश्वासन ही मिलता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को सदन के सज्ञांन में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बागपत में कृष्णा नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री वीरपाल राठी-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा छपरौली बागपत में ग्राम असारा के पास को कृष्णा नदी बहती है। ग्राम असारा में नदी पर कोई पुल नहीं है। जिस कारण क्षेत्र की जनता काफी परेशान है। ग्राम असारा के आस-पास किसानों को नदी को पार करने में कठिनाई होती है। असारा ग्राम से होकर कई ग्रामों को रमाला चीनी मिल पर जाना पड़ता है। पुल न होने के कारण काफी कठिनाई होती है। ग्राम असारा में रेलवे स्टेशन है जिस पर जाने के लिए पुल न होने के कारण लोगों को काफी कठिनाई पड़ती है पुल न होने के कारण क्षेत्र का किसान काफी परेशान है पुल बनने से ये राष्ट्रीय रूट भी बनता है। जो मेरठ व हरियाणा को जोड़ता है।

अतः उक्त विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये पुल बनाये जाने की मांग करता हूं]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा एत्मादपुर के शहरी क्षेत्र में व्याप्त भयंकर पेयजल समस्या के निवारण हेतु जवाहर लाल नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन शिरोपरि जलाशयों को शीघ्र चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 धर्मपाल सिंह-

[महोदय उपरोक्त विषयक आपका ध्यान आकृष्ट कर अवगत कराना है कि एत्मादपुर विधान सभा के शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत एक बड़ी आबादी यमुना पार बसी हुई है। इन सैकड़ों कालोनियों/मलिन बस्तियों का भूगर्भ जल अत्यन्त खारा होने के कारण यह पानी न तो पीने के काम आता है और न ही अन्य किसी उपभोग में। जल संस्थान से होने वाली पेयजल आपूर्ति दिन पर दिन खराब होने के कारण जनता को निजी टैंकरों से पानी खरीद कर दैनिक जरूरतों की पूर्ति की जा रही है। गरीब मजदूर जो कि दिन भर में 150-200 रुपये कमाता है उसे 80-90 रुपये का पानी खरीदना पड़ रहा है। स्थिति हृदय विदारक है, स्थानीय जनता मानसिक रूप से काफी त्रस्त है, आये दिन पेयजल की समस्या के कारण झगड़े हो रहे हैं जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था को भी खतरा पैदा हो गया है। क्षेत्र में व्याप्त भयंकर पेयजल समस्या के निवारण हेतु जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन के अन्तर्गत दो शिरोपरि जलाशयों का निर्माण कराया गया था, शिरोपरि जलाशय पूर्ण हैं किन्तु कुछ स्थानों पर जोइन्ट आदि अन्य औपचारिकतायें पूर्ण न होने के कारण ये शिरोपरि जलाशय चालू नहीं हो पा रहे हैं। इन दोनों निर्माणाधीन शिरोपरि जलाशयों का कार्य शीघ्र पूर्ण कर, चालू कराना अत्यन्त आवश्यक है।

लोक महत्व के इस विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

कानपुर स्थित सरसौंल ब्लाक के हलुआ खेड़ा राजबहा को तत्काल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सतीश महाना-

[महोदय कानपुर स्थित सरसौंल ब्लाक में हलुआ खेड़ा रजवाहा है, जिससे बड़ी मात्रा में किसानों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध होता था। विगत कई वर्षों से बन्द पड़ा है। कई बार प्रयास करने के पश्चात् उक्त रजवाहा न चालू होने के कारण तिलसहरी, पाली, बहुसर, दीपापुर, हाथीगांव, बड़ा गांव, प्रेमपुर आदि गांवों के रहने वाले छोटे किसानों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सिंचाई न होने के कारण उनकी खेती पर भी असर पड़ रहा है। यहां यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि उक्त सरसौंल ब्लाक डार्क ब्लाक की श्रेणी में आता है। जिससे ट्यूबवेल में भी पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है और अधिकांश ट्यूबवेल ध्वस्त हो चुके हैं।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये सरसौलं ब्लाक के हुलआ खेड़ा रजवाहा को तत्काल चालू कराये जाने की मांग करता हूं।]

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बस्ती सदर के अन्तर्गत बाल्टरगंज शुगर मिल के प्रदूषित पानी के मनौरी नाले में जाने से हो रहे जल प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी-

[महोदय जनपद बस्ती के मेरे विधान सभा क्षेत्र 310, बस्ती सदर के अन्तर्गत वाल्टरगंज शुगर मिल का प्रदूषित पानी मौनवरी नाले में जाने से वहां का वातावरण दूषित हो रहा है। वहां के आस पास तमाम जीव जन्तओं के गन्दे नाले के पानी पीने से बीमार पड़ जाते है तथा इसका प्रभाव वहां के स्थानीय लोगों पर भी पड़ता है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उपरोक्त शुगर मिल से निकलने वाले दूषित पानी पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की मांग करता हूं।]

लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रानीमऊ में 100 शैय्या के चिकित्सालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र यादव-

[महोदय जनपद फैजाबाद विकास खण्ड मवई अन्तर्गत 100 शैय्या के चिकित्सालय निर्माण/स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव मुख्य चिकित्साधिकारी फैजाबाद द्वारा 18 मई, 2012 को प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0 प्र0 शासन के निर्देशों के क्रम में महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें स्वास्थ्य भवन उ0 प्र0 लखनऊ को भेजा गया है। शासन की मंशा जनपद मुख्यालय लगभग 60 कि0मी0 दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के क्षेत्रान्तर्गत 100 शैय्या चिकित्सालय का निर्माण/स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है। दिनांक 3-4-2012 को लखनऊ में आहूत समीक्षा बैठक में उक्त निर्णय लिये गये थे। मान्यवर, लखनऊ फैजाबाद हाइवे मार्ग जो अत्यन्त ही लम्बा व व्यस्त मार्ग है। आये दिन राम सनेही घाट से लेकर भेल्सर के बीच सड़क दुर्घटना ही बड़ी-बड़ी घटनायें घट रही हैं। फैजाबाद लखनऊ के बीच इलाज का कोई समुचित इन्तजाम नहीं है। जिसके कारण सैकड़ों जाने अब तक जा चुकी हैं।

अतः जनहित में विकास खण्ड मवई के अन्तर्गत लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रानीमऊ में 100 शैय्या के चिकित्सालय/निर्माण/स्थापना की प्रभावी कार्यवाही कराने की कृपा करें। जिसे क्षेत्रवासियों को इस विकट समस्या से निजात मिल सके।]

सई नदी के दूषित जल की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रमोद तिवारी-

[महोदय सई नदी, उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी है, जो रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं जौनपुर आदि जनपदों से होकर प्रवाहित होती है। इस सई नदी का पानी जनपद रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं जौनपुर में लाखों लोगों द्वारा पेयजल के लिये उपयोग किया जाता है। कई उद्योगों/मिलों आदि का गंदा कचड़ा सई नदी में गिराया जाता है जिसके कारण सई नदी का पानी जहरीला एवं लाल हो गया है जो मनुष्यों तो क्या पशु पक्षियों के लिये भी उपयोग के लायक नहीं रह गया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद प्रतापगढ़ में सई नदी के तट पर केन्द्र एवं प्रदेश सरकार से पर्यटन स्थल का दर्जा प्राप्त प्रसिद्ध पर्यटन स्थल एवं धार्मिक केन्द्र घुइसरनाथ धाम तथा बेल्हा देवी एवं बेलखरनाथ धाम सहित कई पवित्र मंदिर एवं धार्मिक स्थल स्थित है, जहां पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग दर्शन हेतु आते रहते है। सई नदी के दोनों तरफ जल स्तर (अण्डर ग्राउण्ड वॉटर लेबल) काफी नीचे चले जाने के कारण उसके किनारे बसे हुये लोग मजबूर होकर सई नदी का दूषित पानी पीने के लिये विवश है। चूंकि कई उद्योगों एवं मिलों का गंदा कचड़ा सई नदी में गिराने से प्रदूषित हो गये सई नदी के पानी को पीने के कारण लोग भयंकर बीमारियों से पीड़ित हो रहे है, तथा कभी कभी सई नदी का जहरीला पानी पीने के कारण लोगों की असामयिक मौत भी हो जाया करती है। विवशता के कारण सई नदी का जहरीला पानी पीने वाले लोग या तो भयंकर बीमारी का शिकार हो रहे है, या फिर शुद्ध पेयजल के अभाव में प्यास से तड़प रहे हैं। सई नदी का प्रदूषित पानी पीने के कारण बहुत से जानवर रोगों के शिकार हो जाते है, तथा बहुत से जानवरों एवं पशु पक्षियों तथा बंदरों आदि की मौत मात्र सई नदी का प्रदूषित पानी पीने के कारण होती है, तथा नदी का प्रदूषित जल होने के कारण नदी में रहने वाली मछलियां प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर मर जाती है। इसके साथ ही साथ सई नदी के तट पर स्थित केन्द्र एवं प्रदेश सरकार से पर्यटन स्थल का दर्जा प्राप्त पवित्र मंदिर घुइसरनाथ धाम एवं बेल्हा देवी तथा बेलखरनाथ धाम के मंदिरों में आने वाले लोगों की आस्था को भी चोट पहुंच रही है। इससे लोगों में रोष तथा कुण्ठा व्याप्त है।]

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन की तहसील मधुबन के ब्लाक दोहरी घाट एवं ब्लाक-फतेहपुर मन्डाव, ब्लाक-सीमर के अन्तर्गत दोहरी घाट मधुबन बेलधरा होते बलिया और बिहार को जोड़ने वाली सड़क को बनाये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश पाण्डेय-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन की तहसील मधुबन के ब्लाक दोहरी घाट एवं ब्लाक फतेहपुर मन्डाव, के अन्तर्गत दोहरी घाट, मधुवन बेलधरा होते बलिया और बिहार को जोड़ने वाली सड़क जो लगभग 40 किलोमीटर है। उक्त सड़क पर गिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है यह सड़क दो राज्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। जिस सड़क पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन वाहनों का संचालन होता है। सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों को आने जाने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर आये दिन मार्ग दुर्घटनायें हो रही हैं और लोग घायल हो रहे हैं। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त सड़क निर्माण कराये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया है परन्तु शासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सड़क बनाये जाने की भी मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 29 जून, 2012 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 03 सूचनायें प्राप्त हुई।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मा0 श्री अगयश रामसरन वर्मा जी मैं बार-बार आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इसको पढ़ लेना चाहिए कि यह संवैधानिक या नियमावली के अन्तर्गत ही 300 में आता है। आप कर्मचारियों से संबंधित कुछ न कुछ सूचना देते हैं और यह नियम-300 का प्रश्न नहीं है इसलिए इसे अस्वीकार करता हूं।

मा0 बुधौलिया जी आपकी भी सूचना नियम-300 में नहीं आती है इसलिए इसे भी अस्वीकार किया जाता है। नियमावली पढ़ लिया कीजिए।

सरकार द्वारा विधान सभा में दिये गए आश्वासनों को अगले सत्र तक पूर्ण कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

पहली सूचना में मा0 हुकुम सिंह जी द्वारा आश्वासन से संबंधित प्रश्न उठाया गया है और आश्वासन विधान सभा में, सदन के अन्दर दिये जाते हैं, इसलिए इस पर कुछ बात हो सकती है।

*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहां विभिन्न विषयों पर मा0 मंत्रीगण के आश्वासन आते हैं और शुरू से ही आते रहे हैं और प्रक्रिया नियमावली में यह प्राविधान है कि जो आश्वासन आयेंगे, वह आश्वासन समिति को संदर्भित कर दिये जायेंगे। लेकिन परिस्थिति बदलती गयी, व्यवस्थायें बदलती गयी। कोई चीज कभी स्थायी नहीं होती, परिस्थिति के अनुरूप उसमें संशोधन होते रहना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। अभी मा0 विधायकगण के संबंध में, अपनी समस्याओं को ले करके बहुत से प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूं। टोल-टैक्स की समस्या का मैंने यहां पर उल्लेख किया और सरकार की तरफ से उस पर आश्वासन भी आया। लेकिन मान्यवर, वह अगर आश्वासन समिति में गया, कार्यकाल हमारा पूरा भी हो गया, अगली सत्रहवीं विधान सभा आयी तब वह आश्वासन समिति की रिपोर्ट यहां पर आयी तो मान्यवर, उसका कोई अर्थ नहीं रह जायेगा। ऐसे न जाने कितने प्रकरण हैं जो माननीय सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किये गये और सरकार की तरफ आश्वासन भी दिया गया कि हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन पता तो चलता नहीं। अभी सत्र समाप्त होगा, समाप्ति के बाद सब मंत्रीगण अपने काम में लग जायेंगे। उनके सामने प्रकरण आने वाला भी नहीं है क्योंकि कोई ऐसी व्यवस्था निर्धारित नहीं है, नियमावली में ऐसा कोई प्राविधान नहीं हैं मान्यवर, ऐसा कोई प्राविधान नहीं है तो मेरा आग्रह यह है कि ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाए, जैसे आपने मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, उसी को संदर्भित कर दें या आपकी अध्यक्षता में कोई समिति गठित हो जाए जो कम से कम अगले सत्र तक बीच में दो-तीन-चार महीने का जो हमें समय मिलेगा, उन चार महीनों में सरकार द्वारा उन पर कार्यवाही हो जाए। कार्यवाही के उपरान्त हम जानकारी दे दें कि हां इस पर कार्यवाही हुई है। तब तो जो यहां पर कहा गया है या सदन की जो गरिमा है वह प्रभावी रहेगी, वरना वह निष्प्रभावी हो जायेगी। केवल हम चर्चा करते रहेंगे, डिबेटिंग प्वाइंट हमारा बना रहेगा उसके अलावा उस पर कार्यवाई नहीं हो पायेगी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा प्रश्न संबंधित ही संसदीय कार्यमंत्री और नेता सदन से है इसलिए मेरा विशेष आग्रह इस बात पर था कि जो आश्वासन यहां पर दिये जायं और विशेष रूप से मा0 विधायकों के बारे में या विधायकों से संबंधित और प्रकरण हों उन पर आश्वासन दिये जायं मैंने अभी एक उदाहरण आपके सामने दिया कि मैंने यहां पर टोल टैक्स की समस्या, उठायी थी कि मा0 विधायकों को किस प्रकार से परेशान किया जाता है। सरकार की तरफ से आश्वासन आया था कि हम कार्यवाई करेंगे। लेकिन कार्यवाही वाली बात की जानकार न जाने कब होगी, दो साल, चार साल के बाद होगी, पांच साल के बाद में होगी। चूंकि नियमों में प्राविधान ही ऐसा है कि वह समिति में जायेगा कब उसकी बैठक होगी, कब प्रतिवेदन आयेगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो ज्वलंत समस्यायें हैं विधान सभा के सदस्यों से संबंधित, उन समस्याओं के बारे में कोई नई व्यवस्था का गठन किया जाये। मैंने एक उदाहरण भी दिया कि संसदीय कार्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन आपने किया, आप सही समझें तो इस प्रकरण को भी उस समिति को संदर्भित कर दिया जाए या मान्यवर, आपकी अध्यक्षता में कोई समिति गठित हो जाये, उसमें इस पर विचार हो जाये। विचार होने के बाद में कम से कम जो प्रकरण ऐसे आयेंगे उसमें विधान सभा की गरिमा बनी रहेगी, प्रभाव बना रहेगा कि नहीं वहां पर सवाल उठा, सरकार की तरफ से आश्वासन आया है तो उस पर निश्चित रूप से एक प्रभावी कार्यवाई सम्भव हो पायेगी। यह मेरा आग्रह है और हमारी सबकी गरिमा, विधान सभा की गरिमा से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर कार्यवाही हो जाये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न सदन में आया था और माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने इसका उत्तर भी दिया था। यह सही है कि गाड़ी पर विधान सभा का पास लगा हुआ है, विधान सभा का उसके बावजूद भी जब तक वह कार्ड निकलवाकर देख नहीं लेते, अपमानित नहीं कर लेते उस हद तक जाने नहीं देते। यह बिल्कुल सही बात है। यह सब राष्ट्रीय राजमार्ग पर होता है उससे राज्य सरकार का लेना देना नहीं है। नियम यह है कि वी0आई0पी0 गाड़ी के लिए चाहे वह सांसद की हो या विधायक की हो, मंत्री की हो उसके लिए एक सेपरेट लेन होती है लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी उसको बन्द रखते हैं लेकिन जब कोई माननीय विधायक आ जाते हैं तो उसको हटा देते हैं लेकिन उस लेन का इस्तेमाल भी टिकट के लिए ही करते हैं और बहुत से ऐसे राजमार्ग बन रहे हैं जहां पर वह लेन है ही नहीं। असल में यह समस्या राज्य सरकार की नहीं है लेकिन हमारे विधायकों के सम्मान से जुड़ी हुई जरूर है। मान्यवर, ऐसा कोई दिन निर्धारित कर लें कि लोक निर्माण मंत्री हों, हुकुम सिंह जी तशरीफ रखें नेता प्रतिपक्ष हों और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसके लिए समय ले लें आपकी मौजूदगी जरूरी है और आपके यहां यह मीटिंग हो जाय क्योंकि भारत सरकार से इस सिलसिले में बात करनी पड़ेगी। मान्यवर कभी-कभी यह लगता है कि कड़ा कदम राज्य सरकार को उठाना पड़ेगा। कई बार हमारे मंत्रीगण के साथ यह हुआ है कि आटोमेटिक डण्डी सी आती है उठ जाती है। मान लीजिए कि मुख्यमंत्री जी का काफिला जा रहा है किसी माननीय मंत्री जी का जा रहा है आगे पायलेट है बीच में मंत्री जी की गाड़ी है बाद में एस्कोर्ट है तो डण्डी उठी क्योंकि उसमें सेंसर लगा है और एकदम गिर गया पायलेट पांच कि0मी0 आगे चला गया मंत्री जी रूके हुए हैं जब डण्डी उठे तो निकलें अब डण्डी के पास कोई दिल दिमाग है नहीं वह तो कम्प्यूटर से चल रही है एक सरटेन टाइम है उसमें उठेगी और वह डण्डी उठ गई तो फिर गिर गई अब पीछे की गाड़ी रुकी हुई है अब एक-एक बार डण्डी का उठना गिरना बड़ी समस्या है जो लोग देखते हैं वह ज्यादा मजाक बनाते हैं वह हंसी बनाते हैं उसमें कुछ अच्छा नहीं लगता है। इसका हल होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आपका यह कहना है कि जो आश्वासन दिए जाते हैं विधायकों से सम्बन्धित वह आश्वासन समिति में जाता है आश्वासन समिति उस पर विचार करती है उसमें कई वर्ष लग जाते हैं आपका कहना है कि इसमें कोई संशोधन कर दिया जाय कि जो विधायकों से सम्बन्धित मामले हैं उनको आश्वासन समिति जल्दी निपटा दे इसमें आपकी क्या राय है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आश्वासन समिति की तो यह जिम्मेदारी है कि सदन में जो भी बात आए उसको गम्भीरता से लें सिर्फ विधायकों का ही नहीं माननीय विधायक जो मुद्दे उठाते हैं वह मुद्दे उन लोगों के होते है जिनके नुमाइंदें के तौर पर वह यहां आते हैं उनके वह सवाल माननीय विधायकों के सवाल से कम अहम नहीं होते हैं यह तो एक वैचाारिक प्रश्न है कि आश्वासन समिति के समक्ष जो भी बात जाये उसका संज्ञान गम्भीरता से लिया जाय और उसका निस्तारण तेजी से होना चाहिए। मान्यवर, इसमें आपके स्तर से इसमें थोड़ी सख्ती की जरूरत है आप एक आधे मौके पर कड़ी कार्यवाही कर दीजिए सब मामला ठीक हो जायेगा। यह आप पर ही छोड़ते हैं।

श्री हुकुम सिंह-

या तो मैं अपनी बात प्रस्तुत करने में उतना कामयाब नहीं रहा या अपनी बात समझाने में इतना कामयाब नहीं रहा। मेरा सुझाव यह है कि आश्वासन समिति की तो अपनी एक निर्धारित प्रक्रिया है कब उसकी बैठक होगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें आश्वासन को निपटाने का समय भी निर्धारित कर दिया जाय यही इसका एक विकल्प है। अगर सारे नेता सहमत हो जायें माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी और सब लोग सहमत हों तो इसका एक समय निर्धारित कर दिया जाय यह सही है कि मीटिंग लम्बी होती है एक आश्वासन पांच साल का टर्म पूरा होने के बाद तक आता है तो माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी और आप सब लोग बैठ जायें और इसमें एक समय निर्धारित कर दिया जाये कि एक आश्वासन को इतने समय से निस्तारित कर दिया जाये तो यह उत्तम बात होगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसमें हमारे और किसी के बैठने की आवश्यकता नहीं है यह आपका अपना विवेक है यह आपका अधिकार भी है इसे दुरस्त कराने में आपकी मंशा है हम यह भी जानते हैं तो आपको ही अधिकार देते हैं आप जैसे चाहें इसको अमलदरामद कराइये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (1 अप्रैल 2009 से 3 मार्च, 2010 तक)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक) को सड़क परिवहन

निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

वन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 312/14-2-2011-343 (एल)-2001 दिनांक 4 जून, 2011,

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से वन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-312/14-2-2011-343 (एल)-2001, दिनांक 04 जून, 2011 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन (पंचम संशोधन) नियमावली, 2011 जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 78 की उपधारा (2) के अधीन दिनांक 05 अगस्त, 2011 को 14 दिनों की कालावधि के लिए सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके दिनांक 09 मार्च, 2012 को पन्द्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नही हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-01-2011 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-01-2011 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

बहस की मांग करते हैं, चर्चा की मांग करते हैं? हां चर्चा लिखा है।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उपलोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 154 के अन्तर्गत "उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेकयक, 2012" को उसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा की गयी सिफारिश सहित, सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-7 इसमें कुछ नहीं है।

(मद संख्या-8 पर श्री मुकेश श्रीवास्तव का नाम पुकारे जाने पर उपस्थित नहीं थे)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-9, 10, 11 में कुछ नहीं है।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 29 जून, 2012 को नियम 56 में कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें श्लाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई हैं। प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जायेगा। पहली सूचना दो लोगों की है। पहली श्री राजबलि जैसल, श्री इन्द्रपाल सिंह, श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री मोहम्मद आसिफ, श्री अयोध्या प्रसाद पाल, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल और श्रीमती पूजा पाल की जनपद प्रतापगढ़ के थाना नवाबगंज में दिनांक 20-6-2012 को कुंवारी रेखा सरोज, दिनांक 25-06-2012 को थाना लालगंज में कुमारी आशा एवं दिनांक 26-6-2012 को थाना कन्हई में कुमारी प्रियांशी से बलात्कार की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं इसी पर दूसरी, श्री प्रमोद तिवारी जी की भी सूचना है। दूसरी सूचना श्री इन्द्रपाल सिंह, श्रीमती हेमलता चौधरी, श्री उमाशंकर सिंह, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री शमशेर बहादुर सिंह, श्री बृजेश कुमार की जनपद सुल्तानपुर के थाना गोसाईगंज में दिनांक 16-06-2012 को एस0ओ0जी0 एवं स्थानीय पुलिस द्वारा बब्लू निषाद की पिटाई किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री संजय कपूर की उ0प्र0 में सन् 1960 से विस्थापित बंगाली परिवारों को 30 वर्ष की कृषि भूमि की लीज डीड किये जाने के बावजूद भूमिधरि अधिकार न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री रामहेत भारती की जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव के गोदाम प्रभारी की संलिप्तता से गोदाम पर खाद्यान्न माफियाओं का कब्जा होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं पांचवी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की पूर्वी उ0प्र0 के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शहर गोरखपुर की यातायात व्यवस्था सुनिश्चित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। शेष माननीय सदस्यों की सूचनायें जिसमें श्री शमशेर बहादुर सिंह उर्फ शेरू भइया, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री कमाल युसुफ मलिक, श्री सतीश महाना, श्री श्यामदेव राय चौधरी डा0 धर्मपाल सिंह, श्री गुटियारी लाल दुबेश, यह लम्बा है।

*डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी भी एक सूचना है, सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

क्या है ? नहीं, बैठिये।

डा0 धर्मपाल सिंह-

आगरा में गढ़ी चांदनी में पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, महिलायें घायल हैं, बच्चे घायल हैं। कृपा पूर्वक अनुरोध है अध्यक्ष जी, दो मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

बैठ जायें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं अत्यन्त दुखद घटना की ओर कार्य स्थगन के माध्यम से इस सदन में रख रहा हूं तो अत्यन्त दुखी मन से रख रहा हूं। मान्यवर मेरा कोई इरादा न किसी दल, न किसी जाति, न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसी धर्म की दीवारों में बांधकर इस प्रकरण को रखना है। मैं इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर सम्पूर्ण सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कुछ तथ्य और कुछ निदान भी रखना चाहता हूं। मान्यवर, दिनांक 20 जून, 2012 को जनपद प्रतापगढ़ के कुंडा तहसील में स्थान गांव में मान्यवर, एक 11 साल की छोटी सी बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। मान्यवर, घरवालों ने नामजद प्राथमिकी दर्ज करानी चाही लेकिन पुलिस ने नहीं लिखी। मान्यवर, बारम्बार प्रयास किया जाता रहा, 11 साल की बच्ची के साथ मान्यवर बलात्कार ही नहीं किया गया वरन गला घोटकर मार भी दिया गया। गला घोटने की नौबत तो मान्यवर, इसीलिए आई होगी कि उस लड़की ने पहचान लिया होगा। इसीलिए उसका गला घोटा गया होगा, बात कुछ ऐसी ही लगी। परिचित रहे होंगे 11 साल की बच्ची के। मान्यवर, सीधा सा एक सवाल है, जब इतनी हृदय विदारक घटना हो गई, एक 11 साल की बच्ची बलात्कार के बाद गला घोटकर मार दी जाती है और एफ0आई0आर0 अगर परिवार के लोग लिखाना चाहें तो वह लिखी नहीं जाती है। तो यह जो रिपोर्ट नहीं लिखी गई यह क्यों नहीं लिखी गई यही सबसे बड़ा सवाल है आखिर एफ0आई0आर0 क्यों नहीं लिखी गई मैं यही जानना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जो भी जवाब दें वह इस पर ध्यान दें क्यों नहीं लिखी गई, और जब ध्यान देंगे तो बहुत से तथ्य सामने आ जायेंगे। मान्यवर, 23 तारीख को उसकी लाश लेकर जब लोग आगे जा रहे थे तो उसी समय सूचना मिली कि रिपोर्ट जैसी वह लिखाना चाहते थे वैसी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। नामजद रिपोर्ट नहीं लिखी गई और उसी लाश को सड़क पर रखकर जो कुछ हुआ वह शर्मनाक हुआ, दुखद हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। हमारा सिर शर्म से झुक गया एक मानवता को कलंकित करने वाली घटना हुई। गिनने को तो 42, भी हैं 46 भी हैं, 36 भी हैं, मान्यवर, मकानों में आग लगा दी गई। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और चिन्ता की बात यह है कि वह जुलाहों की बस्ती थी, पूरी तरह से अल्पसंख्यक की बस्ती थी, गरीबों की बस्ती थी जब आग लगाई गई वहां सी0ओ0 भी मौजूद थे, एस0डी0एम0 भी मौजूद थे और पुलिस बल भी मौजूद था क्योंकि आशंका थी कि जब तनाव है तो वह हिंसा में तब्दील हो सकता है। फिर यहां जोर देना चाहता हूं वहां जब गला घोटकर मारा गया तो वह लोग जाने पहचाने थे, जिन्होंने बलात्कार किया वहीं एक और बात पर भी मैं बल देना चाहता हूं कि सबको मालूम था कि मामला संवेदनशील है, घटना हो सकती है। सी0ओ0 की उपस्थिति में, एस0डी0एम0 की उपस्थिति में और पुलिस वालों की उपस्थिति में घर जलते रहे और इन घरों को जलने दिया गया 6 घंटे तक, यह मान्यवर वह प्रकरण नहीं है कि आग लग गई हो और पुलिस वाले जब तक पहुंचे हैं गांव वालों के घर जलकर राख हो गये हैं यह कोई ऐसी भी घटना नहीं है कि बहुत दूर हुई हो और घटना के बाद पुलिस पहुंची हो। यहां शुरू से आखिर तक एक मजिस्ट्रेट, एक सी0ओ0 और पुलिस बल मौजूद था। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा मान्यवर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि गैस के सिलेन्डर लगाकर दरवाजे तोड़े गये, दीवारें तोड़ी गई, लूटपाट हुई सबसे बड़ी बात यह हुई कि भयंकर लूटपाट हुई और उसके बाद मान्यवर, नृशंसता की सीमायें लांघ गये जो बकरियां जानवर मिले उनको भी पीटकर मार डाला गया। मुर्गियों को पीटकर मार डाला गया। इससे लगता है हैवानियत कहां छू रही थी आसमान को और मान्यवर, यही सबसे बड़ी दुखद घटना है कि हम कहां पहुंच गये हैं? साथ रहते हैं साथ जीते हैं, साथ सांस लेते हैं और फिर गांव की संस्कृति तो कुछ ऐसी है कि मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर इतनी दूरियां भी नहीं होती लेकिन यहां मान्यवर, किया गया। मेरे कहने का आशय सिर्फ यह है कि जिन लोगों ने किया, उन लोगों ने सोच समझकर नृशंसता का प्रदर्शन किया और शर्मनाक है कि वहां पर सी0ओ0,

एस0डी0एम0और पुलिस की मौजूदगी में यह सब हुआ। मान्यवर, मैं इन सब चीजों से हटकर, बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को, सी0ओ0 सस्पेंड हुए, एस0डी0एम0 सस्पेंड हुए, डी0एम0 सस्पेंड हुए और एस0एस0पी0 सस्पेंड हुए, चार-चार लोग सस्पेंड हुए। मान्यवर, प्रशासनिक रूप से जो कदम उठाया गया है, उसी पर मैं अपना संतोष व्यक्त करता हूं कि प्रशासनिक रूप स यही हो सकता है लेकिन जरूरत इस बात की है आस पास के गांवों में जो सबसे बड़ी क्षति हुई है घरों के जलने से नहीं हुई है लोगों के मारपीट से नहीं हुई है, लोगों का जो विश्वास टूटा है, उस विश्वास की बहाली सबसे ज्यादा जरूरी है। लोगों का एतबार जो टूटा है, उस एतबार को फिर से बहाल करना ही पड़ेगा। मान्यवर, लोग इस पीठ की तरफ देख रहे हैं, उनकी जो पीड़ा है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर इस मामले को मानवीय आधार पर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। मान्यवर, दूसरा मेरा सुझाव पुनर्वास का है। जिस तरह से नृशंसता हुई है, उसी तरह से उदारता भी होनी चाहिए। इस पूरी की पूरी बस्ती का पुनर्वास कर दीजिए, इसमें अट्टालिकाएं या महल नहीं जले हैं। जिसमें बहुज ज्यादा खर्च आयेगा। झोपडियां जली है, एक कमरे के घर जले हैं। मान्यवर, इनका पूरी तरीके से पुनर्वास हो। दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि जो गृहस्थी का सामान जला है, एक गरीब के घर का सामान कोई बैंक में नहीं रखा होता है, सब कुछ तो वहीं था। साल भर का गल्ला भी वहीं था, अभी-अभी मार्च अप्रैल में खलिहानों से उठ कर घर आया था, वह जलकर राख हो गया है, मान्यवर, साल भर वह क्या खायेंगे? मैं तो एक सुझाव भी देना चाहता हूं, सरकार को कि सरकार ही यह नहीं करें, इसमें कोई एन0जी0ओ0 और औद्योगिक घराने लगाये जायें जिससे उस बस्ती को पूरे का पूरा पुनर्वास किया जा सके, मैं समझता हूं कि मान्यवर, यह एक अच्छा कदम होगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, एक तो जिनके घर जले हैं, जो दुखी हुए हैं, जो परेशान हुए हैं, जिनका विश्वास टूटा है लेकिन दूसरी तरफ एक अजीब सी बात हो रही है, बहुत से ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जिसे रोका जाना चाहिए था। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इसमें सरकार ही नहीं, इसमें एन0जी0ओ0 और एन0जी0ओ0 ही नहीं, इसमें ऐसी संस्थाओं को इन्वाल्व किया जाये जो इस काम को करे और दूसरी बात मैं यह कहना चाह रहा हूं, इसमें बहुत से निर्दोषों को भी पकड़ने की कोशिश हो रही है, कुछ लोग दुश्मनियां निकाल रहे हैं। तो मान्यवर, इस तरह की घटनाओं की पुनर्रावृत्ति न हो। मैं बहुत दृढ़ता से यहां कहना चाहता हूं कि जो दोषी हो, उनको किसी कीमत पर बक्शा नहीं जाना चाहिए और अगर किसी निर्दोष को भी पकड़ा गया तो निश्चित रूप से वह आग और भी फैलेगी और लोगों के बीच में उसकी चिन्ताएं जायेंगी। मान्यवर, मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यह एफ0आई0आर0 क्यों नहीं लिखी गयी? इसकी जांच होनी चाहिए। नामजद क्यों नहीं हुए? इसकी जांच होनी चाहिए। 6 घण्टे तक आगजनी होती रहे और खामोशी के साथ प्रशासन देखता रहे, क्यों? यह बहुत बड़ा सवाल है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि ऐसी घटनायें दोबारा न हो, इसलिए इसकी जुडीशियल जांच हो जाये, न्यायिक जांच हो जाये। मान्यवर, मैं सुझाव देता हूं कि हाईकोर्ट के कार्यरत न्यायाधीश से इसकी जांच कराई जाये। कुछ अजीब दुर्भाग्य है कि प्रतापगढ़ के अन्दर एक सप्ताह में ऐसी चार घटनायें हुई, जहां पर बलात्कार हुआ और जहां पर घर जलाने की जो घटना हुई है, इसने हिला कर रख दिया है, मेरे जनपद को, मेरे अंचल को, मेरे लोगों के विश्वास को कि इस तरह अगर पुलिस की उपस्थिति में हुआ है तो यह बहुत दुःखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है।

मैं जहां ज्यूडिशियल जांच की मांग करता हूं वहीं यह भी कहता हूं कि जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो। निर्देशों को इसलिए न फंसाया जाये कि खानापूर्ति करनी है। बल्कि उनका पूरा का पूरा पुनर्वास हो। यह कहते हुए कि इससे ज्यादा लोक महत्व, इससे ज्यादा अविलम्बनीय हो नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाये।

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, अभी मा0 तिवारी जी ने इसको विस्तार से रखा है। प्रतापगढ़ जनपद के गांव स्थान थाना नवाबगंज में दिनांक 20.06.2012 को 12 वर्षीय कुमारी रेखा सरोज पुत्री रामसजीवन सरोज के साथ सामुहिक बलात्कार होता है। सामुहिक बलात्कार ही नहीं होता बल्कि उसकी गला रेतकर हत्या भी कर दी जाती है। अगर गला रेतकर हत्या की गयी तो निश्चित रूप से उन बलात्कारियों को यह डर रहा होगा कि यह लड़की हमको पहचान रही होगी इसलिए उन लोगों ने उसकी हत्या की। मान्यवर, यह सही बात है कि अगर समय रहते पुलिस उस पर कोई ठोस कदम उठायी होती तो जो पुनरावृत्ति हुई जो घटना दोबारा घटी वह न घटती। उस मृतक परिवार की एफ0आई0आर0 दर्ज हो गयी होती और उसकी बात सुनी गयी होती तो यह दोबारा घटना न घटती। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि मात्र वहीं एक घटना नहीं है। उस घटना के बाद भी 25 तारीख को एक दूसरी घटना में गांव अगई में मकदूमपुर थाना लालगंज में निवासी राजाराम वर्मा की 12 वर्षीय पुत्री कुमारी आशा के साथ भी सामूहिक बलात्कार होता है और उसके साथ भी इस तरह की घटना होती है। इस तरह से लगातार घटनायें जनपद प्रतापगढ़ में हो रही है। इतना ही नहीं उसके ठीक एक दिन बाद दिनांक 26.06.2012 को थाना कन्हई अन्तर्गत गांव पीरमऊ विष्णुदत्त निवासी श्री जगन्नाथ पाल की सात वर्षीय पुत्री कु0 प्रियांशी के साथ भी इसी प्रकार से घटना हुई है। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में जो जंगलराज कायम है, जो अराजकता का माहौल है। दिन प्रतिदिन कानून की धज्जियां उड़ाकर सरकार को ठेंगा दिखाने का काम हो रहा है। एक तरफ मा0 मुख्य मंत्री जी जो युवा मुख्य मंत्री हैं जो पूरे प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए यहां पर चुनकर आये हैं और नेता सदन के रूप में बैठे हैं। रोज इनकी तरफ से बात आती है कि हम कानून का राज स्थापित करेंगे और दूसरी तरफ पूरे उत्तर प्रदेश में कानून की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं और इतनी लोमहर्षक घटनायें हो रही हैं। इस पर भी सरकार बिल्कुल चुपचाप शांतिपूर्ण रूप से बैठी हुई है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस इतनी बड़ी गंभीर घटना में क्या कारण रहा कि वहां की पुलिस ने उनकी एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं किया। अगर नामजद एफ0आई0आर0 दर्ज हो जाती तो निश्चित रूप से उस घटना के प्रतिशोध में जो हजारों की तादात में लोगों ने इकट्ठा होकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जो निश्चित रूप से शर्मनाक है। ऐसी घटना न घटती। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर एक घण्टे की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी मा0 श्री प्रमोद तिवारी जी ने और श्री राजबली जैसल जी ने प्रतापगढ़ अन्तर्गत स्थित गांव अस्थान थाना नवाबगंज की घटना का जिक्र किया और मान्यवर, यह घटना हृदय विदारक भी रही, शर्मनाक भी रही और इसकी जितनी निन्दा की जाय उतनी कम है कि

मान्यवर, लड़की के बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई यह सही है कि अगर पुलिस कार्यवाही समय से सुनिश्चित कर दी जाती और अपराधी पकड़ लिये जाते तो जो 40-40 गरीब लोगों की झोपड़ियां जलाई गई, बकरियां और मुर्गी भी खाक हुई शायद यह नौबत नहीं आती। मान्यवर, किसी भी सभ्य समाज को शर्मनाक करने की यह घटना है वह चाहे लड़की बलात्कार और हत्या से सम्बन्धित हो और चाहे उन गरीब की झोपड़ियों को जलाने से सम्बन्धित हो, यह दोनों बहुत निन्दनीय है और यह सारी की सारी घटनायें मान्यवर, नवाबगंज थाने की पुलिस के कारण हुआ। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि उनके संज्ञान में जैसे ही यह प्रकरण आया, गम्भीरता से लिया, पीड़ित परिवारों को राहत भी दिया जैसा कि मुझे जानकारी हुई, भुक्तभोगी लड़की मृतका के परिवार को भी शायद पांच लाख रुपये सरकार की ओर से दिये गये और हमारे जिन अंसारी मुस्लिम समाज के लोगों की बस्तियां जलाई गई शायद उनको भी 50-50 हजार रुपया सरकार की ओर से सहायता गई और जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सी0ओ0 और एस0डी0एम0 सभी सस्पेण्ड भी हुए, शायद मा0 मुख्य मंत्री जी की यह पहली अनुशासनात्मक कार्यवाही है, लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ। तो इसके लिए मा0 मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने साहस किया इस गुण्डाराज पर नकेल लगाने का, अराजक तत्वों को सबक सिखाने का और जो इस प्रकार से समाज में विस्फोटक स्थिति पैदा कर रहे हैं, समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मान्यवर, यह घटनायें स्थानीय पुलिस की लापरवाही से हुई जो हमें जानकारी मिली है कि वहां स्थानीय थानाध्यक्ष अभी भी मौजूद है, अन्य दोषी एस0आई0 वहां मौजूद है, जिनके कारण इतनी बड़ी घटना हुई, जिनके कारण पूरे प्रतापगढ़ को शर्मनाक होना पड़ा पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसके नाते दो-दो संवेदनशील घटनायें हुई एक तो लड़की के साथ बलात्कार और हत्या, दूसरा वहां हमारे एक वर्ग विशेष के लोगों के 40-40 घरों को आग के हवाले कर के नेस्तनाबूद की दो-दो शर्मनाक घटनायें हुई और मान्यवर, वह आज भी वहीं बैठा हुआ है, जिन स्थानीय पुलिस कर्मियों के नाते यह घटना इतनी शर्मसार हालात पर पहुंची वह आज भी है। मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में इसलिए लाना चाहता हूं कि हो सकता है यह जानकारी मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में न हो। तो मान्यवर, उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। यद्यपि कि स्थिति बिगड़ी इसके लिए दोषी तो सभी थे, डी0एम0 भी दोषी, पुलिस अधीक्षक भी दोषी, एस0डी0एम0 भी दोषी, सी0ओ0 भी दोषी, कार्यवाही हुई उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जो बच गये हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए और मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में मैं इसलिए और दो बातें लाना चाहता हूं। यह एक 20 तारीख को घटना हुई और अभी 25 तारीख को उसी प्रतापगढ़ में अगही मकदूमपुर थाना लालगंज में राजाराम वर्मा की 12 साल की लड़की आशा के साथ भी सामूहिक बलात्कार हुआ और हत्या हुई, उसमें भी गंभीर कदम उठाया जाना चाहिये। मान्यवर, इसी प्रकार से दूसरे दिन 26 जून को थाना कन्हई अन्तर्गत वीरमऊ बिसुदत गांव के रहने वाले जगन्नाथ पाल की 7 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार हुआ। ये शर्मसार करने वाली घटनायें हैं तो मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आपको थोड़ा कठोर होना पड़ेगा। अराजक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिये, इस पर रोक लगाने के लिये कहीं न कहीं आपको कठोर होना पड़ेगा। मान्यवर, हम समझते हैं कि अराजक तत्वों को खुली छूट देने का मतलब उसमें कोई सुरक्षित नहीं होगा। न आप सुरक्षित होंगे, न हम सुरक्षित होंगे, न प्रदेश की जनता सुरक्षित रहेगी, इसलिये उनकी सुरक्षा की चिन्ता सरकार की पहली प्राथमिकता है तो इसलिये उन पर अंकुश लगाने के लिये भी आगे बढ़ना होगा, कदम उठाना होगा और साथ ही साथ जो भी दोषी कर्मी बच

गये हैं, जो भी स्थानीय पुलिस के लोग बच गये हैं, थाने की पुलिस, एस0ओ0 सहित अन्य जो एस0आई0 हैं, वहां का पूरा का पूरा स्टाफ हटना भी चाहिये। और ये जो दो अन्य घटनाओं का मैंने जिक्र किया, इस पर भी प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिये। मैं आपके माध्यम से चूंकि मा0 मुख्य मंत्री जी बैठे हुये हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी भी बैठे हुये हैं इसलिये मान्यवर, मैं इस बात को रखता हूं कि इस पर इसलिये अंकुश होना चाहिये कि आगे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसलिये मान्यवर, मैं अपेक्षा करता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी इस प्रकरण को बहुत गंभीरता से लेंगे और जिस तरीके से अभी अस्थान की घटना पर कार्यवाही की है जैसा कि भाई प्रमोद तिवारी जी ने अवगत भी कराया, मैं भी वहीं का रहने वाला हूं, वो वाकई में गरीबों का गांव है, वहां एक ओर दलित बस्ती है, झोपड़ी, झोपड़ पट्टियों में लोग रहते हैं, दूसरी ओर हमारे अंसारी समाज के, मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो भी गरीब हैं, वो भी झोपड़ियों में रहते हैं लेकिन यह कहीं न कहीं स्थानीय पुलिस की लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ जिसने हमारे साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा। साथ ही साथ इस त्रासदीपूर्ण घटना को अंजाम दिया तो इसलिये आगे भी इस प्रकार के प्रकरणों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुये, इन अराजक तत्वों पर अंकुश लगाने का काम आप करें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 अध्यक्ष जी, प्रकरण गंभीर है कोई दो राय नहीं लेकिन प्रकरण को रखने का तरीका और उसका अन्दाज और उससे प्रदेश में पैदा होने वाले हालात पर भी हमें विचार करना चाहिये। मा0 सदस्य, कांग्रेस ने जिस तरह से प्रकरण को रखा, उससे यह लगा कि आप प्रदेश में माहौल को खराब करने के लिये बल्कि माहौल को बेहतर बनाये रखने के लिये एक सुझाव के अंदाज में इस प्रकरण को रखा है लेकिन मान्यवर, जब भी इस तरह के हादसे होते हैं तो जिम्मेदारी है सरकारों की कि उन पर सख्त कार्यवाही करें। लेकिन मान्यवर, कोई ऐसी सरकार जिसे विरासत में ऐसे हालात मिले हों, ऐसे अपराध करने वाले लोगों के हौसले बुलंद हों, ऐसे अपराध करने वाले लोगों को यह एहसास हो कि नीचे से लेकर मुख्य मंत्री के स्तर पर उनकी पुशमनाही की जायेगी, उनके मनोबल को और मजबूत किया जायेगा। ऐसे हालात से गुजरा हुआ उत्तर प्रदेश जहां खड़ा है, वहीं सभी लोग जानते हैं। मान्यवर, इसकी निन्दा करने में किसी को कोई एतराज नहीं है। इस सदन के कोई सदस्य यह नहीं कह सकते कि अगर रिपोर्ट सही वक्त पर नहीं लिखी गयी तो वो गलत नहीं था, रिपोर्ट लिखे जाने के बाद जो कार्यवाही होनी चाहिये थी, वो कार्यवाही नहीं हुई वो गलत था। इसे सरकार न सिर्फ ये कि मानती है बल्कि नेता प्रतिपक्ष ने बार-बार इस बात को माना है कि मुख्य मंत्री जी ने बहुत सख्त कार्यवाही की है। मान्यवर, समाज के अन्दर बुराई को खत्म करने के दो ही रास्ते हैं या तो समाज या कानून या तो समाज उसका संज्ञान लेगा या कानून अपना काम करेगा। जहां समाज खामोश था इसीलिये सरकार ने, मा0 मुख्य मंत्री जी ने पहले 50 हजार रुपया जिनके मकानात जले थे, फिर 2 लाख रुपया न तो जले हुये की वापसी होगी और न जो जान चली गयी उसकी वापसी होगी।

मान्यवर, 5 लाख रुपये मरने वाली बच्ची के परिवार को दिये गये। सरकार अपनी जिम्मेदारी से हटी नहीं है। सरकार ने यह भी तय किया है कि जो मकान जले हैं, मान्यवर, यह एक नया ट्रेंड चला है कि बेगुनाह लोग मरते हैं तो यह तलाश करनी होगी कि यह मानसिकता कहां से पैदा हो रही है। मान्यवर, कौसी कलां में घटना हुई थी। फिर यह घटना हुई। मान्यवर, इन्तकाम लेने का तरीका क्या यह होगा कि सख्त गर्मी में एक चिंगारी लगा दी जाये और मकानात जला दिये जायें। मान्यवर,

थाने में लड़की के साथ बलात्कार हुआ और थाने के सामने उसकी लाश टांगने की बात कही गयी है। मान्यवर इनके समय में तो यह होता था और कहा जाता था न तो बलात्कार हुआ है और न हत्या हुई है। मान्यवर पूरे 5 साल हम लोग रोज टी0वी0 पर हत्या और बलात्कार की घटनायें सुनते रहे और वह देखने को मिली। मान्यवर यह उत्तर प्रदेश उस दौर से गुजरा है और आज उनकी ओर से यह बात कही जा रही है। मान्यवर इस सरकार ने जो कदम उठायें हैं क्या पिछले 5 साल में एक भी बलात्कार और हत्या की घटना पर यह कार्यवाही हुई है जो हम लोगों ने की है। मान्यवर, उस समय जो दोषी अधिकारी हुआ करते थे उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। मान्यवर, हमारी सरकार का मत है कि अन्याय किसी के साथ नहीं होगा और पीड़ित पक्ष को न्याय मिले और उसे सुनिश्चित करने के लिए ही हम लोगों ने कदम उठाये हैं। मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी की जिज्ञासाओं के अनुसार जिनके तमाम मकानात जले हैं उन्हें हम लोग सरकारी योजनाओं के तहत जिसमें लोहिया आवास योजना है या अन्य योजना के तहत जिनके मकान जले हैं उन लोगों को एक कमरे का मकान जिसमें किचन और टायलेट भी हो। वह दिया जायेगा। मान्यवर, मकान देने के पीछे हमारी सरकार की मंशा सिर्फ यह जताना नहीं है कि हम लोग मकान देंगे और पैसा दे दिया है बल्कि यह बताना है जिन्होंने यह कृत्य किया है उनको बताना कि तुम गरीब की फूस की झोपड़ी जलाओगे तो सरकार उसे पक्का मकान बना कर देगी। ताकि उन लोगों का हौसला पस्त किया जा सके। मान्यवर, यह सरकार गरीब आदमी को उसका हक देना चाहती है उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगी और यह सरकार यह साबित करेगी कि खजाने का यह पैसा उनके लिए है और यह उन्हीं का था। मेजों की थपथपाहट।

मान्यवर, यह पहले कभी नहीं हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ है और इस तरह से पुनर्वासित कभी नहीं किया गया है। मान्यवर, जिनके साथ इस तरह का अन्याय हुआ है वह बहुत निन्दनीय है। कानून को अपना काम करने में थोड़ा वक्त लग रहा है लेकिन कानून अपने तरह से काम करेगा। मान्यवर कौसी कला में हुआ यहां हुआ फिर तीसरी जगह न होने पाये इसके लिए यह सरकार माननीय सदन को यह आश्वस्त करना चाहती है कि कानून पूरी मजबूती के साथ काम करेगा, पूरी कड़ाई के साथ लागू होगा उत्तर प्रदेश की जनता को कानून के दायरे में रह कर जीने का सलीका सिखाया जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, स्थानीय पुलिस जो इस घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है वह आज भी वहां पर मौजूद है क्या उसको हटायेंगे और क्या यह सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बेगुनाहों के खिलाफ पुलिस कोई कार्यवाही न करें क्योंकि ऐसी शिकायतें मिल रही हैं, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हों।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह एक आम बात कही जाती है कि बेगुनाहों को सताया जा रहा है। मान्यवर कौन बेगुनाह है और कौन गुनाहगार है यह सरकार तय करेगी। माननीय, अध्यक्ष जी, यह एक आम मतालबा होता है कोसीकलां में भी ऐसा ही हुआ मैं गया वहां तो लोगों ने कहा कि बेगुनाहों की गिरफ्तारी हो रही है, उसे रोका जाये। कौन बेगुनाह है और कौन गुनाहगार है यह उस बस्ती के लोग तय नहीं करेंगे, यह सरकार तय करेगी यह जांच तय करेगी। आज ही कुछ लोग आये थे मेरे पास और मुझे मालूम हो गया था कि इन्हें भेजा गया है। लिहाजा कोई गुनाहगार न बचे और किसी की

सिफारिश पर किसी को छोड़ा न जाय यह कैसे मुमकिन है कि हम यह रोक लगा देंगे कि किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी और गुनाहगार अगला मकान जलाने के लिए मसाल लिये खड़ा होगा, जो गुनाहगार होंगे उनकी गिरफ्तारी होगी, उनके खिलाफ कार्यवाही होगी, जो गुनाहगार नहीं होंगे उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जायेगा। दूसरा, आपने स्थानीय थाने के बारे में कहा है मान्यवर, इसे दिखवा लिया जायेगा और इसमें भी शत-प्रतिशत न्यायोचित कार्यवाही होगी।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसमें सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं जानकारी होगी सरकार को कि जिन लोगों के घर जले हैं या जो लोग डरे और सहमें हैं वह वहां नहीं रह रहे हैं वहां से 15 कि0मी0 दूर एक मदरसे में जो अलीमियां का है उसमें रह रहे हैं। मान्यवर, सबसे बड़ी पहल तो यही होनी चाहिए कि सरकारी संरक्षण में कोई न कोई यहां से जाय एक टीम जाये वह जो गये थे वहां क्या हुआ कुछ पता नहीं। मैं तो कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उनका एक प्रतिनिधि मंडल आप बुला लीजिए जो लोग वहां हैं, जो लोग उस मदरसे में हैं, सीधे आप उनसे बात कर लीजिए। दो काम कर लीजिए उनको उनकी बस्ती तक वापस कर दीजिए जिससे नार्मल्सी आये दूसरा, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि जो पलायन हुआ है उनको लाना जरूरी है नहीं होगा तो यह आग फैलेगी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि लोगों का विश्वास आये नार्मल्सी आये। दूसरी बात, मान्यवर, वहां पर एक पुलिस चौकी की स्थापना स्थाई रूप से कर दी जाये जिससे कि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। मान्यवर, जिक्र आया मैंने भी किया, नेता विरोधी दल ने भी किया, जैसल भाई ने भी किया ऐसी ही घटना लालगंज थाने में अगई में मकदूमपुर में और वहां भी लड़की की उम्र 11 साल ही है और वहां भी उसके बाद हत्या हुई और आप जानकर ताज्जूब करेंगे मैंने तो बहुत सम्भालने की कोशिश की। यह होती नहीं है घटनायें, यह घटनायें करायी जाती हैं यह सच है। हमारे यहां कल कुछ लोग गये थे और जाकर कहा कि जला दो उन लोगों के घर, सड़क जाम कर दो, पुलिस चौकी जला दो, मुझे जैसे ही पता लगा मैं पहुंच गया वहां और किसी तरीके से 4 घंटे, 5 घंटे रहकर मैंने उन लोगों को रोका है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जैसे जिक्र मकदूमपुर का हो रहा है, अगई का हो रहा है, आशा देवी का हो रहा है।, मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि उसको जो लड़की मरी है बलात्कार के बाद उसको भी आर्थिक सहायता आप भिजवा दें उनके परिवार को भिजवा दें जिससे वहां जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनकी कोशिश कामयाब न हो, मैं इसको लिखकर दे दूंगा पूरा आपके पास भेज दूंगा वहां भी मान्यवर, आग न फैलाई जा सके और एक बात जो मैंने कही है आज ही मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं आज ही आप पता लगा लें एसपी से एडीशनल एसपी से, सीओ से जिसको आप ठीक समझे कि कौन लोग थे जिन्होंने जाकर कल कहा कि आग लगा दो पुलिस चौकी में, आग लगा दो इस बस्ती में उनके खिलाफ आप कार्यवाही करिये ताकि फिर घटना की पुनरावृत्ति न हो, मेरे कहने पर आप अपने एडीशनल एसपी, सीओ से, कौन लोग थे जो गये और मुझे खुशी है उस गांव के लोगों ने उन लोगों को दौड़ा लिया और भगा दिया गांव के बाहर कि हम ऐसा नहीं करेंगे, मान्यवर, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। उस लड़की को उसके परिवारजनों को आप आर्थिक सहायता दे। फिर मैं बल देता हूं कि मान्यवर, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसलिए हाईकोर्ट के जज से इसकी जांच कराइये।

*लघु सिंचाई पशुधन मंत्री (श्री पारस नाथ यादव)-

मान्यवर, मैं कुछ कहना चाहता हूं। चूंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार एक प्रतिनिधि मंडल गया था और उस प्रतिनिधि मंडल में मैं भी एक सदस्य था इसलिए चूंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रमोद तिवारी जी और हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी और नेता विरोधी दल जिन लोगों ने यह भाव प्रकट किया है, मैं सम्मान करता हूं। लेकिन घटनाओं के पीछे जो साजिश होती है, उस साजिश की तरफ भी पूरे सदन का ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी घटना कैसे हुई, क्यों हुई, यह तो जांच का विषय है। जांच अधिकारी करेंगे, प्रतिनिधि मण्डल करेगा या ज्यूडिशियल इन्क्वायरी होगी लेकिन वहां जो घटना घटी है, एक मासूम लड़की के बारे में। अक्सर अखबारों में भी आता रहता है और हम लोग सुना भी करते हैं कि 7 साल की लड़की 10 साल की लड़की और साढ़े तीन साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कारी कौन है, कैसे होता है, जरा अपनी आत्मा पर हाथ रखकर के यहां पर बैठे जो लोग हैं, वह सोचें। इतनी मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले, कौन शैतान हैं, कौन हैवान हैं जो इस तरह की घटना करते हैं और क्यों करते हैं? इस पर अगर ध्यान दिया जायेगा तो तभी चिन्हित किया जा सकता है कि असली कातिल कौन है? मैंने जाकर के वहां पर देखा जिस घटना का जिक्र आया है, चाहे वह मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और उसके मरने की बात हो, चाहे घर जलाने की बात हो। इन दोनों जगहों पर मैं गया। और दोपहरी में एक-एक घर के अंदर घुस-घुस कर के जो गरीब लोगों के अनाज, उनकी साइकिलें और गरीब लोगों के सामान लूटे गये, जलाये गये थे और फिर उसके बाद हम लोग उस मासूम बेटी के यहां भी गये, जिसकी मौत हो गयी थी। मैं एक लंबे अरसे से राजनीति में हूं और एक लंबे अरसे से जनता की सेवा कर रहा हूं। मैंने यह देखा है कि कुछ षडयंत्रकारी लोग हैं, जो षडयंत्र करके इस तरीके की घटनाओं में बल देते हैं, जैसा कि अभी आदरणीय कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि वे पहुंच गए और उन गांव वालों ने भगाया, तो यह निश्चित रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी को पता चल गया होगा कि कौन लोग गांव में गये थे और कौन लोगों ने इस तरह की बात को उकसाने की कोशिश की। प्रतापगढ़ जनपद है, जहां से हमारे नेता विरोधी दल भी प्रतापगढ़ से हैं, राजा भैय्या भी हमारे प्रतापगढ़ के हैं, हमारे भाई प्रमोद तिवारी जी भी प्रतापगढ़ के हैं और राजा राम पाण्डेय भी प्रतापगढ़ के हैं, ये वरिष्ठ लोग हैं और हम लोगों के लिए और इस सदन के लिए महत्वपूर्ण लोग हैं। ये लोग यदि चाहें तो जांच कमेटी और जांच के लोग दूर रह जायेंगे और ये लोग खुद चिन्हित कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी ताकते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं, जो समाज में माहौल को खराब करके उन गरीब और निरीह लोगों को, निहायत बेकसूर लोगों को इस तरीके की घटनाओं को शिकार बना रहे हैं। मुझे जो जानकारियां प्राप्त हुई है कि उस जंगल में, जिस जंगल में उस मासूम बेटी की मां, बकरी चरा रही थी और बकरी चराते समय शाम के लगभग साढ़े 6 बजे के आस-पास वह बकरी लिए वहीं रह गयी थी और वह मासूम बेटी दूसरी किसी महिला के साथ खेत में उरद की छीमी को तोड़ रही थी और उरद की छीमीं को तोड़ने के बाद साढ़े छः या पौने सात बजे, मां के लिए वह दूसरे रास्ते से वहां पहुंची और मां दूसरे रास्ते से घर लौट कर आयी। यह घटना सात बजे के बाद हुई, वहीं यह भी जानकारी मिली है आदरणीय अध्यक्ष जी, कि दो बाबा वहां रहा करते थे, जो लोग जंगल में अक्सर एक साल से डेरा डाले थे, आस-पास से आया करते थे। कौन थे वे लोग, कहां रहते थे, इसका कोई जिक्र नहीं आया लेकिन उसी दिन से फरार हैं और उसी दिन से वहां नहीं आ रहे हैं। इसका एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुभव मुझे हुआ है, जब मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहा था, सन् 2004 में मेरे यहां, जौनपुर के क्षेत्र में जो गांव में छोटी-छोटी कुटिया बना करके, ऐसे लोग रहा करते थे, जो किसी मूर्ति की सेवा करते थे, उनकी लगातार लगभग आधा दर्जन लोगों की हत्या हो गयी। उन आधा दर्जन हत्याओं के पश्चात् पुलिस परेशान हो गयी। एक आदेश गया सरकार की तरफ से कि इन कुटियों की रखवाली की जाये, जिनको हम प्रणाम करते हैं, जिनसे हम आशीर्वाद लेते हैं और जिनसे हम यह उम्मीद करते हैं कि इनके आशीर्वाद से हम फलेंगे-फूलेंगे, ऐसे लोगों के लिए पुलिस की रखवाली की व्यवस्था की गयी और उन कुटियों की रक्षा की गयी कि ये साधु मारे न जायें लेकिन ज्यों ही चुनाव खत्म हो गया उसके बाद से इस तरह की घटना सामने नहीं आयी। मेरा यह आग्रह होगा आपके माध्यम से सदन से सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी इच्छा है, जो यह चाहते हैं कि कानून का राज चले, कानून व्यवस्था कायम हो। यह बात जरूर आयी कि घटना की सूचना जो दी गयी, जिनके बारे में कहा गया, उन लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 लिखने में एक दिन का विलम्ब किया गया लेकिन वह जेल में बन्द हैं, उनका नाम एफ0आई0आर0 में लिखा जाना चाहिए, यह बात मांग के योग्य है और इसमें पुलिस की लापरवाही है लेकिन यह भी जानकारी आयी है कि नहर के किनारे हजार लोग नहीं बल्कि कई हजार लोग इकट्ठा हुये, किसने इकट्ठा किया, एक मासूम बच्ची की हत्या में 5-5 हजार 10-10 हजार लोग गांव के आस पास घेरे रहें, यह प्रकरण बहुत गम्भीर है। प्रमोद तिवारी जी हम लोग आपसे आग्रह करेंगे, आप वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग आपको नेता मानते हैं और आप हरदम सही बात को सदन में उजागर करते हैं, आज भी आपने अच्छा सुझाव दिया। आप सभी लोग जो उस जनपद के हैं चाहे वह राजा भैय्या हों, चाहे राजाराम जी हों मंत्री के रूप में, चाहे नेता विरोधी दल हों, आप लोग चिन्हित कीजिए और जो आप लोग सरकार से अपेक्षा करते हैं उसके लिए सरकार सब कुछ करने को तैयार है, यही मेरा कहना था और यही मेरा आग्रह है।

(श्री आलम बदी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य आपका इसमें नाम नहीं है तो आप क्या बोलेंगे।

*श्री आलमबदी-

मा0 अध्यक्ष जी, यह सही है कि घटना बड़ी निन्दनीय है, एक मासूम बच्ची के साथ जिस तरह से बलात्कार हुआ और उसका कत्ल हुआ उसकी जितनी निन्दा की जाये वह कम है। लेकिन यह भी सही है कि लाश मिलने से लेकर एफ0आई0आर0 लिखे जाने के बीच में 12 घण्टे का विलम्ब रहा। बड़ी शक्तिशाली कुछ ताकतें थीं जो पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाये हुये थीं कि जो तहरीर दिया है लड़की के बाप ने उसने जिन लोगों को मुल्जिम बनाया है उनको मुल्जिम न बनाया जाये और उन लोगों के दबाव पर मुसलमानों के चार बच्चों को उस घटना का मुल्जिम बना दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, सच्चाई यह है कि जो घटना हुई, लोगों के दिलों पर चोट लगी थी। मान्यवर, इस मुल्क में 65 साल से यह दंगे हो रहे हैं हिन्दू-मुस्लिम फसहदात हो रहे हैं, मुसलमानों की जायदादें जलाई और लूटी जा रही हैं मांग यह की जा रही थी कि जहां यह घटनायें हो वहां के कप्तान और एस0पी0 को फौरन सस्पेंड किया जाये। लायक-ए-मुबारकबाद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने यह इतिहास बनाया, जिन्होंने प्रतापगढ़ के थाना इंचार्ज को, सी0ओ0 को, एस0डी0एम0 को, कप्तान को और डी0एम0 को, सस्पेंड करने का काम किया। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां थाना इंचार्ज और सी0ओ0 मौके पर मौजूद थे जब लोग घरों में आग लगा रहे थे और माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि झोपड़ी में मान्यवर, झोपड़ी नहीं हैं पक्के मकानात हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, सारी बातें आ चुकी हैं, आप क्यों उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं।

श्री आलमबदी-

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट टाइम लूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि वहां के सी0ओ0 और दरोगा के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज हो।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आप बैठ जायें, सारी बातें आ चुकी हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं कुछ बोलने नहीं जा रहा हूं बल्कि मैं मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी से केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि जो दो अन्य घटनायें घटीं, जिसका मा0 प्रमोद तिवारी जी ने जिक्र किया, उसका भी संज्ञान ले लें और उस पर भी कार्यवाही हो जाये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 आलमबदी जी, अब आप बैठ जायें।

श्री आलमबदी-

[xxx]

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी कोई बात लिखी नहीं जायेगी।

(श्री कमाल युसुफ मलिक के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मलिक साहब, आप हमारे चैम्बर में आ जाइयेगा, हम आपकी बात सुन लेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

क्योंकि सत्तापक्ष के एक माननीय सदस्य ने इस मसले को गम्भीरता से रखा है और यह अच्छी अलामत है कि विपक्ष ने जिस बात को जितनी गम्भीरता से लिया है सत्तापक्ष में मा0 मंत्री जी ने और मा0 सदस्य ने किसी चीज को नहीं छिपाया है। इससे हमारी जानकारी में इजाफा हुआ है, गृह विभाग से अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली लेकिन मा0 मंत्री जी ने अभी हमें एक अहम जानकारी दी है और उस पर कार्यवाही होने, उस पर जांच होने और सही बात सामने आने की इसलिए जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह षड्यन्त्र पूरे उत्तर प्रदेश को जलाने का हो और कहीं से यह काम हो रहा हो, उस पर यकीनन जांच होगी, कार्यवाही होगी, कौन थे यह लोग। मा0 सदस्य की जिज्ञासा है कि जिन लोगों के मकान जले हैं, वह चाहे कच्चे मकान थे या पक्के मकानात थे, मा0 सदस्य को यह मालुमात में नहीं आ सका कि पहले पचास हजार रुपये दिये गये थे बाद में दो लाख रुपये और बढ़ा दिये गये। अगर किसी और सहायता की जरूरत होगी तो उस पर भी विचार कर लिया जायेगा। मकानात जो बनाकर दिये जाने की बात है, अगर इस सारे धन को जोड़ दिया जायेगा तो मैं समझता हूं कि यह धन पांच लाख रुपये से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा।

नोट [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, वहां पर फिर यह हो सकता है इसलिए परमानेंट पुलिस की व्यवस्था कर दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 तिवारी जी, सारी बातें हो गयी हैं, अब इसे समाप्त कीजिये।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष-

आपने ही कहा कि सरकार ने गम्भीर कार्यवाही कर दी है तो अब इसमें क्या बचा है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपकी जानकारी में शायद यह बात नहीं है कि वहां पर टेम्प्रेरी चौकी कायम कर दी गयी है, जैसे हालात होंगे, जैसी जरूरत होगी वैसी व्यवस्था की जायेगी, उनके अन्दर विश्वास पैदा किया जायेगा। अगर मुस्तकिल चौकी की जरूरत आती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर विचार करने के लिए तैयार हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं जो बात कह रहा था वह बात रह जायेगी। मान्यवर, मैंने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण कहीं और मेरी बात को सम्मानित साथियों ने बल दिया। मैंने यह कहा कि उसी तरह की दो घटनायें और हुई एक आशा देवी, मकदूमपुर खगई मैंने नाम लेकर कहा नेता विरोधी दल ने भी कहा, मेरा यह कहना था कि कौन लोग थे जो कल गये और किन लोगों ने यह कोशिश की है और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप मुझसे जांच कराइये, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने एस0पी0, एडिशनल एस0पी0 से कहिये कि कौन थे जो घर फुंकवा रहे थे, इसकी जांच तो हो, इसमें क्या गलती है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 तिवारी जी, अब इस प्रकरण को समाप्त कीजिए, बहुत चर्चा हो गयी।

(श्री जियाउद्दीन रिजवी के खड़े होने पर)

आपका क्या है। आप जिस ढंग से बोल रहे हैं यह बहुत उचित नहीं है।

*श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मा0 आजम खां साहब हमारे कौम के नेता हैं, मा0 आजम खां साहब केवल मंत्री नहीं हैं। 99 प्रतिशत मुसलमान उत्तर प्रदेश का उनके पीछे खड़ा है, वह इनको देखता है कि जब भी मुसलमानों का सवाल होता है, मुसलमानों पर अत्याचार होता है, चाहे प्रदेश में और चाहे देश के किसी कोने में मा0 आजम साहब खड़े होते हैं और उनकी बात रखते हैं। इनकी आवाज पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों तक जायेगी। मेरा सुझाव है कि जो लोग मदरसे में हैं, यहां का एक वजीर जाये और उनको ले करके उनके घर में जाये, यह महत्वपूर्ण सवाल है। मान्यवर, कहा गया कि उनके तन पर केवल एक वस्त्र है और डर के मारे वह घर नहीं जा रहे हैं तो आज संसदीय कार्यमंत्री जो मेरे नेता हैं। मेरे रहबर हैं, कौम के रहबर हैं, मैं इनसे कहूँगा कि आप दो वजीर को वहाँ भेजिये जो हमारे मुसलमान भाई मदरसे में हैं उनकी घर तक वापसी करायें। मैं यह कहना चाहता हूँ।

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर)

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, अब इस प्रकरण को खत्म करिये।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

सभी इस पर मत बोलिये, अब कुछ लिखा नहीं जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

माननीय अध्यक्ष जी, अब लग यह रहा है कि यह प्रश्न किसी ऐसी सिम्त में जा रहा है। देखिये प्रमोद तिवारी जी जितना कुछ आपने कहा, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा उसके बारे में मुकम्मल जवाब आ गया। अब उस तरफ न ले जायं जिससे नये सवालात पैदा हों, हालात खराब हों। मैंने इस सदन में कहा था जब कोसी कलाँ का वाक्या हुआ कि हमारे अन्दर अगर सहनशीलता नहीं है तो हमें सहनशीलता पैदा करनी चाहिये और अगर हमारे अन्दर सहनशीलता है तो उसे बढ़ाना चाहिये। रामपुर के अन्दर एक साढ़े तीन साल की मुस्लिम बच्ची का एक दलित लड़के ने बलात्कार किया, तो क्या हम सदन में उसके लिए आग लगाने का काम करें। लहूलुहान बच्ची को अस्पताल पहुँचाया गया तो क्या हम दलितों के घरों में आग लगायें। मेरी विधान सभा क्षेत्र में शहर के अन्दर यह हुआ है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर सहनशीलता नहीं है तो पैदा करने की जरूरत है, और है तो उसे बढ़ाने की जरूरत है। हमने रामपुर में उसकी मिसाल पेश की है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि कानून अपना काम कर रहा है और काम करेगा लेकिन सहनशीलता जब तक नहीं होगी तो ये नुकसान सबका होगा। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूँगा कि जो लोग मदरसे में आये थे, आये हैं नहीं, उनके अन्दर विश्वास और इत्तेमाद पैदा करने की जरूरत है। वे लोग मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, हमसे भी मिले हैं। मान्यवर, वह जो सरकार से नफरत करता हो या समाजवादी पार्टी से नफरत करता हो या मुख्यमंत्री जी से, तो जले हुए मकानात वाले मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं आते। कोसीकलाँ जब हम मिलने के लिए गये तो किसी ने कोई शिकवा नहीं किया बल्कि हिन्दुओं ने, मुसलमानों ने भी रोकर स्वागत किया, आँसुओं के साथ, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद थी कि हम आये हैं तो उनके एक नुमाइन्दे और हमदर्द के तौर पर आये हैं। मान्यवर, इस सरकार ने चाहे लेबिल कोई लगा हो किसी के ऊपर, किसी मंशा और मानसिकता से लगाया गया हो। एक तरफ यह कहा गया है हमारे साथी की तरफ से कि हम पर लोग इत्तेमाद करते हैं। कल जब कुम्भ मेला के परीक्षण और उसकी मीटिंग के लिए गये तो हम खुद गये थे महन्तों में पास, मीटिंग बुलाकर उनके पास गये थे, इसलिये नहीं कि एक मुसलमान गया था किसी हिन्दू धर्मावलम्बी के पास, बल्कि इसलिये कि सरकार उनके पास गयी थी जिनका पर्व होने वाला है। मान्यवर, यही भावना वहाँ रहेगी। मुसलमानों के अन्दर, हिन्दुओं के अन्दर, अगड़ों और पिछड़ों के अन्दर इत्तेमाद बहाल करने की उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है और हम उस पर खरे उतरेंगे तथा कोई समझौता किसी तरह का नहीं करेंगे। यह साबित करके दिखायेंगे कि जो असल षडयंत्र हैं वह सामने आया है। आज नही ंतो कल समाज भी उसको जानेगा और यह सदन भी जानेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात पर बल देते हुए कहूँगा कि आप इसे खारिज कर दें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जो हादसा हुआ है वह जातिवाद और धर्म आधारित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी अब बैठिये। मैंने इस पर मा0 तिवारी जी तथा संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, उसी बिरादरी के दोनों लोग थे। इसमें जाति और धर्म की बात नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

भाई प्रमोद जी, हर चीज नियम से बंधी हुई है, जाँच और कार्यवाई से बंधी हुई है। भावनाओं से सिर्फ काम नहीं चलेगा। यह जानकारी की जरूरत है कि षडयंत्र कहाँ से हुआ है ? माननीय मंत्री जी ने जो बात कही है, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी मंत्री ने खड़े हो करके उस षडयंत्र का पर्दाफाश किया है जो किसी के सामने आज तक नहीं है। हम आपसे कह तो रहे हैं कि सरकार इस हद तक सम्बद्ध है इससे और इसे हल्के से सरकार नहीं ले रही है।

(डॉ0 धर्मपाल सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठिये, आज बजट भी है।

डॉ0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आगरा की एक महत्वपूर्ण घटना है।

श्री अध्यक्ष-

कोई जरूरी है कि हर बात पर खड़े हो जायं। आप लोग बैठ जायं, नियमों के अन्दर रहें नियम का उल्लंघन आप करेंगे या मैं करूँगा तो उसकी व्यवस्था है विधान में। चूँकि आज बजट है और बहुत बड़ा बजट है इसलिए इन घटनाओं पर आप कहें या न कहें मैं पढ़ दे रहा हूँ और उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर ले रहा हूँ और जो आप चाहते हैं वह कार्यवाही होकर आपको मिल जायेगी।

दूसरी सूचना है श्री इन्द्रपाल सिंह, श्रीमती हेमलता चौधरी, श्री उमाशंकर सिंह, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री शमशेर बहादुर सिंह, श्री बृजेश कुमार की जनपद सुल्तानपुर के थाना गोसाईगंज में दिनांक 16-6-2012 को एस0ओ0जी0 एवं स्थानीय पुलिस द्वारा बबलू निषाद की पिटाई किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। इस पर नेता विरोधी दल जी आप ही दो मिनट बोल दें तो इस पर ध्यान आकृष्ट कर दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी यह प्रकरण जनपद सुल्तानपुर थाना गोसाईगंज के टटिया अन्तर्गत गांव का है जहाँ पर 16 जून को बिना किसी कारण के स्थानीय पुलिस और एस0ओ0जी0 जाती है एक बबलू निषाद को पकड़कर ले जाती है चूँकि वहाँ पर इसके पहले दो इनकाउण्टर हो चुके थे गाँव वालों को यह अहसास हुआ कि शायद इसका भी न इनकाउण्टर हो जाय। इसलिये गाँव वाले सड़क पर बैठ गये। पुलिस आयी और उसने लाठीचार्ज किया इस प्रकरण पर मैं विशेष नहीं जाना चाहता वहाँ पर

कम से कम 6-7 शादियाँ जो पहले से तय थी स्थानीय पुलिस के आतंक के भय से उसे टाल दिया गया। मान्यवर, 18 जून को रामसागर निषाद की बेटी की शादी थी उसे टाल दिया गया। 23 जून को जयनारायण की बेटी कुमारी माया की शादी थी उसको भी स्थगित कर दिया गया, 25 जून को रमेश पुत्र तुलसीराम की शादी थी उसे भी टाल दिया गया यानी निर्दोष लोगो के साथ बड़े पैमाने पर पुलिस अत्याचार कर रही है पूरे के पूरे गाँव वाले दहसत में है। आधी दर्जन शादियाँ जिनकी तिथि निर्धारित हो चुकी थी आज भय के मारे उनकी शादियाँ स्थगित कर दी गयी बड़ी भयावह स्थिति है लोग आक्रोशित हैं मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो दोषी हों उनके खिलाफ कार्यवाही हो निर्दोष लोगों को पुलिस प्रताड़ना का शिकार न बनाया जाय। जो पूर्व से वहाँ शादी की तिथियाँ सुनिश्चित हैं अमन चैन कायम करके उन शादियों को कराने का काम सुनिश्चित किया जाय। जिससे कि जो वहाँ पर जनाक्रोश है वह आगे न बढ़ सके। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ चूँकि पूरे गाँववासी भयाक्रांत हैं आधा दर्जन शादियाँ स्थगित हो चुकी हैं भीषण जनाक्रोश है यह प्रश्न लोकमहत्व का है अविलम्बनीय है इसीलिए सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री मो0 आजम खाँ-

मान्यवर, इसे गम्भीरता जितनी है उतनी गम्भीरता से लिया जायेगा ओर न्यायोचित कार्यवाही होगी बिल्कुल होगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुना माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना इसे मैं अग्राह्य करता हूँ।

डॉ0 राधामोहन दास जी की अगली सूचना है डॉ0 साहब आपकी सूचना पर वैसे ही ध्यान आकृष्ट करा दें।

*डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे पूर्वांचल के अति महत्वपूर्ण विषय पर कार्य स्थगन रखने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, जब से यह सरकार आयी है बड़े महानगरों की यातायात व्यवस्था सुधारने का लगातार दावा कर रही है। कानपुर, लखनऊ और आगरा यह तीनों ऐसे नगर हैं जिनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के बयानात अखबारों में लगातार आ रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश आज 8 करोड़ नागरिकों का हिस्सा बन चुका है और गोरखपुर उसका एक अत्यन्त महत्वपूर्ण महानगर है। आज स्थिति यह है कि धार्मिक दृष्टि से, अध्यात्मिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से हर तरह से आज गोरखपुर इस पूरे उत्तर प्रदेश का ऐसा अकेला नगर है जहाँ आस-पास के लाखों लोग, गोरखपुर की जनसंख्या 11-12 लाख होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रतिदिन आप स्वयं उस क्षेत्र से आते हैं। अध्यक्ष महोदय, लाखों ऐसे लोग हैं जो गोरखपुर से आवागमन करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन की दृष्टि से भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण केन्द्र बना है क्योंकि लुम्बिनी, कुशीनगर और बनारस के बीचों बीच में है। अध्यक्ष महोदय, जो विषय लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ वह गोरखपुर की यातायात व्यवस्था का है। आज स्थिति यह है कि गोरखपुर में चलना दूभर हो चुका है। अधिकांश सड़कें मान्यवर, नागरिकों से भरी पड़ी हैं।

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसी भी सड़क से गुजरना चाहें तो घंटों-घंटों बाद हमको सड़क पर आना पड़ता है। मोहदीपुर से लेकर देवरिया तक जो पूरा रूट है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री नगर विकास मंत्री भी हैं, मैं इनका ध्यान इस ओर भी ले जाना चाहूँगा। वह पूरी तरह जाम का शिकार है। आपको कभी गोरखपुर में गोलघर जाने का अवसर मिले तो पूरा का पूरा गोलघर हमेशा जाम का शिकार बना रहता है। मकहा नम्बर एक पर स्थिति यह हो गई है कि रेल क्रासिंग के नाते नागरिक न इस पर आ पा रहा है न उस पार जा पा रहा है। आप गोरखपुर में प्रवेश करेंगे नौसढ़ के आगे रुस्तमपुर चौराहा। आज उस चौराहे पर 24 घंटे जाम की स्थिति बनी रहती है। सरकार चूँकि यातायात की व्यवस्था को लेकर इतनी रुचि ले रही है और इन महानगरों की यातायत व्यवस्था को सुधारने की इच्छा जाहिर कर रही है। मैं इस कार्य स्थगन प्रस्ताव को सिर्फ इसलिये लाया हूँ कि सरकार को अपने संज्ञान में पूर्वांचल के इस अत्यन्त महत्वपूर्ण नगर को ध्यान में लेना चाहिये और वहाँ की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए जिन स्थानों का मैंने जिक्र किया है। वो जाँच करवा लें और यदि महसूस होता है कि इन स्थानों की यातायात के समाधान के लिये उपरगामी सेतु या फ्लाई ओवर का निर्माण आवश्यक है और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन की दृष्टि से यह बहुत लाभकारी है तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। सरकार के पास संसाधन की कमी नहीं है। यह प्रश्न मैं विधान सभा में प्रश्नोत्तर काल में ला चुका हूँ। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि गोरखपुर में यातायात की समस्या है और इन चीजों का निर्माण किया जाना चाहिये, लेकिन वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर तय करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

बस हो गया, खत्म करिये।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

बस दो मिनट हो गये। खत्म हो गया। आज मैं यह विषय इसीलिये लेकर आया हूँ कि सरकार इसकी गम्भीरता को स्वीकार करे और यथासम्भव प्रयास करे कि यातायात की समस्या का समाधान हो सके।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, इसमें कई तरह की बाधायें हैं। एक तो इन्क्रोचमेंट बहुत हुआ है। इल्लीगल इन्क्रोचमेंट। एक दुकान 10 फिट गहरी है उसमें 20 फिट तक आगे बढ़ा लिया है अपने आप को। दुकानदारों का यह कहना है। मान्यवर, इन्क्रोचमेंट में होता यह है कि जब हटाने चलते हैं तो व्यापार मण्डल आ जाता है। हटाने चलते हैं तो स्थानीय नेता आ जाते हैं, हटाने चलते हैं तो कोई न कोई बड़ा सिफारिशी आ जाता है। जाहिर है कि इन्क्रोचमेंट हटाने के लिये पहले कोई एक जगह तो तय करनी होगी। उस पहली एक जगह को ही जब इन्क्रोचमेंट से हटाने की कोशिश करते हैं तो दबाव आ जाते हैं। दुकानदारों का कहना यह है कि हमने इन्क्रोचमेंट किया दो फिट, बराबर के दुकानदार ने इन्क्रोचमेंट किया 3 फिट। फिर पहले वाले दुकानदार ने जब अगले दिन दुकान खोली तो 4 फिट इन्क्रोचमेंट किया क्योंकि इसे अपना सामान दिखाना है। तो बड़ी अजीब सी समस्या है। इन्क्रोचमेंट हटाने के लिये, मान्यवर, जहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं तो मान्यवर, अब एक व्यापार मण्डल तो है नहीं। 10-20 व्यापार मण्डल हैं अब इतने मण्डलों में तय नहीं हो पा रहा है। खुद मैं भी परेशान हूँ कि आखिर यह कैसे हो। सदन उठ जाय तो गोरखपुर का एक दौरा लगा लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इन्क्रोचमेंट हट सकता है और किस तरह से यातायात को बेहतर किया जा सकता है। प्राथमिकता में है और कोशिश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया। माननीय मंत्री जी ने कह दिया।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मंत्री जी का कि उन्होंने गोरखपुर जाकर देखने की बात कही है। मूल समस्या इन्क्रोचमेंट हटाने की पूरे प्रदेश की है। आप इसे हटा पायें या न हटा पायें यह अलग बात है। मेरा कहना दूसरा है इस इन्क्रोचमेंट के रहते हुए आपके पास दूसरे रास्ते हैं जिनके माध्यम से आप यातायात की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं आप उनको भी दिमाग में रखिये।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

देखिये, यह फिर वही परेशानी आ गयी। जब इन्क्रोचमेंट हटेगा तो लोग स्थानीय नेता के पास पहुँचेंगे। और वह कहेंगे। अब मिसाल के तौर पर बतायें, अलीगढ़ में, यूनिवर्सिटी कैम्पस से मैंने इन्क्रोचमेंट हटाया, हमारे विधायक हैं वहाँ, हमारी पार्टी के हैं, लोग भागे-भागे उनके पास पहुँचे और वह वहाँ पहुँच गये, हमारे दोस्त हैं और वह इन्क्रोचमेंट नहीं हट सका, क्या करें हम, तो जब हम गोलघर का इन्क्रोचमेंट हटायेंगे तो लोग आपके पास पहुँचेंगे, वह आपकी परेशानी है लेकिन जब तक इन्क्रोचमेंट नहीं हटेगा, सड़कें चौड़ी नहीं होंगी तो यातायात कैसे दुरुस्त हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

गोरखपुर के मीनू बाजार में हम सन् 1960 से देख रहे हैं कि एक गाड़ी नहीं निकाल सकते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

माननीय विधायक जहाँ की बात कर रहे हैं वह तो दिल है गोरखपुर का, और वहीं से सारे रास्ते निकलते हैं अगर वहाँ का इन्क्रोचमेंट हट जाय तो आधे गोरखपुर की समस्या हल हो जायेगी।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

आप इन्क्रोचमेंट हटाइये। हम आपके साथ हैं लेकिन मैं जहाँ की बात कर रहा हूँ वहाँ इन्क्रोचमेंट के नाते कोई समस्या नहीं है। मोहम्मदीपुर से लेकर देवरिया रोड तक इन्क्रोचमेंट की कोई समस्या नहीं है। रुस्तमपुर चौराहे तक इन्क्रोचमेंट की समस्या नहीं है जिस गोलघर की बात मैं कर रहा हूँ वहाँ इन्क्रोचमेंट की प्राब्लम नहीं है। आप जिन क्षेत्रों की बात नहीं कर रहे हैं वहाँ इन्क्रोचमेंट की प्राब्लम है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मैंने गोरखपुर बहुत देखा है।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

आप चलिये हम भी साथ में चलते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

गोरखपुर की बात आप कर रहे हैं। तो यातायात के मामले में आप अगर किसी एक प्वाइन्ट को क्लीयर कर देंगे तो यातायात क्लीयर नहीं हो सकता है। आपके जितने प्वाइन्ट हैं उनको आप जब तक क्लीयर नहीं करेंगे, मसलन अगर एक जगह यातायात बाधित हुआ तो दूसरी जगह जहाँ बाधित

होता है वहाँ खुला हुआ है रास्ता, तो जब तक पूरा रास्ता नॉन इन्क्रोच नहीं होगा उस वक्त तक यातायात नहीं खुलेगा। गोरखपुर के मामले में एक व्यापक नीति की जरूरत होगी वहाँ नगर निगम को भी बिठाने की जरूरत होगी। आप भी बैठिये और हम भी बैठें उसके बाद तय हो पायेगा। यह इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत मशक्कत की जरूरत है और सबसे ज्यादा परेशानी जैसा मैंने आपसे कहा कि एक व्यापार मण्डल हो तो उसे मना लीजिये, दो हों तो उसे मना लीजिये, लेकिन अब तो गिनती ही नहीं है कि कितने व्यापार मण्डल हैं, किस-किस को मनाइये, तो जब तक वह सब नहीं मानेंगे काम चलने वाला नहीं है। एक गली का व्यापार मंडल अलग है, दूसरी गली का व्यापार मंडल अलग है तो वह लोग जब तक वह सब नहीं बैठेंगे, सब नहीं मानेंगे, जहाँ से शुरूआत होती है वहीं बाधा आ जाती है तो अब लाठी तो चलाई नहीं जायेगी वहाँ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने डॉ0 साहब को सुना, संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

अग्राह्य न कीजिये क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं उसमें आपका ही नुकसान है, रहने दीजिये।

श्री संजय कपूर-

मान्यवर, आपने मुझे एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, 1960 के आस-पास उत्तर प्रदेश में और उस समय उत्तरांचल भी साथ था, उस समय काफी बड़ी संख्या में, बंगाली समाज के लोग उत्तर प्रदेश में और उत्तरांचल में आये थे। उन्हें उस समय पाँच-पाँच एकड़ भूमि दी गयी थी तीस साल के लिए। पट्टे पर लीज पर, जब कोई भी भूमि दस साल के लिए कृषि के उपयोग में आती है तो उसे संक्रमणीय भूमि का अधिकार मिल जाता है। लेकिन वह बदकिस्मत लोग बहुत लम्बे समय से संघर्ष कर रहे हैं कि उन्हें भूमिधरी का अधिकार मिल जाय। लेकिन उन्हें आज तक भूमिधरी का अधिकार नहीं मिला है। एक उम्मीद की किरण उनकी उत्तरांचल राज्य से जागी है। अभी 30 मई, 2012 को एक जी0ओ0 उत्तरांचल राज्य ने जारी कर दिया है इसके अन्तर्गत दस साल या उससे अधिक समय से कृषि भूमि का उपयोग विस्थापित करते आये हैं जिन्हें भारत सरकार ने नियमानुसार भूमि आवंटित की थी उन्हें संक्रमणीय भूमिधर मान लिया गया और भूमिधरी के अधिकार दे दिये गये हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार से एक उम्मीद जागी है जहाँ तराई का इलाका है हमारे आजम भाई बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वे लोग बहुत परेशान हैं, बेचारे इन लोगों को 5-5 एकड़ जमीन मिली थी, बहुत बड़ा परिवार है, 50-60 साल यहाँ उनके रहते हुये हो गये हैं। वह न अपनी जमीन बेच सकते हैं, न अपना परिवार चला सकते हैं, वह बहुत परेशानी की स्थिति से गुजर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से उत्तरांचल राज्य में जो एक छोटा सा राज्य है, उसने संक्रमणीय भूमिधरी का अधिकार ऐसे लोगों को दे दिया है तो ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश में भी भूमिधरी का अधिकार मिलना चाहिये और यह नियम के अन्तर्गत आता है। यह जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम संशोधन-1995 है, जो 10 साल से असंक्रमणीय भूमि पर काबिज थे, उन्हें भूमिधरी का अधिकार देने का प्राविधान था, उसी के अनुसार उत्तरांचल राज्य में दिया गया है, लेकिन उसके पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश के लगभग 15-20 गाँव जो तराई के हैं, वहाँ पर उन्हें भूमि अवंटित की गई थी। जब उत्तरांचल राज्य में ऐसे लोगों को यह अधिकार मिल गया है तो हम चाहते है। कि पीलीभीत, बदायूं, लखीमपुर, रामपुर और आस-पास के जितने जिले हैं, उन्हें भी इस तरीके का अधिकार मिल जाय ताकि वे बेचारे जो 50-60 साल से वहाँ अपना जीवनयापन कर रहे हैं। अब वह

वापस भी नहीं जा सकते हैं, जहाँ से वह आये हैं इसलिये उन्हें जो भूमि आवंटित की गयी थी, उसका उन्हें अधिकार मिल जाय। जिससे वह अपना जीवनयापन कर सकें और परिवार का पालन-पोषण कर सकें। मान्यवर, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अविलम्बनीय है, इसलिये मैं चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

सब तो उन्होंने बेंच ली हैं। मान्यवर, चूँकि हम एक ही घर के हैं, ज्यादातर जमीने तराई की जमीनें हैं और बहुत कीमती जमीनें हैं। अपनी जमीनें बेंच कर सड़क के किनारे फुटपाथों पर आ गये हैं, एक समस्या और मान्यवर, दूसरी जहाँ की जमीनों की बात कर रहे हैं, वहाँ अन्टी-बन्टी के नाम जमीनें हैं, कुत्ते-बिल्लियों के नाम हैं। साढ़े बारह एकड़ जमीन की सीमा है लेकिन जिनके फार्म हाउसेज है।, उनके पास ढाई-ढाई सौ एकड़ जमीनें हैं, मान्यवर, विधायक जी सहयोग करें, हजारों एकड़ जमीन निकलेगी, जितने भूमिहीन हैं, सब को जमीने दे दी जायेंगी। आप हिम्मत करिये, हजारों एकड़ जमीन चन्द लोगों के नाम हैं, अन्टी-बन्टी के नाम, कुत्ते-बिल्लियों के नाम, वह निकालें, आप सरकार का सहयोग करें। पूरे जिले के भूमिहीनों को मिल जायेगी, इतनी जमीन है। यह समस्या है, वहाँ। हम उत्तरांचल या उत्तराखण्ड के कानून से उत्तर प्रदेश को नहीं देख सकते। उत्तराखण्ड में तो बहुत सी सहूलियतें हैं जो यहाँ नहीं लागू की जा सकती। मैंने आपसे कहा था कि जिन चन्द लोगों के नाम पूरा विलासपुर है, रुद्रपुर, हल्द्वानी है, आप उत्तराखण्ड चलिये, चन्द लोगों के नाम सारी जमीनें हैं। नहीं हैं ढाई-ढाई सौ एकड़ जमीन एक-एक के पास ? किस कानून से हैं ? अभी यहाँ विरोध शुरू हो जायेगा।

श्री संजय कपूर-

मान्यवर, मैं इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन मंत्री जी सब लोगों की बात कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

हम सब की बात कर रहे हैं और उनकी भी बात कर रहे हैं, उनको भी मिल जायेगी, पूरे जिले के भूमिहीनों को भूमि मिल जायेगी। आप तय करा दीजिये, हम-आप मिल कर तय किये देते हैं, साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा जमीन जिसके पास है, उसका कब्जा सरकार को मिल जायेगा। मगर इसकी शुरूआत में आपका भी घाटा है, हमारा भी घाटा है।

श्री संजय कपूर-

मान्यवर, हम वहाँ पर रहने वाले बंगाली लोगों की बात कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

हम केवल बंगाली ही नहीं, जितने बंगाली, बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ रहते हैं, सबको जमीनें मिल जायेंगी। पूरे जिले के भूमिहीनों को जमीनें मिल जायेंगी लेकिन शर्त यह है कि चन्द लोगों ने अपने नामों से जो जमीनें बना रखी हैं, उनसे जमीनें निकलवायें।

(श्री संजय कपूर पुनः बोलने के लिए खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष-

कपूर जी, आप बैठिये। जरूरी है कि आपकी हर बात मान ली जाय ? मैंने इस सूचना पर संजय कपूर जी को सुना और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, इसे अग्राह्य करता हूँ।

रामहेत भारती जी हैं ? गायब। चलिये शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, जय प्रकाश निषाद, चन्द्रपाल सिंह पटेल, इन्द्रपाल सिंह, राम प्रसाद चौधरी, कोई है, इसमें ?

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होने पर)

आप इस पर बोलेंगे ? जनपद कुशीनगर के थाना कप्तानगंज निवासी श्री बृज नारायण सिंह उर्फ भोला सिंह आदि लोगों के विरुद्ध थाना अहिरौली में मु0आ0सं0-208/2012 के अन्तर्गत फर्जी शिकायत के आधार पर फंसाये जाने के सम्बन्ध में। आप ही बोल दीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इस पर वक्तव्य दिला दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस पर वक्तव्य दिला देते हैं।

श्री रामहेत भारती जी हैं। (माननीय सदस्य के अनुपस्थित रहने पर)। नहीं है। चलिये श्री शमशेर बहादुर सिंह उर्फ शेरू भईया, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री इन्द्रपाल सिंह, श्री राम प्रसाद चौधरी जी की सूचना है। इनमें कोई बोलेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इसमें वक्तव्य दिला दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, एक सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

किसके नाम से आया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इसमें कई नाम है। जिसमें श्री रामवीर उपाध्याय जी, श्री कालीचरण सुमन जी, श्री गेंदा लाल जी हैं, डॉ0 धर्मपाल सिंह जी हैं, श्री गुटियारी लाल जी हैं, श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी हैं। यह वाला प्रकरण ज्यादा महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

देख लेते हैं। अभी इसमें है नहीं। देख लेते हैं। अभी एक-एक पढ़ते हैं। निकलवा रहे हैं। अगर है तो दिखवाते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इसकी एक कापी हम आपके पास भिजवा देते हैं।

*श्री कमाल यूसुफ मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बड़ी पीड़ा के साथ नियम 56 में सह सूचना आपके समक्ष प्रस्तुत की है। अध्यक्ष जी, आपके पैतृक गाँव की रहने वाली एक लड़की का मामला है। जो बार-बार आपके पास दौड़कर जाती थी।

श्री अध्यक्ष-

आप ऐसा करिये। इसको आपने यहाँ इतना उठा दिया। आप हमारे कक्ष में आ जाइये और संसदीय कार्यमंत्री जी भी रहेंगे, बात हो जायेगी।

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

मान्यवर, पूछ लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, कमाल साहब का एक बड़ा गम्भीर मामला है। तो हम बजाये यहाँ कहें हम आप बैठ जायेंगे इनका चैम्बर में सुन लेंगे। बात खत्म हो जायेगी।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, कोई शक नहीं कि बहुत गम्भीर है। और सदन में न आये तो अच्छा है। जहाँ इतना सब्र किया है एक दिन और कर लें। लेकिन मान्यवर, बात तो गम्भीर है न, गम्भीरता से लिया भी जाना चाहिये। आपका जैसा निर्देश होगा सरकार उस पर अमल करेगी। चलें चलते हैं अभी, जब आप उठेंगे, मैं आ जाऊँगा।

श्री अध्यक्ष-

हाँ ठीक है। श्री अम्बिका चौधरी जी आपका बजट कब पेश होगा।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, कल यह बात हुई थी कि कार्यमंत्रणा के बाद बजट पेश करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

डॉ0 धर्मपाल सिंह जी, आपका है। यह फर्जी वोटिंग वाला, आप एक मिनट में अपनी बात कह लीजिये।

डॉ0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, 27 तारीख को आगरा मे निकाय चुनाव चल रहा था। गढ़ी चाँदनी में परिषदीय विद्यालय में वोट डाले जा रहे थे। और सत्तापक्ष के पार्षद के प्रत्याशी ने जब फर्जी वोट डालना शुरू किया तो और दलों के लोगों ने उसका विरोध किया। माननीय अध्यक्ष जी, वहाँ पर मौजूद पुलिस के अधिकारियों ने जो भी अन्य दलों के प्रत्याशी थे उनके एजेंटों पर लाठी चलाकर वहाँ से उन्हें भगाने का काम किया। मा0 अध्यक्ष जी, जब यह सूचना और प्रत्याशियों को लगी तो वह प्रत्याशी वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने अपनी बात वहाँ पर मौजूद अधिकारियों से कहने की कोशिश की उनकी बात भी नहीं सुनी गयी। पुलिस ने उन पर लाठी चलाकर वहाँ से भगा दिया। माननीय अध्यक्ष जी, उसके बाद वहाँ पर आस-पास की जनता इकट्ठा होकर इसका विरोध और नारेबाजी करने लगी तो वहाँ पर उच्च

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकारी काफी फोर्स के साथ आ गये। वहाँ पर उपस्थित गढ़ी चाँदनी की जनता ने अपनी बात कहने का प्रयास किया लेकिन अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी। उन पर लाठी चार्ज कर दिया। उन्हें दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया। महिलाओं, बुजुर्गों को पीटा गया। उसके बाद पुलिस फोर्स ने उस गढ़ी चाँदनी मोहल्ले में घुसकर मकानों के दरवाजे तोड़ने का काम किया। घर से निकाल-निकाल कर लोगों को मारने का काम किया। मान्यवर, हद तो तब हो गई कि वहीं पास में एक मदीना मस्जिद है, उस मस्जिद में अधिकारी जूते पहन कर घुस गये और वहाँ के इमाम साहब को भी गिरा-गिरा कर मारने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी वहीं पर एक मकान के दरवाजे को तोड़कर एक शबाना महिला थी, उसके पन्द्रह दिन पहले एक बच्चा पैदा हुआ था, उसके पति को बुरी तरह से मारने का काम किया और खींच कर जीप में डाल दिया तो शबाना ने उसका विरोध किया तो शबाना को भी पुलिस ने लाठी-डण्डों से मार कर घायल कर दिया और मा0 अध्यक्ष जी हद तो तब हो गई, उसकी गोद में 15 दिन का बच्चा था, नवजात शिशु था, उसके सिर पर भी एक लाठी लगी और बेचारा वह घायल हो गया, आज जिन्दगी और मौत से संघर्ष कर रहा है। मा0 अध्यक्ष जी यह घटना बहुत ही गम्भीर है, पुलिस द्वारा लाठी दण्डे मार कर न तो वहाँ के गरीब बुजुर्गों को छोड़ा गया, न तो माताओं-बहनों को बख्सा गया, छोटे-छोटे बच्चों पर भी लाठी चार्ज किया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच करा कर दोषी अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय यह बहुत ही अविलम्बनीय लोकमहत्व का विषय है, मेरी आपसे मांग है कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कर ली जाय, धन्यवाद।

*श्री गुटियारी लाल दुवेश-

माननीय अधिष्ठाता जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा विषय है, मान्यवर, मैं आगरा कैण्ट से चुन कर आता हूँ जहाँ पर ताजमहल है, वहाँ पर बड़ी निन्दनीय घटना 27 तारीख को उत्पन्न हुई, जब मैं क्षेत्र में मौजूद था। वहाँ पर पप्पू उस्मानी नाम का एक व्यक्ति जो नीला झण्डा लेकर चुनाव लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ चन्द्र सेन टकलू जो चुनाव मेरे सामने लड़ा था और मैंने उसे पराजित किया था, उसने जबरदस्ती ताजगंज थाने के इन्स्पेक्टर को कह कर उसे छः घण्टे थाने में बिठाकर यातनायें दी गयीं। दूसरी घटना यहीं नसरूउस्मानी नाम का व्यक्ति, वहीं तेजीपाडा से लड़ रहा था वहाँ पर एक मुनीर नाम का व्यक्ति भी लड़ रहा था तो नसरू उस्मानी जो नीला झण्डा लेकर घूम रहा था उसी परिप्रेक्ष्य में थानेदार को बुलाया, पुलिस को बुलाया उसको भी कम से कम पाँच घण्टे थाने में बिठाने का काम किया। जब मैंने इन्स्पेक्टर से बात की तो इन्स्पेक्टर ने मुझे सीधे मुँह जवाब नहीं दिया उन्होंने मुझसे उल्टी बात कही।

(इस समय 1 बजकर 53 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अनुग्रह नारायण सिंह पीठासीन हुए।)

मान्यवर, तीसरी घटना एक मीना देवी वार्ड-38 से लड़ रही थी वह अनुसूचित जाति की महिला थी, वहाँ पर एक राम सहाय यादव ने ताण्डव मचा रखा है और वह ताण्डव आपने देखा होगा, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, उन्होंने मा0 मुख्य मंत्री जी जब शपथ ले रहे थे तो शायद आगरा के वही राम सहाय यादव हैं जिन्होंने मंच पर ताण्डव करने का काम किया। मान्यवर, वही एक चौथी घटना सिकन्दरा थाने की है, वहाँ पर प्रताप गुर्जर की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, तो प्रताप गुर्जर को छः घण्टे सिकन्दरा थाने में बिठा कर वहां पर उनकी पिटाई की गई, उनका हाथ तोड़ दिया गया।

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, पांचवीं घटना, यहीं ताजगंज के ताजमहल के पास की है, यह सारी घटनायें वह बता रहा हूँ जहाँ पर ताजमहल के पास की है, यह सारी घटनायें वह बता रहा हूँ जहाँ पर ताजमहल है और ताजमहल के चार किमी0 की एरिया के अन्तर्गत आती है। मान्यवर, पांचवीं घटना, एक दिनेश राठौर वहां पर चुनाव लड़ रहा था, वहां पर लाठी-डण्डे चले, पुलिस ने उनको जीप में बैठा लिया, तो वह जीप में से कूद कर भागे, अपने घरों में घुस कर उन्होंने अपनी जान बचाई। मान्यवर, वहां के इन्स्पेक्टर ताजगंज श्री तेजवीर सिंह का अगर यही रवैया रहा तो वहां पर कुछ अप्रिय घटनायें घट सकती हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि वह इन्स्पेटर, ताजगंज थाने में नहीं रहना चाहिये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं चाहूँगा ऐसे लापरवाह इन्स्पेक्टर ताजगंज क्षेत्र में रहें जहां पर ताजमहल है तो मान्यवर, वहां पर कोई न कोई घटना जरूर होती रहेगी। मान्यवर, आगरा के अन्दर एक राम सहाय यादव, एक चन्द्र सेन टकलू यह दोनों कुछ न कुछ घटना कराने के मूड में हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि इस पर चर्चा जरूर की जाय, धन्यवाद।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कुछ ज्यादा खींच ली डोर मा0 सदस्य ने।

श्री गुटियारी लाल दुवेश-

मान्यवर, मैंने सही घटना बताई है, आप चाहें तो इसकी जाँच करा लें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

तो क्यों आपने इतना घपला कराया। हर जगह आपके लोग पहुँचे हुए थे। मान्यवर, मा0 सदस्य ने बिल्कुल उत्पात मचा कर रख दिया था और हर जगह बूथ कैपचरिंग कराई थी आपने, तब पुलिस कैसे नहीं रोकेगी। अब जब नीला झण्डा लेकर नीली सरकार लाओगे तो कैसे चलेगा मान्यवर, हर जगह नीला झण्डा, हर बूथ पर कैप्चरिंग, कैसे चलेगा। नहीं मान्यवर बहुत अव्यवस्था फैलाई थी आपने। अब हम नहीं कहना चाहते ज्यादा, रिपोर्ट कहिये तो पढ़ कर सुना दें, रिपोर्ट पढ़ कर सुना दें। सब आपके कार्यकर्ता थे, सबके पास नीले झण्डे थे, बूथ कैप्चर करे थे आपने कई जगह पुलिस जितना संयम बरत सकती थी उसने बरता है और कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ जो अप्रिय हो। ये सब आपके कार्यकर्ता थे जो नीला झण्डा लेकर उत्पात मचाते फिर रहे थे। कभी एक बूथ पर जा रहे थे, कभी दूसरे बूथ पर, कभी तीसरे बूथ पर, सारे नीले झण्डे की पहचान के साथ थे। मान्यवर, अब इतनी अराजकता तो नहीं सही जा सकती। कुछ भी नहीं हुआ, बस भगा दिया कि भई चलो अब यहां बूथ कैप्चर नहीं, अब अगली जगह देखो जाकर, इससे ज्यादा कुछ नहीं।

श्री गुटियारी लाल दुवेश-

मान्यवर, सात-सात घण्टे थाने पर बैठाला गया, आप जाँच करा लीजिये।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

बैठाला इसलिये कि जायेंगे तो कहीं कोई शारीरिक नुकसान न हो जाये। वहाँ आराम से बैठे थे, चाय बिस्किट खिलायी थाने वालों ने। अब बताइये, शाम तक आराम से बैठाये रखा, ये बुरी बात है क्या। उनका कहना था कि अपना वोट डाल दिया, अब घर जाओ। अब दूसरी जगह अराजकता फैलाने जा रहे थे नीले झण्डे लेकर तो बुरी बात तो है न। आपने खुद ही कहा कि यहां भी नीला झण्डा था और वहां भी नीला झण्डा था, हर जगह तो आपका नीला झण्डा था।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना गया, मा0 सदस्य को सुना गया।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

हम भी यही कह रहे हैं क्योंकि झण्डा एलाऊ नहीं होता है, जहां झण्डा लिये थे। आप अराजकता के तो आदी हो गये हैं। हर जगह नीला झण्डा, हर जगह नीला रंग, हमारे गांधी जी को नीला रंग कर दिया। मान्यवर, इन्होंने बापू की प्रतिमा को नीला कर दिया। अब इससे ज्यादा क्या होगा। मान्यवर, सब जगह नीला झण्डा लेकर बूथ के अन्दर जायेंगे तो फिर बैठाना तो पड़ेगा न। सब बूथ मे गये थे और देखिये हर बात को इतना सीरियसली न लिया कीजिये। अब यह हल्की बात है, मान्यवर, दिखवा लेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, मा0 सदस्य को सुना।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी इतने गम्भीर प्रकरण को जैसा कि अभी एतमादुद्दौला, गढ़ी चाँदनी, आगरा के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में जिस तरीके से 27 तारीख को मतदान के दिन नंगा नाच हुआ, उसको मुस्करा करके टाल देने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस बात को जाहिर करता है कि जो कुछ भी हुआ है, वह सरकार के निर्देश पर हुआ है और इस तरीके से बर्बर अत्याचार, जुल्म-ज्यादती, अत्याचार के माध्यम से सीटों को हथियाने का जो घिनौना खेल खेला जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी इसका विरोध करती है मान्यवर और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के इस उदासीनतापूर्ण रवैये पर, जिस तरीके से मुस्कुरा कर जो जवाब दिया है, उत्तर नहीं दिया, उसको टालने की कोशिश की है। मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है, इस जुल्म, ज्यादती, अत्याचार के खिलाफ।

(नेता विरोधी दल अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री अधिष्ठाता-

मैंने मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, मा0 नेता विरोधी दल को सुना। ये सूचनायें अस्वीकृत हो गयीं थीं इसलिये इसको अग्राह्य करते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

अब इन सबको भोजन करने जाना है, अब ये भोजन करने जा रहे हैं। ये लोग हर जगह नीला झण्डा लेकर बूथों में घुसे, हर जगह बूथ कैप्चरिंग की, उत्पात मचा कर दिया इन्होंने। इन्हें हम चाय पिलाने के लिये थाने ले गये, अब यहां कहां ले जायें बताइये। अब ये स्वयं खाना खाने गये हैं।

श्री अधिष्ठाता-

कैण्टीन में गये हैं।

*श्री धर्मपाल सिंह-

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय की ग्राह्यता के सम्बन्ध में अवसर दिया। मान्यवर, 26-6-12 की घटना है, 5 बजे शाम की। हमने शाम को प्रभारी निरीक्षक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऑवला को सूचना दी कि ग्राम मनौना में जाकिर हुसैन नाम के आदमी के घर में 8 बैल बंधे हैं और ये आठों बैल काट दिये जायेंगे इसलिये आप जाकर उन्हें बचाने का काम करिये। प्रभारी निरीक्षक आंवला सूचना देने के बाद भी उस गांव में, उन बैलों को बचाने के लिये नहीं पहुँचे और रात को वो बैल काट दिये गये। मा0 अधिष्ठाता जी, इतना ही नहीं प्रभारी निरीक्षक आंवला के माध्यम से कई बार सूचना देने के बाद भी ये कार्यवाही नहीं की जाती और गोवंश को कटने से रोकने का कोई भी काम नहीं किया गया। 14-6-12 को स्थानीय लोगों ने पकड़ कर 10 बैल दिये और उन्हें थाने ले जाने का काम किया। फिर प्रभारी निरीक्षक आंवला ने जिन लोगों ने बैल पकड़े, उनको प्रताड़ित करने का काम किया और कहा कि इनके पास क्या सुबूत है कि ये बैल काटेंगे और तुम ये कैसे प्रमाणित करोगे कि ये बैल काटेंगे। परन्तु इतने प्रयासों के बाद भी उनको 151 में बन्द कर दिया। उन कसाइयों को बैल सुपुर्द कर दिये गये। मान्यवर, इस तरह से आंवला विधान सभा में प्रभारी निरीक्षक आंवला के द्वारा लूट, डकैती, कट्टीखाने, सट्टे की वारदात इत्यादि काम निरन्तर उसके संरक्षण में बढ़ रहे हैं और ये जो प्रभारी निरीक्षक हैं, ये एस0आई0 हैं, इन्स्पेक्टर नहीं हैं इनको प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। इसलिये मा0 अधिष्ठाता जी, हम चाहते हैं कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के द्वारा कि वहां कोई प्रभारी निरीक्षक तैनात कर दिया जाये ताकि इन व्यवस्थाओं पर ठीक से काबू पा सकें। गोवंश का संरक्षण हो सके, अगर यही स्थिति रही तो आगे आने वाले समय में गोवंश यदि ऐसे ही कटता रहा। मान्यवर, अभी ट्रकों पर भर के जा रही हैं, ट्रकों से जा रहे हैं, इसको रोकने का काम किया जाये। अगर गोवंश को कटने से नहीं रोका गया तो खेती पर संकट उत्पन्न हो जायेगा। मा0 अधिष्ठाता जी, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

श्री पारसनाथ यादव-

मा0 अधिष्ठाता जी, जो कुछ भी इन्होंने कहा कि इसको दिखवा लिया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

श्री अगयश राम सरन वर्मा, आपकी सूचना अस्वीकृत हो चुकी है। आप केवल ग्राह्यता पर 2 मिनट बोल लें।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

मा0 अधिष्ठाता जी, जनपद पीलीभीत में विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत थाना बीसलपुर, बरखेड़ा विलसंडा और दियोरिया कला परिक्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक श्री तौकीर हुसैन हैं। दिनांक 25 जून, 2012 को हमारे बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र के पूर्व राज्य मंत्री उ0प्र0 शासन श्री अनीस अहमद रहे हैं उन्होंने एक दलित वर्ग के व्यक्ति हरीश सिंह को पकड़ कर अपने कमरे में बन्द किया और उसकी पिटाई लगाई। मान्यवर, यह घटना दिनांक 25 जून, 2012 की है, उसने 25 जून, 2012 को ही तहरीर दे दी लेकिन बीसलपुर के थाना प्रभारी ने उसका मुकदमा उन पुलिस उपाधीक्षक श्री तौकीर हुसैन के प्रभाव में पंजीकृत नहीं किया और उस दलित वर्ग के व्यक्ति हरीश सिंह ने जब धरना प्रदर्शन किया तो उसका मुकदमा दिनांक 27 जून, 2012 को लिखा गया लेकिन जो तहरीर थी, उस तहरीर के अनुरूप धाराओं का उल्लेख उस अभियोग के अन्तर्गत नहीं किया गया। मान्यवर, इसी तरीके से एक घटना हमारे बिलसंडा थाने के अन्तर्गत हुई गांव भैनपुरा के पास कुछ गायें कटने के लिये जा रही थीं,

(इस समय 2 बजकर 04 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, उनको वहाँ के गांव वालों ने रोक दिया। मान्यवर, जो कसाई व उनके सहयोगी थे वह पुलिस प्रेरणा से झगड़ा करके और गायें छीन कर वापस चले गये, मान्यवर, हमारे क्षेत्र में गांव विलासपुर के दलित उत्पीड़न का मुकदमा 15-20 दिन पहले अभियोग सं0 584/12 थाना बिलसंडा लिखा गया है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मान्यवर, इसको लेकर बीसलपुर क्षेत्र के लोग आक्रोशित हैं। मान्यवर, उन्होंने सांकेतिक अनशन भी किया है और 2 तारीख से फिर अनशन करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस प्रकरण पर सारे सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाये।

श्री पारस नाथ यादव-

मान्यवर, जो घटनाओं का विवरण दिया गया है उसको दिखवा लिया जायेगा और कार्यवाही करायी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर मा0 सदस्य और मा0 मंत्री जी को सुना मैं इसे अग्रहाय करता हूँ।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी-विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं मद संख्या 13 लेता हूँ। मा0 राजस्व मंत्री जी अपना बजट प्रस्तुत करें।

* राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50 राजस्व विभाग जिला प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि के पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,83,46,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय। मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 51 राजस्व विभाग दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि के पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,05,00,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय। मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52 राजस्व विभाग राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि के पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,25,78,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मा0 अध्यक्ष जी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे आज राजस्व विभाग का बजट प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। मान्यवर, यह एक ऐसे दौर में हमारी पार्टी को सरकार बनाने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है जब सारी निगाहें देश की उत्तर प्रदेश की ओर लगी हैं। मान्यवर, आज से लगभग 3 साल 5 महीने पूर्व हमारी पार्टी की सरकार यहाँ पर पदारूढ़ हुई है और उसका नेतृत्व एक ऐसे नौजवान के हाथ में आया है जिसके प्रति प्रदेश के जनता अपनी उम्मीदों और अपने सपनों को पूरा होते हुए देखने का काम कर रही है। मान्यवर, आज उनके सफल नेतृत्व में यह प्रदेश सरकार इस प्रदेश की तरक्की के माध्यम से इस देश को एक नयी दिशा देने का काम कर रही है।

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, राजस्व विभाग इस सरकार का ही नहीं बल्कि जब से सरकारों की परिकल्पना स्वीकार हुई है और इतिहास में जितना हम पीछे तक जाते हैं उसके अन्तर्गत प्राचीनतम् विभागों में से यह एक महत्वपूर्ण विभाग है। मान्यवर, अलग-अलग समयों पर अलग-अलग इसका स्वरूप रहा है। कभी मुख्य रूप से जब जमीन और उससे जुड़ी खेती तथा पशु पालन आदि लोगों के आर्थिक स्रोत हुआ करते थे उस जमाने से ले करके आज तक बहुत सारे दौर इस विभाग ने देखें हैं। मान्यवर, सरकार की छवि आज की तारीख में भी बनती बिगड़ती है राजस्व विभाग के लोगों के क्रियाकलापों से, चूँकि जनता का प्रत्येक तबका प्रभावित है तहसीलों में, कलेक्ट्रेट में, कमिश्नरी में और जहां-जहां मान्यवर, राजस्व के सिर्फ वाद नहीं देखे जाते हैं बल्कि सारा प्रबन्धन देखा जाता है वहां जनता से उसका सीधा संवाद है। गांव में प्रत्येक गांव में राज्य सरकार का सबसे छोटा कर्मचारी भी अगर स्थाई रूप से सरकार के प्रतीक के रूप में मौजूद है लेखपाल तो वहां उसके क्रियाकलापों से भी लोग सरकार का आंकलन करने लगते हैं वहां एक ऐसा रिवाज पिछले दिनों में हुआ है जिस रिवाज को हम सुधारने की कोशिश में लगे हैं और इस क्रम में मान्यवर, अगर हम थोड़ा पीछे जा करके बहुत संक्षेप में उल्लेख करना चाहूँ कि प्राचीनकाल में जब भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम था तब से ले करके आज तक सदैव आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन होते रहे हैं और मध्ययुगीन समय में आज की जो राजस्व विभाग की व्यवस्था है तहसीलों का मुख्य रूप से जो आधार बिन्दु है श्रीमन्, वह अवधारणा कोई नई अवधारणा नहीं है। इस हिन्दोस्तान में 1947 के 15 अगस्त में आजाद होने से पहले जितने दिन अंग्रेजों का शासन रहा है और उसके पहले सम्राट बादशाह अकबर के जमाने में जो व्यवस्था थी उन सारी व्यवस्थाओं में लगभग थोड़े अन्तर के साथ यह व्यवस्था एक तरह की चलती आई है। आज हम नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं इसलिये हम इतिहास में दूर तक नहीं जाना चाहेंगे कि कैसे इसका विकास हुआ कैसे वह चीजें बदली, कैसे नहीं बदली। लेकिन जरूर आपके माध्यम से इस सदन में उद्धृत करना चाहूँगा कि एक दौर ऐसा था जब जनता के सर्वाधिक शोषण का औजार यही राजस्व विभाग की व्यवस्थायें हुआ करती थीं क्योंकि जमींदार हम आम तौर पर जमींदारी व्यवस्था तक अपने को रोकते हैं। लेकिन जमींदारी व्यवस्था के अलावा जब-जब दूसरी व्यवस्थायें लागू हुई पंजाब में दूसरी व्यवस्था, बंगाल में दूसरी व्यवस्था, जब-जब यह दूसरी व्यवस्था, ठेके पर इजारेदारी की व्यवस्था, महानवाड़ी की व्यवस्था, यह व्यवस्थायें जितनी रही उन व्यवस्थाओं में किसानों का जितना शोषण किया गया जो उस भूमि पर किसानी करता था उसका सर्वाधिक शोषण करने का काम किया गया उससे आम तौर पर इस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की छवि एक शोषक के रूप में बनी रही और एक आक्रोश स्वाभाविक रूप से इनके खिलाफ था। आजादी के बाद उस स्वरूप में बड़ा परिवर्तन आया और मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि जमींदारी उन्मूलन का जो सपना देखा था आजादी की लड़ाई लड़ने वाले दीवानों ने स्वतंत्रता संग्राम में, जब स्वराज की बात आती थी तो उसमें बहुत सारे परिवर्तनों के साथ-साथ यह बात प्रमुखता से आती थी कि इस जमींदारी राज का पूरी तरह से खात्मा होगा। स्वतंत्रता संघर्ष की जितनी लड़ाई चली उसमें तमाम जगहों पर तमाम जमींदारों से लड़ाइयां हुई। क्योंकि वह अंग्रेजों के दलाल के अलावा और कुछ भी नहीं थे। तत्कालीन जो शासन व्यवस्था थी उसमें जो ठेकेदार थे वह जमींदार उनके दलाल हुआ करते थे जो सरकार के इशारे पर किसानों का शोषण करते थे और शोषण करके लूट करके जो राशि इकट्ठा करते थे उसमें से अपनी कमीशन की राशि लेकर बाकी से फिरंगियों का खजाना भरने का काम करते थे। इसलिए यह बड़ा हिस्सा था। स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलन का। मान्यवर, इसमें सिर्फ जनाक्रोश के कारण नहीं एक नई व्यवस्था लाने की बात आती

थी तो जमींदारी उन्मूलन की बात स्वतंत्रता आन्दोलन की एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। आपने श्रीमन् अपनी बाल्यावस्था में उस पीड़ा को भी देखा है और उस आन्दोलन के मर्म को भी समझा है और मुझे खुशी है आज कि इस पीठ पर हमारे संरक्षक के रूप में जब आप बैठे हैं तो शुरूआती दौर में जब देश आजाद हुआ था उसके तत्काल बाद जमींदारों के आतंक से किसानों को मुक्त कराने की अनेक लड़ाइयों में आप शामिल रहे हैं और सीलिंग से निकली हुई और दूसरी जो जमींने हैं, उनके आवंटन में भी आपने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है, मान्यवर, उस दौरान आपने मुकदमें झेले हैं। एक ऐसा व्यक्ति मेरे सम्मुख हो तो मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि उत्तर प्रदेश ने पूरे देश को राह दिखाने का काम किया। आज की तारीख में गर्व के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि जितने प्रभावी ढंग से जमींदारी का उन्मूलन उत्तर प्रदेश में हुआ, उतने प्रभावी ढंग से जमींदारी उन्मूलन का काम देश के अन्य हिस्सों में नहीं हुआ।

आज भी 3 हजार एकड़ भूमि किसी एक काश्तकार के पास बिहार में है। आप चलें लोग बताते हैं कि साहब फलाँ बाबू के पास 3 हजार तथा फलाँ बाबू के पास 4 हजार एकड़, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितनी मजबूती से जमींदारी उन्मूलन का कार्य हुआ, उतनी मजबूती से उतने अच्छे ढंग से जमींदारी उन्मूलन का कार्य हमारे प्रदेश के अलावा दूसरी जगहों पर नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश में मैं गया था, वहाँ पर डोरा जमींदार हैं, उनके चंगुल से किसान आज तक नहीं निकल सका है। निजाम का जो हैदराबाद था, तीन हिस्सों में जो बना रहा, रायल सीमा, तेलंगाना और निजाम रूट हैदराबाद। मान्यवर, निजाम के शासन में जो हैदराबाद था, वहाँ आज तक किसानों को ठीक ढंग से उनके अधिकार नहीं मिले हैं। आजादी के इतने दिन बीत जाने के बाद भी नहीं मिले हैं और वह लड़ाईयाँ लड़ रहे हैं। यहाँ मान्यवर, मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी ने यह बात बार-बार कही कि यह नक्सलवादी आन्दोलन, अपने ही देश में अपने ही लोगों के खिलाफ पनपने वाला यह आन्दोलन उन स्थितियों में ज्यादा पनपता है, जहाँ आप दूसरे के अधिकारों को, और विशेष तौर पर उसके भौमिक अधिकारों को, भूमि पर काम करने के उसके अधिकारों को जब आप छीनने का काम करते हैं, तो उससे जो आक्रोश पनपता है वह आक्रोश कहीं-न-कहीं दूसरी जगह नक्सलवाद में परिवर्तित होता है और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, चूँकि इस काम का उत्तर प्रदेश ने सही ढंग से किया है। इसलिए नक्सलवाद की समस्या हमारे प्रदेश में प्रवेश तो जरूर की, लेकिन पनप नहीं पायी, इसमें इसका बड़ा भारी योगदान रहा। श्रीमन्, जो थोड़ी सी व्यवस्था हम लोगों ने की है, उसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा, लेकिन मैं उससे पहले इस सदन में इस बात का जरूर उल्लेख करना चाहता हूँ कि 2006 से 36 साल पहले से 05 सरकारों से 6 सरकारों के आने-जाने में अनेक बार इस बात का प्रयास हुआ कि जमींदारी उन्मूलन से जुड़ा हुआ जो हमारा कानून है और उससे जुड़े हुए जो एल0आर0 है, इन सब में इतने संशोधन हो चुके हैं और इतने पैबंद उसमें लग गये हैं कि मूल अधिनियम कहाँ है और संशोधन कहाँ है और आज की तारीख में कौन-सा कानून प्रभावी है यह पता ही नहीं चलता है। दूसरी कठिनाई यह है कि एक मुकदमा 15 साल, 20 साल तक चलता है तहसीलदार की अदालत में और उसका अन्तिम तौर पर फैसला हो जाता है तो फिर वह रेगुलर सूट की तरह से एस0डी0एम0 साहब के यहाँ 229(बी) में दाखिल हो जाता है, तो फिर से नये सिरे से लड़िये। इन तमाम कठिनाइयों को समाप्त करने की दृष्टि से अनेक वरिष्ठ नेताओं ने इस सदन में इस बात के लिए प्रयास किया। किन्तु पिछली बार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तथा मा0 मुलायम सिंह यादव जी, हमारे मा0 मुख्यमंत्री थे, श्रीमन् आपका श्रेय भी विशेष रूप से मुझे प्राप्त हुआ और

इस सदन के तमाम लोगों का, आज मा0 नेता प्रतिपक्ष सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने भी चर्चा में भाग लिया था और मा0 हुकुम सिंह जी ने बहुत सकारात्मक योगदान किया, लेकिन एक रेवेन्यू कोड बिल जो हम पिछली बार लेकर आये और उसमें सर्वाधिक जोर इस बात का था कि जो राजस्व से जुड़े हुए तमाम कानून हैं जो कई तरह का व्यतिक्रम उत्पन्न करते हैं। अभी यह नियम अभी वह नियम, इस सरकार ने इस प्रकार के 39 अधिनियमों को समाप्त करके, जिसमें से 32 उत्तर प्रदेश में प्रभावी थे और मान्यवर, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल की भूमि का बंटवारा हो जाने के बाद 7 उत्तरांचल की भूमि से सम्बन्धित थे। इन 39 अधिनियमों को समाप्त करके एक रेवेन्यू कोड बिल को हमने अपने इस सदन में पारित किया और उच्च सदन में भी पारित किया।

मैं आभारी हूँ कि विपक्ष ने मेरे अनुरोध पर जितनी सक्रिय भागीदारी इसमें की, कुछ बिन्दु आये आलोचना के भी उसके बाद भी मान्यवर, इस बात को स्वीकार किया कि मान्यवर, सचमुच यह एक ऐसा अधिनियम है, जिस अधिनियम के आने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा और उसके बनाने में मान्यवर, दलीय बाधाओं से अलग जाकर के मुझे इस बात का स्मरण है कि आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि सरकार कोई विधेयक ले आना चाहे और उसमें सर्वदलीय तौर पर बैठक पहले करे, लेकिन मैंने प्रयास किया था और उस प्रयास में मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी के भी तत्कालीन नेता, जो आज सदन में नहीं हैं, माननीय जगदीश नारायण राय जी, माननीय हुकुम सिंह जी मौजूद हैं और अन्य दलों के नेतागण ने उसको बनाने में सक्रिय भागीदारी की थी और हम उसको ले आये, हमने पारित करके भेजा लेकिन हमको दुःख इस बात का है कि इतना महत्वाकांक्षी कानून, जिस पर पूरे सदन की दलीय भेदभाव से ऊपर जाकर एक राय थी कि हमको यह कानून पारित करना चाहिये और हमने दोनों सदनों में पारित भी किया, मैं कोई आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन उल्लेख करना चाहता हूँ, मात्र तकनीकी कारणों से महामहिम राष्ट्रपति जी की सम्मति के लिये अगर वह भेजा गया और 5 वर्षों की पिछली सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति के एक पत्र का औपचारिक उत्तर तक प्रेषित नही किया। महामहिम राष्ट्रपति के कार्यालय से एक पत्र प्राप्त हुआ, इन्होंने उसका एक्नालेजमेंट तक नहीं भेजा। वहाँ से मांगा क्या गया था, मांगा यह गया था कि आपने जो प्रेषित किया है, इसमें कारण और उद्देश्य नहीं लिखे हैं। मात्र इतना भेज दीजिये, लेकिन उसको भी भेजने का काम इन 5 सालों में नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, क्या मंशा थी, अगर हम फिर उसमें जायं तो नेता प्रतिपक्ष को भी आपत्ति होगी कि आप बार-बार दर्द की उस दुखती जगह पर उंगली क्यों रखते हैं, अब मैं क्या बताऊँ कि हम जहाँ उँगली रखते हैं, वहाँ आपको दर्द क्यों होता है। लेकिन जब दोनों सदनों ने इसको पारित किया और कमोवेश सबकी सहमति थी तो 5 वर्षों तक लगातार इसको लटकाये रखकर आपने इसमें बहुत अच्छा कृत्य नहीं किया। हमने प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति की सहमति हमको अतिशीघ्र प्राप्त हो जायेगी और हम इस अधिनियम को जल्दी से जल्दी लागू करके उन तमाम कठिनाइयों को दूर करने में समर्थ हो सकेंगे, जिसके लिये रेवेन्यू कोड बिल लाया गया था और यह अकेले हमारा प्रयास नहीं था, पिछली तमाम सरकारों ने 30-32 सालों में.....

श्री अध्यक्ष-

1977 से शुरू हुआ था।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन् 77 से शुरू हुआ था, मान लिया इनको 77 वालों से परेशानी थी क्योंकि 75 से 77 तक जो लोग जेल गये थे, उन लोकतंत्र सेनानियों को जो पेंशन देने का काम किया था, उसको भी

इन्होंने बन्द कर दिया था, इसलिये जो 77 में आया था, उससे बड़ी इनको पीड़ा थी, अब कारण मेरी समझ में आ गया। मैं नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल तक महामहिम राष्ट्रपति के पत्र का उत्तर तक क्यों नहीं दिया। मान्यवर, यह पता चल गया क्योंकि यह 77 में आया था और 77 में देश की जो दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ी गयी, उसको यह मुनासिब नहीं मानते। इसलिये मान्यवर, मुझे लगता है कि इन्होंने शायद इसका विरोध किया हो।

श्रीमन् उन राजस्व के कानूनों का सरलीकरण होना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि यह उन लोगों से सम्बन्धित है जिनको तकनीकी पेचीदगियों में फंसाना बहुत आसान है और तकनीकी पेचीदगियों में फँसाने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या है, वह मुकदमें जो लम्बे अरसे से लम्बित पड़े हुए हैं, जिनका निष्पादन बहुत जल्दी हो जाना चाहिये था, उनका निष्पादन नहीं हो सका। हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि रेवेन्यू कोड बिल के लागू होते ही बहुत सारी इन समस्याओं का हल अपने आप निकल जायेगा। श्रीमन् अकेले रेवेन्यू कोड बिल लागू करके ही नहीं, बल्कि हम पूरी तरह से इस व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं। जो इसकी आधारभूत इकाई है, जहाँ से यह शुरू होता है, उसमें लेखपाल के बहुत पद रिक्त हैं। लगभग 4000 के आस-पास रिक्त हैं और जब इतने रिक्त हैं तो काम कैसे चलेगा। मान्यवर, थोड़ा ऊपर आते हैं तो जो इन्ट्री प्वांइट है नायब तहसीलदारों का.....

श्री अध्यक्ष-

कानूनगो भी नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

जब आधार ही नहीं है तो उसके आगे कहाँ से आयेगा। इतने पद वहाँ रिक्त पड़े हैं और कानूनगो के पद अलग से रिक्त पड़े हैं और नायब तहसीलदार का जो इंट्री प्वाइंट है, उस पर भी तमाम पद रिक्त पड़े हैं कि आज की तिथि में मान्यवर, जितनी तहसीलें हैं उसमें हर तहसील को एक नायब तहसीलदार दे पाने की स्थिति में आज राजस्व विभाग नहीं है, उनकी संख्या इतनी कम है। तो इन कर्मियों के रहते हुये हम अच्छी तरह से यह समझ सकते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार की दिलचस्पी क्या थी और कैसे उनके कष्टों का वह निवारण करना चाहते थे। जब पूरा ढांचा ही गायब था तो उसको कैसे कर सकते थे। इसलिये इस सरकार ने फैसला किया है कि जल्दी से जल्दी हम लोग जितने रिक्त पद हैं, तुरन्त उन पर भर्तियाँ करेंगे और जो पद प्रमोशन से भरे जाने हैं, उनको अतिशीघ्र विधान सभा का सत्र समाप्त होते ही और आचारसंहिता की जो रोक लगी हुई है, नगरीय चुनाव के चलते, उनके समाप्त होते ही तत्काल बाद जितने प्रोन्नतियों से भरे जाने वाले स्थान हैं, उनको प्रोन्नतियों से भरने का काम करेंगे और जहाँ इंट्री प्वाइंट है, जहाँ से लेखपाल, नायब तहसीलदार की भर्ती होनी है, उस बिन्दु पर उनका अधियाचन हमने आयोग को भेज दिया है और सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि जल्दी से जल्दी वह अधिकारी हमको उस स्तर पर प्राप्त हो जाय और नीचे हमको लेखपाल प्राप्त हो जायें। साथी ही प्रमोशन से जो कानूनगो के पद भरे जाने हैं, वह भर दिये जायें। हम एक और विचार बहुत सक्रियता से कर रहे हैं कि जितने लेखपालों की संख्या पर कानूनगो होना चाहिये उससे ज्यादा की संख्या और उनके पर्यवेक्षण का काम ठीक से नहीं होता लेकिन अभी वह हमारे विचारार्थ है, इसलिये हम आपके सामने अभी उसकी कोई सुनिश्चित तस्वीर नहीं रख रहे हैं। लेकिन हम उसको बदलना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी संख्या ठीक से बढ़े।

पहले से मान्यवर, वह बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार आने पहले 14 वर्षों से खतौनी के कम्प्यूटरीकरण का कार्य चल रहा था, मुझे सदन में इस बात को कहते हुए खुशी है कि हमने इस काम को संकल्प के रूप में लिया, इस पर लोगों ने कहा कि 14 साल से चल रहा है, 14 साल अभी और चलेगा, लेकिन मैंने अपने लिये एक साल का लक्ष्य तय किया और मात्र 10 महीने के अन्दर उत्तर प्रदेश की सारी खतौनियों का कम्प्यूटरीकरण हो गया और पूरी तरह से वह पारदर्शी बना दी गयी। अब वह लेखपाल साहब के बस्ते में खतौनी बन्द नहीं है। हम उसको नेट पर ले आये और अब देश में, विदेश में कहीं भी बैठा हुआ कोई काश्तकार अपने भौमिक अधिकारों को देखने के लिये, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, एक क्लिक बटन दबाकर के वह अपनी स्थिति को जान सकता है। श्रीमन् यह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, हम इस कार्य को पूर्ण तब मानेंगे, जब खतौनी के साथ हमारा जो दूसरा अभिलेख है, खसरा, जो कब्जे के बारे में होता है, वह भी कम्प्यूटरीकृत हो जाये। इसकी प्रक्रिया में हम हैं और उसके आगे एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना हमारी है कि यह नक्शों का जब तक डिजीटाइजेशन नहीं होता, तब तक यह कठिनाई बहुत बड़ी रहती है, आमतौर पर यह शिकायत मिलती है कि उन नक्शों के आधार पर जब पैमाइश होती है तो यह जरीब जो अकबर के जमाने में आया, उसके पहले जो खेत नापे जाते थे, वह रस्सी से नापे जाते थे और रस्सी ढीली होती थी। लेकिन मान्यवर, यह लोहे की कड़ी के बीच में बांस लगाकर के राजा टोडरमल ने जरीब का पहली बार निर्माण किया था, वह इस कारण से लगाया गया कि लम्बाई छोटी-बड़ी न हो सके। इसके पहले जो पैमाइश की जाती थी वह पैमाइश रस्सी से की जाती थी, एक लम्बी रस्सी रखी जाती थी वह प्रमाणिक थी, लेकिन रस्सी के खींचने में छोटे-बड़े होने का काम हो सकता था। पहली बार जरीब बादशाह अकबर के जमाने में आया और उसमें बांस रखी जाती थी जिसको हम कड़ी कहते हैं, कालान्तर में वह लोहे की कड़ी हो गयी। लेकिन उसको जब खींचा जाता है तो नक्शे पर प्रकार रखने का काम जो कानूनगो साहब करते हैं, उसके विशेषज्ञ वही हैं। जैसे वाल्मीकी रामायण को तुलसीदास जी ने सरल भाषा में सबकी भाषा में समझ में आने लायक रामायण लिखने का काम किया था उसी तरीके से इस नक्शे को भी हम सरल बनाना चाहते हैं और सबके पढ़ने लायक हो सके, ऐसा बनाना चाहते हैं। श्रीमन् हम इन नक्शे को न सिर्फ डिजीटाइज करना चाहते हैं बल्कि अगर उसकी आठ भुजायें भी हों, वह गोल भी हो, वह तिरछा भी हो तो उसकी पैमाइश ऐसी हो कि हर भुजा पर उसकी लम्बाई हो और जैसे आप खतौनी प्राप्त कर लेते हैं, उस तरह से किसान अपना नक्शा खुद प्राप्त कर सके, उसकी पैमाइश खुद कर सकें और संतुष्ट हो लें कि अगर कमबेश है तो उसको बाद दाखिल करने की आवश्यकता है अथवा नहीं है और श्रीमन्, गांव का रहने वाला हूँ, किसान परिवार से आता हूँ। मुझे इस बात का अनुभव है, आपको सर्वाधिक अनुभव होगा, 40 से 50 प्रतिशत मामले कब्जे के अवास्तविक हैं।

किसी ने किसी की जमीन ली नहीं है लेकिन उसे लगता है हमारी जमीन फलां ने जोत ली और वह जबरदस्ती उससे झगड़ा करता है। झगड़ा शुरू हो जाता है, चलता रहता है पहले छोटे झगड़े फिर बड़े झगड़े। इसलिए उन नक्शों को भी डिजीटाइज करना चाहते हैं। श्रीमन् हमने अनुभव किया और पिछली बार हमने कार्यवाई की नोयडा, दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद जहां जमीनें बहुत मंहगी हो गयी हैं। उन जगहों पर एक बहुत बड़े भू-माफिया, सदन में नाम नहीं लूंगा जिनकी पहुंच बहुत ऊंचाई तक मानी जाती थी, उनको जेल में डालने का हमने काम किया। जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही उनको जमानत नहीं मिली। वहां खेल क्या था, पुराने रिकार्ड में एक इण्ट्री कर दी जाए और फिर वह दस्तावेज ज्यों का त्यों रिकार्ड रूम में रख दिया जाए और बाद में एक वाद दाखिल

किया जाए कि हमारे रिकार्ड की यह गलती है, इसको दुरुस्त किया जाए, और 229 बी का मुकदमा पुराने रिकार्ड के आधार पर दाखिल किया जाए। वह जमीन जो उनकी नहीं होनी चाहिए थी, सरकारी जमीन, ग्राम सभा की जमीन, दूसरी जमीनें तथा किसी और काश्तकार की जमीन उनके नाम दर्ज हो जाए। सैकड़ों हजारों करोड़ का घोटाला किया गया है। मैं उल्लेख नहीं करूंगा लेकिन इशारे में कहना चाहूंगा, नाम ले लूंगा तो फिर बात दूर तक जायेगी। मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार ने सर्वाधिक शक्तिशाली और इस सरकार को बनाने वालों में जिसकी भूमिका कही जाती थी वह भी उसमें शामिल थे। मंत्रीगण जहां जा करके मत्था टेकते थे और ललाट पर जब तक उनके जूते का काला निशान नहीं बन जाता था तब तक अपनी तपस्या को अपूर्ण मानते थे, उनका भी नाम उसमें है। लेकिन ऐसे साथियों के होने के बावजूद श्रीमन्, समाजवादी पार्टी की सरकार जब तक रही तब तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। उनको जमानत कराने की स्थिति नहीं बनी। भू-माफियाओं को प्रभावहीन करना और वह जिस तरीके की हरकतें करते है उनको भी काबू करने के लिए जरूरी है कि हम पूरे रिकार्डस को डिजीटाइज करना चाहते हैं ताकि पीछे जाकर कोई हेराफेरी करने का काम नहीं हो सके कि 30-35 साल 40 साल पुराने रिकार्डस में कोई हेराफेरी की जा सके। यह महत्वाकांक्षी योजना हमारी है। मांर्डनाइजेशन के क्रम में इन तमाम योजनाओं पर हम काम कर रहे है। हमने योजना बनायी है कि इसको तेज गति से चला करके जितनी जल्दी हो सके इन डाक्यूमेण्टस को जब हम कम्प्यूटराईज करा देंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकलेगा। राजस्व विभाग इन बातों का जो प्रबन्ध करता है उसके अतिरिक्त दूसरे काम जमीन के अलावा उसको करने पड़ते हैं। जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि जाति प्रमाण-पत्र देने का काम, तहसील से जुड़ा हुआ जो दूसरे काम है उसको भी ठीक ढंग से किया जाए। तहसील दिवस का जो आयोजन होता है। उसमें जिन समस्याओं के समाधान की अपेक्षा होती है इन सारी चीजों पर बहुत गम्भीरता से हम प्रभावी ढंग से यह काम करना चाहते हैं और जब मैं यह बजट का प्रस्ताव आपके सम्मुख रख रहा हूँ तो यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि मुझे आपके सुझावों की सर्वाधिक आवश्यकता है, आपके अनुभवों के आधार पर जो सुधार और किये जा सकते है उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। अपने प्रयासों पर अपनी पीठ ठोंकने के बजाए कि हमने बहुत शानदार करिश्मा कर दिया और हमने सोच लिया या बहुत कल्पनाशील है, हम आगे करना चाहते हैं। हम आपके सुझावों का स्वागत करेंगे। दूसरा विभाग हमारा राजस्व विभाग से सम्बन्धित चकबंदी है। इसके बारे में एक कहावत कही जाती है कि जिस गांव में चकबंदी शुरू हो जाती है उसकी सुरक्षा का इंतजाम बड़ा पुख्ता हो जाता है कि दस साल तक उस गांव में चोर-डकैत नहीं आते, जरूरत ही नहीं रह जाती। बड़ी गड़बड़ियां है, उसके लिए भी मैंने एक लक्ष्य तय किया और सबसे पहले जो पहले चरण की चकबंदी में करीब 1200 गांव है और दूसरे चरण की चकबंदी में 3700 से कुछ अधिक गांव है। लगभग पांच हजार के आसपास कुल संख्या होती है। हमने तय यह किया है कि पांच वर्षों में अनिवार्य रूप से इतने गांवों के जो लंबित मामले है इनको पहले हम निस्तारित करेंगे। सर्वोच्च प्राथमिकता पर चकबन्दी के उन लंबित मामलों का निस्तारण करेंगे क्योंकि मान्यवर, चकबन्दी के 20 साल, 25 साल, 30 साल और 35 साल तक के मामले लम्बित हैं इतने में दो पीढ़ियां निकल गयी। अपनी जमीन पर कब्जा परिवर्तन हो गया या कब्जा परिवर्तन नहीं हुआ किसी मजबूत आदमी ने उसको तो ले लिया लेकिन अपनी जमीन नहीं छोड़ी। इसलिए जो चकबन्दी का लम्बे समय से व्यतिक्रम है उसको हम ठीक करना चाहते है। मुकदमों के लम्बे समय तक लम्बित रहने का जो सबसे चिन्ता का विषय है उस पर काबू पाना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रशासनिक तौर पर नियंत्रण करना आसान है किसी ने गड़बड़ कराई तो जांच कराकर उसको सस्पेंड कर दिया लेकिन कैसे उसका निस्तारण हो उसकी पीड़ा का कैसे

अन्त हो इस कारण से इसको प्राथमिकता पर रखने का हमने काम किया है। चकबन्दी विभाग में भी तमाम रिक्तियां पड़ी है उन रिक्तियों को यथाशीघ्र भरने का काम करेंगे। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे किसानों की समस्याओं को दूर करने में जो हमें राजस्वकर्मियों की कमी आ रही थी चकबन्दी महकमे में उनको पूरा करके और तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाने की हमारी योजना है। इसके लिए हमने बजट में सारे प्रबन्ध किए हुए हैं। चकबन्दी के अलावा दैवी आपदा में जो राहत दिए जाने का कार्य है वह भी यह विभाग करता है। मैं अभी कोई फीगर नहीं रख रहा हूँ जानबूझकरके क्योंकि जब आपकी चर्चाएं आएंगी तो उन चर्चाओं के उत्तर में जहां आवश्यकता होगी वहां मैं उन आंकड़ों का उल्लेख करूंगा अगर आपको कोई शंका होगी तो मैं उसका निराकरण करूंगा और आपकी शंका को दूर करने का काम करूंगा। इस दिशा में भी बहुत गम्भीरता से चलने की आवश्यकता है। अगर अपनी उपलब्धियों का उल्लेख नहीं किया जाएगा तो भी उचित नहीं होगा। 2006 में जब जनरल बिज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के वाइस चेयरमैन थे जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। वह जब आए थे तो उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी के आवास पर शिष्टाचार भेंट में उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में आने से पहले मैं इस बात का अनुमान नहीं कर सकता था लेकिन बहराइच जैसे आपदा पीड़ित जनपद में और पूरब का दौरा करके वह आए तो उन्होंने कहा कि आपने जितना अच्छा इंतजाम किया है डिजास्टर मैंनेजमेंट का उत्तर प्रदेश में उतना अच्छा इंतजाम देश के दूसरे इलाके में नहीं हुआ। हम हर मामले में क्यों हीन भावना से ग्रस्त हैं कहते हैं कि गुजरात में यह हो गया महाराष्ट्र में वह हो गया केरल में यह हो गया कर्नाटक में यह हो गया लेकिन हमारी व्यवस्था में। राजस्व विभाग की ओर से मजबूती के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि हमारी व्यवस्था किसी के मुकाबले कमतर भी नहीं है कहीं हीन भी नहीं है जब हमने अच्छा इंतजाम किया तो राष्ट्रीय स्तर पर उसको मान्यता मिली और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एथारिटी के वाइस चेयरमैन तत्कालीन जनरल बिज ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में जितनी अच्छी व्यवस्था हुई उतनी अच्छी व्यवस्था कहीं नहीं हुई।

हमने आते ही इसको गम्भीरता से देखा है और क्या कमियां रह गई थी उनको दूर करने का प्रयास किया। वह सदस्य जो उन इलाकों से आते हैं जहां नदियों के किनारे लोग बसते हैं वह इस पीड़ा को समझते हैं। नदियों के किनारे लोग कटान से पीड़ित होते हैं या विस्थापित होते है नदियों के किनारे लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं और एक छोटी सी चिन्गारी पूरा गांव का गांव खत्म कर देती है। हमने अनुभव किया पिछले पांच वर्षों में दैवी आपदा की स्थिति में झोपड़ी जल गई मवेशी जल गए उसका कपड़ा जल गया शरीर के अलावा कुछ बचा नहीं जो था सब स्वाहा हो गया और राहत के नाम पर डेढ़ महीने बाद दो महीने बाद 600 रुपये का चेक लेकर उस गांव का लेखपाल पहुँचता था हमने उसको महसूस किया जितना प्राविधान है राहत दिए जाने का वह प्राविधान अपनी जगह है लेकिन सबसे पहले आवश्यकता होती है आपदा की स्थिति में तत्काल अगर उसको राहत दी गई तो वह राहत है अगर तत्काल राहत नहीं दी गयी राहत दो महीने बाद पहुँची तो वह उसका अपमान है। उसको गाली देने के बराबर है। इसलिए हमने यह निर्देश जारी किए कि 24 घण्टे के अन्दर दैवी आपदा से पीड़ित खासतौर से अग्नि से पीड़ित परिवार है उनको 24 घण्टे के अन्दर सहायता पहुँचाने के निर्देश 16 मई, 2012 को जारी किए गए सभी जिलों के कलेक्टर्स को एक बहाना होता था कि इस मद में धन है इसलिए हमने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि आप टी0आर0 27 से तत्काल जितनी राशि की आवश्यकता हो दिन में रात में उतनी राशि को अपना खजाना खोलकर व्यवस्था करनी हो तो

तुरन्त वह इंतजाम कीजिए। 24 घंटे के अंदर राहत पहुँचनी चाहिए। मैं इस सदन में अंदर कहना चाहता हूँ कि अगर 72 घंटे में राहत नहीं मिलती है तो जो जिम्मेदार होगा उसको दंडित करने का काम करेंगे। मान्यवर, यह मैंने सदन में पहले भी कहा था कि अगर कहीं कोई ऐसी समस्या है तो माननीय सदस्य लिखित रूप में शिकायत दे दें उस पर कार्यवाही की जायेगी। मुझे अच्छा लगा कि कहीं से कोई लिखित शिकायत नही मिली है कि हमारे यहां झोपड़ी जल गई, मवेशी जल गये पर राहत पहुँचने का काम नहीं हुआ। मान्यवर, हमने एक दूसरी बात जो अर्से से, मैं स्वयं गंगा के किनारे ऐसे गांव में पैदा हुआ जहां मेरे जन्म के 6 साल पहले से लेकर और आज की स्थिति तक 3 बार जमीन कटकर गंगा में विलीन हो गयी। इस समय गंगा वहां से 8 किमी0 दूर है। लेकिन 3 बार पूरा का पूरा गांव कटकर उसमें विलीन हो गया। मान्यवर, उस दर्श को, उस पीड़ा को हमको मालूम है और हम उस पीड़ा को महसूस करते हुए अपने नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जिस संवेदनशीलता के साथ इस पीड़ा को महसूस करते हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए एक प्राविधान ऐसा किया है मान्यवर, जो प्राविधान पहले नहीं था। इस बजट में प्राविधान है मान्यवर। वह प्राविधान हम लेकर आये हैं। जो गांव बाढ़ से कट जाते थे ग्राम सभा की जमीन में उनको पात्रता के हिसाब से बसने के लिये दिया जाता था। पात्रता कैसी थी ? अनुसूचित जाति को होगा तो पात्र होगा, गरीब होगा तो पात्र होगा, भूमिहीन होगा तो पात्र होगा। अगर अनुसूचित जाति का नहीं होगा तो पात्र नहीं होगा। फिर जहां मन चाहे वहां जाकर रहे। चाहे मकान गिर गया हो, बसने के लिये कोई जगह देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि गांव सभा की जमीन में भूमि प्रबन्ध समिति जो प्रस्ताव करेगी उसके लिए क्राइटेरिया वह तय करेगी कि किनको-किनको आवासीय पट्टा दिया जायगा। पात्रता की स्थिति में जब भूकम्प आता है, जब बाढ़ आती है, जब आग से घर जल जाते हैं तो बड़े और छोटे का भेद समाप्त हो जाता है। बाढ़ से घिरने पर जब सबसे धनी आदमी उस गांव का और सबसे गरीब आदमी उस गांव का एक नाव में बैठकर किसी तरीके से अपना कुछ जरूरी सामान लेकर के सुरक्षा के लिए सूखे तट की ओर जाने का प्रयास करता है तो वह भेद समाप्त हो जाता है। हमने इस दर्द को महसूस किया है और इस बजट में पहली बार काम किया है कि जो कटान से पूरी तरह से विस्थापित हो जायेंगे गांव सभा की जमीन उनको बसने के लिये देंगे। अगर गांव सभा की जमीन अर्जित करके उनके बसने का इंतजाम करेंगे उनको आवासीय पट्टा देने का काम करेंगे। श्रीमन्, यह काम हमने पहली बार किया है चूंकि हमको उनका दर्द मालूम है इसलिये इस बजट में हमने इसका प्राविधान किया है।

मान्यवर, पिछली सरकार ने जब किसान दुर्घटना बीमा लागू करने का काम हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के दिन किया था। देश में वह पहला प्रयोग था। कठिनाई थी क्योंकि किसी के पास इस बात के आंकड़े नहीं थे कि कितने किसान हैं जिनके नाम खतौनी में दर्ज हैं। आंकड़े जुटाना मुश्किल था, कम्प्यूटराइज्ड भी नहीं था पूरी तरह से, लेकिन किसान दुर्घटना बीमा लागू किया। 1 लाख रुपये उस मृतक किसान के रोते बिलखते परिवार को बीमा के माध्यम से देने का काम किया। जिसके कोई आंसू पोंछने वाला नहीं था। संगठित क्षेत्र में अगर मजदूर भी है तो उसका बीमा है, व्यापारी का बीमा है, जो समर्थ है उसका बीमा है। लेकिन किसान के बिलखते परिवार को पूछने वाला कोई नहीं था। किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाय, जानवर के मार देने से, चाहे ट्रैक्टर से, चाहे गाड़ी से, चाहे रेल से, चाहे सड़क पर दुर्घटना हो जाय, चाहे तालाब में डूबने

से, पेड़ से गिरने से, सांप के काटने से, जंगली जानवर के घायल करने से हो जाय किसी स्थिति में उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाय तो उसके लिये एक लाख रुपये दुर्घटना बीमा का इंतजाम किया था। मान्यवर, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जिस काम को हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने शुरू किया था एक लाख रुपये देने का काम किया था आज हमारे नौजवान मुख्यमंत्री ने उसको पांच गुना करने का काम किया है। किसान दुर्घटना बीमा की राशि को एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का काम किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे बहुत से नेता तमाम दलों के बैठे हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने बहुत शानदार काम किया है और मान्यवर, इसको हमने बजट में 5 गुना करने का काम किया है। अभी तमाम बातें आई। जो भूमिधर के रूप में रिकार्डेड हैं वह बीमा योजना से कबर होते हैं। लेकिन जिनका नाम नहीं है और जो गांवों में रहते हैं उनके लिए क्या है। मान्यवर, दूसरी योजना हमने आम आदमी बीमा योजना के नाम से शुरू की है इसमें वह लोग आच्छादित हैं जो भूमिधर नहीं है। जिनका नाम भौमिक रिकार्ड पर दर्ज नहीं है। जिनके पास भूमि नहीं हो, जो भूमि धारित नहीं करते हैं और गांव में निवास करते हैं और जो 18 वर्ष से 59 वर्ष के मध्य है उनके साथ अगर कोई दुर्घटना होती है और उसमें उनकी जान जाती है तो उनके लिए 'आम आदमी बीमा योजना' भी लेकर हम इस बजट मे आए हैं। इस तरह से इन सारे प्रबन्धों को जो आवश्यक थे उनको हर स्तर पर रखने का काम किया है और मैं पुनः आप सबके सुझावों का, विपक्ष के सुझावों का, विपक्ष और सत्तापक्ष में कोई भेद नहीं है, विपक्ष और सत्तापक्ष के सुझावों का स्वागत है। मैं आज राजस्व विभाग का बजट प्रस्तुत करते हुए यह आग्रह करना चाहता हूँ, यद्यपि सारे विभाग अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन जनता के सबसे निचले स्तर पर जाकर जो लोग रहते हैं उनसे जुड़ा हुआ यह महकमा है इसमें आप अपने सुझाव दें हम आपके सुझावों का स्वागत करेंगे और सर्वसम्मति से इस बजट को पारित करने का काम करेंगे यह आप सबसे अपील करते हुए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ।

(मेजें थपथपाई गई)

*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 50 राजस्व विभाग (राजस्व प्रशासन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, अभी मा0 अम्बिका जी जो बहुत ही प्रतिभाशाली मंत्री है सरकार के, और मुझे कष्ट यह है कि उनको बिल्कुल बेकार विभाग मिला है। उनकी योग्यता के अनुसार अच्छा विभाग मिलना चाहिए था लेकिन मैं उनकी तारीफ इसलिए करता हूँ कि इस विभाग में भी वह जिस तरह से धाराप्रवाह बोल रहे थे उससे लग रहा था कि यह पांच बजे तक कार्यक्रम चलेगा। लेकिन स्वयं उन्होंने कटौती कर दी, मैं केवल सुझाव देना चाहूँगा, ज्यादा कटौती पर बोलने की बात नहीं है। इसमें कुछ है भी नहीं, जब विभाग में ही कुछ नही है तो कटौती कहां से आ जाएगी। श्रीमन् जब इस विभाग की संरचना हुई होगी, जहां तक मुझे याद है शेरशाह सूरी ने इस पर ध्यान दिया। फिर टोडरमल ने इसकी बात कही। यह राजस्व विभाग क्यों था। यह राज्य की आमदनी का एकमात्र साधन था। कोई उद्योग थे नहीं, कोई टैक्स नहीं था, आबकारी नहीं थी, अब राजस्व रह कहां गया है इसमें, राजस्व दूसरी जगह चला गया यह तो प्रतीकात्मक चिन्ह रह गया है। इसका राजस्व विभाग से नाम हटाकर दूसरा कुछ आना चाहिए क्योंकि राजस्व तो इसमें कुछ लेना देना है नहीं। जो थोड़ा बहुत है वह वहीं रह जाता है। जो वसूल करने वाले है जो चकबन्दी के काम में लगे हुए है या जो पैमाइश के काम में लगे है सर्वे के काम में लगे हैं तो जो थोड़ा बहुत राजस्व आएगा भी तो आएगा तो तब जब उनसे बच जाएगा। इसलिए राजस्व तो रह गया वहीं और विभाग आ गया यहां।

(इस समय 2 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अनुग्रह नारायण सिंह पुनः पीठासीन हुए।)

इसलिए राजस्व तो रह गया वहीं, विभाग आ गया यहां पर। मैं विभाग को दो भागों में बांट रहा हूँ, मान्यवर, राजस्व जिला स्तर पर और विभाग प्रदेश स्तर पर। तो आप तो विभाग के मंत्री रह गए, राजस्व तो आपके पास रहा नहीं। मान्यवर, आपने संशोधन की बात कही, बड़ा अच्छा काम था। हमारा सबका सहयोग था और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही वह अधिनियम बन करके आ जायेगा। तो जिस तरह से कानून का बिखराव है इस विभाग में, समझना ही मुश्किल है, अलग-अलग अधिकारी है, हर कानून का लागू करने वाली, हर कार्यक्रम को लागू करने वाली एक अलग ब्रांच चली गयी। चकबन्दी के अलग हो गए। दो-तीन बातों का आपने जिक्र किया। उसी की तरफ मैं आपका ध्यान चाहूंगा। यह खतौनी, यह खसरा, आज से नहीं, जब से हमने , आपने होश सम्भाला है, उससे बहुत पहले से चले आ रहे है और हमने खसरा और खतौनी की वह स्थिति भी देखी है, जब लेखपाल जिसको पटवारी बोलते थे, अपना बस्ता ले करके खेत के चारों तरफ घूमता था। सिजरा उसके हाथ में होता था, कागजात उसके हाथ में होते थे, जा करके मिलान करता था, मिलान के अनुसार खसरे का इन्द्राज करता था। लेकिन आज मंत्री जी अगर समीक्षा कर लें कि क्या कोई लेखपाल खेत के चारों तरफ जाता है मिलान करता है क्या ? आज अगर कोई परिवर्तन कराना हो तो उसे खेत में ले जाने की जरूरत नहीं है, परिवर्तन उसके घर पर, दुकान पर या उसके कार्यालय में होगा और उस अभिलेख के ऊपर विश्वास करके चल रहे है जिस अभिलेख का कोई वजूद नहीं है। इस बारे में आप चिन्तन करेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया को हम कैसे वास्तविक बना सकें। कैसे उसको हमलोग प्रमाणित कर सकें और उसके ऊपर ही सब कुछ चल रहा हैं कि खतौनी की नकल दिखा देंगे तो मेरा वर्तमान आ जायेगा, खसरे की नकल दिखा देंगे तो हमरा कब्जे माना जायेगा, जिस खसरे और खतौनी की स्थिति यह है। कई क्रान्तिकारी काम इसमें हुए हैं, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी जिन्होंने जमींदारी विनाशक कानून यहां लाकर पास कराया और अगर आप उस अधिनियम की भूमिका पढ़ लें वास्तव में कहीं राजस्व के कानूनों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यूरोप और रसिया के कानून से ले करके, जितने हमारे मुगलकाल के कानून थे, उन सबकी समीक्षा करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे थे कि

जमींदारी विनाश होना चाहिए। मान्यवर, कांग्रेस का जब संघर्ष चल रहा था, कांग्रेस के हर अधिवेशन में यह पास किया कि जो जोत रहा है उसको हक दिलवा कर रहेंगे। यह क्रान्तिकारी कदम हुआ, चौधरी साहब ने किया, उसके बाद में जहां.जहां हमने भूमि सुधार के कार्यक्रम लगाये, हम कितने कामयाब हुए और उनका कितना अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव रहा। हमने कहा कि समाजवाद देश में लाना है और समाजवाद लाने के लिए हमने कहा, 70 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर करती है, सबसे पहले प्रहार हमने किया कि सीलिंग ले आओ, सीलिंग का कानून लाए चलिए अच्छी बात थी, पहले 40 एकड़ रखी, उसके बाद 30 एकड़ में आए, उसके बाद आप उसे 18 एकड़ पर ले आए, अब होता क्या है, जब सरकार बदलती है, वह पूरे प्रदेश में एक आतंक फैलाती है कि सीलिंग घट करके 12 एकड़ पर आयेगी या 8 एकड़ पर आयेगी। इसका परिणाम क्या हुआ, एक अनिश्चितता का वाातावरण बन गया, कृषक वर्ग में। फर्जी नाम करा रहे है, परिवार के लोगों के रिश्तेदारों के, कितना उनको खर्च करना पड़ रहा है ? मान्यवर, सरकार एक निश्चित सीमा बना दे कि इससे कम पर नहीं आयेगी। अगर 18 एकड़ की बात है तो अधिकृत रूप से यह तय हो कि इससे कम पर सीलिंग नहीं आने वाली है तो जो लोग प्रचार करके किसानों को आतंकित करने में लगे हैं, वे दुष्प्रचार से बाज आयेंगे। कई बार सीलिंग आने के बाद में उसका परिणाम क्या हुआ, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। जो अतिरिक्त जमीन थी, उसका आवंटन किया या जो गांव समाज की बंजर के रूप में जमीन पड़ी हुई थी, उसका आवंटन किया। हालांकि सरकार हमारी भी रही, तब भी तर्क यह रहता था कि जिन लोगों को हमने भू आवंटन किया, उसमें से कितने प्रतिशत लोाग उस जमीन को रख करके खेती कर पा रहे हैं। क्योंकि खेती के लिए हमने जमीन का आवंटन किया था। मान्यवर, मैं यह सुनिश्चित जानकारी के आधार पर कह सकता हूँ कि अगर उन लोगों में से 10 प्रतिशत भी खेती कर रहे हों।

क्योंकि आपने उन्हें छोटी जोते दे दी हैं। साधन उनके पास है नहीं। अगर वह बैंक से कर्ज लेंगे तो वह इतना हो जाएगा कि वह कभी व्यवहारिक नहीं होगा। मजदूर मिलेगा नहीं, ट्रैक्टर वह ले नहीं सकते। आज जो खेतीहर मजदूर है, अगर वह खुद भी खेती करे तो उसकी अपेक्षा बाहर मजदूरी में काम करने पर खेती में मजदूरी में काम करने से ज्यादा मजदूरी मिल जाती है। यह एक व्यवहारिक पहलू है हमें इस बात पर सोचना चाहिए। जमीनों के एलाटमेंट की स्थिति यह आ गयी कि बलिया से मुजफ्फरनगर, मेरठ तक आप चले जाइये आज एलाटमेंट एक व्यवसाय बन गया है और इस व्यवसाय में सभी अधिकारी सम्मिलित हो गये हैं। आज एलाटमेंट गरीब की सेवा करने के लिए नहीं है। आज एलाटमेंट के नाम पर जमीन के बैनामे हो रहे हैं। उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है। सब किसकी जेब में जा रहा है। मा0 राजस्व मंत्री जी को इसकी जानकारी है। लेकिन उस बीमारी का समाधान भी होना चाहिए। कैसे आप उसका समाधान करेंगे। मैं आपके सामने दो मिसाल दूंगा। मुझे जहां की व्यक्तिगत जानकारी है मैं वहां का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जनपद प्रबुद्धनगर में तहसील कैराना में एक गांव सहपत पड़ता है। अभी दो महीने के अंदर की बात है। बहुत दिन से चर्चा चल रही थी वहां षड़यंत्र करके 400 बीघा जमीन का आवंटन हो जाएगा। मेरे कानों को विश्वास नहीं हुआ। मैं बार-बार नकारता रहा कि नहीं होगा। एक एसडी0एम0 लेबल के अधिकारी जो वहां से हट गये उन्होंने कहा था कि साहब वह आपके प्रभाव से रूका तो था लेकिन अब वह होकर रहेगा। अभी मैं चार दिन पहले क्षेत्र में गया तो लोगों ने उस आवंटन की कापी लाकर मेरे सामने रख दी। चार महीने तक छिपाकर यह सारी प्रक्रिया चलती रही और प्रधान से लेकर एसडी0एम0 तक उसमें शामिल रहे। मैं इस सदन में खड़ा होकर सुनिश्चितता के आधार पर कह रहा हूँ कि कम से कम उसमें एक करोड़ रुपये

का हेरफेर हुआ है। मान्यवर, यह कहते हुए संकोच होता है कि आज जनप्रतिनिधि का वह प्रभाव नहीं रह गया है। मैं सातवीं बार विधान सभा में आया हूँ अब तक किसी का साहस नहीं होता था कि वह इतना बड़ा घोटाला वहां पर कर दे। अब वह सोचते है कि पैसे के आधार पर हम कुछ भी कर सकते है कोई हमारा बिगाड़ने वाला नहीं। यह मानसिकता है और उस मानसिकता को तोड़ना है। यह इतना आसान नहीं है। यह तब होगा जब जांच कराने के बाद ऐसे बेइमान लोग जेल में भेजे जायेंगे। अगर उनको खुली छूट मिलती रहेगी तो वह कभी नियंत्रण में आने वाले नहीं हैं। हाँ आपने एक अच्छा काम किया मैंने आपके संज्ञान में लाया। मान्यवर, आचारसंहिता लगी हुयी है, चुनाव चल रहे हैं। जिलाधिकारी, ए0डी0एम0 सब चुनाव में व्यस्त थे लेकिन एक मेरा ही जिला था जहां कितने अच्छे जिलाधिकारी थे, कितने अच्छे ए0डी0एम थे निष्क्रांत भूमि का 400 बीघा का बैनामा अपने रिश्तेदारों के नाम कर दिया। कुछ बाहर के लोगों का कर दिया और वहीं अपने दफ्तर मैं बैठकर जो उनको अधिकार भी नहीं था, तहसीलदार को अमल दरामद करना था खुद बैठकर वहीं अमल दरामद भी कर दिया। कम से कम 4 करोड़ का उसमें घोटाला हुआ है। अगर हम यह नहीं रोक पायेंगे तो आप चाहे जितने कानून बना लीजिए चाहे जितने बजट पास कर लीजिए। आपने जांच के आदेश दिये हैं। जांच हो रही है। अच्छा है जांच होकर आ जाये और ऐसे बेइमान अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी हो जाये। लेकिन आप तो उनके प्रमोशन कर रहे हैं और हो भी रहा है। मान्यवर, मैं नाम नहीं लूंगा, इशारा कर दिया है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि वह जमीन जिससे गरीब आदमी का गुजारा हो सकता है, किसान अपने परिवार का पेट पाल सकता है, इस तरह से गिद्ध की तरह से यह लोग उस जमीन के मालिक होते जा रहे हैं। यह जमीन किसी की नहीं है। यह सरकार की सम्पत्ति है। किसान केवल उसका एक पीरियड होल्डर है। आपने खेती करने के अधिकार उसको दे रखे हैं। इसलिए दे रखे है कि यह सरकार की सम्पत्ति है कोई इसका मालिक न बनकर बैठ जाये। लेकिन आज चिंता इस बात की हो गयी है कि आप मालिक नहीं रहे मालिक वह बेइमान लोग बनकर बैठ गये जिन्होंने कुछ अधिकार लिए हुए हैं। किसी पद पर आसीन है उसको रोकने की बात है।

जब भी कोई सरकार आती है तो कुछ न कुछ नये उपाय करती है। कोई तहसील दिवस की बात करता है कोई थाना दिवस की बात करता है और सोंचते हैं कि हमने तहसील दिवस बना कर सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। अब यह मान्यवर, दिवस नहीं रहे यह दरबार हो गये हैं, अधिकारियों के दरबार लगने लगे वहां पर और वह गरीब आदमी अपनी याचिका लेकर के, एप्लीकेशन ले करके लाइन में लगता है, धक्के खाता है और उस उम्मीद में वहां प्रार्थना-पत्र देकर के जाता है कि शायद इसका निस्तारण हो जायेगा। अधिकारियों ने चार बजे तक चाय पी, नाश्ता किया और गायब हो गये, क्यों, कभी इस बात पर भी गौर हुआ कि इतने प्रार्थना-पत्र आये थे तहसील दिवस पर, उनका निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ, इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। तीन-चार बिन्दुओं की तरफ आपका ध्यान दिलाया, चकबन्दी के बारे में मा0 मंत्री जी बहुत बड़ी बात कही कि सारे प्रदेश की समस्याओं का आज हल हो गया, सिंचाई करने के लिए नालियां बन गई, चक चौकोर हो गये, कोई आपत्ति नहीं रही, चकरोड बन गई। एक गांव है अगर कहीं लिखना चाहो तो लिख भी लीजिएगा लाट गांव है, बीस हजार की आबादी है, पिछले तीस साल से वहां चकबन्दी चल रही है और वह वहीं के वहीं है और जो जाता है उस गांव से वसूली करके करोड़, डेढ़ करोड़ रुपया कमा कर निकल चला जाता है, एक बार अगर जब कभी भी आपको मौका लगे, देख लीजिए आ करके और जो-जो बेईमान इस बीच में वहां पर रहे एसोसी के रूप में उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया, दो साल रहे, दो

साल में आपने क्या किया, पूछ लीजिए और ऐसी-ऐसी शक्ले आपको दिखाई देगी जिनके मकान नोएडा में बन गये, जिनके मकान गाजियाबाद में बन गये और उसी गांव के भरोसे बन गये, आखिर क्यों, क्या मिला उस गांव के किसान को जिसने आठ साल तक चकबन्दी के इन्तजार में अपने खेत में खाद नहीं डाला, कुछ मरम्मत नहीं की खेत की, बन्जर हो गये खेत, सोंचा था पता नहीं किसके पास जायेगा, किसके पास नहीं जायेगा, यह चकबन्दी का उद्देश्य था। आज भटक गया सारा का सारा मामला। मान्यवर, मैं बस एक दो बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने वादों के निस्तारण की बात कही, वादों के निस्तारण के लिए आपके पास न तो पर्याप्त तहसीलदार है, न एस0डी0एम0 है, न उसके ऊपर कमिश्नर, एडीशनल कमिश्नर हैं, जो वादों की संख्या है उसके आधार पर क्या यह सम्भव है कि जैसे पहले रेवन्यु अफसर होता था जिले में एक, राजस्व अधिकारी एक होता था जिले में, उसी रूप में एक राजस्व अधिकारी हर जनपद में एक हो, जो राजस्व वाद का निस्तारण करे क्योंकि एस0डी0एम0 के पास में भी, तहसीलदार के पास में भी प्रशासनिक कार्य होते हैं। मान्यवर, और प्रशासनिक काम की प्राथमिकता उनकी होती है, उन्हें समय मिलता नहीं और ऐसी स्थिति में उनके पेशकार मुकदमा का निस्तारण करते हैं एस0डी0एम0 उस पर दस्तखत करते हैं और निस्तारण कराने में क्या होता है, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। अगर वास्तव में आपको किसानों को बचाना है, उनके वादों का सही निस्तारण कराना है तो इस पर विचार किया जाय कि हर जिले में एक राजस्व अधिकारी का पद सृजित कर दिया जाय, बढ़ायें न उनमें से एक कर दें, उन्हीं में से एक कर दें जो केवल एक काम करेगा, राजस्व वादों का निस्तारण करेगा। पड़ा हुआ सारा काम ऐसे ही, 20-20 तारीख, 30-30 तारीख और तारीख लगने में मंत्री जी, ऐसे ही नहीं लगती है तारीख, जेब खाली करनी पड़ती है और कौन सी जनता वहां पर है, वहां पर कोई उद्योगपति नहीं है, वह फटेहाल किसान जो फटा कुर्ता-धोती पहनता है और रात के गुजारे के लिए रोटी उसके पास हो न हो, लेकिन 50 रुपये अधिकारी वहां पर उनसे ले लेता है, बचाइये उनको, तभी तो कुछ उपयोगिता होगी यहां पर बैठ करके विचार करने की, वह तो वहां पर लुटा जा रहा है बेचारा। यह जो आपने अभी पुस्तिका दी है यहां पर, काफी अच्छी है, प्रिटिंग पेपर भी काफी अच्छा है, लेकिन इसके अनुरूप अगर कुछ काम भी हो जाय, मान्यवर, जिला गजेटियर की आपने बात कही, मेरे पास में लगभग पूरे प्रदेश के जिला गजेटियर्स हैं और मैं तुलना करता हूँ उन गजेटियर्स के साथ जो ब्रिटिस काल के हैं और अब के गजेटियर है, मंत्री जी कभी आप इन दोनों की तुलना करके देखिये, जो ब्रिटिस काल के गजेटियर हैं, जिलों में, तहसील में, गांव में कोई भी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थान हो, पूरा विवरण है, यहां तक विवरण कि किस जिले में कब मराठा आये, कब अब्दाली आये, कब मुगल सेना आई, सबका विस्तार से जिक्र है। अच्छा लगता है जिस जिले के बारे में जानकारी मुझको मिलती है कि किस जिले की कब स्थापना हुई और स्थापना के बाद में आज तक कौन-कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि उस जिले में हुई। अब जिला गजेटियर ऐसा हो गया कि जो अधिकारी सरकार की आँखों में अच्छा नहीं होता। आज वो गजेटियर विभाग में नियुक्त है। जिसकी शक्ल पंसद नहीं आयी, जिसको नहीं देखना है, उसको गजेटियर विभाग में फेंक दिया। जब इस शक्ल का अधिकारी जायेगा और उसकी मानसिकता आप शुरू से ऐसी बना देंगे कि उसका चेहरा आपको पसंद नहीं है तो बताइये क्या कुछ मौलिकता रह जायेगी।

इसमें कुछ सोच होगी कि नहीं मैं अच्छी चीज को विकसित करूं। यह तो कला है, यह तो लिट्रेचर है, साहित्य है। ऐसे लोग जाने चाहिए जिनकी साहित्य में रूचि हो, आप उनको कभी-कभी थपथपाओं कि बहुत अच्छा काम किया। देखता हूँ कि फलां जिले के बारे में आप क्या रचना करके

लाये हो। वहां भेज दें उसको कि ये तो पहली सरकार का आदमी था, फलां मंत्री के मुह लगा था इसको गजेटियर भेज दो। इस सोच ने आ करके इस विभाग को तबाह करके रख दिया है। मान्यवर, चकबन्दी विभाग के बारे में मैंने कह ही दिया कि ध्यान दे लीजिये, बहुत ज्यादा प्रभावित न होइये मंत्रियों पर। इस प्रदेश को तबाह करने में, राजस्व विभाग को तबाह करने में चकबन्दी विभाग का अपना योगदान है और बहुत ही ज्यादा अच्छा और प्रभावशाली योगदान है। मान्यवर, एक बात वसूली की है। देखिये इस विभाग का काम क्या हो गया है। चाहे बिजली विभाग की वसूली हो, बैंक की वसूली हो जहां किसी किसान को पता लगा कि तुम्हारी वसूली वहां तहसील में भेज दी गयी है, बस उसकी हालत देखिये कि क्या है। 10 प्रतिशत तो जाते ही इनका हो गया। अगर वसूली गलत भी गयी हैं, बैंक ने गलती वसूली वहां पर भेज दी या बिजली विभाग ने गलती से भी वसूली भेज दी। उसके बाद वो चाहे वो कहता रहे कि मैंने बिल जमा किया हुआ है, मेरी वसूली वापस कर दीजिये। बिल दिखा रहा है वो लेकिन कहेंगे कि पहले 10 प्रतिशत जमा करो। ये व्यावहारिक है क्या, क्या इस पर विचार नहीं होना चाहिये ? उस आदमी को कम से कम कहने का मौका तो मिले कि सही है या गलत है और एक बार मामला अगर तहसील में आ गया, उसके बाद तो मालिक हो गये। उसके बाद तो तहसीलदार की जीप पीछे-पीछे और बकायेदार आगे-आगे। उसकी जमीन बेचेंगे, ट्रैक्टर जमा करेंगे, सब कुछ करेंगे। आपने कहा भी था, मैं आपके पास भेज भी दूंगा कि आपने घोषणा यहां पर की भी थी कि जिस किसान ने एक अमुक धनराशि जमा कर दी हो तो उसके बाद में उसकी किश्त न हुई हो और किसान का उत्पीड़न किया जा रहा हो, ऐसे दर्जनों मामले मैंने देखे कि मंत्री जी की घोषणा के बाद ऐसा क्यों हो रहा है। आज मैं चार-पांच मामले इकट्ठे करके लाया भी हूँ क्योंकि मैं सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता। मैं आपके पास भेज भी दूंगा और मैं चाहूंगा कि उन अधिकारियों के पास जाकर के आप देखें। मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने कई चीजें कही, सुधार के बारे में कहीं। मेरी शुभकामना है आपके लिए कि अगर सुधार आप ले आयें। लेकिन एक मिसाल, हमारे विधायक जी बैठे हैं थानाभवन क्षेत्र के मा0 सुरेश राणा जी इनके क्षेत्र का मामला है। अगर आप नोट करना चाहें कर लें। बिडौरा गांव है, तहसील शामली है, रकम सिंह नाम के किसान के युवा पुत्र की एक्सीडेण्ट में मृत्यु हो जाती है। उसके पास कोई गुजारा नहीं है सिवाय खेती के। वह तहसील में जाता है, पता करता है, जिलाधिकारी के यहां पता करता है और वो कहते हैं कि हमारे यहां तो 5 लाख, 1 लाख की योजना नहीं है। अब बताइये कि सदन की कार्यवाही में सारी बातें आ जायें, आप कह भी दें और उसे अधिकारी इतने हल्केपन से लें और वह आदमी घूमता रहे। ऐसे दर्जनों मामले मेरे सामने है। बिजली का करण्ट लगने से मौके पर मुत्यु हो गयी, एक पैसा आपके यहां से नहीं गया। अधिकारियों ने यह देख करके कि रोड जाम हो रही है, आपस में इकट्ठा करके ऐसा कर दिया। मेरा एक सुझाव इसमें है कि जब आपकी योजना है ही तो जिलाधिकारी जिले स्तर का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है बजाये इसके कि ये प्रकरण यहां पर आये। क्यों नहीं हम अधिकार दे देते जिलाधिकारी को इस बात के लिए कि मौका देख करके, अवसर देख करके, उसकी गंभीरता देख करके वहीं पर तय कर दें। ज्यादा से ज्यादा दो तीन अधिकारियों की कमेटी बना दीजिये, निस्तारण वहीं हो जाये। लेकिन मान्यवर, जितना प्रकरण लंबित रहेगा, उत्पीड़न उतना ही अधिक होता रहेगा। आप सीधी समयबद्ध योजना बनायें कि दुर्घटना का दिन फलां है। एक से डेढ़ महीने का समय दीजिये, आपने तो कुछ घण्टे बताये कि इतने में रकम पहुंच जायेगी। 24 घण्टे में आ जायेगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

वो आग लगाने वाले में है। किसान दुर्घटना बीमा योजना में तो अप्लाई के लिए सात दिन हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मैं मंत्री जी आपके पास में आज ही आग लगने वाली कम से कम दस घटनाओं का उल्लेख करके, लिख करके पत्र भेजूंगा जिनको आग लगे हुए दो-दो, तीन-तीन महीने हो गये, उनका एक पैसा नहीं गया। तहसीलदार की जीप गयी, राउण्ड लगाया चले आये, उसके पास बैठाने के लिए कुर्सी भी नहीं थी, बेचारे की वह भी जल गयी थी। मैं खुद गया मान्यवर, खुद गया और मैं पूछ करके आया हूं लेकिन मैं भेजूंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरे भेजने के बाद कुछ कार्यवाही जरूर करेंगे। आपके प्रति इतना विश्वास तो होना चाहिए मुझे। जब हम आपकी बात इतने लम्बे समय तक बैठ करके सुनते हैं। मान्यवर, ये कुछ चीजें हैं। सुझाव के रूप में 3-4 बातें मैंने आपसे कही है आप उन पर ध्यान दे दीजिये। मान्यवर भ्रष्टाचार तो एक सामान्य बिन्दु हो गया है उस पर ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। म्यूटेशन, अमल दरामद की बात कही गयी है हम चाहते है कि वह समयबद्ध हो। आपकी सेल डीड हो गयी, उसके कागज समय पर मिले, मरणोपरान्त लेखपाल की जिम्मेदारी है कि वह नाम परिवर्तन करा दे लेकिन उसमें भी काफी महीने लग जाते हैं और लोग भटकते रहते हैं। मान्यवर, नियमों में समय दिया हुआ है कि इतने समय के अंदर यह कार्य हो जाना चाहिए लेकिन वह प्रायः नहीं हो पाता है। मान्यवर, वह इसलिए है कि इस बिन्दु पर जो समीक्षा की कार्यवाही होनी चाहिए अधिकारियों के द्वारा वह समीक्षा के अभाव में लोगों के मामले पेण्डिग रहते है। मान्यवर, पहले एक अच्छी व्यवस्था थी वह 10-12 सालों तक कामयाब भी रही कि जिलाधिकारियों का गांव में कार्यक्रम लगता था और यह घोषणा हो जाती थी कि फलां तहसील के इतने गावों में जिलाधिकारी जायेंगे करीब 15-20 गावों में जायेंगे और राजस्व अभिलेखों का निरीक्षण करेंगे अब वह नहीं हो रहा है। आपने जिलाधिकारियों को दूसरे काम दे दिये हैं अब वह साहब लोग हो गये हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि आप जिलाधिकारियों के कार्यक्रम निश्चित कराईये यहां शासन से सर्कुलर चला जाये कि फलां महीने में इतने-इतने दिन जिलाधिकारी इतनी संख्या में गावों के राजस्व अभिलेखों का निरीक्षण करेंगे और उसकी रिपोर्ट शासन को करेंगे और यह बतायेंगे कि हमारे यहां कोई म्यूटेशन का मैटर पेण्डिंग नहीं है। कलैक्शन पेपर का मामला पेण्डिंग नहीं है। मान्यवर, आपने आज तहसीलदारों को अधिकार दे दिया है वह सब कार्यवाही करते हैं। मान्यवर, धारा 52 हो जाती है। धारा 52 के बाद में कुछ मामले रह जाते हैं। जो लम्बित है उनका प्रस्ताव बनकर के आता है। आदेश डी0डी0सी0 और ओसी0 के हो गये उसके बाद आदेश के अनुरूप कागजों में दाखिल खारिज हो जाना चाहिए क्योंकि पत्रावलियां तहसीलों में वापस आ जाती है लेकिन उन कागजों में आदेशों का पालन नहीं होता है। मान्यवर, किसी तहसील में चकबन्दी हो चुकी है, अब वह आदमी अपना नाम चढ़वाना चाहता है कागजों में लेकिन जब तक उसमें हिस्से का बटवारा यानि पैसा नहीं पहुंचता है तब तक उसका नाम नहीं चढ़ पाता है। मान्यवर, उसको अपनी जमीन का नाम चढ़वाने के लिए परेशान किया जाता है और आज उस प्रक्रिया से कोई बचने वाला नहीं है। मेरा कहना यह है कि आप उसमें एक तरीका निकालें और इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। क्योंकि तहसीलों में सब अपने हिसाब से काम होता है। अधिकारी घबराता नहीं है शिकायत करने से, क्योंकि उसके उपर नियंत्रण का अभाव है वहां लोगों के चक्कर लगवाये जाते हैं और वह परेशान होते हैं तो नियंत्रण भी होना चाहिये शासन का, जिला प्रशासन पर और अधिकारियों पर। ताकि आम जनता को कोई दिक्कत न हो।

मान्यवर, मैंने यह कुछ सुझाव दिये है और अपने विषय को रखा है यह आलोचना के रूप में नहीं है सुझाव के रूप में है। मान्यवर, जिस विभाग का वजूद नहीं रहना चाहिए था आज तक वह वैसे ही बना हुआ है। मान्यवर, राजस्व विभाग की संस्कृति अब बदलनी चाहिए, चेंज आना चाहिए इस विभाग की कार्य संस्कृति में। मान्यवर, यह केवल राजस्व बटोरने का विभाग नहीं है बल्कि इसका काम

जमीनों के विवाद का निस्तारण करने का होना चाहिए। यह उद्देश्य होना चाहिए इस विभाग का कि कोई अनिश्चितता का भाव है तो उसे तय कर दें और निश्चितता का भाव उत्पन्न कर दें। मान्यवर, राजस्व वसूली के लिए तो व्यापार कर विभाग है आय कर विभाग है और दूसरे वसूली के विभाग मौजूद हैं जो अपने तरीके से वसूली का काम करते हैं।

मान्यवर, आप अमीन की बात करते हैं उसके आपने साल में 6 महीने काम करने का समय तक कर दिया है। जो बेचारा 10-12 साल से जनता की सेवा कर रहा है आपके विभाग की सेवा कर रहा है वह फिर अगले 6 महीने के लिए खाली बैठा रहता है। कभी आपने सोचा है कि वह कैसे उसमें गुजर बसर करता होगा। मान्यवर, आज यह मानवता का प्रश्न है कि उसकी सेवा के निरन्तरता पर ध्यान दिया जाये। मान्यवर, जो व्यक्ति अपनी जवानी के काफी वर्ष आपकी सेवा में दे चुका है वह साल में 6 महीने खाली बैठा रहता है अब जब आप दूसरे लोगों की नियुक्तियां नहीं करने जा रहे है तो इन अमीनों की सेवा को निरन्तर बनाये रखने का काम करें और इनसे पूरे साल काम लें। मान्यवर आपने अधिकार परगना अधिकारी को दिये हैं। एस0डी0एम0 जो उचित समझता है वह उनसे काम लेता है। आप इस अनिश्चित व्यवस्था को खत्म करके अमीनों की सेवा को निश्चित बनाने का काम करें मैंने यह कुछ सुझाव आपको दिये है। धन्यवाद।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, अध्यक्ष जी, आपने राजस्व के बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं कटौती पर बल देता हूँ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंजी जी को अवगत कराना चाहता हूँ वैसे समय-समय पर मैं सुझाव देता रहता हूँ, इसी सदन में सबसे पहले राजस्व एक्ट में यू0पी0जेड0ए0एल0आर0 एक्ट में माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने इसमें आमूलचूल परिवर्तन किये थे और वह उस वक्त के परिवर्तन आज भी प्रभावी है। अपने समय में ही उन्होंने कंसालीडेशन एक्ट बनाया। जो उस समय के हिसाब से बिलकुल व्यवहारिक था और उस समय की आवश्यकता के अनुरूप उन्होंने उसे बनाया था लेकिन समय-समय पर परिवर्तन होते रहे । राजस्व मंत्री आते रहे और उनमें समय-समय पर परिवर्तन होता रहा। वर्तमान समय में हमारे वर्तमान राजस्व मंत्री बहुत विद्वान है, बहुत अनुभवी है और गांव देहात से ताल्लुक रखते हैं। राजस्व विभाग पर अभी माननीय हुकुम सिंह जी कह रहे थे कि इससे राजस्व का कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं है खेती क्यारी और गांव देहात से संबंध रखता है। मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूँ जैसे दैवी आपदा के सम्बन्ध में बड़ी भारी परेशानी हम लोगों के सामने आ रही है। कई दफे बिजली के तार टूट जाते है ओर उसे दैवी आपदा में शामिल नहीं किया जाता। बिजली भी ऐसी चीज है जो न दिखाई देती है और न उसे छुआ जाता है उसे भी दैवी आपदा में शामिल किया जाय और बिजली के तार टूटने की जितनी घटनायें होती हैं उन सबको ऐसे ट्रीट किया जाय जैसे दैवी आपदा में ट्रीट किया जाता है यह मेरा सुझाव है। हम लोगों के सामने बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं पूरे जनपदों में जो भूमि आवंटित हुई है एस0सी0 कास्ट के लोगों के लिए वह बेचारे आज भी बेचारे है। उनको अपना अधिकार आज भी नही है आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी, उन्हें बिक्री करने का खरीद फरोख्त करने का अधिकार दें, उन्हें बाउण्ड न करें। पिछली सरकार का अनुभव बता रहा हूँ मेरे जनपद अलीगढ़ में जितनी भी हरिजन कास्ट के लोगों की जमीने थीं और जो भी हमारे वरिष्ठ नेता थे अनुसूचित जाति के कई उनमें बहुजन समाज पार्टी के एम0एल0ए0 भी थे, कई बड़े-बड़े नेता

थे उन्होने चन्द पैसों में उन बेचारे गरीबों की जमीन जो उन्हें परमीशन नही लेनी पड़ती थी सब जमीनें खरीद ली। मेरा आपसे सुझाव है कि इस कानून को समाप्त किया जाय। उनको अपना पूरा अधिकार दिया जाय जिससे वह अपनी जमीन खरीद सकें और बेच सकें। चकबन्दी के समबन्ध में, चकबन्दी की अभी बात कही कि 10-10 साल, 5-5 साल से चल रही है। चकबन्दी का कोई निर्णय नहीं है। राजस्व के वाद इतने लम्बित हैं स्टाफ नहीं है, पटवारी नहीं है, कानूनगो नहीं है कानूनगो तहसीलदार बने बैठे हैं। पटवारी नायब तहसीलदार बने बैठे हैं किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। स्टाफ की कमी है इसकी पूर्ति की जाय। अभी माननीय हुकुम सिंह जी ने बड़ा अच्छा सुझाव रखा था कि राजस्व विभाग के वादों को निस्तारण करने के लिए एक कोर्ट अलग से बना दी जाय। कई जमीनें हमारे क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा रकबा 50-50 वर्षों से पड़ी हुई है न जुताई हो रही है न उनकी बुआई हो रही है और वह ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। एक सुझाव मेरा और था खेती में काम करने वाले मजदूर वह भी एक तरह से किसान हैं खेतिहर मजदूर लोग हैं जिनके पास अपनी खेती नहीं है लेकिन खेत लेकर बटाई करते हैं उनको भी बीमा की वह सुविधा उपलब्ध कराई जाय जो किसानों को बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ-साथ बहुत सी बेइमानी और भ्रष्टाचार की बात आपने बताई उस पर अंकुश लगाना चाहिए। कानून इस तरह का बनावें आप कि जो प्रभावी हो और लोग रिश्वत न ले पायें। वसूली पर जैसा आपने आदेश किया है कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है बिल्कुल गिरफ्तारी हो रही है। लोग हवालातों में बैठे है और पकड़ा-पकड़ी खूब जोरो में चल रही है। गांवों में झगड़ा हो रहा है। सरकार की जो घोषणा हुई है 50 हजार रुपये ऋण माफी की अभी वह किसी तरह से क्लियर नहीं हुई है। एक बात किसान बीमा के 5 लाख रुपये की आई, वह पांच लाख रुपये वाला आदेश भी आपका अभी जिलों में नहीं पहुंचा है। वहां पर लोग सवाल कर रहे हैं कि जो बीमा में पांच लाख रुपये दिए जाएंगे, उसका अभी कोई आदेश नहीं पहुंचा है और 50 हजार रुपये ऋण माफी की जो आपकी योजना है, उसमें बहुत शीघ्रता से आप जो भी निर्णय लेना चाहे, उसे लें। उसमें बहुत से लोग कह रहे हैं कि केवल सोसाइटियों का कर्ज माफ होगा, राष्ट्रीयकृत बैंकों से जिन्होंने कर्ज लिया है, वह नहीं माफ होगा। यह पंलिसी क्लियर हो जानी चाहिए। गांवों में अमीनों के बीच में और किसानों के बीच में रोज झगड़ा हो रहा है और एक-दो मुकदमें रोज कायम हो रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन एक और है कि जितने भी मुकदमें इस पीरियड में इस विवाद के कारण कायम हुए हैं, वह सब किसानों से वापस लिए जाएं। ये मेरे सुझाव हैं। आप स्वयं ज्ञाता हैं, समझदार हैं और मैं चाहूँगा कि अनुसूचित जाति के लोगों को उनकी जमीन का अधिकार जरूर दिलवाया जाए, जिससे की वह उसकी खरीद फरोख्त कर सकें और जितने भी वाद पिछले 5 वर्षो में चल रहे हैं, इस पिछली सरकार के समय के बीच में वह सब वाद वापस कर लिए जाएं, इन्हीं सुझावों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद इरफान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण राजस्व विभाग के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस बजट का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ, लेकिन कुछ बातों की तरफ खास तौर पर तव्वजो दिलाना चाहता हूँ, जिनका प्रैक्टिकली ध्यान दिया जाना और जिन पर संशोधन किया जाना बहुत जरूरी है। राजस्व विभाग में एक प्रक्रिया ठियाबन्दी के संबंध में है, जो भूमिधर है, उसकी पैमाइश के मुतालिक है। सीधे-सीधे कोई प्रोविजन भूमिधर को अपनी भूमि का पैमाइश कराने का नहीं है। अक्सर गांव में झगड़े इस बात पर होते हैं कि उसने उसकी मेड़ तोड़ दी, उसने उसका कब्जे नाजायज

कर लिया, उसकी पैमाइश करा दी जाए, लेकिन प्रोविजन में सिर्फ दफा-41 का प्राविधान है और दफा-41 में जो भूमिधर अपनी भूमि की पैमाइश कराता है, उसका प्रार्थना-पत्र, उप जिलाधिकारी के यहां गुजरता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है, कि कच्ची ठियाबंदी और पक्की ठियाबंदी के नाम पर सबसे ज्यादा शोषण उसका इस स्तर पर होता है। मेरा एक सुझाव है कि इसमें कच्ची ठियाबंदी और पक्की ठियाबंदी को खत्म करके एक ही ठियाबंदी हो और एक ही बार में समय-सीमा निर्धारित करने पर ठियाबन्दी कर दी जाए, कि इतने दिन के अंदर 3 महीने में, 4 महीने में या 2 महीने में उसकी ठियेबंदी कर दी जायेगी तभी यह ठियेबंदी से मुतालिक विवाद निपटेगा। एक और बात करना चाहूँगा कि राजस्व निरीक्षक जब मौके पर ठियाबंदी करने जाते हैं, तो वह मौके पर हरगिज ठिये के निशान नहीं लगाते बल्कि नापकर कागजों पर लिखकर चले आते हैं, जिससे वस्तुस्थिति से किसान जो संबंधित हैं, वह वाकिफ नहीं हो पाते। मेरी दरख्वास्त है, राजस्व मंत्री जी से खास तौर पर कि ये विशेष तौर पर निर्देश जारी किए जाएं कि ठियेबंदी करने जो भी राजस्व निरीक्षक जाएगा, वह मौके पर हर हालत में ठिये लगाकर आएगा ताकि अनावश्यक विवाद से बचा जा सके। मैं एक और बात कहना चाहूँगा, यहीं पर राजस्व निरीक्षक के स्तर पर उसका शोषण इस आधार पर भी होता है कि पहले कहीं रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की ? फीस लगा दी जाये या नहीं लगाई जाये तो, सबसे पहले उस आदमी का वहां पर फीस लगने के नाम पर शोषण किया जाता है, उसको ठगा जाता है, उस किसान के साथ ज्यादती की जाती है। तो एक ही बार में अगर किसी आदमी ने ठियाबन्दी की दरख्वास्त दी हो तो उसकी फीस मेन्डेटरी जमा कराकर ठीहेबन्दी करा दी जाए। एक बात और कहना चाहूँगा कि चकबन्दी विभाग इस विभाग का एक खास महकमा है क्योंकि चकबन्दी ही राजस्व अभिलेख तैयार करता है तो चकबन्दी में जो मुकदमेंबाजी का सिलसिला है, बेशक माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि यह बहुत लम्बी प्रक्रिया है और रूल-109 एक प्रावीजन है जिसमें अमल-दरामद होती है, उस अमल-दरामद की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि अगर कोई मुकदमा जीत या हार गया तो अमल-दरामद के लिए उसे दोबारा मुकदमा लड़ना पड़ता है। मेरी दरख्वास्त है, मेरा सुझाव है कि जिस अधिकारी ने वह मुकदमा तय किया है, भले ही धारा-52 हो गई है तो वही अधिकारी, जिसकी आदालत में केस चला है, अमल-दरामद मेन्डेटरी कराये। चकबन्दी का स्टाफ हर जगह हर वक्त वहां मौजूद रहता है। चकबन्दी में चकों की जब प्रक्रिया होती है तो लेखपाल और कानूनगो जब चक बनवाने आते है तब तो अमल-दरामद हो जाता है लेकिन टाइटिल के मामले में वही प्रक्रिया नियम 109 के तहत् जब सी0 ओ0 को जाती है, चाहे वह मुकदमा सी0ओ0 ने तय किया हो, चाहे एस0ओ0सी0 ने तय किया हो, चाहे डी0डी0सी0 ने तय किया हो, धारा-52 के बाद जब वह सी0ओ0 के पास जाता है तो सबसे पहले सी0ओ0 के स्तर पर और फिर सी0ओ0 लिखते हैं ए0सी0ओ0 को, फिर ए0सी0ओ0 स्तर पर शोषण हुआ, फिर कानूनगो ने शोषण किया, फिर लेखपाल ने शोषण किया, फिर उसकी रिपोर्ट रिकार्ड रूम से लगती है कि इसका पुराना नम्बर यह था और नया नम्बर यह है, यह सब हो गया तो उसके बाद सी0ओ0 ने दोबारा फिर से आदेश किया, इस प्रकार से तिबारा, चौबारा यही खेल चला करता है। इस तरह से रूल-109 की प्रक्रिया इतनी जटिल, इतनी कठिन और इतनी परेशानफुल है कि लोगों का बहुत शोषण हो जाता है। मेरी विलशि विधान सभा क्षेत्र में तीन मामले मेरे पास आये एक महमूदपुर माफी का जिसमें 20 साल हो गये हैं, कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं है लेकिन आज तक अमल-दरामद नहीं हुआ है। ऐसा ही एक मामला कुढ़फतेहगढ़ का है वह 2005 का है उसमें भी कुछ पेंडिंग नहीं है लेकिन आज तक अमल-दरामद नहीं हुआ है। ऐसे ही एक मामला नौसनाशेखूपुर गांव का है इसको

19 साल हो गये हैं लेकिन आज तक अमलदरामद नहीं हुआ है, उनकी फाइलें भी तलफ हो गई हैं। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि मेन्डेटरी यह प्रावधान किया जाए कि जिस चकबन्दी अधिकारी ने फैसला किया है उसी को अमल-दरामद की जिम्मेदारी दी जाए, उसके पास स्टाफ होता है वही अमल-दरामद कराये, धन्यवाद।

श्री लोकेश दीक्षित-

मा0 अधिष्ठता महोदय, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनका गांव भी कटान की वजह से बड़ा प्रभावित रहा। मैं मा0 मंत्री जी आपसे कहना चाहूंगा कि मैं बागपत जिले से आता हूँ, हमारे यहां बीस गांव ऐसे हैं, जो यमुना के किनारे पर बसे हुए हैं, जो आज बिल्कुल कटान की कगार पर खड़े हुए हैं। अगर बारिश ज्यादा हो गयी और बाढ़ आ गयी तो उन बीस गांवों में से एक भी नहीं बचेगा। मा0 अध्यक्ष जी, मैं, आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि यह नौबत इसलिए आई कि आज जो खनन माफिया है वह रेत को इतनी जबर्दस्ती से और इतनी मजबूती के साथ उठा रहे हैं कि यमुना की धारा ही मुड़ गई है। कई सालों से यह योजना चली आ रही है, सरकार किसी की भी हो। आज हमने एक हजार आदमी ले करके डी0एम0 साहब के यहां प्रदर्शन किया है, जिससे कुछ पट्टे रूक गये हैं परन्तु मजबूती के साथ खनन माफिया काम कर रहे हैं, हमारे यहां जागसखेताना गांव है जहां से 4-5 सौ ट्राली अवैध रूप से खनन हो रहा है। एक हमारे यहां खेड़ा राणा लोहाड़ी खानपुर गांव है वहां से 6-7 ट्रालिया रोज निकाली जा रही है जिससे राजस्व का बहुत नुकसान हो रहा है और माफिया लोग इसे चौपट कर रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि बड़ौत विधान सभा मेरी है, आज वहा के हालात यह हो गये हैं कि कुछ भू-माफिया 10 बीघा जमीन का बयाना दे देते हैं दो, चार, पांच या दस लाख रुपये, किसान से कब्जा ले लेते हैं, मंहगे रेट पर जमीन ले लेते हैं, उसको लालच दे देते हैं परन्तु उसको भी पैसा नहीं देते और पचास-पचास, सौ-सौ, दो-दो सौ गज के प्लांट काट करके अवैध रूप से कालोनी बना देते हैं उसमें सड़क, पानी, बिजली नाम की कोई भी चीज नहीं होती है और बड़ौत के चारों ओर लगभग 20 किलोमीटर के क्षेत्रफल में यह भू-माफिया बड़ी सरगर्मी के साथ कालोनी काट रहे हैं और बेधड़क काट रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, तहसीलदार साहब का बहुत बड़ा हाथ इसमें हैं, एस0डी0एम0 साहब का भी हाथ है क्योंकि शासन प्रशासन के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता तो फिर इतनी बड़ी कालोनी कटने का तो सवाल ही नहीं होता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह बहुत बड़ी खामी है जो आने वाले समय में हमें भुगतनी पड़ेगी। वह जमीन बंजर है, उसमें कोई कुछ बना भी नहीं रहा है, कई सालों बाद उस पर मकान बनेंगे, 10-15 सालों में कालोनी डेवलप होती है। एक चीज और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर किसी गांव में 5 या 6 तालाब थे तो वहां पर 2 या 3 तालाब रह गये हैं और यदि 2 या 3 तालाब थे तो आज 1 ही तालाब रह गया। आज तालाबों को बहुत जोरशोर से घेरा जा रहा है जो पहले पचास बीघे का तालाब था आज वह मात्र दो बीघे का रह गया और जब बारिश आती है और बारिश का पानी सीवर के साथ तालाब में जाता है तो तमाम पानी वापस आ जाता है और गलियों में भर जाता है। आज गांव के हालात यह हो गये हैं कि यदि ज्यादा बारिश हो जाए तो घुटने-घुटने पानी घरों में घुस जाता है। एक हमारे क्षेत्र में वाजिबपुर गांव है पिछले वर्ष की बात है वहां इतना पानी आ गया कि घुटने-घुटने पानी आ गया, तमाम किसान भाइयों का गल्ला खराब हो गया क्योंकि वह तो नीचे ही बोरियों और कनस्तरों में रखा रहता है क्योंकि तालाब पर अवैध कब्जा हो

गया और जो थोड़ा बहुत तालाब बचा हुआ है उसकी पानी की निकासी नहीं है, तालाब की खुदाई नहीं हुई है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि मेरी विधान सभा के जितने भी तालाब हैं, मैं किसी के लिए अवरोध नहीं पैदा करूंगा कि यह खोदा जाए या न खोदा जाए बल्कि मेरा जो छोटा सा गांव गांधीगांव है वह चारों तरफ तालाबों से घिरा हैं, मैं खुद कोशिश करता हूँ कि हमारे गांव के तालाब उपयोगी बने रहें क्योकि पानी का स्रोत ही यही रह गया है। मैंने आपके माध्यम से कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए कुछ सुझाव दिये हैं, एक तो खनन में बहुत जबर्दस्ती कर रहे हैं, सारे के सारे माफिया हैं वह न हमारी पार्टी के है न आपकी, माफियाओं की कोई पार्टी नहीं होती है, उन्होंने तो जहां देखा वहीं अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं और नुकसान तो गरीब किसान और मजदूर का होता है। बीस गांव के लोग बिल्कुल कटान की कगार पर खड़े हैं, जहां ज्यादा बारिश होगी वह गांव तहस-नहस हो जाएंगे, फिर आपके विभाग से पैसा जाएगा फिर बाढ़ बचाव अभियान चलेगा, करोड़ों-अरबों रुपया लगेगा लेकिन यदि उन खनन माफियाओं को रोक दिया जाए तो इसकी नौबत नहीं आयेगी क्योंकि उन्होंने जलधारा ही मोड़ दी है। उन्हें किसी की परवाह नहीं है न यमुना मैया की और न गंगा मैया की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री दलवीर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, आप तो बोल चुके हैं।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, एक सुझाव और देना चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

आप लिख करके दे दीजिए, मा0 मंत्री जी उस पर विचार कर लेंगे।

*श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे राजस्व विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया। हमारे इलाहाबाद जनपद की दो-तीन समस्याएं बहुत बड़ी हैं। सबसे पहली समस्या वन विभाग और राजस्व विभाग का झगड़ा करीब बीस-पच्चीस साल से चल रहा है। वन विभाग सैकड़ों सड़के बनने नहीं दे रहा है वह कहता है कि यह वन भूमि है जबकि वह भूमि तहसील की है और राजस्व में दर्ज है लेकिन वन विभाग ने उन सड़कों को रोक करके रखा हुआ है, जिससे हमारे आने-जाने का मार्ग बाधित हो रहा है। जो हमारे गांव के किसान, मजदूर हैं वह वनों में जाते हैं, राजस्व की जमीन है, गांव सभा की जमीन है, तहसील की जमीन है, भूदान की जमीन है, जिस पर जंगल विभाग कब्जा करके रखे हुए है। वह कहता है मेरी जमीन है जिसका निस्तारण आज तक नहीं हो पा रहा है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं तालाब तो खुद रहे हैं लेकिन उन तालाबों में पानी आने का कोई रास्ता नहीं है, नालियां नहीं बन रही हैं इसलिए उन तालाबों में पानी नहीं पहुचं पा रहा है इससे हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, वाटर लेबिल नीचे जा रहा है। तीसरी बात, मैं नैनी इण्डस्ट्रियल एरिया की कहना चाहता हूं । नैनी इण्डस्ट्रियल एरिया के लिए जमीन 1961 में एक्वायर की गयी थी। 1961 में किसानों की जमीन औने-पौने दाम में ले ली गयी थी आज उन जमीनों की कीमत करोड़ों रुपये में है। नैनी इण्डस्ट्रियल एरिया की जमीन भू-माफिया बुद्धि लगा करके अपने कब्जे में लेना चाहते

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं जिसमें हमारे अधिकारियों की भी मिलीभगत है। एक फैक्ट्री है, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल फैक्ट्री उसके सामने टी0ई0डब्लू0 कम्पनी है जो किसी समय चीनी मिल के मालिक साहनी साहब की थी, 22-25 एकड़ की जमीन पर भू-माफिया जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं जबकि वह जमीन उस गांव के गरीबों, निर्धनों और अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की थी। मैं चाहता हूं कि अगर यह जमीन इण्डस्ट्रियल एरिया में एक्वायर्ड है, टी0ई0डब्लू0 अपना सामान ले करके चली गयी, इण्डस्ट्रियल एरिया की जमीन को उसके मालिक बेच रहे हैं जबकि नियम यह नहीं है कि उस जमीन को बेची जाए। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इलाहाबाद नैनी इण्डस्ट्रियल एरिया की जमीन बेची न जाए, किसी भू-माफिया के कब्जे में न रहे। जो जमीन टी0ई0डब्लू0 की है वह जमीन अगर गांव के किसानों की है तो उन्हें वापस कर दी जाए नहीं तो इण्डस्ट्रियल एरिया की जमीन इण्डस्ट्रियल एरिया के पास रहे, भू-माफियाओं के पास न जाने पाये। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे इलाहाबाद जनपद में नैनी इण्डस्ट्रियल एरिया बची हुई है और बड़े अधिकारियों से मिल करके उस जमीन पर कब्जे हो रहे हैं, उनको बेचा जा रहा है और कागजों में हेरा फेरी की जा रही है। मैं इसलिए इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इलाहाबाद को बचाने के लिए इण्डस्ट्रियल एरिया की जमीन को बचाने के लिए भू-माफियाओं के ऊपर ज्यादा से ज्यादा नकेल कसी जाए, उनको जेलों में डाला जाए जिससे कि वहां की इण्डस्ट्रियल एरिया की जमीन बच सके। धन्यवाद।

*श्री वंशी सिंह पहाड़िया-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं जो बड़ी व्यावहारिक बात है। करना तो सरकार की मंशा पर निर्भर है। चूंकि मंत्री जी किसान के बेटे हैं, गांव से आते हैं और मेरी बड़ी व्यावहारिक बातें हैं इसलिये मैं आपका ध्यान चाहूंगा। प-क-11 के मामले में भी पटवारी दस-दस साल तक लोगों को तंग कर रहे हैं, अगर आप कहें तो मैं उसका सबूत लाकर के लिखित में दे दूं। जो मृत्यु के 15 दिन बाद प-क-11 के नाम चढ़ जाना चाहिए उसमें किसानों का सीधा-सीधा शोषण आपके लेखपाल कर रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। मान्यवर, पट्टेदार के पट्टे होने के दस साल बाद भूमिधरी संक्रमणीय करने की शक्ति आपने कानून के माध्यम से दी है उसमें भी पटवारी और कानूनगो से लेकर आपके एस0डी0एम0 तक, मैं इसे पचास जगह प्रूव कर दूंगा कि इतना तंग किया जाता है और उसके नाम पर पैसे की उगाही, धन वसूली, एस0डी0एम0 लेबिल की बात कर रहा हूं, नीचे की तो छोड़ दीजिए, नीचे वाले क्या-क्या करते हैं लेकिन उच्चाधिकारी भी इसमें बिल्कुल शामिल हैं। अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से मैं यह बात कह देना चाहता हूं राजस्व मंत्री जी गौर से इसको सुने। मान्यवर, पिछले पांच साल की सरकार में विनियमितीकरण के नाम पर जिस तरह से नंगा नाच हुआ और मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि एक जाति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए सारे परगना मजिस्ट्रेटों, सारे एस0डी0एम्स0 ने अपनी नौकरी बचाना बहुत जरूरी समझा और प्रदेश के राजस्व की जमीन को बर्बाद करना जरूरी नहीं समझा उनकी जांच कराई जाय मैं क्यों यह बात कह रहा हूं मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी मेरे क्षेत्र में 2-3 मर्डर हो गए पांच छह हरिजन ऐक्ट लग गए। विनियमितीकरण की जो परिभाषा है कब्जेदारी के आधार पर उनका विनियमितीकरण किया जाता है लेकिन आज लोग पटवारी से सांठ-गांठ करके एस0डी0एम0 के यहां दरख्स्त देते हैं कि हमारा जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है कब्जा दिलाया जाय। उनका कब्जा था ही नहीं आज जो झगड़ों की फसाद है जो झगड़े हो रहे हैं वह

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विनियमितीकरण के नाम पर हुई लूट के कारण आज प्रदेश में सरकार को कई जगह जवाब देना पड़ रहा है कि हरिजन ऐक्ट लग रहे हैं या मर्डर हो रहे हैं या सरकार की कानून व्यवस्था फेल हो गई है। उनकी यदि आप जांच करा लें तो आधे मामले आपके हल हो जाएंगे। एक भ्रान्ति बनी हुई कि शहर का चेयरमैन हजारों हजार बीघे जमीन होती है शहर में भी जरूरतमंद लोग हैं चाहे वह दलित हों या पिछड़ी जाति के लोग हों चाहे वह आवासीय पट्टे के लिए लोग हैं उन्हें पट्टा नहीं मिल सकता सरकार को इस पर भी अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए दलितों के साथ हो रही ज्यादती के बारे में मैंने उस दिन भी कहा था स्पीकर साहब के सामने कि हमारी जमीन दो लाख रुपये बीघे बिकती है हमारे पड़ोसी किसी ठाकुर साहब किसी पंडित जी, कुर्मी की या दूसरे तीसरे की ईवेन नाई, धीमर, बढ़ई आदि जाति का भी आदमी है उसकी भी जमीन बिना परमीशन के बिकती है मैं अपनी जमीन अपने इलाज के लिए बेचना चाहता हूं अपने बेटे-बेटी की बीमारी पढ़ाई के लिए लेकिन होता क्या है रुक नहीं रही है वह जमीन बड़े जमींदार शेड्यूल कास्ट के नाम कराई जाती है शेड्यूल कास्ट से फिर उसके नाम कराई जाती है। इसमें धन की बरबादी होती है इसलिये वह जमीन सस्ती बिकती है। उस पर राजस्व मंत्री जी जो रोक लगी हुई है उसे हटाया जाय दूसरा शोषण माननीय मंत्री जी पट्टेदार होता है पट्टे काटते वक्त आप लोग यह नहीं सोचते कि यह सोर है बंजर है पट्टा दे दिया जाता है और सोर और बंजर के नाम 50 हजार रुपये बीघे के दाम एस0डी0एम0 से तय हो जाय तो सोर और बंजर का भी संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो जाता है। नहीं तो क्वैरी लगाकर नहीं होता है या तो इसे कतई बन्द किया जाय या फिर इसे खोला जाय। मैं एक बात और कहना चाहता हूं अभी कई माननीय सदस्यों ने भी कहा कि तालाबों पर हो रहे पट्टे तालाबों पर हो रहे कब्जों के बारे में एस0डी0एम0 को कोई परवाह नहीं है। यदि उन्हें परवाह है पुलिस के सिपाही से लेकर डी0वाई0एस0पी0 तक पटवारी से लेकर एस0डी0एम0 तक एस0पी0डी0एम0 को तो हो सकता है कि इतना होश ही नहीं है। अध्यक्ष जी मैं गरिमा से हटकर एक बात कह रहा हूं यदि डेड बाडी भरकर टैम्पों और ट्रक जा रहे हों उसकी तरफ नहीं दौड़ेंगे और एक किसान अपने घर के लिए अपना छोटा सा कमरा बनाने के लिए तपती धूप में यदि कहीं से बालू और रेता ला रहा है तो एस0डी0एम0, सिपाही और पटवारी उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं उसका चालान करते हैं उससे सौदा करते हैं हम लोग कितने लोगों की सिफारिश करें गर्मी के दिनों में किसान के पास दो पैसे हो जाते हैं सैकड़ों टैक्ट्रर डेली इधर से उधर आता है सैकड़ों लोग भराव कर रहे होते हैं हम भी जलील हो जाते हैं जब 10 बार एक दरोगा से कहा जाता है। राजस्व मंत्री जी परसों का दिन है मेरे विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के ग्राम दस्तूरा के ट्रैक्टर और जे0सी0बी0 मशीन को एस0डी0एम0 सिकन्दराबाद उठा ले गया मैंने जानना चाहा कि आप एस0डी0एम0 खुर्जा हैं या एस0डी0एम0 सिकन्दराबाद कहने लगा कि विधायक जी मैं तो एस0डी0एम0 सिकन्दराबाद हूं मैंने कहा कि माननीय चौधरी साहब ने आपको यह अधिकार स्पेशल में दे दिया हो कि दूसरी तहसीलों में भी आप हस्तक्षेप करेंगे तो चार-पांच ट्रैक्टरों के छोड़ने का काम हुआ। बाद में वहां का थानाध्यक्ष कहने लगा कि रजिस्ट्रेशन दिखाओं नहीं तो पैसा दो। मान्यवर, इन एस0डी0एम0 और राजस्व के अधिकारियों को खनन की चिन्ता नहीं है खनन खूब धड़ल्ले से अवैध तरीके से हो रहा है। हम कहते हैं कि तत्कालीन सरकार में बहुत ज्यादा हुआ लेकिन अभी लत वही पड़ी हुई है रेसियो में गिरावट आ सकती है लेकिन लत अभी भी पड़ी हुई है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं एक-एक लेखपाल एक-एक सर्किल में एक-एक तहसील में 10-15 साल में जमा हुए हैं राजस्व में लेखपालों की कमी है लेखपाल का चार्ज भी उसी के पास है कानूनगो का चार्ज भी उसके पास है। इससे व्यवस्था में

फर्क पड़ रहा है या तो लेखपालों की भर्ती की जाय। यह पुराने लेखपाल जो जमे हुए हैं बहुत बड़े मकाबिज बने हैं कम से कम गैर जिलों में उनका तबादला किया जाय। यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अधिष्ठाता-

पहाड़िया जी अब समाप्त करें।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

जी बस समाप्त कर रहा हूं। राजस्व मंत्री जी, मैं जितनी बात कह रहा हूं, अपनी पीड़ा भी कह रहा हूं और यह एक वैचारिक बात है मेरी, प्रैक्टिकल बात है मेरी, किसी नियम और उप नियम के तहत नहीं कह रहा हूं। पटवारियों के तबादले 10-15 साल के एक सर्किल में हो। यदि एस0डी0एम0 ने विनियमितीकरण गलत किया है, यदि पट्टेदारों के नाम दर्ज नहीं हो रहे हैं तो माननीय मंत्री जी वर्तमान सरकार और पुरानी सरकार में हमें कोई फर्क नहीं नजर आयेगा। हम आपसे कड़ी बात इसलिये नहीं कह सकते क्योंकि अभी आपको आये समय कम हुआ है। 6 महीने तो आपसे ऐसे ही बात करनी है लेकिन 6 महीने के बाद जितना आप उस सरकार के लोगों को घेरने का काम करते हैं चाहे हमारी सदस्य संख्या कम है, उससे ज्यादा हम कहेंगे। जेवर में आज जितना खनन हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। मदन चौहान जी आप बोलें।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

आज जेवर के खादर में जितना खनन हो रहा है, माननीय अधिष्ठाता जी, पीठ का संरक्षण चाहूंगा।

*श्री मदन चौहान-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आभारी हूं। हमारे माननीय मंत्री जी ने राजस्व में बजट प्रस्तुत किया इसके लिये मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना मार्मिक बजट है और इसमें कई चीजों का समावेश भी किया है। मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्व का बजट और राजस्व का विभाग बहुत बड़ा विभाग है और बहुत सारी योजनाएं इसमें क्रियान्वित होती हैं। चाहे भूमि संबंधी आंकड़ों का रख-रखाव हो, चाहे राजस्व वृद्धि का मामला हो या कृषि या आवास भूमि का चिन्हीकरण हो, चाहे दैवी आपदा का मामला हो, तमाम चीजें इसमें समावेश करती हैं लेकिन उसमें से सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूं और मेरा सुझाव भी है वह है इसके क्रियान्वयन का। किसी भी विभाग को लें आप, अगर उसका क्रियान्वयन ठीक नहीं होगा तो निश्चित रूप से उसमें खामियां रहेंगी और जिनको हम लाभ देना चाहते हैं, गरीब, कमजोर और किसान को, उसको उसका लाभ नहीं दे पायेंगे। जिस तरह से कोई भी प्रमाण-पत्र बनाने के लिये, हालांकि कम्प्यूटरीकरण है और उसमें 10 दिन से 20 दिन के अंदर प्रमाण-पत्र मिल जाना चाहिए लेकिन प्रमाण-पत्र लेने कौन जाता है ? जो गरीब हैं, कमजोर हैं, जिसको आय प्रमाण-पत्र चाहिए या जाति प्रमाण-पत्र चाहिए या किसी तरह का हैसियत प्रमाण-पत्र चाहिए। लेकिन उसको जाने के बाद में पटवारी जिस तरह से तंग करता है और वह यदि उससे बच जाता है तो नायब तंग करता है इसका नमूना देखने लायक होता है। कभी-कभी जब कोई हमारी बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग विधवा पेंशन के लिये या किसी पारिवारिक लाभ के लिये अपना आय प्रमाण-पत्र बनवाने के लिये तहसील जाती हैं और वह

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रिश्वत की मांग करता है और उस बुजुर्ग महिला के पास 200-500 रुपये का जुगाड़ नहीं होता है तो उसके प्रमाण-पत्र की जो राशि है वह उसको कहीं 50 हजार बना देगा, कहीं 30 हजार बना देगा, कहीं 35 हजार बना देगा। जिससे उसको वह लाभ नहीं मिल पायेगा। मान्यवर, इसका सरलीकरण होना चाहिए। मान्यवर, एक मद हैं इसमें दैवी आपदा। दैवी आपदा ज्यादातर गरीब कमजोर पर ही आती है, जहां तक मैं समझता हूं। चाहे वह शीत लहर हो, चाहे गंगा किनारे कटान की बात हो। अगर उसका गांव बह गया, अगर उसके पशु बह गये। मेरा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर गंगा के किनारे है पंचशील नगर में। वहां पर खादर का इतना लम्बा क्षेत्र लगता है और बहुत सारे गांव कटान पर हैं, बहुत सारे गांव गंगा किनारे बसे हैं और पौराणिक स्थल भी है गढ़मुक्तेश्वर। मान्यवर, जब भी पानी आयेगा तो तमाम खादर में फैलता है वहां के कुछ लोग मर जाते हैं, किसी के मवेशी मर जाते हैं, किसी की झोपड़ी बह जाती है। उस समय खास तौर से चारा तक उपलब्ध नहीं होता। कुछ लोग डूब तक जाते हैं। इसमें मैं अपना सुझाव देना चाहता हूं कि जिस तरह से किसान के लिये कृषक बीमा योजना है उसी तरह से डूबने वाले के लिये कोई ऐसी योजना होनी चाहिए क्योंकि गढ़मुक्तेश्वर में हजारों श्रद्धालु आते हैं। पिछले दशहरे के मौके पर 10 लोग डूब गये। जो आदमी डूब गया उसका कहां पोस्टमार्टम होगा। उसके लिये तो अधिकारी भी कह देता है कि साहब पता नहीं डूबा ही नहीं क्योंकि उसकी बाडी नहीं मिली। जिसकी बाडी नहीं मिली उसको राहत भी नहीं मिलने की। तो मान्यवर, जो डूबने वाले हैं उनके लिये कोई योजना होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में डूबने वालों के लिये कोई योजना नहीं है। विभिन्न ऐसे स्थानों पर बहुत लोग डूब गए। जिनका पता नहीं चला उनको राशि तो राशि बाडी भी उनकी नहीं मिल पाई। मान्यवर, इसी तरह से कुम्हारी कला की बात कहना चाहता हूं। बहुत सारी योजनायें हमारी सरकार ने दी है उसमें से कुम्हारी कला, माननीय नेता जी के नेतृत्व में, पिछली सरकारों में भी इसको काफी प्रोत्साहन मिला है। लेकिन सरकारों में हमारे प्रजापति समाज को इसका लाभ नहीं मिला पाया है। अगर किसी बड़े आदमी ने कुम्हारी कला के नाम पर आवंटित जमीन अपने कब्जे में कर ली तो फिर उस गरीब की जमीन उसने नहीं छोड़ी। मान्यवर, प्रजापति समाज जो बहुत छोटे-छोटे बर्तन दिवाली के मौके पर बनाता है, बहुत मेहनत करता है चिकनी मिट्टी के लिए, ढूढ़ता रहता है पोखरों और तालाब में, जब वह चिकनी मिट्टी मिल जाती है लेकिन उस पर बड़े लोगों का कब्जा होने पर वह छूट नहीं पाती है। मान्यवर, उसको प्रोत्साहन देने की बहुत आवश्यकता है। इसी तरह मैं मत्स्य पालन की बात करूंगा। मत्स्य पालन के लिए मछुआ समुदाय के लिए एक बहुत अच्छी योजना है। लेकिन उनके पीछे हैं कौन लोग, उनके पीछे बड़े लोग हैं उन्होंने उनके नाम से पट्टा लेकर मछली पालनी शुरू कर दी। तो मछली पालन का लाभ किसको मिला, मछली पालन का लाभ मछुआ समुदाय को नहीं मिला। उनको ज्यादा सहूलियत वाली योजना देने की आवश्यकता है। दूसरी योजना सर्वे की योजना है। मान्यवर, गढ़मुक्तेश्वर में जो आर0ओ0 हैं वह खादर की जमीन का भी काम देखते हैं और नोएडा में, जो नोएडा में यमुना के किनारे गांव हैं उसका भी काम देखते हैं। मान्यवर, खादर का इतना बड़ा एरिया गढ़मुक्तेश्वर में है कि वहां जमीन कहीं है, जोत कहीं रहा है, जमीन पर कब्जा माफियाओं का हजारो-हजार एकड़ पर है और गरीब आदमी को पट्टे दे दिए तो उसको उससे बेदखल करके उसको अलग हटा देते हैं। उनकी पत्रावली गायब है रिकार्ड गायब है, तो उस खादर क्षेत्र का बन्दोबस्त करना चाहिए ताकि उन लोगों को लाभ मिलना चाहिए जो लोग लाभ से वंचित हैं। मान्यवर, जिस तरह से और लोगों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भूमि आवंटन की योजना है उसी तरह से विकलांगों के लिए लगभग मृत प्राय योजना यह हो गई है। जो निःशक्त जन

अधिनियम, 1995 की धारा 43 के अन्तर्गत विकलांगों के लिए भी प्राथमिकता पर उनको आवंटन होना चाहिए। मान्यवर, इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि आजकल आग लगने की बहुत सारी घटनायें हो रही हैं। मेरे क्षेत्र में भी पिछले 26 जून को कूट नामक गांव में , गंगा किनारे यह गांव है वहां 26 झोपड़ियां अचानक जल गई। वह नट समुदाय की हैं। उनको राहत राशि नहीं पहुंची है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इसमें निर्देश दिए जाएं ताकि उनके मकान बन सकें और उनके खाने पीने की राशि भी मुहैया हो सके। उनके पास कुछ नहीं बचा है 26 झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री मदन चौहान-

कुछ लोगों को पूर्व में पट्टे आवंटित हुए थे। मान्यवर, एक बहुत बड़ी कोथला नाम की झील जो हजारों एकड़ की झील थी। उसकी पत्रावली राजस्व विभाग से गायब करा ली आवंटित करा ली। बड़े लोगों के नाम से पट्टे काट लिए और पट्टे काटकर बेच भी लिए, पत्रावली गायब हो गई, उस पर भू माफियाओं का कब्जा है।

श्री अधिष्ठाता-

इसकी जांच करा लें। मा0 मदन जी आप राजस्व मंत्री जी को लिखकर दे दें वह इसकी जांच करा लेंगे।

श्री मदन चौहान-

बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं जितनी सीमाओं से लगे जिले हैं जिस तरह से नोएडा हरियाणा का है गढ़मुक्तेश्वर पंचशील नगर और जे0पी0 नगर है वहां पर बन्दोबस्त के नाम पर सीमा विवाद होता रहता है।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री मदन चौहान-

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन सुझावों पर मा0 मंत्री जी ध्यान दें।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मा0 हुकुम सिंह जी के राजस्व विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। उनकी सभी बातों से अपने को सम्बद्ध करते हुए मा0 अधिष्ठाता जी उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान देश है। उत्तर प्रदेश में जब कृषि प्रभावित होती है तो सच मानों प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था प्रभावित होती है। इसलिए माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो भी बजट रखा है, उसमें कुछ बातें तो सराहनीय है और कुछ बातें आलोचना की है। मैं सराहनीय बातों के बारे में भी बोलूंगा और आलोचना वाली बातों पर सुझाव देने का प्रयास करूंगा। मान्यवर, किसान की कृषि से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं, जैसे दाखिल-खारिज जो किसान को बहुत प्रभावित करता हैं। पिता की मृत्यु के बाद जमीन उसके बेटे के नाम आनी चाहिए परन्तु जब तक जो उत्तराधिकारी हैं, वारिश हैं, तहसील के चक्कर नहीं लगाते, लेखपाल, कानूनगो अथवा ऊपर उनकी जेबें गरम नहीं करते, तब तक वह जमीन उनके नाम नहीं आती, इसलिए आप दाखिल-खारिज की प्रक्रिया को और आसान बनाने का काम करें। इसमें तय करें

कि मृत्यु के बाद अधिकतम 1 महीने में दाखिल-खारिज होना सुनिश्चित हो जाए जिससे किसान को चक्कर न लगाने पड़े। मान्यवर, दूसरा कृषक दुर्घटना बीमा योजना, यह अच्छी योजना है और इसमें आपने 1 लाख से 5 लाख बढ़ाने की बात कही है लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है। अभी किसी भी किसान को दुर्घटना की राशि मिल नहीं पा रही है। हमारी ही विधान सभा औला में तोता राम जो संग्रामपुर के रहने वाले हैं, मान्यवर, किसान और उसका पूरा परिवार खेती में काम करता है, उसकी बीबी, उसके बच्चे, पूरा परिवार खेती में लगता है, तब कहीं उपज ले पाता है और अभी तोता राम की पत्नी पम्पिंग सेट से पानी लगा रही थी, पट्टे में उनकी धोती उलझ गयी और तत्काल उसकी मृत्यु हो गयी। आज लगभग 10 दिन हो चुके हैं, तहसील को सूचना भी दे दी गयी लेकिन उनको दुर्घटना बीमा की राशि अभी तक नहीं मिली है। एक गांव लक्षिनपुर है, वहां की लड़कियां मिट्टी खोदने गयी थीं, मिट्टी खोदते समय ऊपर से धपार गिर गयी, तीन लड़कियों की मृत्यु हो गयी, एक लड़की मुश्किल से बची है, उसका इलाज चल रहा है। मृतक लड़कियों के परिजनों को अभी तक कोई अनुदान राशि नहीं मिली है। माननीय राजस्व मंत्री जी इसको दिखवाने का काम करेंगे। मान्यवर, इसी तरीके से खेतों में काम करते समय चाहे सांप काट ले या और कोई दुर्घटना हो, दुर्घटना बीमा की जितनी भी राशि आप देना चाहते हैं, किसान को तत्काल मिले ताकि इस व्यवस्था से उसके आंसू पोंछने का काम हो सके, उसको कुछ न कुछ राहत मिल सके, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यवर, इसी तरीके से दैवी आपदा, किसान दैवी आपदाओं से हमेशा प्रभावित रहता है, सूखा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, शीतलहरी यह ऐसी समस्याएं हैं, जब तक किसान की खेती का उत्पाद उसके घर से नहीं आ जाता, तब तक उसका हृदय कांपता रहता है कि ओले न पड़ जाये, कहीं नील गाय न खा जाये, कहीं आग न लग जाये तो इस तरीके से जो दैवी आपदाएं हैं, मान्यवर, मेरा तो सीधा-सीधा मानना है, राजस्व मंत्री जी, जब बाढ़ आती है तो किसान उससे प्रभावित होता है, किसान की जमीन प्रभावित होती है लेकिन अधिकारियों के घर भरने का काम करती है। पूरा पैसा अधिकारियों की जेब में जाता है, किसान को तो आप 300 रुपये बीघा दे दिया, 300 रुपये बीघे से उसके क्या आंसू पुछेंगे, कौन सी उसकी फसल के उत्पादन का लाभ मिलेगा, मान्यवर, मंत्री जी से चाहूंगा, सन् 2011 में बाढ़ आयी, क्षति एवं राहत राशि जो आपने इस बजट में दिखाई है, 423.55 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए, मान्यवर, आप इसकी जांच करा लें। यह बाढ़ की राशि कहां गयी ? किसानों को तो मिली नहीं। 423.55 करोड़ रुपये की धनराशि बहुत होती है। ओलावृष्टि में भी 8.66 करोड़ रुपया बांट दिया गया तो मान्यवर, इस तरीके से जो राशि खर्च हुई है, उसकी जांच हो जाए ताकि अधिकारियों को लगे। जो जिसका पात्र है। किसान की जमीन का नुकसान हुआ है उसकी फसल नष्ट हुयी है तो उसको पैसा मिलना चाहिए। न कि अधिकारियों की जेबे भरी जानी चाहिये। मान्यवर, आपने आगामी वित्तीय वर्ष में 2012-13 में आपदा मोचन निधि 425.529 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की है। यह कम है इसमें बढ़ोत्तरी होनी चाहिए इसमें 318.97 करोड़ भारत सरकार का अंश है और राज्य का अंश 106.132 करोड़ है। इसको बढ़ाने का काम करें। मान्यवर, जो जनता और किसान की परिस्थितियां हैं। मान्यवर, किसान खेती के लिए कर्जा लेता है और उस कर्जे को खेती में लगाकर चुकाना भी चाहता है। उसकी फसल खराब हो गयी तो वह बैंको का कर्जा नहीं दे पाता है। आर0सी0 कट जाती है उसकी जमीन की नीलामी होती है। मान्यवर, सरकार ने वायदा किया था कि हम किसान की जमीन नीलाम नहीं करेंगे, किसान का कोई उत्पीड़न नहीं होगा लेकिन प्रदेश में किसान की जमीन नीलाम करने का काम किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में इस बात पर जरूर ध्यान दें।

आपने किसानों के 50 हजार रुपये के कर्ज को माफ करने की बात कही थी। अभी उसकी कोई पालिसी नहीं बनी है। अगर आपको किसानों का 50 हजार रुपये के कर्ज को माफ करना है तो तत्काल कोई पालिसी बनाकर जिलों में भेजने का काम करें ताकि किसान को लाभ मिले। इन्हीं बातों के साथ मैं मा0 श्री हुकुम सिंह जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

*श्री लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद-

मान्यवर, आपने मुझे राजस्व विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय अधिष्ठाता जी मैं मछुआ समुदाय की बात करना चाहता हूं। मैं मा0 राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मा0 नेता जी की पिछली सरकार में मछुआ समुदाय के मत्स्य पालन के जो भी पट्टे होते थे तो उस पर प्रति हे0 10 हजार रु0 लगान था। पिछली सरकार ने इसको 10 गुना बढ़ाकर प्रति हे0 कर दिया था। जिससे इस समुदाय के समक्ष रोजीरोटी का संकट खड़ा हो गया है। क्योंकि मछुआ समुदाय गरीब व्यक्ति है, इतनी लगान बढ़ा दी गयी है कि मत्स्य पालन नहीं कर पा रहा है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मा0 नेता जी की सरकार में जो भी लगान और सुविधायें थीं वह मछुआ समुदाय को राजस्व विभाग द्वारा दी जाये। धन्यवाद।

श्री अली युसुफ अली-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने राजस्व विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मुझे मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से जनपद रामपुर की तहसील स्वार में करोड़ों रुपये के राजस्व के नुकसान के बारे में बताना चाहता हूं। मान्यवर, हमारा जो तहसील स्वार है। उसके बगल में बाजपुर की तहसील है जो उत्तरांचल में पड़ती है। दोनों प्रदेशों का बार्डर होने की वजह से वहां पर उत्तर प्रदेश के बार्डर पर जाकर कुछ स्टोन क्रेशर लगाये हुए हैं। तहसील स्वार में वह स्टोन क्रेशर बिल्कुल उत्तरांचल के बार्डर पर हैं और जो हमारे तहसील स्वार के एस0डी0एम0 हैं या तहसीलदार हैं वह उन स्टोन क्रेशरों से लाखों रुपया महीने का लेकर बिल्कुल वहां पर अवैध तरीके से खनन का काम आ रहा है और वहां पर स्टोन क्रेशर चल रहे हैं। वहां पर एक तरीके से बिल्कुल राजस्व नहीं वसूला जा रहा है और बहुत बड़ा अनुष्ठान हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां एक सिंह स्टोन क्रेशर है और एक यूनाइटेड स्टोन क्रेशर है जबकि यूपी में बिल्कुल खनन का माल नहीं है, लेकिन बार्डर होने की वजह से राजस्व मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि उनके बिल्कुल बार्डर पर उत्तरांचल में खनन का माल, वहां से भी वह लोग चोरी करते हैं वहां से भी राजस्व का पैसा उत्तरांचल की सरकार को नहीं जाता है, वह वहां से भी चोरी करते हैं और यूपी में भी एक तरह से चोरी करते हैं यहां पर वह अवैध तरीके से स्टोन क्रेशर मालिकों को वह खनन देते हैं और उसको वह खरीदने के बाद बहुत मोटी रकमों में बेंच रहें हैं जिससे लाखों रुपया रोज का और साल में करोड़ों रुपये का राजस्व नुकसान हो रहा है। मा0 मंत्री जी से मैं बताना चाहूंगा कि तहसील स्वार में जो यह पांच-दस स्टोन क्रेशर हैं बिल्कुल अवैध तरीके से खनन को खरीद कर राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। दूसरा मा0 मंत्री जी से दरख्स्त करना चाहूंगा और आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो 50 हजार रुपया किसानों को ऋण माफी की बात है हम जब अपने विधान सभा क्षेत्र में घूमते हैं तो वहां के लोग यही बात रोज हमसे कहते हैं कि भाई कर्जा कब तक माफ हो सकता

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, क्योंकि किसानों ने यह तय कर लिया है कि हमें जब तक यह बात फाइनल न हो जाय तब तक कर्जा नहीं भरना है। बैंकों में कोई भी आज की डेट में पैसा जमा करने को तैयार नहीं, कोई सोसाइटियों पर जाकर कर्जा भरने को तैयार नहीं है हर जगह यही बात सामने आ रही है कि कर्जा माफ होगा किस पोजीशन में होगा, अगर सरकार कर्जा माफ करना चाहती है तो यह स्पष्ट कर दे कि कब तक कर्जा माफ होगा और किन किसानों का कर्जा माफ होगा, जिससे भ्रम की स्थिति जो बनी हुई है वह न हो और वहां क्षेत्र में बैंकों पर पैसा आ जाय, सोसाइटियों पर पैसा वापस आना शुरू हो जाय। मैं मा0 मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस स्थिति को जल्द से जल्द फाइनल कर के जिला हेड क्वार्टर पर अपनी बात पहुंचा दें जिससे कि किसानों का भ्रम दूर हो सके। मैं बजट के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं, धन्यवाद।

श्री हेमराज वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अपने राजस्व विभाग के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। आज हमारे राजस्व मंत्री ने जो बजट पेश किया है, वास्तव में ऐतिहासिक बजट है और बजट में जो-जो प्राविधान मा0 मंत्री जी ने किये हैं जैसे किसान दुर्घटना बीमा की राशि को बढ़ाना और जो जमीनों के झगड़े हैं, उन जमीनों के झगड़ों को मिटाने के लिए जिस तरह से कारगर योजना मा0 मंत्री जी ने बनाई है, वास्तव में इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैं आपके माध्यम से गांव की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान मा0 मंत्री जी का आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जिस तरह से मा0 मंत्री जी ने जमीनों के झगड़े निपटाने की बात कही है मैं गांव के अन्दर की कुछ बातों को बताना चाहता हूं क्योंकि मैं ग्राम प्रधान भी रहा हूं और जिस तरह से जमीनों के झगड़े गांव के बाहर खेत की मेड़ काटने से लेकर अन्य किसी वजह से रास्तों के सम्बन्ध में वैसे ही बहुत सारे झगड़े गांव के अन्दर भी होते हैं। इस सम्बन्ध में हमारी जो व्यवस्था है शायद उसकी कमी रही है कि आज हमारे जो गांव हैं उन गांवों के अन्दर का नक्शा नहीं होता है, इस वजह से गांव की गलियां लोग बन्द कर लेते हैं। असरदार लोग रास्तों पर अवैध कब्जा कर लेते हैं, छोटी-मोटी गलियां बन्द कर लेते हैं मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी जमीनों के नक्शे हैं हमारे तालाबों के नक्शें हैं, उसी तरह से अगर हमारे गांव के अन्दर की जो गलियां हैं, हमारे गांव के अन्दर के जो देव स्थल हैं, हमारे गांव के अन्दर जो तालाब हैं अगर उनको भी अगर नक्शें पर ला दिया जायेगा तो बहुत सारे झगड़े हमारे गांव के अन्दर के निपट सकते हैं क्योंकि आये दिन उन गलियों को बन्द करने की वजह से ग्राम समाज के अन्दर का जो भूखण्ड पड़ा हुआ है, उस पर कब्जा को लेकर आये दिन बहुत सारे झगड़े होते हैं और कई-कई बार तो बहुत सारी जानें भी जाती हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी इसी वजह से पिछले दस साल पीछे वहां पर एक ऐसा झगड़ा हुआ कि जहां 6-7 लोग मारे गये थे। ऐसे ही आये-दिन झगड़े होते रहते हैं। अगर हमारे गांव का भी नक्शा बन जाये। हमारी भी गलियों का नक्शा बन जाये और सारी चीजों का नक्शे पर उल्लेख हो जाये तो फिर उन गलियों पर अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होती रहेगी और उससे गांव के अन्दर की बहुत सारी समस्यायें भी निपटती रहेंगी और गांव के अन्दर के सारे झगड़े निपटते रहेंगे। मैं राजस्व के बजट पर पुनः समर्थन करते हुये अपनी बात को विराम देता हूं।

श्री अनीसुर्रहमान-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राजस्व विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया है। मैं इस मौके पर कुछ सुझाव मा0 मंत्री जी के समक्ष रखना

चाहता हूं। राजस्व के मुताल्लिक एक धारा 33/39 है। इसका दुरुपयोग राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी खूब जमकर करते हैं। किसी की जमीन किसी के नाम कर दी जाती है और कृषक इसे सही कराने के लिये कई-कई साल तक भागा करता है। भारी तादाद में पैसा खर्च करता है। मैं चाहूंगा कि जो जिम्मेदार लोग कृषकों के नाम खतौनी में गलत लिख देते हैं और फिर उनका उत्पीड़न किया जाता है तो उनकी कुछ जिम्मेदारी फिक्स की जाये ताकि भविष्य में ऐसा कुछ न हो। किसान को परेशान न होना पड़े। मैं यह सुझाव भी देना चाहूंगा कि कानूनी तौर पर जो 132 की भूमियां होती हैं उनके पट्टे करने का अधिकार नहीं है लेकिन तहसील के कर्मचारी और अधिकारी 132 की लैण्ड के पट्टे कर देते हैं। मान्यवर, काश्तकार कानून का जानकर नहीं है, उसे कानून की जानकारी नहीं होती। सिर्फ पैसे लेकर ऐसी जमीन के पट्टे किये जाते हैं और फिर उसको 132 की लैण्ड बता कर पट्टे खारिज कर दिये जाते हैं। जो अधिकारी और कर्मचारी ऐसी जमीनों के पट्टे करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए क्योंकि वे कानून के जानकार हैं। वो जानबूझकर लोगों का उत्पीड़न करने के लिए, कृषकों को उत्पीड़न करने के लिए इस तरह के पट्टों को करते हैं। ताकि वो भविष्य में कार्यवाही करने के बाद इस तरह के पट्टे न कर सकें और कृषकों का उत्पीड़न न कर सकें। एक सुझाव मेरा यह भी है जो दैवी आपदा से मुताल्लिक है, उससे सम्बन्धित है। इसमें मान्यवर, ने बताया कि कृषकों की मौत पर उसके मुखिया की मौत पर 5 लाख रुपये कृषक बीमा का प्राविधान किया गया है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि घर का मुखिया मौजूद होता है, उसकी उम्र 80 साल होती है, बेटे की उम्र 60 साल होती है। जमीन मुखिया के नाम होती है और उसके बेटे का नाम उस जमीन में जिन्दा रहते नहीं आ पाता है लेकिन उसके बेटे की अचानक मौत हो जाती है तो भरा पूरा परिवार उसके पीछे होता है। तो ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि अगर उसके बेटे के नाम भूमि नहीं है उसे भी उस बीमे का लाभ मिल जाये। एक अतिरिक्त सुझाव मेरा यह भी है कि राम गंगा नदी हमारे क्षेत्र में बहती है वहां ग्राम सभा कांठ के अन्दर और तीन चार गांव ऐसे हैं जो यू टर्न लिये हुये हैं और वहां 2010 से लगातार बाढ़ आ रही हैं। लेकिन कई दफा कहने के बाद भी कोई काम वहां पर नहीं कराया गया। फिर काश्तकारों और हम सब ने वहां पर इकट्ठा हो करके एक रूट कैनाल बनायी है डायरेक्ट करने के लिये ताकि उसकी धारा गांव की तरफ से मोड़ी जा सके। जे0सी0बी0 मशीनें मौके पर चलायी गयीं और 15 दिन हो गये, डेढ़ किलोमीटर नहर खोद के उसकी धारा को परिवर्तित करने का प्रयास गांव के लोगों ने आपस में चंदा इकट्ठा करके किया है और जब हमने वहां उसकी धारा को रोकने का प्रयास किया तो वहां 50 हजार कट्टों की आवश्यकता हम लोगों को वहां पर पड़ी। हमने सी0डी0ओ0 महोदय, डी0एम0, एस0डी0एम0 एवं बाढ़ फण्ड के अधिकारियों को अवगत कराया। लेकिन 50 हजार खाली कट्टों का इंतजाम किसी अधिकारी ने करके नहीं दिया। एक दूसरे पर डालते रहे, हमारा पूरा प्रयास था उस धारा को मोड़ने का था ताकि बाढ़ आने पर कटान बच सके लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। मैं मा0 राजस्व मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि दैवी आपदा से सम्बन्धित मामला है जिला मुरादाबाद के अंदर और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित करके दैवी आपदा फण्ड से 50 हजार कट्टे हमें दिलाये जायें। वहां पर पैसे की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। एक अनुरोध और मा0 मंत्री जी से है कि हमारे क्षेत्र में एक गांव पड़ता है राजीपुर खद्दर, सन् 1980 से उसकी चकबंदी चल रही थी और उसका रिकार्ड चल गया था और आज तक चकबन्दी लगातार बरकरार है। लोग 31 साल से परेशान हैं। मान्यवर, और लोगों को उत्पीड़न हो रहा है लोग चकबन्दी अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। मेहरबानी करके उस चकबन्दी प्रक्रियाओं को मुकम्मल करके उसे समाप्त करा दें। मान्यवर, तहसील कॉट जो मुरादाबाद में है उसको बने हुए 13 साल हो गये वहां तहसील भवन का बनना बहुत जरूरी

है मैं चाहता हूं कि इस बजट में, बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं। उस तहसील भवन का निर्माण कराने की घोषणा करें। मान्यवर, वह एक स्कूल के छात्रावास में चल रहा है। इसलिए वहां तहसील भवन होना जरूरी है। उसको बनवाया जाये और एक किसान भवन बनवाया जाये। मैं बजट से सहमत हूं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

*डा0 अजय कुमार-

मान्यवर, मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और इसके समर्थन पर बल देता हूं। मान्यवर, मैं इलाहाबाद जनपद से चुनकर आया हूं वह संगम की नगरी है और वहां पर हर साल माघ मेला और 6 साल और 12 साल पर कुम्भ मेला लगा करता है। मान्यवर, जो किसान उस मेले से प्रभावित होते हैं वह एक पूरी की पूरी फसल बो नहीं पाते हैं एक एक हैक्टेयर में एक-एक किसान प्रति सीजन कम से कम 50 हजार रुपया कमा लेता है वहां सब्जी खूब होती है और फूल खूब निकलते हैं हमारे यहां। हमारे यहां से काफी मात्रा में फूल बाहर भी जाते हैं। मान्यवर, जो किसान इस मेले के कारण प्रभावित होते हैं उनको जो मुआवजा मिलता है वह बहुत पुरानी दरों पर मिलता है उसमें कोई संशोधन अभी तक नहीं हुआ है मा0 मंत्री जी उसमें संशोधन जरूर करें। मान्यवर, उसमें उनको उचित मुआवजा मिले और यह देखा जाये कि आज बाजार की दर पर प्रति हैक्टेयर या प्रति एकड़ कितना मुआवजा उनको दिया जा सकता है और जो वाजिब हो वह उनको जरूर दिया जाये तो अच्छा रहेगा।

मान्यवर, अभी एक राष्ट्रीय दल के नेता बोल रहे थे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की जमीनों को बिक्री के लिए खोल देना चाहिए। मान्यवर, मैं इस पर बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इसलिए सहमत नहीं हूं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है वह ठीक नहीं है। मान्यवर, इस कानून को बनाने के पीछे जो मंशा रही है कि जमीन न बेची जाये वह अच्छी रही है। मान्यवर, हमारे यहां बड़े-बड़े नेताओं ने बहुगुणा जी रहे हैं उनकी मंशा साफ थी, मान्यवर, कि किसान अपनी माटी के खेत से फसल उगा कर अपने बच्चों और अपने परिवार का पालन पोषण करें। मान्यवर, जो दलित किसान होता है वह विशेषकर दबा हुआ होता है उससे लोग औने पौने दामों में उससे खेत लिखा लिया करते थे। मान्यवर, आज भी बेचने का नियम है और शासन की ओर से कहीं ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि वह बेच नहीं सकता है। मान्यवर, वह बेचना चाहे तो जिला प्रशासन से अनुमति लेकर के बेच सकता है। मान्यवर, यह जरूर है कि उसको बेचने में कठिनाई होती है क्योंकि प्रक्रिया थोड़ी कठिन है परन्तु उसके पीछे मंशा सही है। क्योंकि इस समुदाय के लोग ज्यादातर यह कहें कि दारू वगैरह पी लेते हैं मद्यपान करते हैं। तो इसीलिए यह किया गया होगा कि उनकी आने वाली पीढ़ियां जमीन बिक जाने से प्रभावित न हों। इसीलिए हमारे बड़े नेताओं की यह मंशा रही होगी उनकी जमीन आसानी से कोई खरीद न लें। मान्यवर, यह कह देना कि इस कठिनाई की वजह से नियमों की, वह अपनी जमीन सस्ते में बेच देता है, यह उचित बात नहीं है। मान्यवर, हमारे यहां सी0आर0पी0सी0 और आई0पी0सी0 में हत्या के मामले में 302 का मुकदमा और फांसी की सजा का प्राविधान है तो क्या उस धारा की वजह से और सजा की वजह से हत्यायें रुक रही हैं। वह नहीं रुक रही हैं। नियम अगर कठोरता से लागू किया जाय उसका पालन सही तरीके से किया जाय तो मैं समझता हूं कि इस नियम में परिवर्तन करने की सम्भावना, संशोधन तो थोड़ा बहुत समझ में आता है क्योंकि उनको अगर बेचने की आवश्यकता है यह तो नियम है वह बेच कर उससे ज्यादा जमीन ले अगर उसको कहीं ज्यादा जमीन मिल रही है तो उसकी उपयोगिता दिखाकर वह जमीन बेच सकता है तो मैं पुनः बजट

*वक्ता ने भाषण को पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर अपना समर्थन व्यक्त करता हूं और इस बात पर विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं माननीय मंत्री जी का कि उनको जमीन की कीमत कम मिलती है तो उनको जमीन की उचित कीमत दिलाये स्थानीय प्रशासन, उनको जमीन की उचित कीमत दिलाये।

*श्री मो0 मुस्लिम-

मान्यवर, आपने मुझे राजस्व विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जो यह राजस्व विभाग है इसकी जड़े बड़ी गहरी हैं और सबसे ज्यादा जो किसानों का अहित होता है वह जो अपात्र लोग हैं जिनको फायदा नहीं मिलना चाहिए और जिस नीयत से यह सरकार हमारी समाजवादी विचारधारा की आई है हमें यकीन है और मुझे इस बात का विश्वास है कि वह कुछ नियम में बदलाव जरूर लायेगी क्योंकि गरीब किसान भूमिहीन जिसको जमीनों का पट्टा मिलना चाहिए, जमीनें मिलना चाहिए लेकिन लेखपाल जो हैं और जो गांव के प्रधान होते हैं चुनाव में हारजीत का जो आंकड़ा तय करते हैं वह पट्टे से तय करते हैं उसमें लेखपाल का बहुत बड़ा हाथ होता है। जो पात्र लोग हैं किसान जिनकों भूमि मिलनी चाहिए लेकिन जमीन दी जाती है अपात्र लोगों को जिनके पास बहुत बड़ी कोठियां हैं, मकानात हैं, जमीने हैं। मैंने लेखपाल की जो बात कही और यह कानूनगो जो हैं एक-एक तहसील में 15-15, 18-18 साल से हैं इसलिए इसकी जो गहराई है तो गलत नीति को अपना रही है एक नीति तय होनी चाहिए कि लेखपाल कानूनगो जिस इलाके में तहसील है उस इलाके में न रखा जाय उसको अलग पोस्ट कर दिया जाय और जो भी लेखपाल और कानूनगो हैं उनका एक समय आप माननीय मंत्री जी निर्धारित करिये कि दो साल रहेंगे, तीन साल रहेंगे जितने ये पुराने हो जाते उतने ये बेइमानी की तरफ ले जाते हैं अपने काम को। हमारे यहां ग्राम सभा तिलोई विधान सभा में एक पाकर गांव है जिसमें ढाई सौ लोगों को जिनके पास अच्छे-खासे मकान, जिनके पास जमीनें उनको पट्टा दिया गया और जो इसके पात्र हैं उनको जमीने नहीं दी गयी। मैंने जिलाधिकारी और लोगों से शिकायत किया जांच हो रही है। मैं अपनी विधान सभा के बारे में बताना चाहता हूं यह जो खनन की बात आई।

(इस समय 4 बजकर 22 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अपना खेत बराबर करने के लिए जे0सी0बी0 ट्रैक्टर लगा करके कुछ मिट्टी निकाल करके अपना मकान बना रहे थे उसमें गद्दा पाथने के लिए ले जा रहे थे हमारे एस0डी0एम तहसील तिलोई ने उन्हें ले जाकर के बंद कर दिया और आज हमने अखबार में देखा है, आपने जो नीति निर्धारित की है। सरकार ने जो नीति निर्धारित की है, हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपको, इसमें आपने कहा है कि जो अपने मकानों को, अपने घरों को और अपनी जमीन का बराबर करेंगे उनके साथ ऐसी ज्यादती नहीं होगी, लेकिन मुझे आज भी खबर आई है, मेरे विधान सभा क्षेत्र से कि हमारे यहां के एस0डी0एम0 आज भी गड़बड़ किया है। मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसे अधिकारियों को जिलाधिकारी को सूचित किया जाए, निर्देश दिया जाए कि ऐसे कार्य न करें, जिससे गरीब किसानों का अहित हो रहा है। मैं मा0 अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी ये यह भी दरख्वास्त करता हूं कि जो आप यह किसान बीमा योजना लाए हैं, जो कि एक लाख की थी और जिसे आपने 5 लाख किया है। हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी हम उसके लिए भी आपको बधाई देते हैं। आपके द्वारा चलाई गई एक और योजना के बारे में हमने आज आपके भाषण में सुनी कि जो किसान नहीं है और जिनके साथ

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हादसात् हो जाते हैं, जो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और अगर उनके पास जमीन नहीं है तब भी आपने एक योजना लागू की है, उसके लिए भी आपको बधाई देते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है, कि आपको जो तहसील का बुनियादी ढांचा है, वह बहुत खराब है। उसके लिए आप देखिए। मेरे तहसील तिलोई में आपने ढाई-तीन करोड़ रुपये लगा करके तहसील की बिल्डिंग बना दी और इस समय हमारी तहसील तिलोई किराए पर चल रही है और उसकी वजह से तमाम कठिनाईयां आ रही हैं। तिलोई में कुछ एक का अपना राजपाठ है, उसकी वजह से वहां पर तहसील जो आपकी बनी हुई है, वहां पर एस0डी0एम0 और सी0ओ0 दोनों रहना शुरू कर चुके हैं। मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं राजस्व मंत्री जी आपसे यह भी दरख्वास्त करता हूं, इसके लिए आप अविलंब तहसील को जहां होना चाहिए, मोहनगंज में ही उसे स्थानान्तरित करने की मेहरबानी करें। इसी के साथ बहुत-बहुत, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 राजस्व मंत्री जी, इस पर दो घण्टे से ज्यादा चर्चा हो गई है। आगे ग्राम्य विकास का भी बजट है अन्य विभागों का भी बजट है।

श्री अब्दुल मशहूद खां-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे राजस्व विभाग के बजट पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्व विभाग, आम आदमी से किसानों से सीधा जुड़ा हुआ विभाग होता है। मा0 मंत्री जी का ध्यान मैं इस तरफ भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि भूमि विवाद की वजह से बहुत सारे झगड़े होते हैं और उससे हत्यायें भी होती हैं तो जो भूमि विवाद का मामला है उसका तुरंत निवारण हो इसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। कोई ऐसा प्राविधान होना चाहिए, जिससे इसका निपटारा आसानी से हो सके। जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं, तुलसीपुर विधान सभा क्षेत्र, वह नेपाल बार्डर से सटा है और उसके किनारे जंगल बहुत ज्यादा हैं। और, जंगल के किनारे जो किसान बसे हैं, वह अपनी जमीनों में पेड़ लगाते हैं कि जब यह पेड़ बड़े हो जायेंगे, तो अपनी लड़कियों को शादी करने के लिए अपने और अपने परिवार के लिए इन पेड़ों की परमिट लेकर के इनको बेच करके अपने इस्तेमाल में लाएंगे, लेकिन जब वह परमिट लेने जाते हैं तो जंगल के अधिकारी उस पर विवाद खड़ा कर देते हैं। सीमा विवाद खड़ा कर देते हैं और कहा जाता है कि राजस्व की टीम और फारेस्ट विभाग की टीम दोनों टीमें मिलकर के, इसके सीमा विवाद का निस्तारण करेंगे। पता लगता है कि उसकी 18 साल की लड़की 25 साल की हो गई और तब तक सीमा विवाद का निस्तारण नहीं हो सका। इसकी भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि जंगल के किनारे जो किसान बसे हैं, उनको परमिट लेने में दिक्कत न हो। बहुत सी जगहों पर तो ऐसा देखने को मिलता है कि फारेस्ट वाले किसानों के पेड़ों को ही हड़प लेते हैं, उसको कहते हैं कि हमारा पेड़ है, देते ही नहीं हैं। ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं राजस्व के बजट के समर्थन में बोलते हुए आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे राजस्व बजट पर कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जनपद झांसी में जो किसानों की जमीन छावनी परिषद् के लिये ली गयी

थी, उस पुर्ववास की जमीन पर उनको मालिकाना हक आज तक नहीं मिला है। आज भी वह किसान उस जमीन पर मालिक तो है लेकिन न तो उस जमीन का उनका क्रेडिट कार्ड बन पाता है, न वह उसे बेच सकते हैं और न उस पर उन्हें कोई लोन मिलता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उनको उस जमीन का भूमिधर बनाकर मालिकाना हक दिलाने का काम करें।

दूसरी बात, हमारे बबीना विधान सभा के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो फील्ड फायर एरिया में गये हैं, जिनकी आज बहुत बुरी हालत है, न तो उन गांवों में किसी तरह पानी की सुविधा है और अगर उनको पैसे की जरूरत पड़ जाये तो न तो वह जमीन बेच पाते हैं, न वह उस जमीन को कहीं गिरवी रख पाते हैं जैसे हमारे महेशगढ़ गांव है, तौहरा है, बैजपुर है, फूलपुर है, जौनपुर है, सुजानपुरा, सूरजपुरा, पृथ्वीपुर, बढ़इयनपुरवा, नया खेड़ा, देवगढ़, रामगढ़, कसौधन, कंचनपुर, रुंदकरारी, शंकरगढ़, पंचमपुर, वुडपुरा, हीरापुर, सुकवां, चन्दौली, सारमऊ, खिरकन, सारमधु, धरमपुरा, राजगढ़, मुटरन, रसोई, कारीटोरन, बसाई नयेधरन, बदनपुर, उसरवाय, खैरा, उमरवाय, पुनावलीकालां, गोपालपुरा, हस्तिनापुर, प्रीतमपुर, खाड़ी, खुशीपुरा, राजगढ़, वडैरा, रामगढ़, टिमरपुरा, कौनिया, गंवावली, चंचनऊ, सिमरावारी, मोटा, भड़रा, दयानगर, पथरवारा, पनहारी चन्द्रनगर, टौरिया, रामगढ़, टपरियन, किचवाराबुजुर्ग, ढूंका, छर्रा, भड़रा, कसावरी, डुबकी छोटी, डुबकी बड़ी आदि ऐसे गांव हैं, जिनकी जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गयी थी और बदले में पुनर्वास हेतु जमीन दी गयी थी लेकिन उनको उक्त भूमि का मालिकाना हक प्रदान नहीं किया गया। मेरी आपके माध्यम से यह मांग है कि इन गांवों के लोगों को इनकी जमीन का मालिकाना हक प्रदान कराया जाये।

मान्यवर, इसके अलावा हमारी विधान सभा की एक और समस्या है कि बबीना विधान सभा में एक भी तहसील नहीं है। हमारी विधान सभा का कुछ क्षेत्र मोंठ तहसील में आता है जो गरौठा विधान सभा में पड़ती है। कुछ हमारा विधान सभा का क्षेत्र टहरौली तहसील में आता है जो मऊरानीपुर विधान सभा में है। कुछ हमारे बबीना विधान सभा का क्षेत्र झांसी तहसील में आता है जो झांसी विधान सभा में है। लेकिन झांसी तहसील का जो भाग है वह बहुत बड़ा भाग है और जहां पर हमारी झांसी तहसील है, वह बहुत ही छोटी जगह में बनी हुयी है, लेकिन उसके लिये एक नई भूमि आवंटित की गयी है, लेकिन अभी तक नई तहसील बनाई नहीं गयी है। तो मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि झांसी जिले की नई तहसील के लिये जो जगह आवंटित की गयी है, उस जगह पर नई तहसील बनवाई जाये और हमारी बबीना विधान सभा में जो बबीना ब्लाक है, उस ब्लाक में भी सिमरावारी में एक नई तहसील बनवाने का आप कष्ट करें और मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी ओर से जो मोंठ ब्लाक है, वहां नलकूल भी लगे हैं और नहरे भी निकली हैं। वहां नलकूल विभाग के लोग किसानों को सींच पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी जमीन की सिंचाई इससे की है। दूसरी तरफ नहर विभाग के लोग भी किसानों को लगान पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि तुमने नहर से सिंचाई की है। जबकि किसानों ने न नहर से सिंचाई की है और न नलकूप से सिंचाई की है, उन्होंने तो अपने बोरिंग से पंपिंग सेट के द्वारा सिंचाई की है, लेकिन उनकी बात न लेखपाल मानने को तैयार होते हैं। और न नलकूप चालक मानने को तैयार होते हैं तो मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उन किसानों को इस समस्या से निजात दिलाने का काम करें।

मान्यवर, मैं एक और समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी बबीना विधान सभा का जो झांसी से लगा हुआ क्षेत्र है, वहां पर बिल्डर्स खूब जमीने खरीद रहे हैं और लेखपालों के माध्यम से जो चक रोड बने हैं, उन चक रोडों पर बाउन्ड्री बना देते हैं। जब बगल

का किसान इसकी शिकायत तहसीलदार तथा लेखपाल से करता है तो वह कहते हैं कि नहीं यह जमीन तो इनकी है। आप अपनी जमीन नपवाइये। वह कहता है कि हमारी नाप दीजिये तो बता देता है कि चक रोड तो आपके में है। लेखपाल को बिल्डर 50-50 हजार रुपये देता है और वह लेखपाल उस जमीन को उस बिल्डर के बाउन्ड्री के अंदर कराने का काम करता है। हमारा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसी चक रोडों को लेखपालों के द्वारा उन बिल्डरों के हवाले किया जा रहा है, एक-एक बीघा एक-एक करोड़ की बिक रही है, अगर हमारा लेखपाल उन बिल्डरों को 25-30 डिसीबल जमीन दे देता है तो उसके बदले में उनको एक-एक लाख रुपये मिल जाता है। जब किसान कहता है कि हमारी जमीन नाप दो तो कहता है कि आप हदबन्दी दायर करिये तभी हम आपकी जमीन नापेंगे। लेखपाल बिल्डर की जमीन जल्दी नाप देते हैं क्योंकि वह उनको पैसा देते हैं। तो हमारा माननीय मंत्री जी आपसे अनुरोध है कि इस समस्या से किसानों को निजात दिलाई जाये, ऐसी व्यवस्था कराये जाने का मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री इन्दल कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस राजस्व के बजट पर समर्थन करता हूं तथा एक-दो बिन्दु के रूप में अपना सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, हमारा फलपट्टी क्षेत्र मलिहाबाद है जो लखनऊ से लगा हुआ है। हमारे यहां तमाम भूमाफिया प्रकृति के लोग पेड़ों को काट करके कालोनियां डेवलप कर रहे हैं जबकि फलपट्टी क्षेत्र घोषित होने के नाते जी0ओ0 के माध्यम से पूरी तरह प्रतिबंध है कि वहां पर कालोनियां डेवलप नहीं की जा सकती और इसी के आधार पर पिछली सरकार में जब आवास विकास या एल0डी0ए0 भूमि अधिग्रहण करना चाह रहा था तो वहां के किसानों ने लड़ाई लड़ कर अपनी जमीन छुड़वाई थी। लेकिन आज एक तरफ से पेड़ काटे जा रहे हैं और जो आम्रपाली वाटर पार्क है उसके सैकड़ों बीघा जमीन खरीदी है, वह उसमें पेड़ कट रहा है और अंदर-अंदर कालोनी बना रहा है। हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि इस पर पूरी तरह से रोक लगाई जाये, नहीं तो एक दिन यह मलिहाबाद फलपट्टी क्षेत्र दशहरी आम के नाम से पूरे प्रदेश में नहीं, भारत सहित विश्वविख्यात है, अगर वहां पूरे पेड़ कट जायेंगे तो दुनिया के नक्शे से इसका नाम खत्म हो जायेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बिन्दु पर और बात करना चाहता हूं क्योंकि मैं अनुसूचित जाति से हूं और शहर के किनारे रहता हूं। अनुसूचित जाति की जमीन को खरीदने के लिये कानून में यह व्यवस्था है कि कोई भी सवर्ण व्यक्ति अगर हमारी जमीन खरीदता है तो डी0एम0 या एस0डी0एम0 से परमीशन लेकर खरीदता है। लेकिन मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि तमाम जमीनें ऐसी हैं जिन्हें सोसाइटी वाले भूमाफिया किसान को बहला-फुसला करके उसकी जमीन को औने-पौने दाम पर या तो लिखा लिये या तो वाटरमार्क पर लिखा लिये, लैन्ड ट्रांसफर नहीं हुयी और उस पर वह कालोनियां बना दिये। उन्होंने प्लाट बेच दिये, किसान के नाम आज भी जमीन है, जब प्लाट वाला कब्जा करने जाता है तो किसान खतौनी लेकर जमीन पर पहुंच जाता है कहते हैं कि मैंने तो पैसा ही नहीं लिया और मुझे पैसा नहीं दिया गया। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 80 प्रतिशत तो उनके साथ धोखा ही किया गया है यदि सवर्ण जाति के लोगों को या सोसाइटी वालों को हमारी जमीन लेनी ही थी तो जब नियम में प्राविधान है कि हमारी जमीन को उनको परमीशन के बाद ही लेना है और पढ़े-लिखे लोग हैं तो उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया ? अगर ऐसा कदम उन्होंने उठाया है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह इसकी जांच कराये और जो सोसाइटी के लोग हैं, जो

भू-माफिया लोग हैं, उन्होंने अगर गलती की है जिसे सोसाइटी ने किसानों से धोखे से लिखा लिया जब कि सोसाइटी बिना परमीशन के किसानों की जमीन नहीं ले सकती थी तो किसान को जमीन पुनः वापस दी जाए ताकि उसको प्रतिकर पूरा मिल सके। मान्यवर, मैं एक बिन्दु और बताना चाहता हूं कि एल0डी0ए0 और आवास विकास के तमाम विवाद ऐसे आये हैं, जबकि गोमतीनगर में मैंने देखा है कि अगर खतौनी पर किसान का नाम दर्ज है तो उसको मुआवजा दिया गया है लेकिन आवास विकास में बारह-तेरह गाटा संख्या ऐसे हैं उसके बावजूद आवास विकास ने उस पर कब्जा कर लिया है उसका विवाद चल रहा है और किसान को मुआवजा नहीं दिया गया है। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसकी जांच कराकर उचित कार्यवाई करें। अगर किसान को मुआवजा नहीं दिया गया है तो उसको जमीन वापस दी जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, गन्ना तथा खेलकूद पर भी इसी में माननीय सदस्यों को बोलवा दीजिए क्योंकि जमीन पर ही ये दोनों चीजें होनी है। अगर इतना समय लेंगे तो दस बजे रात्रि तक भी खत्म नहीं हो पायेगा क्योंकि सारे लोग बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, अपने-अपने क्षेत्र की बात रखते हैं तो समय-सीमा में बांधोगे तो इनकी बात कब आयेगी ?

सुश्री सावित्री बाई फुले-

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे राजस्व विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। मान्यवर, मैं बताना चाहती हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है इस प्रदेश में किसान ऊसर, बंजर जमीन को खेती योग्य जमीन बनाकर अनाज, फल, सब्जी व पेड़-पौधे तैयार करते हैं। सरकार की तरफ से किसानों को समय से न तो बीज, न तो पानी दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

यह राजस्व विभाग का बजट है, राजस्व पर बोलो, आप कृषि विभाग पर चली गयीं। जमीन के बारे में बोलो। बाढ़ पर बोल सकती हो, दैवी आपदा पर बोलो।

सुश्री सावित्री बाई फुले-

मान्यवर, हमारे बलहा विधान सभा क्षेत्र के हांडा बसेरी गांव के किसानों की भूमि सीमा सुरक्षा बल के लिए आरक्षित करने के कारण किसान भूमिहीन होते जा रहे हैं। मैं बताना चाहती हूं कि उस जगह पर पहले से रेलवे लाइन के लिए, नहर के लिए तथा पी0डब्लू0डी0 विभाग द्वारा जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। अब कुछ ही जमीन शेष बची है उस जमीन को सीमा सुरक्षा बल जबरदस्ती अधिग्रहण कर रहा है। मैं बताना चाहती हूं कि लगभग 100 किसान हैं जिन्होंने बयानहलफी के साथ लिखित में दिया है।

(मा0 सदस्य ने अपने हाथ उठाकर कागजात को प्रदर्शित किया।)

श्री अध्यक्ष-

यह प्रदर्शित नहीं किया जाता है, वैसे ही अपनी बात कहिये।

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुश्री सावित्री बाई फुले-

मान्यवर, अब इन किसानों के पास कोई भूमि नहीं है। यह अनशन भी कर चुके हैं, धरना-प्रदर्शन भी कर चुके हैं और जिलाधिकारी से मिल चुके हैं, मा0 मुख्य मंत्री के यहां भी मिल चुके हैं लेकिन उनको कोई लाभ नहीं मिला है। सीमा सुरक्षा बल की व्यवस्था हो, हम इसका विरोध नहीं करते हैं चूंकि वह भारत माता की रक्षा के लिए बार्डर एरिया पर लगाये गये हैं। हमारा बलहा विधान सभा क्षेत्र भारत-नेपाल की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है, हम उसका विरोध नहीं करते लेकिन उसके साथ-साथ तमाम भूमि ऐसी पड़ी है जहां पर सीमा सुरक्षा बल के लिए जमीन दे दी जाए और किसानों की जो भूमि जबरदस्ती अधिग्रहीत की जा रही है। उस भूमि को किसानों को वापस दिलाये जाने की मैं मांग करती हूं। मान्यवर हमारे बलहा विधान सभा क्षेत्र में हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि पड़ी हुई है जिस पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किया गया है। जो भूमिहीन है या अत्यन्त छोटे किसान हैं उनको यदि पट्टा दे दिया जाए तो वे भूमिहीन और छोटे किसान अपने परिवार का जीवन-यापन आसानी से कर सकते हैं। मैं बताना चाहती हूं कि ग्राम पंचायत जंगल गुलरिया, भरथापुर, सुजौली, बड़खरिया, मझरा, नौबना, में सीलिंग व ग्राम समाज, वन विभाग की भूमि हजारों एकड़ खाली पड़ी है। मझांव, बोसिया हमारा बलहा विधान सभा क्षेत्र है चार नदियों से घिरा हुआ है। वहां पर लोगों के पास रहने कि लिए कोई जगह नहीं है। सड़क पर बसे हुए हैं चकरोड पर बसे हुए हैं बंधे पर बसे हुए हैं उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री जी से मांग करती हूं कि बलहा विधान सभा क्षेत्र में जो नदियों की कटान से पीड़ित किसान हैं गरीब हैं उस जमीन को उनके नाम से पट्टा आवंटित करके उनका जमीन दी जाए जिससे रहने की व्यवस्था हो सके। जो जमीन फालतू पड़ी हुई है कृषि योग्य है उनको पट्टा देकर किसान बनाने का कार्य किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

अब सावित्री बाई फूले जी बैठ जायं।

सुश्री सावित्री बाई फूले-

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री सोबरन सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व के बजट पर माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मुझे दो बात रखनी है। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है श्रद्धेय नेता जी ने जो किसान दुर्घटना बीमा योजना का लाभ इस उत्तर प्रदेश को दिया मात्र एक ऐसी योजना है उत्तर प्रदेश में जिसमें किसान का दोहन नहीं होता जिसमें कोई रिश्वत नहीं लगती सीधा किसान को लाभ होता है। माननीय राजस्व मंत्री जी से एक मेरा अनुरोध है उन गांवो के किसान का दुर्घटना में निधन होता है जो चकबन्दी में चल रहे होते हैं उसमें व्यवहारिक अनिवार्यता है कि कम्प्यूटराइज फर्द दाखिल करेंगे तब उसका लाभ उन्हें मिलेगा। जो मौजा चकबन्दी में चल रहे हैं वहां कम्प्यूटराइज्ड फर्द मिलती नहीं है चूंकि प्रक्रिया चल रही होती है। ऐसे कई किसानों का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से निधन हो गया उन्हें उसका लाभ नहीं मिला। माननीय राजस्व मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर इस समस्या का निराकरण कराएं। ताकि माननीय श्रद्धेय नेता जी ने लाभ दिया है वह आम आदमी तक पहुंचे। मान्यवर, एक दूसरा मेरा सुझाव है बड़ी दुखती रग है। मैथिलीशरण गुप्त जी ने लिखा था पटवारी पतरौल और पुलिस पटेल प्रधान पंच प्रकार

प्रपंच पर पनप न पाय किसान। पिछली सरकार में मात्र लूटखोरी और घूसखोरी की योजना चली और दूसरी जो उन्होंने एक योजना चलाई कब्जा मिले लोगों को उसके पास दो बीघा जमीन है ढाई बीघा जमीन है एस0डी0एम0 के यहां प्रार्थना-पत्र दिया कि मेरी जमीन पर अमुक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है पी0ए0सी0 ट्रक के साथ जाकर उस व्यक्ति को पकड़ा और जेल में सलाखों में भेज दिया सरकार ने उसके साथ यह भी कानून पारित किया कि जो व्यक्ति किसी की जमीन पर कब्जे के मामले में जेल जाएगा उसे गुण्डा ऐक्ट में निरुद्ध किया जायेगा। मेरे संज्ञान में ऐसे कई प्रकरण हैं लोगों ने झूठा प्रार्थना-पत्र दे दिया एक हमारे यहां गुप्ता बंधु हैं एक एस0सी0 व्यक्ति ने झूठा प्रार्थना-पत्र दे दिया वह जेल गए जब उसकी जमीन की पैमाइस हुई तो ढाई बीघे के स्थान पर साढ़े तीन बीघा जमीन निकली। उन चारों भाइयों को गुण्डा ऐक्ट लग गया। जहां ऐसी पीड़ा है लोगों को इतनी ज्यादा तकलीफें हुई तो उन लोगों के गुण्डा ऐक्ट को देखकर वापस कराया जाय। यह मेरा अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष-

इस पर कल बोलिए। कल इसका विषय है।

श्री सोबरन सिंह यादव-

यह दो मेरे सुझाव हैं। इसी के साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

श्री भगवती प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं राजस्व विभाग के बजट पर अपनी बात रखना चाहता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र खैर में जनपद अलीगढ़ के हरियाणा के बीच यमुना नदी बहती है। यमुना नदी के कटान के कारण हमारे यहां की जमीन हरियाणा में चली जाती है। हजारों बीघा जमीन हरियाणा में चली गई है। किसानों में विवाद होता है। प्रतिवर्ष एक-दो किसान मारे जाते हैं। 24-24 घंटे गोलियां चलती हैं। मान्यवर, मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं हरियाणा की सीमा की तरफ पत्थरों की ठोकर लगी हुई है। हम भी यह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की तरफ, हमारी तरफ भी पत्थरों की ठोकर लगाई जाय जिससे यमुना नदी का बहाव तेजी से आने के कारण उत्तर प्रदेश की सीमा में कटाव करता हुआ बहता चला जाता है। कई हजार एकड़ जमीन हमारी हरियाणा की तरफ चली गई है जिस वजह से विवाद हो जाता है और दोनों तरफ के किसानों में गोलियां चलती हैं। एक बात और कहना चाहता हूं जो जाति प्रमाण-पत्र लेखपाल की रिपोर्ट के माध्यम से बनते हैं उसमें महीने लग जाते हैं। जब तक लेखपाल और कानूनगो को पैसा नहीं मिलता है तब तक प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जाते हैं। इसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसमें समय सीमा निर्धारित होगी तो उनको वह उसी समय में बनाकर देना होगा।

*श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने राजस्व के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं राजस्व मंत्री जी का आभारी हूं, आप पिछली सरकार में भी राजस्व मंत्री थे। मुझे याद है हमने भी राजनीति में डा0 लोहिया जी के बताये हुए मार्ग में चल करके आपके संज्ञान में राजनीति किया है 40 सालों से। चौधरी चरण सिंह ने क्रांतिकारी परिवर्तन पूरे प्रदेश में राजस्व और कोआपरेटिव में लाये थे। उसके बाद सरकारें आईं और गईं। कोई ऐसा मंत्री नहीं हुआ था जो राजस्व विभाग में क्रांतिकारी परिवर्तन करे।

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पिछली सरकार में माननीय अम्बिका चौधरी जी को जब राजस्व मंत्रालय दिया गया तो इन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे निर्णय किये। एक तो किसान बीमा योजना की। गांवों में दलितों को केवल पट्टा होता था। चाहे ब्राह्मण का, चाहे यादव का, चाहे भूमिधर का, चाहे पिछड़ी जातियों का, पट्टे के लिये लोग तरसते थे लेकिन पट्टा नहीं होता था। एक कानून इन्होंने बनाया उससे बहुत लाभ मिला। गांवों में लोगों को उसका लाभ दिया और आज भी 5 साल के अंदर जो पिछली सरकार थी, उसने इसको रद्द कर दिया। हम लोग देख रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी कि जबरदस्ती अगर कोई अपर क्लास को पट्टा दिया गया था हमारी सरकार ने पिछड़े वर्ग को दिया था, मल्लाह को दिया था, प्रजापति को दिया था तो उसको जबरन हटाकर एक समुदाय को जबरन कब्जा दिलानें का काम पुलिस के बल पर पिछली सरकार ने कराने का काम किया। हम माननीय राजस्व मंत्री से चाहेंगे कि पिछली सरकार आपकी सरकार ने गांव के कुम्हार, जिनकी आबादी बहुत थोड़ी सी होती है, गांव में दो-चार घर होते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाकर के लोगों के शादी ब्याह से लेकर हर अवसर पर काम करते हैं, उनको पट्टा देने की जो योजना आपने बनाई थी वह आज शिथिल पड़ गई है। वह ठंडे बस्ते में चली गई है। जब गांव का कुम्हार जाता है तो आपका तहसीलदार कहता है कि आज आपके लिए कोई कानून नहीं है, आपको पट्टा नहीं मिलेगा। गांव में जाता है तो वह तालाब जिससे उसको मिट्टी निकालने का काम दिया जाता था वहां बड़े-बड़े ठेकेदार तालाब का पट्टा लिये बैठे हैं वह उनको मिट्टी नहीं निकालने देते हैं। यह आक्रोश की स्थिति पैदा हो गई है। उसी तरह से धोबी बिरादरी के लोग जिनको धोबी घाट दिया गया था मुलालय सिंह यादव जी की सरकार में, आज उनको नहीं मिल रहा है। यह दो महत्वपूर्ण सवाल आज हैं। धोबी बिरादरी की लोगों को पट्टा दिया जाय और कुम्हार बिरादरी को। इसको आप तहसील से सुनिश्चित करवाइये। यह जो गरीब लोग हैं, जिनकी संख्या कम है, धोबी बिरादरी की, विश्वकर्मा समाज को जो किट दिया गया था वह खत्म कर दिया गया। हम राजस्व मंत्री जी इस पर बल देना चाहते हैं कि आप इस प्रजापति समाज को, धोबी समाज को पट्टा अनिवार्य रूप से दिलवाने की व्यवस्था करने का कष्ट करें, यह मैं आपसे मांग करता हूं। इसी तरह से जो गोड़ बिरादरी के लोग हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपके मंत्री जी बोल चुके हैं।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

बहुत महत्वपूर्ण मामला था। कुम्हार बिरादरी का, तुरहा बिरादरी का, गोंड बिरादरी का जाति सर्टिफिकेट . . . .

श्री अध्यक्ष-

हो गया रिजवी जी, अब बैठ जाओ।

(श्री प्रभुदयाल का नाम पुकारा गया।)

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

आम बीमा योजना की धनराशि कितनी है उसको हम नहीं जान पाये। आम बीमा योजना में कितना पैसा दिया जायेगा मुआवजे में। हमारा क्षेत्र कटान से पीड़ित है। हमारे जिले में घाघरा और गंगा के कटान से पीड़ित हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप बोल चुके अब बैठ जायें।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

दर्जनों गांव कटान से पीड़ित हैं लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया गया है।

श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि-

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे राजस्व विभाग के बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

एक मिनट, मैं आपनी बात कह दूं। माननीय अध्यक्ष जी जितने सुझाव आ रहे हैं, बहुत मूल्यवान हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, हम स्वागत करते हैं अधिक से अधिक आ सकें यह मेरी अपनी मंशा है। लेकिन श्रीमन् लगभग तीन घंटे हो रहे हैं। मेरा अनुरोध है आप अपनी ओर से निर्देशित कर दें जितने मा0 सदस्यों के सुझाव हैं वह सब लिखित रूप से दे दें जिनके सुझाव नहीं आये हैं। भाषण में कितना आयेगा वह एक अलग प्रक्रिया है अगर सबके सुझाव मुझ तक आ जायेंगे तो मैं उनके अनुसार निश्चित रूप से नीति बनाकर प्रयास करूंगा।

श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि-

मान्यवर, आपने मुझे राजस्व मंत्री जी के बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया मैं आपका बहुत आभारी हूं। मा0 राजस्व मंत्री जी ने राजस्व बजट में किसान बीमा योजना और भूमिहर योजना और जो अनेकों योजनायें बनाई हैं उससे किसानों को अधिक लाभ हुआ है मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान दैवी आपदा की ओर दिलाना चाहता हूं। क्योंकि कल मेरे विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर में ब्लाक परिक्षतगढ़ व अमरगढ़ मजरा की अनेक बस्तियों में भीषण आग लगी है और उस भीषण आग से अनेकों झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। मैं राजस्व मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो अमरगढ़ गांव में भीषण आग से झोपड़ियां जली हैं उनको पुनर्वासित करने की कृपा करेंगे। क्योंकि वह बंगाली समाज की झोपड़ियां हैं वह लोग वहां निवास करते हैं और प्रत्येक वर्ष कहीं न कहीं ऐसी घटना होती है कि उनको जानमाल की बड़ी हानि हो जाती है कल भी जब आग लगी है उनकी झोपड़ियों में, तो केवल तन के कपड़े पहने बचे हैं। उनका पूरे वर्ष का अनाज भी जल गया उनकी साइकिल जल गई उनके पशु जल गये, भारी नुकसान उनका हुआ। मा0 मंत्री जी उनकी मदद करेंगे। इसी तरह से हस्तिनापुर में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है और बाढ़ से गांव जैसे, जलालपुर जोरा गांव, दूधली गांव हो, बस्तौरा गांव हो चाहे किशोरपुर गांव हो अनेक गांव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं और किसानों की फसल का भारी नुकसान हो जाता है। मैं राजस्व मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हस्तिनापुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को भी बाढ़ की योजना में जोड़ने की कृपा करेंगे और हस्तिनापुर के बाढ़ प्रभावित लोगों को बाढ़ से बचाने की पत्थरों की ठोकरें लगवाने की कृपा करेंगे। इसी के साथ मैं इस बजट भाषण पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग लिखकर दे दीजिये। मंत्री जी ने कहा है। हुकुम सिंह जी आप बोलें। इतना निवेदन है कि संक्षिप्त हो क्योंकि यहां बजट प्रस्तुत करने में और कट मोशन रखने में सारी बातें आ जाती हैं सदस्यों को थोड़े सुझाव देने रहते हैं।

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष जी, बजट प्रस्ताव आया और मैंने कटौती प्रस्ताव रखा। कुछ संतोष भी है और खुशी भी इस बात की है कि माननीय सदस्य चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के रहे हों, औपचारिक रूप से समर्थन सबने किया, खास तौर से सत्ता पक्ष के लोगों ने लेकिन सुझाव के रूप में कमियों के रूप में ध्यान दिला करके किसी न किसी प्रकार से कटौती प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया है, साथ भी दिया है मैं सबको धन्यवाद देता हूं। दो-तीन बातें माननीय सदस्यगण द्वारा जो आयी है, खासतौर से मंत्री जी उस पर ध्यान दे लें तो अच्छा रहेगा। अभी सार्वजनिक उपयोग में आने वाली जितने गांव की भूमि थी, वह लगभग समाप्ति की ओर है, जो बची है क्या उसको रोका जा सकता है ? रोकना तब सम्भव होगा, जब आपकी तरफ से स्पष्ट निर्देश/आदेश हो जायेंगे कि यह जो आवंटन की प्रक्रिया है, केवल धोखा है, भूमि के उपयोग को समाप्त करने वाली बात है। मान्यवर, ऐसे-ऐसे गांव हैं जहां 300-400 बीघे जमीन थी, पशु जाते थे, उसमें घूम लेते थे, थोड़ी कसरत उनकी हो जाती थी, उस जमीन को भी एलाटमेन्ट करके बेच रहे हैं, कई जगह ट्रान्सफर हो रही है। जमीन के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आकर्षण बढ़ता जा रहा है, पैसे इकट्ठे होते जा रहे हैं। यह मेरा खासतौर से आपसे आग्रह है, इस ओर आप ध्यान दें। मान्यवर, चकबन्दी के बारे में हमारे सदस्यगण ने बात की। अभी ऐसे-ऐसे गांव हैं, वहां के लोगों के प्रार्थना-पत्र हैं, ज्ञापन दे रखे हैं कि हमारे गांव में चकबन्दी करा दें लेकिन निजी स्वार्थ के कारण से कुछ अधिकारी लोग, कुछ प्रभावशाली लोग नहीं चाहते कि वहां चकबन्दी हो क्योंकि जो जमीनें उनके कब्जे में हैं, उनके नाम भी नहीं हैं, चकबन्दी हो जायेगी तो सारी पोजीशन क्लियर हो जायेगी। एक दौलतपुर गांव है, सबदरा तहसील में, वहां की स्थिति यह है, वहां के माननीय सदस्य बैठे हैं, वहां के गांव वालों ने कई बार लिखकर दिया कि चकबन्दी करा दें। आप जानकारी कर लें, उन अधिकारियों की भी और प्रभावशाली लोगों की भी जिनके प्रभाव के कारण वहां चकबन्दी नहीं हो पा रही हैं। मान्यवर, इसी प्रकार से एक बात आई, मैं बैठा हुआ सुन रहा था, यह जो कृषि हेतु आवंटन वाली बात है, अब बहुत दिन हो गये, जो जमीन थी, सब चली गयी, कम से कम इस आवंटन पर तो पूर्ण प्रबन्ध लगे। उधर से मांग आ रही थी, कुम्हार के लिये जमीन चाहिये, धोबी घाट के लिये जमीन चाहिये, आप इन बातों पर विचार करें ताकि वह लोग वह वर्ग जो अपने पेशे से वंचित होता जा रहा है। आज वह कुम्हार जो बर्तन बनाता था, रिक्शा चलाने के लिये मजबूर हो रहा है। बर्तन बनाता, सबके काम आते लेकिन मिट्टी नहीं मिलती। तालाबों में सारे गांव के लिये बहुत अच्छे सिंघाड़े पैदा होते थे, लेकिन तालाबों पर अतिक्रमण हो गया। कुछ समयबद्ध योजना आप बना लें और तहसील को इकाई मान लें। इकाई मानने के बाद में 3 महीने का समय आप दे दीजिये कि जिस तहसील में तालाब के ऊपर अतिक्रमण रहेगा, उस तहसीलदार और एस0डी0एम0 की खैर नहीं होगी, देखिये अतिक्रमण हटते या नहीं हटते। कुछ करके तो दिखाइये, आगे चलिये न। मान्यवर, तालाबों में बात मैंने कह दी, सार्वजनिक भूमि के उपयोग की बात मैंने कह दी, कृषि भूमि के आवंटन की बात मैंने कह दी और जो दो-चार उदाहरण मैंने दिये हैं मैं किसी दुर्भावनावश नहीं दिये हैं, वह मैंने इसलिये दिये हैं कि आपकी जानकारी में रहे कि क्या हो रहा है। यह चीनी वाले घोटाले से कम नहीं है लेकिन एक-आध को पकड़िये तो सही। एक-एक एस0डी0एम0 और एक तहसीलदार की इतनी औकात हो जाये कि एक-एक करोड़ लेकर के आवंटन कर दें। मैं चाहता हूं कि एक समयबद्ध सीमा के अन्दर जांच भी हो जाये और जांच में दोष पाया जाये तो कार्यवाही भी हो जाये और मंत्री जी, कार्यवाही हो जाये तो उससे सदन को अवगत करा दें और मुझे भी अवगत करा दें ताकि हम सार्वजनिक रूप से आपको धन्यवाद

भी कर दें और जहां तक जमीनों पर कब्जा होने की बात है, माननीय चितरंजन स्वरूप जी बैठे हैं, यह तो इसके विशेषज्ञ हैं, नगर विकास के, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं इनको जानता हूं। बहुत अच्छी तरह योजना बनाते हैं, कैसे कालोनी बनेगी, कैसे आबादी बनेगी और इसलिये इनसे प्रभावित भी हूं, हमारे मित्र भी हैं। 1974 में साथ में एम0एल0ए0 चुनकर आये थे, इनकी राय ले लीजिये। कहीं थोड़ी-बहुत जमीन किसानों के लिये बच जाये तो अच्छा रहेगा, यह मेरा आग्रह है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और मैं चाहता हूं कि मंत्री जी एक संकल्प लेकर इस सदन में खड़े हों कि जो बेईमान अधिकारी हैं, जिन्होंने इस प्रदेश को लूटा है, जमीनों का गलत एलॉटमेंट किया, गलत बेचा, गलत बैनामे किये, उन अधिकारियों के विरुद्ध समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर कार्यवाही हो।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं औपचारिकता में नहीं बल्कि हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने हृदय से पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने बहुत मूल्यवान सुझाव दिये हैं। मैं नाम लेकर कहना चाहता हूं कि पहाड़िया जी ने कहा कि अभी हम आप पर हमले नहीं कर रहे हैं अभी तो बहुत मोहब्बत से कर रह हैं आपको वक्त दे रहे हैं। कारण चाहे यह रहा हो या कोई भी रहा हो लेकिन सभी माननीय सदस्यों ने बहुत मूल्यवान सुझाव दिये हैं और तकनीकी तौर पर कहें कि आलोचना है तो आलोचना की कोई बात आयी नहीं। जितनी बातें आयी हैं मैं स्वयं इस बात को स्वीकार करना चाहता हूं कि वह सबके सरोकार की बातें हैं। अगर लेखपाल से लेकर एस0डी0एम0 के स्तर तक भ्रष्टाचार की बात आती है तो इस पर कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। जिनको भी जनता के बीच में काम करने का या रहने का अनुभव है वह उन समस्याओं से भिज्ञ हैं, मैं भी भिज्ञ हूं। अगर यह कहा जाता है कि दाखिल खारिज का मामला हो, वरासत का मामला हो तो महीनों दौड़ाया जाता है यह बात मिथ्या नहीं है। कई बातें आयी हैं उनके बारे में अपनी राय रखूं लेकिन उससे पहले माननीय श्री हुकुम सिंह जी ने आखिर में जो बात कही है वहीं से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मान्यवर, आपने आज कहा है कि एक मजबूत संकल्प आप दिखायें। क्या परिणाम निकलेगा यह तो हम बता नहीं सकते। क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि कर्म तुम्हारे वश में है परिणाम तुम्हारे वश में नहीं है और मेरी आस्था भी है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है और मैं पूरी आस्था उनमें रखता हूं। परिणाम क्या निकलेगा मैं नहीं जानता लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से मजबूत इरादे के साथ अपना यह संकल्प रखता हूं कि किसी भी हालत में चाहे कितना भी कोई मजबूत व्यक्ति मिलेगा पूरा प्रयास करूंगा कि अगर इस तरीके की लूट में कोई सीधे-सीधे पकड़ा जाये तो उसको कठोरतम दण्ड दिलाने के लिये जो बन सकेगा वह करूंगा और आपसे अनुरोध करता हूं कि इसमें आपका भरपूर सहयोग चाहिये। जहां कहीं से भी जानकारी मिलेगी मैं अपनी सामर्थ्य से प्रयास करूंगा। लेकिन आपके सहायेग से मैं ऐसा कर पाऊंगा ऐसा मुझे विश्वास है और जिस घटना के बारे में आपने कहा था वह जांच मैंने प्रारम्भ करायी है अगर वह संतोषप्रद नहीं होगी तो दूसरा-तीसरा कोई न कोई हमको मजबूत अधिकारी मिलेगा जिसके माध्यम से हम जांच करेंगे। जहां जिस किसी ने भी सरकारी धन की लूट की है उसको कतई क्षमा नहीं किया जायेगा और उसको स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत दण्डित किया जायेगा। श्रीमन्, एक दिन मा0 पशुपालन मंत्री जी एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे तो मैंने उस दिन कहा था कि तालाबों पर जो कब्जे का मामला है तो सत्र समाप्त हो जाये तो सत्र समाप्ति के बाद हम इसको अभियान के तौर पर चलाना चाहेंगे। लेकिन उसके पहले हमने प्रयास किया है

15 जून, 2012 को ही समस्त मण्डलायुक्त और आयुक्त राजस्व परिषद् सब लोगों को हमने प्रमुख सचिव के माध्यम से भेज दिया है कि प्रत्येक तहसील में चिन्हित कर लिया जाये कि किन-किन तालाबों पर कब्जे हुये हैं और उन कब्जों को हर हालत में हटाना पड़ेगा। इसके लिये निर्देश दिये जा चुके हैं। लेकिन सिर्फ निर्देश से काम नहीं चलेगा। क्योंकि इसकी गड़बड़ियों की जड़ें नीचे तक जमी हुई हैं। यह इतना आसान नहीं है।

यह पत्र मात्र से नहीं होगा। लेकिन कोशिश करेंगे कि इन तालाबों पर अतिक्रमण हटवाया जाये। हम शुरूआत करेंगे कि इस सदन के जितने सदस्य हैं सबके गांव का पता विधान सभा से मिल जायेगा और राजस्व विभाग के अधिकारीगण यहां मौजूद हैं सदन में जितने सदस्य हैं कम से कम इनके गांवों का अतिक्रमण को हटाने की शुरूआत हो जाये तो दूसरी जगहों पर भी होने का काम करेगा। मैं समझता हूं कि यह बहुत कठिन बात नहीं है। 400 गांवों में अगर इसकी शुरूआत हो जायेगी तो मैं समझता हूं कि इसका प्रभाव अगल-बगल भी पड़ेगा और अनिवार्य रूप से राजस्व विभाग इसको सुनिश्चित करे कि हम अगले सत्र में जब हम यहां आये तो यह पूरी रिपोर्ट लेकर के आये कि प्रत्येक सदस्य यह कहे कि हमारे गांव में जितने तालाबों पर अतिक्रमण था वह समाप्त हो गया, अगर नहीं है तो मैं इसको एक कमजोरी मानूंगा महकमें की मैं स्वीकार इसको करना चाहता हूं। श्रीमन् शुरूआत है, जहां से भी इसकी शुरूआत हो क्योंकि हर जगह यह बातें काफी बढ़ी हैं, लेकिन यह काम शुरू होना चाहिये। जहां तक सार्वजनिक उपयोग की भूमि की कब्जेदारी का मामला है, इसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है, जो कि जमीन आवंटित नहीं हो सकती, चारागाह पूरी तरह खतम, चारागाह की भूमि पूरी तरह से लोगों के नाजायज कब्जे में आ करके खतम, मवेशियों के चरने की स्थिति नहीं है, लेकिन चारागाह के जमीनों पर जिन पर किसी हालत में किसी अन्य प्रयोजन के लिये जिसका इस्तेमाल नहीं हो सकता था, वह जमीन कब्जे में है। लेकिन सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कब्जे जहां भी हुये हैं और अगर उसमें मिलीभगत है अधिकारियों की तो इसकी भी जांच होनी चाहिये, इसकी भी जांच कराई जायेगी क्योंकि बहुत जटिल मामला है, पूरे प्रदेश में बड़े विस्तृत रूप से है। थोड़ा समय जरूर लगेगा, चरणबद्ध ढंग से हम लोग इस काम को करेंगे, लेकिन इसको प्राथमिकता पर रखना है, लेकिन हम इसको अस्वीकार नहीं करते, हम नहीं कहते कि नहीं कुछ नहीं है, सब रामराज्य है, बहुत अच्छा है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, गड़बड़ी है और इस गड़बड़ी को ठीक करेंगे। श्रीमन् एक बात जरूर है, यह गोंड़ और खरवार या अन्य जातियों के जो प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं, अभी सरकार की ओर से मैं घोषणा नहीं कर रहा हूं, लेकिन सदन में सदस्य भी जैसे चर्चा करते हैं, मेरी एक राय है कि एक ऐसी नीति बननी चाहिये जिसमें जाति तो एक बार तो जाति है वही जाति तो मरने के दिन तक है। तो जाति प्रमाण-पत्रों की वैधता के लिये कोई शासनादेश जरूर ऐसा निर्गत किया जाय कि एक बार जाति प्रमाण-पत्र बन गया तो फिर छः महीने, साल भर, दो साल, पांच साल की समय-सीमा नहीं रखी जाय। जाति प्रमाण-पत्र एक बार बन गया तो वह हमेशा के लिये माना जाय। इसमें समय-सीमा नहीं रहे और इसमें जो तकनीकी कठिनाई है उसको दूर करने के लिये सरकार प्रयास करेगी, समाज कल्याण विभाग से हो या जहां से भी हो। क्योंकि एक बार जो जाति है, वही जाति है तो जाति प्रमाण-पत्र के लिये बार-बार बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। हमने एक और काम किया है, अभी जो अधिवास प्रमाण-पत्र बनाये जाने की आवश्यकता थी छात्रों के एडमीशन में, मैंने मा0 मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि एक-एक छात्र को इतनी कठिनाई उठानी पड़ती है, आप निर्देशित कर दें इन शिक्षण संस्थाओं में कि किसी से हम एप्लीकेशन देते हैं, सेलेक्शन

भी नहीं हुआ और हमको यह निवास प्रमाण-पत्र देने की आवश्यकता है, तहसीलों में इतनी भीड़ लगी हुई है और जब भीड़ कहीं लगती है तो सारी अव्यवस्था भी बनती है और उसके चलते जो उनका उत्पीड़न होता है वह भी होता है। एक-एक छात्र को पांच-पांच सौ रुपये खर्च करने पड़ते हैं, एफीडेविट, सबेरे आना शाम को जाना, यहां बैठना, वहां आना-जाना करना, अगर रिश्वत का पैसा नहीं भी लगे तो 500 रुपये लग गये। तो मा0 मुख्य मंत्री जी ने उसी दिन निर्देशित कर दिया अपने प्रमुख सचिव के माध्यम से कि तुरन्त बताइये लोगों को कि इसकी बाध्यता समाप्त की जाय। अब बाद में चूंकि छात्रवृत्ति देने के लिये उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है तो इत्मिनान से धीरे-धीरे से वह अपना प्रमाण-पत्र ले आकर के दे देंगे। जो समस्यायें संज्ञान में आती हैं उनका तत्काल निराकरण करने के लिये हम लोग पूरे मनोयोग से और बड़ी ईमानदारी से प्रयास करते हैं कि कैसे कोई जानकारी में समस्या आये तो इस समस्या का कैसे निदान किया जा सके, लेकिन जो जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र जो विभिन्न प्रकार के प्रमाण-पत्र दिये जा रहे हैं, इन पर एक नई नीति ले आनी पड़ेगी और हमने जैसे खतौनी को कम्प्यूटराइज किया, खसरे को जब हम कम्प्यूटराइज कर लेते हैं तो उसमें हम कुछ कालम ऐड करना चाहते हैं कि उसी में यह पड़ा रहे कि दूसरे प्रमाण-पत्र की आवश्यकता ही नहीं हो, एक में ही आपकी जाति, अगर एक खतौनी में आपकी जाति दर्ज हो तो कोई कठिनाई नहीं है, खातेदार की अगर जाति दर्ज करने का कालम बनाया जाय, लेकिन वह आगे हमारी योजना में है, आगे चलकर हम वह करेंगे और उससे यह बातें सहूलियत की हो पायेगी। जितनी भी सुविधा उसकी बन सकती है उसको करेंगे और जो यह शिकायतें आ रही हैं कि तहसीलदार जानबूझ करके जैसा मैंने कहा पिछली सरकार में मात्र एक जाति को अनुसूचित जाति का लाभ मिले और अन्य लोगों को किसी कीमत पर नहीं मिले, इसलिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्देश थे और उसको लोगों ने बहुत अपनी ओर से खुशामद में ली, जानबूझकर के ऐसा किया कि गोंड़, खरवार, अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किये गये, संघर्ष करके हम लोगों ने बलिया में जारी करवाया और अन्य जिलों में अभी 12-13 जिलों में नहीं हो रहे हैं। तो यह दृष्टिकोण बिल्कुल राजस्व विभाग बदलेगा कि जिसकी जो जाति है, हम ऐसे समाज में रहते हैं यहां अगर आपकी जाति को लेकर गाली दे दी जाय, तो दंगे हो जायेंगे। लोग कहते हैं जाति उसके सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है और अगर हमारी जाति ही बदल देंगे। कल वो गोण्ड थे, आज पता नहीं कौन सी जाति हो गयी। आज अगर कोई ब्राह्मण है उसको आप कहिये कि अब आप ब्राह्मण नहीं रहे तो देखिये आप उस पर क्या बीतेगी। इसलिये यह बात ठीक नहीं है प्रत्येक व्यक्ति की जो जाति एक बार है, वह रहेगी। गोड़ अगर वो कल था तो आज भी गोड़ रहेगा, उसको प्रमाण-पत्र मिलना चाहिये। राजस्व विभाग के ओर से अगर कोई कोताही है तो इस बारे में निर्देश निश्चित रूप से जाने चाहिये कि उसकी जो जाति है उसका प्रमाण-पत्र उसे दिया जाये। जबरदस्ती नहीं चलने वाली है, बात ये ठीक नहीं है। जानबूझ कर यह सारी गड़बड़ी की जा रही है और ये जो कि कुम्हार को पट्टा जरूर देना पड़ेगा, देना चाहिये। एक बात मैं अपनी कहूंगा मान्यवर, मैं सदस्यों के ज्ञान को चुनौती नहीं देता लेकिन बड़ा दिलचस्प मामला है। मा0 हुकुम सिंह जी ने कटौती प्रस्ताव रखते हुये कहा कि राजस्व विभाग है, कुछ है नहीं। राजस्व के बजट पर कोई कह रहा है कि स्टोर क्रेशर में गड़बड़ी है, किसी ने कहा कि वन विभाग आ गया, किसी ने कहा कि गुण्डा ऐक्ट लागू हो गया, किसी ने कहा कि आवास वालों ने कॉलोनी खुदवा दिया, सरकार का कोई विभाग ऐसा बचा नहीं है कि जिसकी चर्चा राजस्व विभाग में न हुई हो और यही इसका महत्व है कि इस विभाग से जुड़े हुये तमाम कार्य ऐसे हैं कि जो इस विभाग से सम्बन्धित न

होते हुये भी इससे सम्बन्धित हैं और इसीलिए जनता का सबसे ज्यादा इससे जुड़ाव है क्योंकि बिना इससे जुड़े, बिना गुजरे काम नहीं चलता।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, आप अभी कितना समय और लेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आप जितना समय देंगे, उतना ही लूंगा लेकिन मैं अपनी ओर से उतना समय आपसे जरूर मागूंगा, 10 मिनट, 5 मिनट दे दीजिये क्योंकि अगर उन विषयों पर बात नहीं हो पायेगी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। 10 मिनट दे देंगे तो ठीक है, 5 मिनट भी ठीक है, 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, आप कहोंगे तो 2 ही मिनट में खत्म कर दूंगा। मान्यवर, जितने सुझाव आये हैं, उन सुझावों का स्वागत है, उनको जैसे करेंगे, दाखिल-खारिज की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध करने की जो बात है उसको विशेष रूप से देखना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा और जो फर्जी रजिस्ट्री हो रही, इस विभाग से सम्बन्धित मान्यवर, एक और मामला है कि फर्जी रजिस्ट्री कैसे रोकी जाये। मैं एक योजना देख करके आया हूं और उसकी चर्चा सदन में करना चाहता हूं। कर्नाटक में एक स्कीम ऐसी बनी है कि जैसे ही प्लाट की रजिस्ट्री होती है वो अपने आप ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाती है तहसील को, उसमें रुकना नहीं है। तहसील का सारा रिकार्ड रजिस्ट्री के पास है और अगर आप रजिस्ट्री करने गये, उन्होंने बटन दबाया और अगर आपके नाम से रिकार्डेड लैण्ड नहीं है तो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती, नहीं हो सकती रजिस्ट्री उसकी। कुछ इस तरीके की व्यवस्था हमारे यहां हो सके हम इसका अध्ययन कर रहे हैं और इसको लागू कराने का प्रयास करेंगे कि ये फर्जीवाड़ा किसी तरह से बन्द हो। इसी से गांव सभाओं की जमीन लूटने का जो कारोबार है, उस पर भी हमारा मजबूती से नियंत्रण लग सकेगा। कई लोग फर्जी रजिस्ट्री करके उसको कर रहे हैं, उसको भी नियंत्रित करने का हम प्रयास कर रहे हैं। वन विभाग और राजस्व की भूमि का जो झगड़ा है और जो सीमा विवाद है, हरियाणा-उत्तर प्रदेश, राजस्थान-उत्तर प्रदेश, बिहार-उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़-उत्तर प्रदेश, झारखण्ड-उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पर जो सीमा विवाद है हमारा प्रदेशों से, कई जगहों पर है। मान्यवर, आपके क्षेत्र में भी है, आपके क्षेत्र में भी सीमा विवाद के चक्कर में हर बार लट्ठ चलते हैं, उसके ऊपर कुछ कारगर ढंग से कार्यवाही हो सके। त्रिवेदी आयोग को जो ठीक से लागू करने का मामला है, एक फिक्स बाउण्ड्री होने के बावजूद भी ये डिस्प्यूट्स लगातार चल रहे हैं। बड़ा विषय है इसलिये अभी इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। सरकार का ध्यान है उस पर। हम इस पर कुछ कारगर करने के लिये विचार करके अलग-अलग सीमाओं पर अलग-अलग समस्यायें हैं, उन पर विचार करके कुछ कारगर करने का प्रयास करेंगे। मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं और मैंने कहा था और आज भी सदन में कुछ लोगों ने कहा कि हवालात में बन्द हो रहे हैं, सड़ रहे हैं। मुझे एक जगह का नाम बताइये और जारी होंगे आदेश यहां से निलम्बन के, जहां कि हवालात में बन्द करने का काम किसान को किया गया है और उस किसान को जिसकी बकाया राशि 2 लाख रुपये से कम है। एक का नाम बता दिया जाये, मैं यही आदेश करूंगा। सदन के बाहर नहीं जाऊंगा।

(श्री बंशी सिंह पहाड़िया द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये।

श्री अम्बिका चौधरी-

पहाड़िया जी आप बैठ जाइये। ऐसे मैं नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे लिख कर दे दीजिये, तिथि बताइये, तहसील बताइये। आज मैं यहीं से कार्यवाही करूंगा। मैं इसको सुनिश्चित करता हूं कि किसी भी हालत में किसान का उत्पीड़न नहीं होगा। आप लिख करके दे दीजिये, उठिये नहीं।

श्री अध्यक्ष-

आप लिख करके दे दीजिये मंत्री जी को।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आप लिख करके दे दीजिये, मैं यहीं से कार्यवाही करूंगा। मान्यवर, एस0सी0एस0टी0 की जमीन की व्यवस्था का मामला है मेरा अनुरोध है कि उसको सदन को देखना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

आपने पिछली बार भी प्रयास किया था।

लघु सिंचाई, पशुधन मंत्री (श्री पारस नाथ यादव)-

मान्यवर, मैं सुझाव के तौर पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि कानून से व्यवस्था चलती है। माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि मजबूती के साथ जो चारागाह या तालाब कब्जा हुये हैं उनको खाली कराये जाने के लिये अधिकारियों को निर्देशित किया जायेगा। मान्यवर, रिकार्ड आपके पास है लेकिन जब जमीन की नवईयत भी बदल गयी और उसे आबादी बना लिया या खेत बना लिया और उसके वह ओनर हो गये तो उस स्थिति में क्या हो सकेगा। दूसरे मान्यवर, प्रत्येक वर्ष आग लगती है और आग लगने में जो जलते रहते हैं उस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था ऐसी दी जायेगी कि फिर आग लगने पर न जले।

(एक सदस्य मा0 मंत्री जी ही सुझाव दे रहे हैं)

श्री अध्यक्ष-

यह डेमोक्रेसी है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हमारे मंत्रि-परिषद् के सदस्य ने सुझाव दिये हैं हम उनके सुझावों को लेकर नीति बनायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह बहुत अच्छी बात है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अगर हमें निश्चित जानकारी मिल जाये फलां चारागाह था या तालाब था और उसकी नवईयत बदल दी गयी है तो हम उसमें कार्यवाही करेंगे। मान्यवर, हमें उदाहरण देकर मा0 सदस्य शिकायत दे सकते हैं। जहां तक राजस्व विभाग के कागजों को देखने की बात है कि कौन तालाब था और कौन चारागाह तो उसमें फिर पूरे पांच साल ढूंढने में ही लग जायेंगे। आप हमें शिकायत दीजिये हम उसमें कार्यवाही कर देंगे। मान्यवर, अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन के बारे में यह कहना चाहता हूं कि एक जनपद में चिन्हित अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं जो दस-दस जमीनें

खरीदते हैं साल भर में वही दस जमीनें बेचते हैं। 3.5 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो उन्हीं को बेच सकते हैं। मान्यवर, इससे होता क्या है कि उनको बाजार मूल्य से एक बटे चार या एक बटे चार से भी कम मूल्य मिल पाता है और वह लोग बिचौलियों के माध्यम से बिल्डरों को बेच देते हैं और बिल्डर भी ऐसे लोगों को अपने पास रख लेते हैं और फिर उस जमीन का पांच गुना ज्यादा दाम प्राप्त करते हैं। मैं इस पर आज कोई घोषणा सदन में नहीं कर रहा हूं मैं यह विषय सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं आप लोगों के इसमें जो सुझाव आयेंगे उसमे आगे चलकर नीति बनायेंगे। मान्यवर, कई दलित संगठन हमसे मिले हैं और यह कहा है कि हमारे अधिकार जा रहे हैं। मान्यवर, जो सड़कों के किनारे जमीन है वह बहुत महंगी हो रही है और जब वह लोग मजबूरी में उसे बेचते हैं तो उन्हें कम मूल्य मिल पाता है तो इस पर विचार होना चाहिये। मान्यवर, अन्य जितने सुझाव आये हैं उन सभी पर हम लोग विचार करेंगे। मान्यवर, मा0 सदस्य ने विंटर कैंप की बात कही कि पहले कलेक्टर लोग करते थे उसी का दोहराया जाये और एक नयी कार्य संस्कृति राजस्व विभाग में पैदा की जाये। वह आप का सुझाव है। मान्यवर, जो आपने दाखिल खारिज की बात कही कि वह समय से नहीं होता है तो मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी सूचना मिली कि लेखपाल ने पिता की मृत्यु के बाद उनकी विरासत का मामला लटकाये रखा और यह शायद बात हुई कि उस जमीन में से अमुक हिस्सा हमको दे दो या उनको दे दो तो हम विरासत कर देंगे। मान्यवर, उस शिकायत पर हम लोगों ने शिकायत दर्ज करायी एफ0आई0आर0 करायी यह लखनऊ के बगल का मामला है और न केवल उसको निलम्बित किया बल्कि जेल भिजवाने का भी काम हम लोगों ने किया। मान्यवर, जिन भी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम उन सुझावों पर विचार करेंगे और भी आपकी जो लिखित शिकायतें हों वह आप हमें दे सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बजट को सर्वसम्मति से पारित करने का काम करें। धन्यवाद।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कर्नाटक का आपने उदाहरण दिया माननीय मंत्री जी का वक्तव्य स्वागत योग्य है। आंध्र प्रदेश में ज्याग्राफिकल इन्फार्मेशन सिस्टम आज से 15 साल पुराना बना हुआ है यह व्यवस्था आंध्र प्रदेश में भी है तो क्या माननीय मंत्री जी जितनी भी जमीन है पूरे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र का उसका जीआइएस तैयार करायेंगे और नम्बर दो सरदारों में सिखों में कम्बोज जाति ओबीसी में आती है उसके जाति प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश में जारी नहीं होते हैं जो लोग यहां पैदा हुए कम्बोज जाति में उनके प्रमाण-पत्र जारी नहीं होते हैं तो क्या माननीय मंत्री जी कम्बोज जाति के प्रमाण-पत्र जारी करायेंगे और क्या यू0पी0 का ज्याग्राफिकल इनफार्मेशन सिस्टम तैयार करायेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं अवगत कराना चाहता हूं कि पिछली बार जब हमारी सरकार बनी 2003 में तो हमने शपथ लिया 3 अक्तूबर को और श्रीमन्, नवम्बर के आखिरी सप्ताह में मैं पहले आंध्र प्रदेश ही गया क्योंकि ऐसा लगा कि कम्प्यूटराइजेशन और मार्डनाइजेशन के नाम पर आंध्र प्रदेश बहुत आगे है

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और चन्द्रबाबू नायडू उस समय मुख्यमंत्री थे मैं आंध्र प्रदेश राजस्व परिषद् की पूरी टीम लेकर गया और उनका जब सारा सिस्टम मैंने देखा तो दूर के ढोल सुहावन मैं उनसे कहकर आया कि आप जहां हैं उससे 100 साल हम आगे हैं आपसे हम पीछे नहीं हैं। आंध्र प्रदेश का माडल अख्तियार करने की कोई स्थिति नहीं है उसको बहुत नजदीक से हमने देखा है आज नहीं आज से 7 साल 8 साल पहले देखा है। उसको ऐज सच लागू करने का कोई मतलब नहीं है हम उसकी स्टडी कर आये हैं। उत्तर प्रदेश में जैसा राजस्व के अभिलेख का रखरखाव है और हमारा जैसा फार्मेट है हम इस मामले में आंध्र प्रदेश का कोई भी माडल अख्तियार करने को तैयार नहीं हैं। उनका कुछ भी हमसे अच्छा नहीं है और जो दूसरा विषय आपने रखा है फलां जाति जो जाति भारत सरकार में जिस श्रेणी में जिस जाति को मान्यवर, सूचित कर रखा है उसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति में, पिछड़ी जाति पिछड़ी जाति में जो जिसमें सूचित है उसका प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से मिलेगा कहीं नहीं मिल रहा है तो जो नहीं देगा वह दण्डित होगा।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी, आपको कुछ कहना है। अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,83,46,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,05,00,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,25,78,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द सिंह गोप)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,89,68,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ग्राम्य विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग का बजट रखने और मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, यह वह विभाग है, जो सीधे गरीब से जुड़ा है और गांव से जुड़ा है और 2012 के चुनाव में जो बहुमत हमारी सरकार को मिला है, वह गरीबों ने बड़ी उम्मीद से दिया है। मुझे पूरा भरोसा और पूरा यकीन है हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग जो काम कर रहे हैं, उस कसौटी पर खरे उतरेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपसे बहुत संक्षेप में कुछ चीजें कहना चाहता हूं। मेरे विभाग के द्वारा जो योजनायें चल रही हैं उसमें कुछ भारत सरकार के द्वारा सहयोगित हैं और कुछ हमारी भी हैं। मैं ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं को बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं-

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास एवं ग्रामीण परिवारों के सामाजिक व आर्थिक सुधार के लिये अलग-अलग योजनायें यथा-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इन्दिरा आवास, लोहिया ग्रामीण आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, विधायक निधि, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना, राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम आदि क्रियान्वित की जा रही हैं। सबसे पहले हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों तमाम ऐसी शिकायतें मिल रहीं थीं, जिसको ठीक करने के लिये हमने अधिकारियों के साथ कई बैठकें कीं और कुछ ऐसी स्कीमें हम लोग लाये हैं जैसे कि ई-एफएमएस की व्यवस्था लागू करके उत्तर प्रदेश के 18 मण्डलों के एक-एक जनपद में पाइलेट बेस लागू करने जा रहे हैं। मा0 अध्यक्ष महोदय, इससे श्रमिकों को ग्राम पंचायतों को जो भुगतान किया जाता था वह सचिव एवं ग्राम प्रधान के डिजिटल सिगनेचर से मस्टर रोल फीडिंग करके श्रमिकों के खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा, जिससे अविलम्ब तथा पारदर्शिता से धनराशि का हस्तान्तरण होता है। इस तरह से इसमें साफ-सुथरी

व्यवस्था रहेगी। इसमें कोई घपले की उम्मीद नहीं रहेगी, दूसरा पूरे प्रदेश में 01 सितम्बर, 2012 से इलेक्ट्रानिक मस्टररोल मैनेजमेन्ट सिस्टम (ई-एमएमएस) प्रभावी किया जा रहा है, जिससे पूर्ण पारदर्शिता एवं शीध्रता की कार्यवाही सम्पन्न होगी। सामान्य अभ्यर्थी भी अपनी शिकायतें दर्ज कराकर उनका निस्तारण बेवसाइट पर देख सकता है। मान्यवर, दूसरी जो हमारी योजना है वह स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना है। इसमें हमने वर्ष 2012-13 में 3.75 लाख (तीन लाख पचहत्तर हजार) स्वरोजगारियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य तय किया है। वर्ष 2012-13 से भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना को पुनर्गठित करते हुये इसके स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों को स्वरोजगार एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर स्थायी रूप से उनकी आय में वृद्धि कर आजीविका उपलब्ध कराना है। सबसे महत्वपूर्ण एक बात जो हम कहना चाहेंगे मा0 अध्यक्ष जी वह इंदिरा आवास के बारे में है। हम लोग बहुत दिनों से छात्र राजनीति से सुनते थे, जब इंदिरा आवास की असली लोगों को मदद की जरूरत पड़ती थी, तो असली व्यक्ति उस मदद से बहुत दूर रहता था। हमने कार्यभार ग्रहण करने के तुरन्त बाद, अधिकारियों से मीटिंग की, बात की। हमने यह कहा कि यह सरकार समाजवादियों की सरकार है, इसमें जो पात्र व्यक्ति हैं, उसके दरवाजे तक उसे सुविधा मिलनी चाहिये और अगर उसमें कोई बिचौलिया आता है, तो उसमें हम कड़ी-से-कड़ी कार्यवाही करेंगे। कई जनपदों का हमने स्वयं दौरा किया है। कहीं पर विज्ञापन का सहारा ले रहे हैं। कहीं-कहीं पर कैंप लगवा रहे हैं और कहीं-कहीं पर चिट्ठी द्वारा भी सूचित कर रहे हैं कि कितने लोगों को यह कालोनी मिलेगी। हमारा यह मानना है कि जो गांव का गरीब है, जिसको चाहिये, जो पात्र है, उसको वह सुविधा मिलना चाहिये। इसलिये इसमें हम भी बहुत सख्ती से काम कर रहे हैं। एक योजना हमारी लोहिया ग्रामीण आवास योजना है इस योजना के अन्तर्गत 87 हजार आवासों के निर्माण का लक्ष्य हमने रखा है और इस पर हम काम भी कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, वर्ष 2012-13 में पूर्व में निर्मित खराब हो चुके 7 हजार किलोमीटर पक्के मार्गों का उच्चीकरण करने का हमारा लक्ष्य है। कई बार यहां भी प्रश्न प्रहर में शुद्ध पेयजल की बात उठी, आज सुबह हम विधान परिषद् में थे वहां भी शुद्ध पेयजल की बात साथियों ने उठाई, हमारी सरकार इस पर बहुत गम्भीर है। वर्ष 2012-13 में 41 हजार नये हैण्ड पम्प, 41 हजार रि-बोर हैण्ड पम्प तथा 600 पाइप वाटर सप्लाई स्कीम स्थापित कर 850 गुणवत्ता स्थापित बस्तियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। विधायक निधि हमारा विभाग देखता है, यह तो सबको मालूम है कि 2012-13 में कुल 630 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान प्रस्तावित है। मा0 अध्यक्ष जी, बायोगैस के बारे में 2012-13 में 5 हजार बायोगैस सिलेण्डरों की स्थापना करना प्रस्तावित है। निर्माणाधीन भवनों की मरम्मत के लिये 2012-13 में 18 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमने पहले ही कहा था कि जो हमारी योजनायें हैं उनके बारे में हम बहुत संक्षेप में बता देंगे। मा0 सदस्य जितने ज्यादा सुझाव देंगे वह हमारे लिये अच्छा होगा, क्योंकि जब ज्यादा लोगों के सुझाव आते हैं तो उससे अच्छे रास्ते निकलते हैं। मेरा मानना है कि पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी महत्वपूर्ण राय हमें देंगे और हम उसको गम्भीरता से लेंगे। मैं आपके माध्यम से सारे सदस्यों से बताना चाहता हूं कि यह विभाग आमूलचूल परिवर्तन के लिये काम कर रहा है और हमें आपके सहयोग की जरूरत है। जहां कहीं आपको लगे कि काम सही नहीं हुआ उसे आप लोग बतायेंगे, हम आपके सहयोग की सराहना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री उमेश पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, आज आप देखें ग्राम्य विकास विभाग के आंकड़े, 70 फीसदी जनता गांवों में निवास करती है तो बजट का 70 फीसदी हिस्सा इसमें होना चाहिये। माननीय अध्यक्ष जी, जो आज हमारी सोच है गांव के प्रति, मैं सरकार या मंत्री जी की आलोचना करने में विश्वास नहीं रखता, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं लेकिन कहीं न कहीं हमारे चिन्तन में कमी आई है, हमारी सोच में कमी रही है। यह प्रदेश हिन्दुस्तान का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है, इसमें 14 करोड़ जनता गांव मे रहती है और उसका जो बजट प्रस्तुत हुआ है इसको देखने से यही प्रतीत हो रहा है। आज मा0 मंत्री जी को पूरा बजट प्रस्तुत करना चाहिये था लेकिन उन्होंने चन्द शब्दों में बजट प्रस्तुत कर दिया है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, ऐसा नहीं है, माननीय मंत्री जी ने पूरा बजट प्रस्तुत किया है।

श्री उमेश पाण्डेय-

मान्यवर, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता बल्कि मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपनी परियोजनायें गिनाने का काम किया है कि हम यह-यह करने जा रहे हैं। जब-जब सरकार आती है तो किसी न किसी महापुरुष के नाम से योजनायें बनाने का काम करती है इस सरकार ने भी योजनायें बनाने का काम किया, अच्छी बात है। लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, हम कभी चिन्ता नहीं करते कि जो पिछली योजनायें थीं उनका क्या हुआ, उन योजनाओं से हमारे गांव कहां तक पहुंच पाये। हम गांवों को विकास के किस रास्ते पर ले गये हैं, कितना कार्य हो पाया है उस पर भी हम सभी को चिन्तन करना चाहिये। मान्यवर, हमें चिन्ता करने की आवश्यकता है जो योजनायें चल रही थी, मान्यवर, मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमें हर गांव के विकास के बारे में चिन्तन करना चाहिये। आज गांव को किस प्रकार के विकास से, वहां की जनभावनाओं के अनुरूप उनके जीवन को किस प्रकार से हम समृद्धशाली बना सकते हैं, इस पर हमें चिन्तन करने की आवश्यकता है। मा0 अध्यक्ष जी, हमें नागरिकों की आवश्यकताओं के और उनके भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थिति को देखते हुये क्या-क्या कार्य करने चाहिये, इस पर आज विचार करने की आवश्यकता है। मा0 अध्यक्ष जी, हम यहां बैठ करके एक योजना बना ली कि इतना पैसा है, इतना पैसा इस योजना में जायेगा, इतना पैसा इस योजना में जायेगा।

विपक्ष की ओर से-

कितना ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 पाण्डेय जी, समय कम है अच्छा होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सुझाव दें।

ग्रामीण अभिमंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, हमारे साथ एक लल्लू सिंह पढ़ते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में।

श्री उमेश पाण्डेय-

मान्यवर, जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं वह बहुत बड़े काबिल हैं वह हम लोगों की बात नहीं सुन सकते हैं, क्या इनको बीच में सुझाव देना जरूरी है। जबरदस्ती नहीं चलेगी, बैठिये। मान्यवर, राज्य का हिस्सा इतना होगा, केन्द्र का हिस्सा इतना होगा, इतना करके हम अपने दायित्वों की पूर्ति कर लेते हैं लेकिन मान्यवर, इसके परिणाम घातक होंगे। गांवों में रहने वाले लोगों को पहले की अपेक्षा हम कितनी सुरक्षा दे पाये हैं, वह कितने शिक्षित होंगे, उनको हम विकास के रास्ते पर कहां तक ले जा पाये हैं, इस पर आज चिन्तन करने की आवश्यकता है। मान्यवर, कभी जनसंख्या का अनुपात था 15:85, 85 गांव में रहा करते थे और 15 शहर में रहा करते थे लेकिन आज गांव में रहने वालों की जनसंख्या 70 हो गई और 30 शहर में चले गये। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जो सरकार आती है। गांव के विकास पर जोर देती है, माननीय अध्यक्ष जी, गांव के लोगों का फिर भी पलायन जारी है। इसको रोकने के लिये मा0 मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि कोई सुसंगठित कार्ययोजना तैयार करिये। आप रोजगार गारण्टी की बात करते हैं। 365 दिन हैं, 365 दिन मे जो बेबश, लाचार, भूखे और नंगे लोग हैं, जो सदियों से सताये गये, पिछाड़े गये लोग हैं उनको रोजगार गारण्टी में 100 दिन का कार्य दिया जाता है, 265 दिन वह क्या करेंगे ? उनके लिये कैसे भोजन की व्यवस्था हो पायेगी ?

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा टोकने पर कि यह केन्द्र सरकार की योजना है)

श्री अध्यक्ष-

रोजगार गारण्टी की योजना केन्द्र की योजना है।

श्री उमेश पाण्डेय-

यह केन्द्र की योजना है लेकिन प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित होती है तो मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री जी एक कार्ययोजना तैयार करके केन्द्र सरकार के पास भेजिये कि इसको 100 दिन के बजाय 250 दिन किया जाये और 250 दिन का रोजगार दिया जाये। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 व 2011-12 में प्रस्तुत बजट की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें हमारी बहुजन समाज पार्टी की लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन कु0 मायावती जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये धन दिया गया था। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर शोर) सच को सुन लो, सच को सुनने की क्षमता रखो। मा0 अध्यक्ष जी, सदियों से सताये गये जो बेबश और लाचार लोग हैं। आवास की बात मा0 मंत्री जी ने कही है तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने बेबश, लाचार लोगों के लिये, भूखे-नंगे लोगों के लिये जिनके सिर पर छत नहीं थी, छत देने का काम किया तो हमारी नेता बहन कु0 मायावती जी ने पांच लाख लोगों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत राज्यांश के रूप में 348.7 करोड़ रुपया बजट में प्रस्ताव करने का काम किया। हमारी नेता बहन कु0 मायावती जी ने महामाया आवास योजना के तहत 25.0 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की थी जिसमें वर्ष 2010-11 में 57 हजार लोगों को आवास उपलब्ध कराया गया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, पांच मिनट बोले और आप 10 मिनट बोल चुके हैं, आप संक्षेप करिये और भी मा0 सदस्यों को बोलना है।

श्री उमेश पाण्डेय-

हमारी सरकार द्वारा डा0 अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना के तहत ग्राम सभा के गैर अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों के आवास रहित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु महामाया सर्वजन आवास योजना के लिये 90 करोड़ की बजट में व्यवस्था की थी जिससे 25 हजार आवास का निर्माण कराया गया। मा0 अध्यक्ष जी, हमारी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत राज्यांश के रूप में 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। डा0 अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन के लिये मार्गों, लघु सेतुओं के निर्माण, मार्गों के चौड़ीकरण, उच्चीकरण के लिये 50 करोड़ की व्यवस्था की गयी थी।

श्री अध्यक्ष-

जो आप बता रहे हैं, इस बजट पर चर्चा हो चुकी है। अब समाप्त करिये।

श्री उमेश पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अब बिन्दु पर आ जाता हूं आपके आदेश का पालन करना चाहता हूं। मेरा सुझाव है जैसे मुस्लिम परिवार की दसवीं पास बच्चियों को शिक्षा व विवाह के लिये तीस हजार रुपये देने का प्राविधान किया गया है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर) अगर सुन सकते हो तो सुनो। मेरा यह कहना है कि अन्य समाज के बच्चियों को भी यह धनराशि दी जाये। अध्यक्ष जी, विधायक निधि सवा करोड़ है। लेकिन सीमेन्ट, छड़ सब महंगे हो गये हैं। आप सबको मालूम है तो मेरा यह कहना है कि कृपा करके इसे तीन करोड़ कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

आप 15 मिनट बोल चुके हैं। अब समाप्त करें। मंत्री जी ने केवल पांच मिनट लिया था।

श्री उमेश पाण्डेय-

अध्यक्ष जी, अन्त में मैं अपने क्षेत्र के ऊपर आना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि 41 हजार हैण्ड पम्पों की इन्होंने व्यवस्था की है पूरे बजट में 41000 रिबोर की 403 विधान सभा हैं अगर बांटेंगे तो 101 हैण्ड पम्प आयेगा क्या इससे पूरे प्रदेश में पीने के पानी का जो संकट है वाटर लेबिल नीचे होने के कारण आज हमारा क्षेत्र जो सबसे ज्यादा संकट ग्रस्त है वहां पर वाटर लेबिल इतना नीचे आ गया है कि जिनके पास हैण्ड पम्प लग गया है वह कहते हें कि मेरा हैण्ड पम्प है सरकारी हैण्ड पम्प का पानी नहीं लेने देते। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस पर विशेष ध्यान दें और जो 41 हजार है इसको कम से कम एक लाख करने का काम करें।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें। आपको बाद में भी मौका मिलेगा। तब कह लीजियेगा।

श्री उमेश पाण्डेय-

बस एक मिनट और लूंगा। जिस तरीके से जो बजट प्रस्तुत किया गया है यह पूरी तरह से बेवस, भूखे, लाचार, नंगे लोगों के खिलाफ यह बजट है। उनके विकास और बेहतरी की कोई योजना नहीं है इसलिये मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री दीपनारायण सिंह 'दीपक यादव'-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने ग्राम्य विकास विभाग के बजट का समर्थन करने के लिये बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में प्रदेश की उन सारी योजनाओं का जिक्र किया जिससे प्रदेश के किसानों, गांवों में रहने वाले लोगों को विकास की एक नई दिशा मिली है। हमारे साथी आरोप लगा रहे थे कि मंत्री जी ने कम समय में अपनी बात रखी है। कहते हैं कि जब किसी झूठी बात को सच बनाना हो तो उसको लम्बी कहने की जरूरत है लेकिन जिस बात में वजन हो तो कम शब्दों में भी बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। बजट में सारी योजनायें जो प्रदेश को एक नये विकास के आयाम की तरफ ले जा सकती हैं माननीय मंत्री जी ने उन सारी योजनाओं का जिक्र किया और साथ ही साथ यह अहसास कराने का प्रयास किया कि मौजूदा सरकार का लक्ष्य है कि इस बजट के माध्यम से सरकार के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को विकास की दिशा की तरफ जोड़ा जा सके। बजट के माध्यम से प्रगति के नये रास्ते खोले जा सकें। हमारे साथी बहुत सारी बातों पर आरोप लगा रहे थे मैं सोच रहा था कि पिछली सरकार में आप थे कि नहीं थे।

श्री अध्यक्ष-

यह एम0एल0ए0 थे। हम इनके घर गये हैं।

श्री दीपनारायण सिंह 'दीपक यादव'-

अगर यह विधायक थे तो इन्होंने वह दौर भी देखा होगा। इनको शायद अहसास नहीं है कि पिछले पांच सालों में बजट के दौरान जब किसी बात पर कोई सलाह देने का प्रयास किया गया तो कैसा व्यवहार हुआ करता था पीठ पर बैठे लोगों का और सत्ता में बैठे लोगों का किस अहंकार के साथ बात करते थे। माननीय अध्यक्ष जी यह तो आपकी सहृदयता है और आपने वह लोकतंत्र का स्वरूप दिखाने का प्रयास किया हम तो पिछले पांच साल में डर गये थे लगता था कि चुनकर क्यों आये हैं। कभी मौका आया तो मिनट दो मिनट तीन मिनट। कभी बजट भाषण पर चर्चा सुनी नहीं। आज मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक बजट पर तीन-तीन घण्टे की चर्चा तीन-तीन घण्टे लोगों की राय ली जा रही है। मुख्यमंत्री जी मुस्करा कर अपनी बुराइयों को सुनते हैं। मंत्री मुस्कराते हैं जब उनकी कोई आलोचना करता है। क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि अगर कोई सही बात बोल रहा है और हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं सुझाव ठीक है तो उसको ग्रहण करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन एक दौर हम लोगों ने देखा कि कोई अच्छे से अच्छा सुझाव आया लेकिन संसदीय कार्य मंत्री अहं के साथ खड़े होते थे।

ऐसा जवाब देते थे कि जो लोग उस दौर के गवाह हैं वह इस बात को जानते हैं कि लगता था कि लोकतंत्र मर गया है। कह रहे थे अभी कुछ गिना रहे थे बजट की बातें कि पुराने बजट में यह था मान्यवर, आप भी उस बात के गवाह हैं, इस सदन में सारे विधायक चिल्लाकर बोलते थे कि सरकारें रियायतें बढ़ाती हैं। जब ग्राम्य विकास विभाग का बजट आया तो लोगों ने मांग की थी कि माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार में सवा दो सौ हैंड पम्प दिये गये थे फिर बढ़कर साढ़े चार सौ हो गये थे। फिर यह बात दोहराई गई कि बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। लेकिन सरकार का जवाब था एक नहीं बढ़ सकता और छीनने का काम हुआ था मान्यवर। हैंड पम्प छीन लिये गये, सारी

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुविधायें रोक ली गई। मान्यवर, विधायक निधि का रूप सुन लें। सत्ता पक्ष और विपक्ष का विधायक उम्मीद करता है कि विधायक विकास निधि के माध्यम से लोगों की सेवा और मदद कर सकते हैं उसकी उम्मीद करके आता है। मान्यवर, पिछली सरकार में विधायक निधि में क्या हुआ? पहले कुछ संस्थाओं को सरकार ने अनुमति दे दी कि आप विधायक निधि के विकास काम कराओ। उनसे पहले कौन सा मैनेजमेंट बना मान्यवर, अनुमति मिल गयी। लेकिन साल भर में ऐसा दौर गुजरा कि पिछले 5 साल की, कई सालों की विधायक निधि आज तक भुगतान नहीं हुई मान्यवर। संस्थाओं को रोक लगा दी गयी। काम पूरे हो गये, कहीं 60 परसेंट तो कहीं 100 परसेंट काम हो गये। लेकिन इतना कमीशन मांगने लगे संस्थाओं के संचालकों ने हथियार डाल दिये। अभी भी कई वर्षों का पैसा अवशेष है और योजनायें आज भी लम्बित है। मान्यवर, अन्याय की सीमायें तोड़ी गयी। अब हर क्षेत्र में विकास की योजनायें बन रही हैं तो चिल्ला रहे हैं। बजट की बात बता रहे हैं। आपने जो लूट का इतिहास लिखा है। जो भी योजनायें बनायी उस योजना के पीछे गरीब नहीं था, उस योजना के पीछे लूट का मकसद छिपा था। आवास योजनायें बनी तो लेकिन मान्यवर, आवास योजनाओं के पीछे कौन ठेकेदार थे। वो कैसे भवन बने हैं, अगर माननीय मंत्री जी उन भवनों की जांच करायेंगे तो उन योजनाओं के पीछे छिपे मकसद सामने आ जायेंगे। मान्यवर, इस सरकार में माननीय मंत्री जी ने जो योजनायें बनायी हैं वह धरातल पर हैं। जिसका मकसद है सत्ता के माध्यम से गरीबों की तरक्की का साधन बना दें हम, उसका रास्ता निकालें, उसका जो सपना टूट रहा है उसको जिन्दा कर दें हम। इसलिये इस बजट के समर्थन में बोलते हुए मैं लम्बी बात न करते हुए आपकी भावनायें समझ रहा हूं कि आप दूसरों को भी बोलने का मौका देना चाहते हैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आपको धन्यवाद।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे राजस्व विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पूरा देश यह जानता है कि गांव उठेगा तो देश उठेगा। यह बजट जो है गांव के विकास के लिये है। गांव के विकास की चर्चा जब होती है तो अपने आप देश का विकास इसमें निहित है इसलिये इस बजट को प्रस्तुत करते समय जो प्रस्ताव दिये गये हैं उन सारे प्रस्ताव में बिना उनकी चर्चा किये एक बात जोड़ना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना की चर्चा हुई है और इसके बारे में कहना चाहता हूं कि इसमें जो बेस बनाया गया है वह 2001 की आबादी को बेस बनाया गया है। 2001 और आज 2012 की आबादी में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं मैं जानता हूं 2002 में जब मैं चुनाव लड़ने गया था हमारे यहां नियामतपुर और अहाता गांव थे आज वह जमीन पर हैं ही नहीं शून्य हो गये हैं। जो सड़क पर बिल्कुल एक घर नहीं था वहां एक एक हजार की आबादी निवास कर रही है। तो यह परिवर्तन आया है। आप किस आंकड़े के आधार पर बनायेंगे। जिन गांवों को आप जोड़ने जा रहे हैं वहां गांव है ही नहीं। इसलिये हम चाहते हैं कि धरातल पर भी इसको देख लिया जाय। जितनी भी हमारी योजनायें हैं, बहुत अच्छी योजनायें हैं, उन योजनाओं के साथ ईमानदारी बरती जायं। कितनी प्रकार के लोग हमारे यहां आते हैं कि पात्र का नहीं मिल रहा है कुपात्र को मिल रहा है। इसलिये इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि पात्र को मिले और कुपात्रों से छुटकारा मिले। यह सरकार की सक्षम जिम्मेदारी है। इसका निर्वाह कर लेंगे तब निश्चित रूप से कहा जा सकेगा कि ग्राम्य विकास की ओर बढ़े हैं। ग्राम्य विकास के बजट के साथ एक बात और कहना चाहते हैं, एक निवेदन करना चाहते हैं कि अगर ग्राम्य विकास के साथ

ग्राम का स्थायी विकास चाहते हैं, ग्राम की स्थायी शांति चाहते हैं तो उसके साथ एक सुधार की भी आवश्यकता है। जहां आप 100-100 दिन का रोजगार दे रहे हैं वह उससे शराब न पी ले, नशा न कर ले तो इसके लिये आवश्यकता है कि वहां पर नशा पर भी अवरोध लगे। तब ही गांव का विकास स्थिर रहेगा। पहले गांव में खेलों की व्यवस्था होती थी। गांव आप चाहे जितना विकसित कर लेंगे लेकिन अगर वहां खेलों के लिये नहीं दिया, पर्यावरण की चिन्ता नहीं की नशा की चिन्ता नहीं की तो विकास स्थायी विकास नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि जब ग्राम्य विकास की चर्चा हो, तो इसी के साथ इसी बजट में उस ग्राम्य विकास को स्थायी विकास बनाये रखने के लिए पर्यावरण, नशा, खेल को जोड़कर उसकी व्यवस्था की जाये तो ग्राम्य विकास स्थायी रहेगा। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया मैं मा0 मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शानदार बजट पेश करने का प्रयास किया जो प्रशंसनीय है। अभी विपक्ष के कुछ सदस्य कह रहे थे कि बजट थोड़ा है बड़ा है मैं दो घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा नोएडा में कांशीराम आवास योजना का बजट इसलिए बढ़ाया गया कि वह गरीबों की कमाई पर डाका डाले और उन गरीबों की कमाई पर विकसित संगठित भ्रष्टाचार बढ़ता रहे। नोएडा में कांशीराम आवास विकास योजना के तहत झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों को वह आवास आवंटित किए। मान्यवर, पैसे लेकर एक महिला को वह आवास आवंटित कर दिया और एक दूसरी महिला को उस आवास पर कब्जा दे दिया। जो वर्तमान में मौजूद है दोनों और जिसको कब्जा दिया है, अधिकारी कह रहे हैं कि जिसको कब्जा दिया है उसको खुद निकालिये। तो माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस तरह के केस जिसमें संगठित भ्रष्टाचार हुआ हो, यह बजट की बात करते हैं, इतना खून चूसने का काम जो पूर्व की सरकार ने किया है उसकी जांच होनी चाहिये। इसी तरह से इन्दिरा आवास में मेरे क्षेत्र में अगर किसी लाभार्थी ने पैसा नहीं दिया वह गरीब था तो उसके नाम का दूसरा आदमी ढूंढा गया और उस आदमी से पैसा लेकर इन्दिरा आवास योजना का पैसा लेकर तब उसका घर बनाया गया। मान्यवर, गाजियाबाद की ही पिछले पांच वर्ष की जांच करा ली जाये तो बहुत बड़ा घोटाला जो संगठित भ्रष्टाचार के रूप में हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। मान्यवर एक घटना का जिक्र मैं करना चाहता हूं। दो दलित महिलाओं ने इन्दिरा आवास में जब उनको आवास आवंटित हुआ पैसा मिला, तो ब्लाक के सेक्रेट्री ने और बी0डी0ओ0 ने बगैर पैसे लिए उनको आवंटन नहीं किया। जब उन्होंने पैसा दिया तो उसके बाद वह डी0एम0 महोदय के यहां गयी, स्वयं उपस्थित हुई और शिकायत की तो मेरे प्रयास से उसको सस्पेंड किया गया। इसलिए ऐसी पूर्व की भ्रष्टाचारी सरकार जो कहे कि हमने गरीबों को न्याय दिया है तो...

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, इन्दिरा आवास में जो 1660 करोड़ का परिव्यय है यह एक लाभकारी योजना है मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। मान्यवर प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना जो पूर्णतया केन्द्र पोषित योजना है इसमें पूरी लागत लगती है। केन्द्र सरकार के माध्यम से जितना गिट्टी आदि सब कुछ लगना चाहिए

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह लगता है, उसकी लेयर दो सेन्टीमीटर की होती है अगर वह चार सेन्टीमीटर की हो जाये तो वह कई वर्षों तक चलेगी। तो माननीय मंत्री जी को सुझाव है कि उस दो सेन्टीमीटर की लेयर को बढ़ाकर चार सेन्टीमीटर मोटा कर दिया जाये तो वह काफी दिन तक चलेगी। मान्यवर, एक लोहिया ग्राम्य आवास योजना है। मान्यवर, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की और इसमें मैं बधाई देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को, मा0 नेता जी को, जो लोहिया ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से सभी को, चाहे वह सामान्य श्रेणी का है चाहे वह अनुसूचित जाति का है, सभी को यह आवास मिलेंगे यह अपने आप में अनूठी है और यह ग्राम्य विकास का बजट, ग्राम्य विकास की योजना, ग्राम्य विकास विभाग पूर्णतया गांवों से जुड़ा है। इसमें राज्य व जिला स्तरीय गुणवत्ता, जो हैण्डपम्प में पानी खराब आ रहा है उनकी परीक्षण प्रयोगशालायें जिले में योजना से गठित होनी चाहिए। क्योंकि मेरे क्षेत्र में भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां नाले की वजह से पानी संक्रमित है रसायनिक है दूषित पानी न पिया जाये इसके लिए अगर परीक्षण प्रयोगशालायें तय कर देंगी यहां का पानी ठीक है तो वहां हैण्डपम्प लगायें जायें।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, इसी तरह से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल में जहां आर0सी0सी0 की सड़क बनी हुई है और उसको खोद कर डाल दिया जाता है सड़क को पाइप डालकर खराब कर दिया जाता है तो उन सड़कों को ठीक से बनाया जाये यह मेरा सुझाव है। इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उस पर अपने सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। अभी हमारे बसपा के लोगों ने बड़ी अच्छी-अच्छी बातें की लेकिन बीएसपी कार्यकाल में जितने भी नल लगवाये गये, वह एमएलए को नहीं दिये गये, कोआर्डिनेटर को कहीं गिनती में नहीं आते और नल घरों में लगवाये गये। उसकी जांच करायी जाये और उन्हें वहां से उखड़वाकर सार्वजनिक स्थानों पर लगवाया जाये और उनसे खर्चे की वसूली की जाये। जहां तक नये हैण्ड पम्प लगाने की बात है, अध्यक्ष जी मैं एक बात कहना चाहता हूं। धन का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है, पिछले बीसों साल में हमारे नेता राजीव गांधी ने ऐसी कल्पना नहीं की थी जैसा हो रहा है। आज अगर उसकी 500 रुपये की चेन खराब हो जाती है या उसका 200 रुपये का हत्था खराब हो जाता है, उस नल को रिजेक्ट कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि ग्राम्य विकास मंत्री जी के निर्देश है कि प्रधान करायेगा। प्रधान अपनी खाई-बाड़ी में लगे रहते हैं और कोई नल का काम नहीं कराते।

श्री अध्यक्ष-

खाई-बाड़ी कौन शब्द ले आये ?

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

प्रधान पैसे का दुरुपयोग सरल तरीके से जो कर सकते हैं, वह करते हैं, हैण्ड पम्पों का कोई काम ग्राम प्रधान नहीं कर रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी सरकार ले तो साढ़े छब्बीस हजार का नल जिसमें

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पशु बांधने का उसमें काम हो रहा है, जो बेकार पड़ा है, उसे 5-6 हजार रुपये में सरकार द्वारा चलाया जा सकता है। उमसें मेरा एक निवेदन और भी हैं, अब जितने हैण्ड पम्प लगे हैं, सबकी गणना करायी जाये, खराब की अलग और टोटल की अलग और ब्लाक लेविल पर बजट भेज कर ब्लाक प्रमुख की सहभागिता करके यह काम कराया जाये। माननीय मंत्री जी इससे ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। ग्राम पंचायत सदस्य, बीडीसी मेम्बर, ग्राम प्रधान, जिला परिषद् मेम्बर और ब्लाक प्रमुख तक का अनुभव है। नीचे जो काम हो जाता है, कम बेईमानी होती है, ऊपर ज्यादा बेईमानी है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता था, अध्यक्ष जी, आपने ग्राम पंचायतों को इन्दिरा आवास दिये, ग्राम विकास मंत्री जी बैठे हैं, खुली चुनौती देता हूं, 5 हजार से लेकर 10 हजार तक लिया जाता है। इससे पहले और आज भी ग्राम प्रधान इन्दिरा आवास देने में भेदभाव कर रहे हैं, उन लोगों के मकान बनवाये जा रहे हैं, जिनकी अच्छी-अच्छी कोठियां हैं। मैं निवेदन करूंगा कि.....

श्री अध्यक्ष-

आप जब प्रधान थे तो आपने सही बनवाया था या नहीं ?

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

अध्यक्ष जी, मैंने तो बड़ी सफाई से सब काम किये और सेवा भी की। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, महात्मा गांधी गारण्टी रोजगार योजना में गरीबों के जो कार्ड बनते हैं, उसमें बड़ी बेईमानी हो रही है। एक-एक सेक्रेटरी 18-18 गांवों का मालिक बना बैठा है और वह फर्जी मस्टररोल फर्जी लोगों को रख करके बना रहा है। इस धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए मजदूरों को बनने वाले कार्ड में सरकार जो भी पारदर्शिता ला सकती हो, उसे लाया जाये और धन का दुरुपयोग रोका जाये। जहां तक बसपा गवर्नमेण्ट में बड़े अच्छे काम किये हैं, प्रधान मंत्री सड़क योजना में जो गांवों को गावों से जोड़ने का था, जो गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने का था, वह काम अध्यक्ष जी नहीं हुआ। पिछली सरकार विकास पुरुषों की सरकार कही जाती है, यदि तीनों काम प्रधानमंत्री सड़क योजना से हटा दिये जायें तो उत्तर प्रदेश में शून्य विकास हुआ है, इसकी भी जांच करा ली जाये, मान्यवर, यह मैं नहीं कह रहा हूं, वह पीले बोर्ड बता रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं एक निवेदन करूंगा, आपके संरक्षण में ग्राम प्रधानों को मकान दिये जाते हैं, थोड़ा भेदभाव होता है, प्रमुख जी भी पैसे से बीडीसी खरीद कर बनते हैं, वह भेदभाव करते हैं, एक बेचारा विधायक बचता है, थोड़ा इन्दिरा आवास, राम मनोहर लोहिया आवास में विधायकों को भी कोटा दिया जाये कि गांव में अगर कोई कपड़े फाड़ने लगे तो कह सकें कि एक मकान तेरा हम भी बनवायेंगे, यह इस बजट में शामिल किया जाये, यह मेरी आपसे दरख्वाश्त है।

श्री योगेश प्रताप सिंह-

योगेश भइया मान्यवर, ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर मुझे अपने विचारों को इस सदन में रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मान्यवर, ग्राम्य विकास विभाग वह विभाग है जो जनता की मूल समस्याओं से जुड़ा हुआ है। हम लोग गांव से है, गांव में पैदा हुए, गांव में पले बढ़े और गांव की एक चिंतन और विचारधारा लेकर इस सदन में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। सुनिश्चित ग्राम रोजगार योजना, राष्ट्रीय पेयजल ग्रामीण योजना, इन्दिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना सारी चीजों की तरफ मा0 मंत्री जी ने बड़े प्रभावी ढंग से इसको

प्रस्तुत किया और आपके सारगर्भित और छोटे भाषण के बाद जब इस पर मा0 नेता प्रतिपक्ष जी द्वारा मनोनीत सदस्य ने जब अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो सुनकर कहीं न कहीं मन में जिज्ञासा जागी कि जो सवाल आपने इस सदन में उठाये हैं उनके बारे में हम भी अपने विचार इस सदन में रखें। आपने अभी बात की कि पांच वर्षों में बहन जी ने इन्दिरा आवास दे दिया। उन आवासों के पीछे कहानी क्या थी। मान्यवर, जो आवास गरीबों को दिये जाने थे उन आवासों को देते समय 7 हजार से 10 हजार रुपये लेने का काम किया गया था। जो लोग उन आवासों को लेना चाहते थे उनको उन इंदिरा आवासों को पाने के लिए अपनी बहन बेटियों और बहू के जेवरों को गिरवी रखकर ब्याज पर पैसा लाकर देना पड़ा था। मैं अपने जनपद गोण्डा की बात करता हूं। मान्यवर, मनरेगा में सीधे-सीधे डकैती हुयी, आपके एक सम्मानित विधायक जो इस सदन में नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ढाई करोड़ रुपये के केवल खिलौने खरीदे गये और तत्कालीन पी0डी0 निलंबित है। आप हमें विकास की कौन सी तारीख दिखा रहे हो। इतना जरूर अच्छा लगा कि आपने अपने दल की परिपाटी नहीं छोड़ी। लिखा हुआ कई पन्नों का भाषण जो आपने तैयार किया था आपने उस भाषण को पढ़ने का काम किया। आपने अपने दल की राष्ट्रीय नेता द्वारा स्थापित परम्परा को यहां जारी रखने का काम किया है इसके लिए मैं आपको बधायी दूंगा। आप इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करते हैं। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी बैठे हैं इनके कार्यकाल में बनी सड़कों की गिट्टी आज तक नहीं खुली है और आपके कार्यकाल में बनी सड़कों का छः महीने नहीं पूरा हुआ सारी की सारी सड़क उखड़ गयी। आज जब हम यहां बैठे हैं तो सार्थक विचार आ रहे हैं, सुझावों का स्वागत है। हमारे मा0 मुख्यमंत्री जी यहां बैठते हैं, सदन में समय देते हैं। अभी हमारे मा0 दीप नारायन जी ने कहा कि वह दौर भी हमने देखा है जब हम अपने विचार नहीं रख सकते थे। आज राजेश त्रिपाठी जी नहीं है। उस दिन लोक निर्माण के बजट पर उन्होंने कहा था कि अच्छा है कि आप लोग अपनी विचारधारा तो प्रकट कर पाते हैं। आज यह सदन चल रहा है। अभी राजस्व मंत्री जी ने बजट रखा था। 4 घण्टे चर्चा हुयी। अभी ग्राम्य विकास विभाग का बजट चल रहा है। गन्ना विकास का बजट है। चर्चा होगी। आप आज अपने विचारों को सदन में रख तो सकते हैं। एक समय वह था कि आप निगाह उठाकर नहीं देख सकते थे और साथ ही मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन्दिरा आवास में हुए भ्रष्टाचार की जांच करायी जाये और जांच भी ऐसी करायी जाये कि दोषी लोगों को दण्ड भी मिले। माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ने जो बजट रखा है मैं उसके समर्थन में बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, ग्राम्य विकास विभाग सीधा-सीधा गांवों से जुड़ा हुआ होता है। माननीय मंत्री जी ने बजट पेश किया। इसमें मैं दो-चार सुझाव आपके माध्यम से देना चाहता हूं। सबसे ज्यादा 41 हजार हैण्डपम्पों का बजट पास किया गया है। पूरे प्रदेश में एक लाख दस हजार के करीब गांव हैं, ढाई गांवों के बीच में एक नल आता है, मेरा सुझाव है और प्रस्ताव भी है कि नलों पर धनराशि बढ़ाई जाये। लोहिया आवास की योजना चलायी गयी, इससे पहले कांशीराम जी के नाम से योजना चलायी गयी, पिछली सरकार में जितने भी हैण्ड पम्प बटे वह कोआर्डिनेटर या इनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से बटे यह भी इतना बड़ा घोटाला है उत्तर प्रदेश में जो अन्य घोटाले हैं, उनसे ज्यादा घोटाला नलों का है, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूरे प्रदेश में जांच कराना चाहता हूं कि जितने भी नल पिछली सरकार में घरों में लगाये गये हैं इनके कार्यकर्ताओं ने, इनके लोगों ने वह नल बेचे हैं और

बेंच कर उनसे पैसा लेकर घरों में नल लगवायें हैं और व्यक्तिगत जगह पर नल लगवायें हैं मैं चाहता हूं कि सरकार इन सब की जांच करें, जिनके यहां व्यक्तिगत नल लगे हैं, उनसे रिकवरी सुनिश्चित करायी जाये। बीपीएल का सर्वे 2002 में हुआ था, उसके बाद दस वर्षों से कोई सर्वे नहीं हुआ है इस सरकार से मैं मांग करता हूं कि किसी प्रकार का ऐसा सर्वे किया जाये जो पात्र व्यक्ति हैं उनको आर्थिक आधार पर लाभ मिलें।

श्री अध्यक्ष-

खाद्य और रसद मंत्री जी ने उस पर कह दिया है, आप रहे होंगे उस बजट में, इसलिए इस समय इस पर चर्चा न करें।

श्री दलबीर सिंह-

ठीक है मान्यवर, मैं नलों के लिए बजट बढ़ाना चाहता हूं। अभी हमारे साथी बंशी सिंह पहाड़िया ने बहुत अच्छा सुझाव रखा है, हम सब लोग जब गांवों में जाते हैं तो करीब आदमी आशा रखते हैं कि विधायक जी आये हैं, एक मकान दे देंगे। हमको कोई अधिकार नहीं है, मैं चाहूंगा आपके माध्यम से हर विधायक को कम से कम उसके क्षेत्र में कम से कम 20-20 मकान दिलवाने का अधिकार दिया जाये नम्बर वन, दूसरा यह है कि विधायक निधि महंगाई को देखते हुए बहुत कम है, तो इस विधायक निधि को कम से कम जैसा प्रस्ताव में प्रोविजन किया है, दो करोड़ रुपया कम से कम रखा जाये, यह मेरा आपसे सुझाव है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मा0 मंत्री जी बैठे हैं बरौली में कांशीराम आवास योजना का इतने धड़ल्ले से बेइमानी की गयी जिसमें 43 हजार रुपये शायद देने का प्राविधान था विकास खण्ड जवा में गांव छलेसर है पूरी योजना के पैसे को फर्जीफिकेशन कर के खा गये और किसी का कोई मकान नहीं बना आप जांच करा सकते हैं, जनपद अलीगढ़, जवा ब्लाक में। अभी महामहिम की पुस्तिका पढ़ी मैंने बजट की, उसमें चौधरी साहब का नाम अंकित था, आप भी चौधरी साहब को मानते हैं यह सरकार जो सत्ता में बैठी है वह भी मानती है, लेकिन मुझे बड़ा दुःख है कि इस वर्तमान सरकार ने नेता जी ने चौधरी साहब की प्रतिमा लगाई, नेता जी ने युनिवर्सिटी उनके नाम से बनायी, कम से कम चौधरी साहब के नाती समान आज के मुख्यमंत्री हैं, एक तरह से नाती ही तो हैं अखिलेश भाई, आज उनको चौधरी साहब के नाम से कोई न कोई योजना जरूर चलानी चाहिये ऐसा मेरा सुझाव है, आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दें। साथ-साथ बेइमानी और भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहूंगा जिसकी पिछले समय में कोई कमी नहीं रही, मैं चाहूंगा इतना महत्वपूर्ण विभाग है आपका, इस पर किसी तरह से अंकुश लगाया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

*श्री सुधीर कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, ग्राम विकास विभाग के बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी चर्चा चल रही थी, हमारे साथी मा0 विधायक जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा और वह जिस तरीके से कटौती का प्रस्ताव रख रहे थे उससे हम लोगों के अन्दर एक जिज्ञासा उमड़ी कि जो पिछली सरकार थी उसमें मा0 सदस्य उस समय मौजूद थे या नहीं थे। बाद में पता भी चला कि पिछली सरकार में वह मौजूद थे, लेकिन शायद बजट सत्र में मौजूद नहीं रहे होंगे। वह बजट सत्र उस समय मैं भी पहली बार चुन कर आया था, बहुत से ऐसे साथी विधायक थे जो इस मन्दिर में पहली बार जनता के माध्यम से चुनकर आये थे, वह काला अध्याय जिस काले अध्याय में पूरे उत्तर प्रदेश में इस विधान सभा को शर्मसार कर दिया था उस समय, जब पूरे उत्तर प्रदेश के अखबारों में सुर्खियां बनी थीं और पूरे उत्तर प्रदेश का बजट मात्र 14 निमट में पास हुआ था। मा0 अध्यक्ष जी, विपक्ष की जो भूमिका होती हैं, हम सत्ता का आईना दिखाते हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

ग्राम विकास पर सुझाव दीजिये न।

श्री सुधीर कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, उसी पर आ रहे हैं। सत्ता को उसका चेहरा दिखाते हैं। उस समय जब हम लोग चुन करके आये थे और एक एक हैण्डपाइप के लिये इसी सदन में उस सरकार से हम लोग मिन्नतें कर रहे थे। गावों में जनता एक एक बूंद के लिये तरस रही थी। मा0 अध्यक्ष जी, मैं दावे से कहता हूं कि पूरे पांच साल तक न एक भी इन्दिरा आवास दिया गया और न ही एक भी इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप दिया गया। दिया नहीं गया, इन्दिरा आवास बेचा गया, इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप बेचा गया और मैं इस चीज का दावे से कहता हूं कि आज अगर जांच करा ली जाये पिछले पांच वर्षों के हैण्ड पाइपों की तो उसमें 60 परसेण्ट हैण्ड पाइप ऐसे होंगे जिनका प्लेट फार्म आज तक नहीं बना होगा। उसके अलावा, अगर गांवों में इन्दिरा आवास पहुंचे हैं तो उन गांवों में इन्दिरा आवास पहुंचे हैं जिन गांवों के प्रधान और वहां के ब0स0पा0 के नेता ने जिले के अधिकारियों को मोटी रकम दी है, उन गांवों में इन्दिरा आवास हैं। वहां पर किसी गरीब की झोपड़ी पक्के मकान में तब्दील नहीं हुयी है। अगर तब्दील हुयी है तो दो मंजिल की इमारत वाले घरों के सिर्फ एक गेट बना दिया गया है और इन्दिरा आवास का नाम दे दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री सुधीर कुमार-

मैं अपनी सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार को और अपने मुखिया को बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम इस ग्राम्य विकास के बजट पर जिस तरीके से पारदर्शिता अपनाने का हमारे मा0 मंत्री जी ने वादा किया है। तो इस पर कहने को जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री सुधीर कुमार-

समाजवादी पार्टी का कोई भी व्यक्ति जो कहता है वह करके भी दिखा देता है। इसलिये मैं बजट भाषण के समर्थन में बल देते हुये समाप्त करता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समर्थन पर बोलने का मौका दिया।

श्री रामहेत भारती-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे ग्राम्य विकास विभाग के बजट के कटौती प्रस्तर पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मा0 अध्यक्ष जी, केवल 2 मिनट में अपनी बात को कहूंगा। मान्यवर, यह बजट, बजट की पुस्तिका और सम्बन्धित विभाग का 2012-13 का बजट 23 अरब, 89 करोड़, 68 लाख, 22 हजार रुपये हैं। मान्यवर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे मात्र मा0 मंत्री जी ने एक लाइन में इस विभाग से सम्बन्धित राष्ट्रीय पेयजल, ग्राम्य विकास, आवास योजना, स्वर्ण स्वरोजगार योजना, पी0एम0जी0एस0वाई, मनरेगा, विधायक निधि

अम्बेडकर ग्राम विकास और लोहिया ग्राम विकास योजना का पूरा पूरा बजट 23 अरब 89 करोड़, 68 लाख, 22 हजार का पेश किया है। मा0 अध्यक्ष जी, हर चौराहे पर पिछली बार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2003 से 2007 तक, मैंने समाजवादी पार्टी की सरकार की हर चौराहे, हर तहसील में उन होर्डिंग को देखा था, पढ़ा था कि प्रदेश के विकास का रास्ता गांव से होकर जाता है। जब गांवों का विकास हमारी प्राथमिकता है तो हमारा बजट गांवों के लिए प्राथमिकता के आधार पर आवंटित होना चाहिए। मान्यवर इसमें जिन योजनाओं का जिक्र किया गया है उनमें केन्द्रांश और राज्यांश दोनों शामिल हैं। मान्यवर, अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना के स्थान पर आप लोहिया समग्र विकास योजना लाये हैं। हम उसका स्वागत करते हैं और वह इस लिए कि गांवों का समग्र विकास होना चाहिए गांवों के लोगों को विकास का लाभ मिलना चाहिए यह उनका हक भी है और अधिकार भी है। लेकिन मान्यवर किसी भी संचालित योजना को बंद करके जिससे ग्रामीण जनता को लाभ हो रहा हो उसके स्थान पर आप दूसरी योजना को बड़े पैमाने पर ले आये तो हम उसका स्वागत करेंगे। मान्यवर, डा0 भीमराव अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना के द्वारा समग्र विकास का कार्य हमारी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने अपने पिछले कार्यकाल में किया भले ही आज आप आलोचना करें लेकिन यदि गांव में जाकर देखेंगे तो आप पायेंगे कि गांवों को जोड़ने का काम सी0सी0 रोड बनाने का काम उन्होंने किया और उससे गांवों के लोगों का बहुत भला हुआ है। मान्यवर, हम आलोचना नहीं करते हैं, आपने इसमें तमाम योजनाओं का जिक्र किया है। 23 अरब 89 करोड़ 68 लाख 22 हजार रुपये का बजट पेश हुआ है। जबकि मान्यवर, पिछले 2011-12 में 60 अरब से अधिक का बजट पेश हुआ था ग्राम्य विकास के लिए। मान्यवर, आपने कितना प्रतिशत बजट घटा दिया है। मान्यवर इन्दिरा आवास योजना की बात हुई इसमें जिन लोगों ने घोटाला किया है आप उनके विरुद्ध कार्यवाही करें। मान्यवर अभी हमारे कांग्रेस के सदस्य घोटाले की बात कर रहे थे कि बहुत घोटाला हुआ। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 1947 से जब से देश आजाद हुआ है तभी से घोटाले की नींव रख दी गयी चाहे वह कृष्णा मेनन जी का समय रहा हो। यू0पी0 का दो साल का बजट कामन वेल्थ गेम्स में चला गया। इस तरीके से 2जी स्पैक्टम घोटाले की बात है। मान्यवर, मैं यह केवल उनको बता रहा हूं। मान्यवर, मैं ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो भी योजनायें संचालित हो रही थी वह चाहे डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना हो उन पर कार्य बन्द कर दिया गया है। उन अधूरे कामों को यदि पूरा नहीं किया गया तो गांवों में रहने वाले लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो जायेगा। मान्यवर, जो काम अधूरे रह गये हैं उनको बन्द कर देने के कारण जे0ई0 और ठेकेदार सारा सामान उठा रहे हैं। मेरा कहना है कि जो सी0सी0 रोड और ड्रेन बनाने का काम हो रहा था उन अधूरे कामों को पूरा कराया जाये। धन्यवाद।

श्री राम लाल अकेला-

माननीय अध्यक्ष जी, ग्राम्य विकास के बजट का प्रस्ताव जो माननीय मंत्री जी ने रखा है उस पर बल देने के लिए आपने मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मान्यवर, गांव बढ़े तो बढ़ेगा देश मुलायम सिंह का है सन्देश। इस नारे को अपने बजट में चरित्रार्थ करते हुए माननीय मंत्री जी ने जो बजट यहां पर रखा है उसके लिए मैं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से उन्हें हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, अभी हमारे सामने के साथियों ने बड़ा दलितों की बात, गांव के विकास की बात की। मैं भी गांव में पढ़ा लिखा, गांव में ही पैदा हुआ पला हुआ हूं। जो दुर्दशा आपने दलितों की 5 साल में की है शायद कोई दूसरा नहीं कर सकता। विकास के नाम पर

दलितों के नाम पर योजनायें आप ले गये और बन्दरबाट करवा दिया बड़े लोगों के हाथों दलित पीटा जाता रहा, लूटा जाता रहा और आपने तो दलितों की पीड़ा को सुनने का भी काम नहीं किया। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने, माननीय मुलायम सिंह यादव ने समग्र ग्राम के विकास की योजनायें बनायी हैं। आप अभी कह रहे थे कि अम्बेडकर ग्राम विकास योजना हम चला रहे थे उसको बन्द कर दिया आप कहां से चला रहे थे इतिहास पढ़ना सीखिये। अम्बेडकर ग्राम विकास योजना का सृजन अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने किया है तो उस नेता का नाम है मुलायम सिंह यादव। पिछली सरकार में हम समग्र ग्राम विकास योजना चला रहे थे तो आपने इस योजना को बन्द करने का काम क्यों किया। आप बदले की भावना से काम करते हैं कि हम। लखनऊ में हमारे लोक निर्माण मंत्री जी ने डा0 राम मनोहर लोहिया के नाम से लोहिया पथ का निर्माण कराया था तो उसकी पट्टिका देखकर आपकी आंखे दर्द कर रही थी और उस पट्टिका को उखाड़कर फेंकने का काम कराया था। आप बदले की भावना से काम करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के गांव को ग्राम विकास के माध्यम से सृजित करने का जो सपना हमारे माननीय मंत्री जी ने दिखाया है मैं उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने रानी लक्ष्मी बाई पेंशन योजना और तमाम योजनाओं को जिस तरह से सृजित करने का काम किया है हम समझते हैं कि गांव की जनता को इससे लाभ मिलेगा। मान्यवर, एक सुझाव देना चाहता हूं उन्होंने तो हैण्डपम्पों को बेचा है उसके पैसे को लूटा है मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हैण्डपम्प का पैसा सीधे जल निगम देने के बजाय जिलाधिकारी के माध्यम से इस पैसे को देने का काम किया जाय और दूसरी बात मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। विधान सभा के परिसीमन में कुछ दूसरी तहसीलों के गांव हमारे विधान सभा क्षेत्र में शामिल हुए मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि महराजगंज बछरांवा विधान सभा में धुलवासा नाम से नये ब्लाक का गठन किया जाय और रायबरेली अमावां ब्लाक में जो गांव हमारे विधान सभा क्षेत्र में पहरे मऊ और बल्ला न्याय पंचायत के जो गांव हमारे विधान सभा क्षेत्र में आये हैं उनको नया ब्लाक गठित करके उसमें रखा जाय ताकि हम विकास की योजनायें अपने क्षेत्र में अच्छी तरह से चलाने का काम कर सकें। इसी के साथ ही माननीय अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद देता हूं और माननीय मंत्री जी जिन्होंने आज यह बजट प्रस्तुत किया है उसका जोरदार स्वागत करते हुए आपको बधाई देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने के प्रयास के कारण व्यवधान की स्थिति।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग जो बोलना चाहते हैं, आप लोग ग्राम्य विकास पर एक पेज में 100 शब्दों में अपने सुझाव लिख दें। हम उसे प्रोसिडिंग में जुड़वा देंगे। वह छप जायेगा और आपका कार्य हो जायेगा। अब मा0 जैसल जी आप बोलें। अन्य सभी मा0 सदस्य बैठ जायें। आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजबली जैसल-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस ग्राम्य विकास विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मा0 अध्यक्ष जी अभी ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर चर्चा हो रही है और चाहे इस पक्ष के लोग हो या उस पक्ष के लोग हो, इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि जब गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। हम इसमें बहुत ज्यादा नहीं

कहना चाहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बजट आपके पास है, आप सब के पास है वर्ष 2011-12 में लगभग 115678 हैण्ड पम्पस् नये अधिष्ठापित कराये गये थे और 73346 हैण्ड पम्पस् रिबोर कराये गये थे, तो यह आपकी ही पुस्तिका है और आपने ही लिखा है। सरकार ने ही लिखा है। मा0 सत्ता पक्ष के विधायक एक बार नहीं बार-बार इस बात को कहा करते हैं कि अगर जांच करा ली जाये, अगर जांच करा ली जाये। सरकार आपकी है जनता ने आपको चुनकर भेजा है, बहुमत के आधार पर आप लोग उस तरफ बैठे हैं और आप दिन में कम-से-कम 25 मा0 सदस्य इस बात को कहते हैं कि जांच करा लिया जाये, आपको कौन रोक रहा है, सरकार आपकी है। सत्ता पक्ष में बैठे हैं, आपको जांच करा लेनी चाहिए, नहीं तो आप पांच साल लगातार सिर्फ यही कहते रहेंगे कि जांच करा ली जाये और 5 साल के बाद आप इधर की ओर दिखायी पड़ेंगे। मा0 अध्यक्ष जी मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा लेकिन मा0 अकेला जी बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि 5 साल दलितों के लिए क्या हुआ, लेकिन मा0 उधर के ही सदस्य, बहुत जिम्मेदार साथी बार-बार इस बात को कह रहे थे कि पांच साल लगातार दलितों की बात सुनी गयी और दलितों के कहने पर लगातार अन्य समाज के लोगों के ऊपर एस0सी0/एस0टी0 एक्ट लगाये गये और इतना ही नहीं किया गया उनको गुण्डा एक्ट में भी जेल भेजा गया। मैं नहीं कह रहा हूं आपके सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा तो मैं बधाई उनको देना चाहूं या आपको देना चाहूं जो आप इस बात का रोना रो रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया समाप्त करें।

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं।

श्री आरिफ अनवर हाशिमी-

मा0 अध्यक्ष जी मा0 सदस्य ग्राम्य विकास के बजट पर बोलें।

श्री राजबली जैसल-

हां, हम ग्राम्य विकास पर ही बोल रहे हैं। मान्यवर, मैं यह नहीं कहना चाह रहा हूं कि हैण्ड पम्पस् जो आप अधिष्ठापित करवायें, प्रतिपक्ष के लोगों को करायें लेकिन आप जनता की उम्मीदों पर खरा उतरें। आपने जनता से वादा किया है अभी आपने यहां पर भी वही कहा है मा0 अध्यक्ष जी मैं कहना चाहूंगा कि जो ऐसी बस्तियां हैं, जहां वास्तव में हैण्ड पम्पस् न हो, ये राजबली जैसल के कहने पर नहीं, विपक्ष के कहने पर नहीं। आप इसके लिए सर्वे करा लीजिए एक मानक है कि 75 मीटर की दूरी पर हैण्ड पम्प होना चाहिए। ऐसी जगहों पर जहां वास्तव में हैण्ड पम्प की आवश्यकता है वहां पर आपको हैण्ड पम्प अधिष्ठापित करवाना चाहिये। मैं नहीं कहता कि आप मा0 विधायकों को, मा0 सदस्यों को कितने हैण्डपम्प देंगे। मैं यह नहीं कहना चाह रहा हूं। मान्यवर, मैं ज्यादा न कहते हुए एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी विधान सभा में दो पेयजल योजना है औड़िहार पेयजल योजना और धमावल पेयजल योजना। दोनों पेयजल योजना 12-15 वर्षों से काम नहीं कर रही हैं, इसको पुनर्गठन कराने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर धन अवमुक्त कराकर इसका पुनर्गठन कराने का काम करेंगे। हमारा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर ज्यादातर कोल समाज के लोग, अनुसूचित समाज के लोग रहते हैं, जो झोपड़-पट्टियों में रहा करते हैं और पहाड़ों पर रहा करते हैं, जहां पर पानी नहीं मिल पाता है। वहां पर जो हैंडपम्प अधिष्ठापित कराया जाये

उसका बोर गहरा होना चाहिये जिससे गर्मियों के समय में पानी न सूखने पाये, इसी सुझाव के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री सत्यवीर मुन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने ग्राम्य विकास के बजट पर समर्थन में बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष जी, ग्राम्य विकास ग्रामीणों और गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग है और बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को तथा सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इस पर इन्होंने करीब 500 करोड़ से अधिक बजट आवंटन में वृद्धि की है। अध्यक्ष जी, मैं अपने क्षेत्र की एक छोटी सी समस्या बताना चाहता हूं। अभी हमारे माननीय विपक्ष के सदस्य बात कर रहे थे कि क्या-क्या विकास ग्रामीण विकास में हुआ। अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि जो विकास हुआ, उसमें नजरिया ग्राम्य विकास का नहीं था, सिर्फ कमीशन प्राप्त करने का नजरिया पिछली सरकार में था। हमारे सोरांव विधान सभा क्षेत्र में किरांव ग्राम सभा बहुत बड़ी ग्राम सभा है जिसकी आबादी 10 हजार से अधिक है। वहां पर स्वजल योजना से चार पेयजल टंकियों का निर्माण किया गया है, करीब ढाई-तीन साल पूर्व यह निर्माण किया गया है, उसमें कमीशन तो प्राप्त कर लिया गया, लेकिन उसमें इतने समय से एक बूंद पानी का निस्तारण नहीं हुआ है। क्योंकि पानी और जनता के हित के लिये तो कमीशन मिलना नहीं था इसलिये माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सोरांव विधान सभा की किरांव ग्राम सभा में चारों पेयजल टंकियों में पानी का परिचालन शुरू कराने का कष्ट करें। अध्यक्ष जी, हैंडपंप के संबंध में मैं माननीय मंत्री जी को, इस सरकार को और माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बार सभी माननीय विधायकों के लिये इन्होंने हैंडपंप की व्यवस्था की है लेकिन हमको तो लगता है कि शायद विपक्ष के साथी भी मन ही मन सोच रहे होंगे कि बहुत अच्छा हुआ कि इनकी सरकार गयी और समाजवादी सरकार आयी है क्योंकि पहले आप लोगों को भी हैंडपंप नहीं मिलता था लेकिन अब आप लोगों को भी हैंडपंप मिलेगा, यह हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। अध्यक्ष जी, जो पाइप पेयजल योजना है, उसके संबंध में सुझाव देना चाहूंगा कि पिछली सरकार में हमारी विधान सभा सोरांव में कई पेयजल योजनायें शुरू की गयी लेकिन बहुत ही खराब दर्जे का पाइप बिछाया गया है। इन्होंने जो किया यह तो यही जानेंगे लेकिन माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस पर आप थोड़ा सा नियंत्रण रखियेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके जो पाइप पेयजल योजना है उसमें जो पाइप बिछाये जायें, उसकी क्वालिटी और कार्यदाई संस्था बेहतर हो ताकि जनता की सेवा बेहतर ढंग से की जा सके। एक निवेदन और करना चाहूंगा कि सोरांव विधान सभा में जल प्रशिक्षण प्रयोगशाला भी स्थापित कराने का कष्ट करें, इसी के साथ मैं ग्राम्य विकास के बजट का समर्थन करते हुए तथा आपको धन्यवाद देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उमेश पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सुझाव के रूप में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि डा0 अम्बेडकर गांव जो चयनित किये गये थे, उसमें सामुदायिक मिलन केन्द्र की स्थापना की गयी थी, जिसका 50 प्रतिशत कार्य हो चुका है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गांव के लोगों के यहां शादी-ब्याह में यह बहुत उपयोगी साबित हुआ है और उसके अधूरा रहने के कारण गांव के लोगों में काफी आक्रोश है। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता

हूं कि जो कार्य रोक दिया गया है, उसको पूरा कराने की माननीय मंत्री जी से अपील करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यह 14 करोड़ गांव में रहने वाले गरीब किसानों का बजट है। हमारी सरकार ने 2011-12 में 61 हजार 35 करोड़ का बजट रखा था और आपने 23 अरब 89 करोड़ पर ला दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि विकास के नाम पर यह गांव से प्रचंड बहुमत में आये हैं और गांव के विकास को नजरअंदाज करके यह उत्तर प्रदेश की सरकार 20 करोड़ जनता को क्या संदेश देना चाहती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक सुसंगठित कार्य योजना तैयार करें कि गांव से लोगों का जो पलायन हो रहा है, उस पलायन को रोका जा सके। इस कार्य योजना को तैयार करके गांव में संदेश देने का काम किया जाये, वैसे मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि जिस तरह से गांव के लोगों की अनदेखी की गयी है, उससे उम्मीद नहीं है कि यह सरकार गांव के विकास के प्रति चिन्हित है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करते हुये तथा अपने विपक्ष के साथियों का आभार व्यक्त करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अरविन्द सिंह गोप-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जब कटौती प्रस्ताव पेश कर रहे थे तो हमने सोचा कि कोई अच्छी बात कहेंगे लेकिन किस विषय पर पेश करना है, यही भूल गये और किसी दूसरे विभाग की बात करने लगे। इसीलिये हमने आपसे कहा था कि बजट प्रस्तुत करने के बाद जो हमारी महत्वपूर्ण योजनायें हैं, उन पर संक्षेप में कुछ कहेंगे और माननीय सदस्यों का सुझाव हमारे लिये ज्यादा हितकर होगा। आपने सही कहा कि पन्ना बदल गया होगा। अगर आप तैयारी से नहीं आओगे तो हाल यही होगा। यह लोग विकास की बात कर रहे हैं जिन्होंने पूरे 5 साल उत्तर प्रदेश को लूट लिया है। विकास अगर इन्होंने किया है तो केवल एयरपोर्ट से ताज होटल तक किया है। क्या विकास हुआ है और कितने पैसे का उसमें घपला हुआ है, यह पूरे प्रदेश की जनता जानती है और उसी का परिणाम है कि आप वहां बैठे हैं। मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को बधाई दूंगा कि इनकी नजर उस पर गयी है और कार्यवाही शुरू हो गयी है। आप कह रहे हैं कि जांच करा लो, जांच करा लो, समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में भरोसा रखती है और यहां लोकतंत्र जिन्दा है। यहां तो सभी बोल रहे हैं लेकिन पिछले 5 साल इनकी आवाज तक नहीं निकली। मात्र 14 निमट में बजट पास हो गया। आप भी बड़े दिल के हैं और यह भी बड़े दिल के हैं और सब की बात सुनी जा रही है। एक बात यह बार-बार कह रहे हैं कि बजट कम कर दिया, अगर इनको जानकारी होती तो यह बात न कहते। 2011-12 में 21 प्वाइंट कुछ का हुआ था, अनुपूरक जोड़ दिया तो 429 अनुपूरक में आ गया, उसको जोड़ने के बाद 35 चिल्ला रहे हैं। जब आप अनुपूरक भी जोड़ दोगे तो बजट तो ज्यादा हो ही जायेगा, हम तो अभी केवल मेन बजट पेश कर रहे हैं तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने महत्वपूर्ण विभाग पर कटौती पेश कर रहे हैं और गांव की बात कर रहे हैं और जानकारी भी पूरी नहीं है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि भरोसा रखें इस सरकार में विकास के काम हो रहे हैं। अभी तो तीन महीना ही हुआ है। हम लोग बदले की भावना से काम नहीं करते, अगर बदले की भावना से काम होता तो परिणाम दिख रहा होता। हम लोग लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं और यहां बैठना, वहां बैठना यह तो लगा रहता है, यह किसी की विरासत में नहीं लिखा है कि हम यहां बैठेंगे और आप वहां बैठोगे। लेकिन एक चीज याद रखना कि अब बहुत दिन तक वहीं बैठोगे, यहां का नम्बर नहीं आने वाला है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरी बात, अभी मुकुट बिहारी

जी ने कहा सड़कों के बारे में पिछली बार प्रधानमंत्री सड़क की योजना थी वह केवल पत्र से चल रहा था, एक पत्र यहां से चला जाता था उसका जवाब कब आता था, पता नहीं था। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद ग्राम्य विकास मंत्री जी लखनऊ आये, मुख्य मंत्री जी से बात हुई, हम लोग बैठे, हमारे अधिकारी बैठे और मैं स्वयं केन्द्रीय मंत्री से मिलने गया, प्रदेश की तमाम योजनाओं के बारे में बात की। हमारी सरकार के तमाम मंत्री केन्द्रीय मंत्रियों से मिलने दिल्ली जा चुके हैं। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी भी जा चुके हैं और सब लोग जा रहे हैं। हम लोग जमीन पर काम करना चाहते हैं, हम लोग विकास का काम करना चाहते हैं। अभी कुछ सदस्य कह रहे थे, मैं तीसरी बार चुन करके सदन में आया हूं, लेकिन बड़ा अफसोस हो रहा था पिछली सरकार के दर्जनों सदस्यों की भ्रष्टाचार की बात कही। लोकतंत्र में अगर ऐसे लोग आ जायेंगे तो विकास की बात कहां होगी। अभी मा0 सदस्य पहाड़िया जी कह रहे थे कि मंत्री जी जांच करा लो। बहुत अच्छी बात कही आपने, कहां-कहां इनकी जांच करायी जाये। अगर जांच कराने लगेंगे तो पांच साल ऐसे ही निकल जायेगा और प्रदेश की जनता ने बहुत विश्वास के साथ चुना है और पूरा बहुमत दिया है। पहाड़िया जी, आप विश्वास रखिये कि गलत काम करने वाला चाहे जितना बड़ा होगा, बख्शा नहीं जायेगा, उसके ऊपर कार्यवाही होगी। दूसरी बात, जहां तक आप गांवों की बात कह रहे हैं, समाजवादियों को गांवों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग गांवों में पैदा हुए, गांवों से निकल कर बड़े संघर्ष के बाद यहां तक आये हैं। वह चीज न बताओ जिसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। कई सदस्यों ने अपनी बात कही, अभी कह रहे थे कि आप रोजगार नहीं दे रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, ग्राम्य विकास अधिकारियों के रिक्त पद करीब 3000 हैं। हमारी सरकार का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उसको भरा जाये और हमने उस पर भी काम शुरू कर दिया है। अब एक आदमी के पास तीन या चार पंचायतों का काम रहेगा। मनरेगा की बात आपने कही, मनरेगा में तकनीकी सहायक जो टी0ए0 होते हैं उनको भी हमने एम0बी0 करने का अधिकार दे दिया है क्योंकि काम तेजी से हो। हमारी जहां नजर पड़ रही है हम काम कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा और फिर कह रहे हैं कि हमें आप सुझाव देते जाइये। प्रदेश में हैण्डपम्प बड़ी संख्या में लगे हैं यह हमने आप से पहले बताया। हमने पहले कहा कि जो बजट सामग्री दी गयी है, जो बुकलेट हमने दी है उसमें पूरी चीज विस्तार से दी है। हम बिन्दुवार जो महत्वपूर्ण योजना चला रहे हैं उसके बारे में आपको बता भी रहे हैं। अगर आप बहस करें तो हम कई घण्टा बोल सकते हैं, बहस भी कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर चाहते हैं कि आप क्या कह रहे हो और क्या करना चाहते हो, यह पहले तय कर लो, जब वही नहीं तय होगा तो आप करोगे क्या। माननीय सदस्य दलवीर सिंह जी ने जो बात कही हमने बड़ी गम्भीरता से लिया। मैं फिर वही दोहरा रहा हूं कि इन्होंने भी वही कहा कि जांच करा लो। पिछले पांच साल में कुछ बचा ही नहीं, खैर जांच होगी वह अलग प्रक्रिया है। जैसल साहब ने कहा कि इनके क्षेत्र में पेयजल की जो दिक्कत है। हमने प्रश्न प्रहर में भी कहा था कि हमारी सरकार प्रदेश की जनता को शुद्ध पेयजल देने के लिए कटिबद्ध है और प्रयास कर रही है। हम अपनी जिम्मेदारी से कतई नहीं भाग रहे हैं, हम लोग चिल्लाकर नहीं भागते हैं, सामना करते हैं, काम करते हैं और विकास का रास्ता ढूढ़ते है और विकास का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जिस हालत में मुझे मिला है, वह बताने की जरूरत नहीं है लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, एक मजबूत संकल्प के साथ हम लोग निकले हैं, भरोसा रखिये, यह प्रदेश, जो हिन्दुस्तान के विकास का नक्शा होगा उसमें मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर दिखायी पड़ेगा। हम आपसे फिर कह रहे हैं तमाम सदस्यों के सुझाव आये हैं, महत्वपूर्ण सुझाव आये हैं। जिन सदस्यों के

सुझाव नहीं आ पाये, तमाम सदस्य बोलना चाहते थे क्योंकि इसके बाद गन्ना जैसा महत्वपूर्ण विभाग का बजट लगा है इसलिए लोग अपनी बात को नहीं रख पाये लेकिन लिखकर अपने सुझाव को दे देंगे, हम तक पहुंचेगा, तो यकीन और भरोसा रखिये उस पर कार्यवाई करेंगे। कालोनी की बात कही गयी, मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि किसी वक्त, किसी समय हमसे मिल करके कह देना कि फलां जिले के फलां ब्लाक में गरीब की कालोनी में अगर कोई गड़बड़ी हुई, तो गड़बड़ी करने वाला 24 घण्टे के अन्दर जेल जायेगा यह हमारी वो सरकार है। यह हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम और हमारे अधिकारी इस पर निरन्तर काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए हम लोग आये हैं और मिटाकर हम लोग दम लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसको वापस ले लें, यह गांव और गरीब से जुड़ा हुआ विभाग है सर्वसम्मति से इसे पास करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

वह अब वापस नहीं लेंगे। आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री उमेश पाण्डेय-

नहीं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,89,68,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

*लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, में आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,35,07,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 13 (6) भी रख दें।

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,89,56,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

माननीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन करने में राष्ट्र का प्रथम प्रदेश है। गन्ने की खेती और चीनी मिलें प्रदेश की अर्थव्यवस्था और विकास की धुरी हैं। गन्ना प्रदेश की मुख्य नकदी फसल होने के कारण किसानों की आज भी आजीविका एवं आय का प्रमुख श्रोत है तथा इसके मुख्य उत्पाद चीनी एवं अन्य उत्पादों पर आधारित अनेक छोटे बड़े उद्योगों से करोड़ों लोगों की रोजी रोटी के अवसर प्राप्त होने के साथ साथ वर्ष के पांच छह महीनों के लिए घरेलू पशुओं हेतु हरा चारा भी उपलब्ध रहता है। प्रदेश में कृषि पर आधारित चीनी, गुड़, खाण्डसारी, शीरा, एल्कोहल बिजली, जैविक खाद उत्पादन करने वाले उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति गन्ने व उसके उत्पादों से उपलब्ध हो पाती है। मान्यवर, सम्पूर्ण भारत का लगभग 43 प्रतिशत गन्ना क्षेत्र के साथ उत्तर प्रदेश की चीनी उत्पादन क्षमता सम्पूर्ण भारत के सापेक्ष लगभग 24 प्रतिशत है। पेराई सत्र 2011-12 में संचालित 124 चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र 23 निजी क्षेत्र 101 द्वारा पेराई कार्य करते हुए 7613.49 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई पर 695.82 लाख कुन्तल चीनी का उत्पादन किया गया। प्रदेश में चीनी मिलों की दैनिक पेराई क्षमता 7.68 लाख पी0सी0डी0 रही है। मान्यवर, गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए पेराई सत्र 2011-12 में अगैती सामान्य अनुपयुक्त प्रजाति हेतु घोषित राज्य परामर्श गन्ना मूल्य क्रमशः रु0 250, रु0 240 एवं 235 के अनुसार दिनांक 25.06.2012 तक कुल देय गन्ना मूल्य 18200.95 करोड़ के सापेक्ष रु0 15,222.86 करोड़ का भुगतान गन्ना किसानों को कराया जा चुका है। 83.64 प्रतिशत का भुगतान गन्ना किसानों को कराया जा चुका है। मान्यवर, इसी तरह से गन्ना किसानों को विगत वर्षों का गन्ना मूल्य भुगतान कराये जाने का क्रम से दिनांक 25.06.2012 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2003-04 का 99.91 प्रतिशत, वर्ष 2004-05 व 2005-06 का शत प्रतिशत वर्ष 2006-07 का 99.88 प्रतिशत, वर्ष 2007-08 का 99.34 प्रतिशत वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 का 99.99 प्रतिशत तथा वर्ष 2010-11 का 99.94 प्रतिशत का भुगतान कराया जा चुका है। मान्यवर, पेराई सत्र 2011-12 में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा चीनी मिलों के गन्ना क्रय केन्द्रों का 11,225 निरीक्षण कर 1,237 अनियमिततायें पकड़ी गई और 247 मिल तौल लिपिक के तौल लाइसेंस को निरस्त किया गया तथा समिति के दो लिपिकों को निलम्बित किया गया। 123 मामलों में माननीय न्यायालयों में वाद दायर किये गये तथा 39 मामलों में एफ0आई0आर0 भी दर्ज करायी गयी। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2011-12 में गन्ना क्रय के निर्धारित लक्ष्य रुपये 114.66 करोड़ के सापेक्ष 105.38 करोड़ की वसूली की गयी। वित्तीय वर्ष 2012-13 में गन्ना क्रय कर का निर्धारित लक्ष्य रुपये 116.84 करोड़ है जिसके सापेक्ष अब तक चीनी मिलों से 18.64 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। मान्यवर, वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं के दृष्टिगत गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित राज्य सरकार की जिला सेक्टर योजनान्तर्गत सघन गन्ना विकास की योजना में अनुदान संख्या 23 में रुपया 553 करोड़ तथा स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत अनुदान संख्या 83 में रुपया 1.47 करोड़ का प्राविधान किया गया है। कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में रुपया 44.86 करोड़ की सहायता प्राप्त होनी सम्भावित है। इस सकल धनराशि से प्रदेश में ब्रीडर सीड उत्पादन, आधार पौधशाला स्थान, प्राथमिक पौधशाला

स्थापन, बीज यातायात, क्षेत्र प्रदर्शन, कृषि यंत्र वितरण, माइक्रोन्यूट्रिन्ट वितरण कृषक जागरूकता हेतु किसान मेलों का आयोजन, कृषक/कर्मचारी प्रशिक्षण इत्यादि कार्यक्रम संचालित किये जायें जिससे प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में वृद्धि आयेगी। चीनी परता प्राप्त गन्ना, मृदा उर्वरता का संरक्षण एवं अन्य संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करना प्रस्तावित है। जिसका लाभ प्रदेश के लगभग 30 लाख गन्ना किसानों को प्राप्त होगा। इसी प्रकार प्रदेश की औसत उपज 56.34 टन हेक्टेयर को वर्ष 2014-15 तक 70.00 टन हेक्टेयर एवं चीनी परता 9.14 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक ले जाने की दशा में विभाग कार्यरत है। साथ ही बीज बदलाव कार्यक्रम के मौजूदा स्तर 10 प्रतिशत को 2014-15 तक 25 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। प्रदेश में गन्ने की अच्छी प्रजातियों की कमी है जिससे कृषकों की उपज में वृद्धि नहीं हो रही है तथा चीनी मिलों को कम चीनी परता प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 26 गन्ने की प्रजातियों को प्रदेश में यथावत् अंगीकृत किया है। भविष्य में भी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रजातियों को अंगीकृत किया जायेगा। इस प्रक्रिया से कृषकों को अच्छी प्रजातियां उपलब्ध होगी जिससे चीनी परता में वृद्धि होगी। गन्ना किसानों के गन्ने को चीनी मिलों तक सुगमता पूर्वक पहुंचाये जाने हेतु विभाग के अन्तर्गत संचालित अर्न्तग्रामीण सड़क निर्माण योजना हेतु 2012-13 में अनुदान संख्या 23 (आयोजनागत) के अन्तर्गत रुपया 40 करोड़ एवं स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत अनुदान संख्या 83 (आयोजनागत) में 4.53 करोड़ का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, इसी प्रकार अनुदान संख्या 23 (आयोजनागत) में रुपये 133.8150 करोड़ (मतदेय) तथा 0.0150 करोड़ (भारित) का प्राविधान किया गया है तथा रु0 0.0150 करोड़ भारित का प्राविधान किया गया है तथा अनुदान संख्या 24 आयोजनेत्तर में रुपये 469.0234 करोड़ का प्राविधान किया गया है। जिसमें रुपये 400.00 करोड़ उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कर्ज तथा रुपया 20.00 करोड़ उ0प्र0 सहकारी संघ की चीनी मिलों के आफ सीजन मरम्मत के लिए कर्ज हेतु प्राविधान किया गया है। मान्यवर, यह भी अवगत कराना है कि गन्ना विकास विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 से गन्ना कृषकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु एक पारदर्शी गन्ना सूचना प्रणाली एस0आई0एस0 विकसित की गयी है। जिसके अन्तर्गत प्रदेश के 30 लाख गन्ना किसानों को उनकी गन्ना फसल के संबंध में आधारभूत संसूचना आन लाइन प्रदत्त कराते हुए सर्वे, पर्ची, तौल एवं भुगतान विषयक सूचनायें तीन माध्यमों यथा बेब साइट, एस0एम0एस एवं आई0वी0आर0एस0 से उपलब्ध करायी जाती है। गन्ना बिचौलियों पर अंकुश रखने हेतु वर्तमान सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस प्रणाली के अन्तर्गत पेराई सत्र 2012-13 में प्रदेश में गन्ना क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत सर्वेक्षण जी0पी0एस0 प्रणाली द्वारा किया जायेगा। इस तरह लगभग 5.67 लाख हेक्टेअर गन्ना प्रक्षेत्र का सर्वे जी0पी0एस0 प्रणाली द्वारा सम्पन्न होगा। साथ ही गन्ना तौल में होने वाली अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पेराई सत्र 2012-13 में प्रदेश की चीनी मिलों के कुल क्रय केन्द्रों के सापेक्ष 10 प्रतिशत क्रय केन्द्रों पर इलेक्ट्रानिक वे-ब्रिज स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अन्तर्गत इस वर्ष लगभग 700 क्रय केन्द्रों पर इलेक्ट्रानिक वे-ब्रिज द्वारा गन्ने की तौल की जायेगी। उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ में क्रय एवं चीनी विक्रय प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाये जाने के उद्देश्य से शीघ्र ही ई-टेण्डर एवं आन-लाइन चीनी विक्रय प्रक्रिया लागू किया जाना प्रस्तावित है। घटतौली की शिकायत समाप्त करने हेतु 09 सहकारी चीनी मिलों में 75 इलेक्ट्रानिक तौल कांटा स्थापित किये जाना प्रस्तावित है। आगामी वर्षों में समस्त वाह्य क्रय केन्द्रों पर शत प्रतिशत इलेक्ट्रानिक तौल कांटे लगाये जाने की योजना है।

मान्यवर, इसी तरीके से हमारी सरकार, क्योंकि हमारा प्रदेश गन्ना का उत्पादन करने में आगे है, मान्यवर, खेती में और किसानों के लिए जो नई प्रजातियां हम लायें हैं। 26 नई प्रजातियां जिससे गन्ने की फसल अधिक पैदा होगी और इसके साथ-साथ जो हमारे प्रदेश में आपने देखा कि पुरानी सरकार ने 21 चीनी मिलें औने पौने रुपये में बेच डाली है और उसमें से 11 चीनी मिलें चलती हुई और जबकि उन चीनी मिलों पर बन्दिश लगाना चाहिए था वह चलनी चाहिए थी लेकिन निजी लोगों को फायदा देने के लिए 11 चलती हुई चीनी मिलें और दस और चीनी मिलें, पिछले पांच साल में एक भी चीनी मिल नहीं लगी। जबकि हमारा आधार है, गन्ने की खेती और चीनी मिलें, यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था और विकास की धुरी है लेकिन पुरानी सरकार ने पांच साल में एक भी नई चीनी मिल नहीं लगाई है। मान्यवर, आपको ध्यान है, हमारी 3 साल की सरकार ने.....

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, मंत्री जी को, 72 करोड़ रुपया रामपुर शुगर मिल को दिया गया और तकरीबन 20 करोड़ खर्च हो गया। दुनिया में ऐसी राक्षस सोच कहीं नहीं होगी, गरीब की दुश्मन। मैं था उस क्षेत्र का क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद आजम खां है, इसलिए मुख्य मंत्री को उस नाम के व्यक्ति के नाम से मजदूरों का हित भी बर्दाश्त नहीं, जबकि यह मिल थिकली हिन्दू पापुलेटेड एरिया में लग रही थी, मुसलमानों में नहीं। 72 करोड़ गया, स्कैप बिकना था तकरीबन 40-50 करोड़ का, मिल बनना शुरू हो गया, 25 करोड़ रुपया लग गया, 5 वर्ष से मिल बन्द पड़ा है। 20 करोड़ रुपया दे दिया मशीन वाले को वह लेकर भाग गया।

श्री अध्यक्ष-

जिसको आपने जेल भिजवाया ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, 3 को जेल भेजा और विभाग का यह हाल है कि जब उस पैसे को वापस लेने के लिए चिट्ठी लिखी, वह साउथ का रहने वाला है, लखनऊ हाईकोर्ट से उसने स्टे ले लिया और यह विभाग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके और मैं नन्हा सा आदमी, मैंने 3 को जेल भेज दिया।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, जो मैं बता रहा था, चलती हुई 10 चीनी मिलें और बन्द 11 चीनी मिलें, जिन्हें चलाना चाहिए था और वैसे तो सीएजी की रिपोर्ट भी आ चुकी है। अगर यह जमीन बेचनी ही थी तो कम से कम सर्किल रेट बाजार रेट, बहुत सी ऐसी चीनी मिलें थी जो शहर के बीच में आ गयी थी, जिनकी बहुत कीमती जमीन थी तो हो सकता था, उन्हीं चीनी मिलों से हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था सुधर सकती थी, नई चीनी मिलें लग सकती थीं लेकिन औने-पौने में कुछ लोगों को फायदा दिलाने के लिए और यहीं तक नहीं, जांच तो करायेंगे ही और जैसा मैंने कहा है मेरी सरकार ने कहा है, जांच होगी। कुछ निजी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, उसमें भारी कमीशन भी लिया गया। तो प्रदेश के सामने दिक्कतें तो आयेंगी जो चलती हुई चीनी मिलें थीं, जो बेची गयी है अमरोहा, बिजनौर, बुलन्दशहर, चांदपुर, जरवलरोड, खड्डा, रोहाना कलां, टाण्डा, सहारनपुर और सिसवा बाजार। यह चलती हुई चीनी मिलें थीं और जो बन्द थीं बेतालपुर, भटनी, देवरिया, शाहगंज, बरेली, लक्ष्मीगंज, रामकोला, छतौनी, हरदोई, बाराबंकी, घोली।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इनके लिए निन्दा प्रस्ताव लाओ।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, सीएजी की रिपोर्ट में भी अनियमिततायें आयी हैं। सीएजी की रिपोर्ट में जो आया है, 1179.84 करोड़ का घाटा हुआ है, प्रदेश का नुकसान हुआ है और इसी तरीके से अगर इनकी सही कीमत लगायी जाती तो कम से कम 30 हजार करोड़ रुपये से ऊपर की यह चीनी मिलें बिकती और बेचने की जरूरत क्या थी? इस पर बन्दिश लगानी चाहिए थी उनको चलाने की तो वह चीनी मिलें चलती, लेकिन उसमें से एक भी चीनी मिल चल नहीं रही है तो जिससे लोगों को रोजी-रोटी मिल रही थी, जिससे आमदनी हो रही थी। हमारी सरकार ने गरीब और किसानों को कभी गन्ने का भुगतान नहीं रोका था। हमेशा गन्ने का रेट बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाना है। आगे फिर गन्ने का रेट बढ़ेगा, किसानों को सही कीमत देनी है और गन्ने की पैदावार को बढ़ाना है। खाद, बीज, सिंचाई का इंतजाम करना है। मान्यवर, हम सदस्यों को और उत्तर प्रदेश के किसानों को आश्वासन देना चाहते हैं कि पूरब से लेकर पश्चिम तक का किसान जो इन पांच सालों में परेशान हुआ है, गन्ने में लूट हुई है। इसको हम रोकेंगे और जिस तरीके से किसानों को लूटा और बरबाद किया गया है अब हमारी सरकार का संकल्प है कि हम किसानों को लुटने नहीं देंगे। किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य देंगे। इसीलिए हम यह बजट लेकर आये हैं और हमें उम्मीद है कि इसको सर्वसम्मति से पास करेंगे। हमारी सरकार ने हमेशा किसानों का ध्यान रखा है और फिर से किसानों को अच्छी प्रजातियों के बीज देंगे, समय पर खाद, बीज देंगे जिससे गन्ना का उत्पादन बढ़ेगा और चीनी मिलों को बढ़ावा देंगे। इसलिए अनुरोध है कि सब लोग सर्वसम्मति से इस बजट को पास करायें।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैया-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष और हमारे नेता जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव को रखने का मुझे अवसर दिया उसके लिए उनका धन्यवाद। आपने मुझे कटौती पेश करने का अवसर दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर और गन्ना क्षेत्र के भी आधार पर भारत वर्ष में नम्बर एक पर है। क्योंकि सबसे अधिक गन्ना और सबसे अधिक चीनी हम उत्तर प्रदेश से पैदा करके देते हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में करीब तीस लाख से ऊपर किसान हैं, 27 लाख से ऊपर किसान चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति करते हैं उनमें 85 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमान्त किसान है। अर्थात् कहने का तात्पर्य यह है कि गरीब और मझोले दर्जे के किसान जिनकी तादात 85 प्रतिशत हैं इसलिए हम यहां सदन में आपके माध्यम से सुझाव रखना चाहते हैं कि गरीबों को जो पैसा मिले, गरीबों को जो हक मिले उसमें हम सब लोग विस्तृत और खुले दिल से चर्चा करें। सुझाव

हमारे जो होंगे वह हम सुझाव रखेंगे। आपके माध्यम से सुझाव पहुंचे और उन सुझावों में जो उचित समझें वह माने जायें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि गन्ने में तीन-चार चीजें बड़ी मोटी सी हैं। पहले तो गन्ने का प्राचीनतम इतिहास है। अपने यहां सारे ग्रन्थों में चाहे वह मनु स्मृति हो, रामायण हो, भगवतगीता हो, अथर्ववेद, चरक संहिता, बौद्ध सब में गन्ने का वर्णन मिलता है। गन्ने की पूजा, छठ जो होती है गन्ना जेठवन जिसे कहते हैं उसमें भी गन्ने की पूजा, होली के अवसर पर गन्ने की पूजा मान्यवर, की जाती है और भारत में गन्ने का जो इतिहास मालूम है कि सिकन्दर महान ने जब यहां पर आक्रमण किया तो उसने देखा कि एक बांस जैसी चीज है और उसमें मिठास है तो उसने कहा कि शहद का बांस है यह। गन्ने को शहद का बांस बताया उसने और यहां से गन्ना अपने देश में लेकर गया, यही से गन्ना विश्व के कोने-कोने से पहुंचा हुआ है मान्यवर, आस्ट्रेलिया पहुंचा, इण्डोनेशिया, सीलोन, मिश्र, सीरिया विभिन्न देशों में गन्ना पहुंचा और गन्ना उगाने के किये ही अपने यहां से मजदूर, वेस्टइण्डीज, गुआना जो उपमहाद्वीप के जो छोटे-छोटे देश हैं उनमें जाया करते थे, उन्हीं की मजदूरी करने के लिए गये और वहां की राजनीति में आ करके गन्ने के ही माध्यम से वहां के प्रधानमंत्री बने, वहां के राष्ट्रपति बने, कई देशों के बने हैं। मान्यवर, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 2011-12 की तुलना में 2012-13 के बजट में लगभग 113 करोड़ की कमी है, गन्ना में 28 करोड़ की कमी है और चीनी विभाग में 85 करोड़ की कमी है। इस तरह से 113 करोड़ की कमी है। मान्यवर, किसानों का गरीबों का यह विभाग है, इसलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बजट में जो कमी की गयी है उसको इस गन्ना विभाग, चूंकि कैश क्राफ्ट है और गरीबों की साल भर की मेहनत का और फसलें हम को दो मिलती हैं तीन मिलती है, महाराष्ट्र में भी तीन फसलें, अपने यहां भी एक साल में दो-तीन फसलों का चलन चल गया है, लेकिन गन्ने की फसल ऐसी होती है जो साल में एक बार पैदा होती है, साल भर अपनी मेहनत करके लागत कर के जुताई, बुवाई, खाद, पानी सब इकट्ठा करके किसान अपना गन्ना तैयार करता है और गन्ना तैयार करने के बाद जब उसका सट्टा बनने की बारी आती है तो सट्टा बनवाने के लिए वह दौड़ता है, सट्टा बनने के बाद वह उसको चीनी मिल पर ले जाता है, चीनी मिल पर ले जाने के बाद उसको यह अनिश्चितता रहती है कि उसके गन्ने का भुगतान कब होगा। तो मान्यवर, गन्ने के भुगतान की अनिश्चितता, इसमें कुछ व्यवस्थायें यहां पर जो चल रही हैं, उनके सम्बन्ध में आपको बताना है, गन्ने की बुआई के समय में, पहले तो तीन तरीके का गन्ना, अपने यहां कैटेगरीवाइज किया गया है, जनरल का रेट अलग रखा गया है, अगड़ी वैरायटी का रेट अलग है और एक रिजेक्टेड वैरायटी का गन्ना है, श्रीमान जी रिजेक्टेड वैरायटी सबसे ज्यादा अगर पायी जाती है तो उत्तर प्रदेश में पायी गयी है क्योंकि चीनी मिल के मालिकों द्वारा और गन्ना विकास विभाग के द्वारा समुचित बीज उपलब्ध न करा पाने की वजह से रिजेक्ट वैरायटी जो इनको उपलब्ध हो जाती है असानी से उनके खेत में लगी होती है, उसी को वह काट कर बो देते हैं।

मान्यवर, गन्ने के लिए बीज अलग से नहीं आता है वही गन्ना जो हम चीनी मिलों पर लगाते हैं उसी गन्ने को काट करके हम अपनी बुवाई में इस्तेमाल करते हैं। मान्यवर, गन्ने के बारे में एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि बुवाई के बाद जब आदमी गन्ना तैयार करके और उसका सट्टा लगवाने का काम करता है तो मई, जून से इसकी प्रक्रिया शुरू होती है, नवम्बर, दिसम्बर तक उसकी प्रक्रिया चला करती है और मान्यवर, गन्ना लगाने के लिए मिल चलने के लिए रिजर्वेशन की मीटिंगें जो शुरू होती हैं वह क्षेत्रवार हो कर के फिर यहां पर प्रदेश मुख्यालय पर गन्ना आयुक्त के

माध्यम से वहां पर रिजर्वेशन की मीटिंग होती है जिसमें सुरक्षण भी किया जाता है, सुरक्षण करने में इस चीज का ध्यान रखा जाये कि जिन चीनी मिलों ने अपने भुगतान की व्यवस्था अच्छी की है, उन चीनी मिलों को सुरक्षण में उनको क्षेत्र दिया जाये जिन चीनी मिलों ने भुगतान की व्यवस्था अच्छी नहीं करी है उनका वह एरिया काटा जरूर जाये। मान्यवर, एक बार ऐसा हुआ कि यहां पर गन्ने के रेट एक दम जो डिसाइड किये पहले तो जो सरकार डिसाइड करती थी एसएपी और एसएमपी का एक मामला आया कि स्टेट को गन्ना मूल्य घोषित करने का अधिकार है या नहीं, केन्द्र सरकार का गन्ना मूल्य अलग है, चीनी मिल मालिक कोर्ट में गये और कोर्ट में जाने के बाद मा0 उच्चतम न्यायालय ने यह तय किया कि नहीं उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेण्ट को यह अधिकार है कि वह अपना प्राइज तय कर सकती है। इसी की आड़ में मान्यवर, यह लोग हाईकोर्ट गये और हाईकोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट गये। 2011-12 में मान्यवर, गन्ना अवशेष मूल्य के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर एसएलपी संख्या-937/212 में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णयोपरान्त दिनांक 20-04-2012 को तीन किस्तों में यथावत् प्रथम किस्त 7 मई, 2012 को, दूसरी किस्त 7 जून, 2012 को, तीसरी किस्त 7 जुलाई, 2012 को देने के आदेश दिये गये थे। मान्यवर, इन्होंने प्रथम किस्त का 7 मई, 2012 का भुगतान तो किया लेकिन 7 जून, 2012 को जिस दूसरी किस्त का भुगतान करना था। मान्यवर, चीनी मिल मालिकों ने उसका भुगतान नहीं किया। अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश होने के बाद अगर किसान को पैसा नहीं मिल रहा है, राज्य सरकार के प्रयास करने के बावजूद अगर किसान को पैसा नहीं मिल रहा है, मान्यवर, किसान कहां जायेगा, किसान की हालत के बारे में सोंचें कि किस तरह से किसान अपनी आजीविका अर्जन करें कि साल भर का सारा पैसा लगा देने के बाद में उसने उस फसल को चीनी मिल, दुनिया का ऐसा रॉ मैटेरियल है यह गन्ना जो चीनी मिलों पर जा करके किसान अपना गन्ना बेच देता है। पैसे कब मिलेंगे, रेट क्या है, ये तय नहीं होता। इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि इससे बड़ी कोई अदालत नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी चीनी मिल मालिकान वो पैसा नहीं दे रहे हैं और आज की डेट में 3000 करोड़ रुपये ऊपर उन चीनी मिल मालिकों के ऊपर बकाया है। किसान आत्म हत्या करने के लिये मजबूर हो रहा है। वो अपने जेवर बेच रहा है, अपनी जमीन बेच रहा है लेकिन मान्यवर, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है। मान्यवर, यह बहुत ही गंभीर विषय है। दूसरी चीज आपको यह बताना चाहूंगा कि गन्ने की फसल पर कई फसलें निर्भर करती हैं। गन्ने की रैतून जब कटती है, पेड़ी जब कटती है। तो किसान उसमें गेहूं बोने का काम करते हैं, दलहन, तिलहन बोने का काम किसान करते हैं। तो मान्यवर, अगर चीनी मिल समय से नहीं चलेंगी, समय से गन्ना उन चीनी मिलों को नहीं जायेगा तो गेहूं की फसल भी मान्यवर, प्रभावित होती है। सरसों की फसल भी प्रभावित होती है। मान्यवर, लाही, मसूर, चना जैसी कई फसलें इस पर निर्भर होती हैं। मान्यवर, एक और बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आरक्षण, आरक्षण जो रेट घोषित हों, उनके आर्डर चीनी मिल चलने से पहले निकल जाने चाहिये। प्रायः यह देखने में आया है कि गन्ने का जो सुरक्षण क्षेत्रवार होता है तो चीनी मिल चल जाती है और सुरक्षण आदेश नहीं पहुंच पाता है किसान वहां पर परेशान घूमते हैं और उनको पता ही नहीं है कि किस चीनी मिल के लिये वो आरक्षित किये गये हैं। तीन-तीन, चार-चार चीनी मिल वहां पर लगी हुई हैं। एक आता है कहता है हमको, दूसरा आता है कहता है हमको दो, तीसरा आता है कहता है हमको दो और नौबत तो यह आ जाती है उनके ए0सी0एम0 और उनके केन मैनेजर वहां पर रिवाल्वर से एक दूसरे पर फायरिंग करते हैं, फायरिंग करने के बाद मुकदमा उन पर लिखा जाता है और बाद में तब किसी तरह

से उनकी जान बचती है श्रीमान जी, उत्तर प्रदेश के इतिहास में गन्ने का रेट हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने बढ़ाया है, उतना गन्ने का मूल्य आज तक नहीं बढ़ा हम आपको बता रहे हैं कि 2006 और 2007 में गन्ने का रेट 118 रुपये था, लेकिन चीनी मिल मालिकों ने 111 रुपये का पेमेण्ट किया। यह 7 रुपये का डिफरेंस जो मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बाद आया है, वो अब मिल रहा है। इसी तरीके से 2007 और 08 का रेट जो एस0ए0पी0 घोषित था, वो 125 रुपये था, उसको 110 रुपये दिया गया, 15 रुपये रेट उसमें नहीं दिया गया। मान्यवर, 2011-12 में 250, 240, 235 रुपये रेट था, 2010-11 में 200, 205, 210 रुपये था। इस तरह से हमारी नेता ने 125 रुपये रेट बढ़ा करके 250 रुपये करने का काम किया है और मान्यवर, पूरा भुगतान पहली बार ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश में कि किसानों को उनके बकाये पर 15 परसेण्ट का ब्याज मिला हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो केन का ऐक्ट है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि मान्यवर, शुगर केन कण्ट्रोल आर्डर, 1996 के 3-ए के अधीन यह प्राविधान है कि .....

"ब्हेयर अ प्रोड्यूसर आफ शुगर आर हिज एजेन्ट फेल्स टू मेक पेमेन्ट फार द शुगर केन परचेज विथइन फारटीन डेज आफ द डेट आफ डिलेवरी, ही शैल पे इन्टरेस्ट आन द अमाउण्ट ड्यू एट द रेट आफ फिफटीन परसेन्ट पर एनम फार द पीरिएड आफ सच डिलेवरी बिआन्ड फारटीन डेज"

श्री अध्यक्ष-

इसका हिन्दी कर दो।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया-

इस तरीक से 35 करोड़ रुपये ब्याज का भुगतान.....

श्री अध्यक्ष-

आप अनुवाद करके दे देंगे इनको, आप बोल लो नहीं तो और समय लग जायेगा।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया-

तो इस तरीके से मान्यवर, 35 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान दिलाने का काम हमारी नेता और हमारी सरकार ने उसका काम किया है। मान्यवर शीरा का रेट ज्यादा मिलता है आपकी उसमें बिजली बनती है तो कहीं से घाटा नहीं हो रहा है। मान्यवर एक बार राज्य सरकार को आवश्यकता पड़ी तो 50-60 रुपये ज्यादा बोनस घोषित कर दिया। मान्यवर, 3 हजार करोड़ रुपये बकाया है, मूल तो मिल नहीं रहा है और ब्याज भी नहीं मिल रहा जबकि अगला सत्र चलने वाला है। गन्ना समितियों के बारे में बात आयी। मान्यवर, घटतौली की बातें भी हैं। मान्यवर जब डयू डेट पर आर0सी0 काटी जाती है तब चीनी मिल के लोग समिति के सचिव और डी0सी0ओ0 से मिल लेते हैं। जब कि केन्द्र में पैसा नहीं होता है लेकिन उसका चेक उसको दे देते हैं और यह दिखा देते हैं कि उसका भुगतान हो गया है और बाद में वह चेक वापस हो जाता है। मान्यवर, आपने बजट में समितियों के माध्यम से गन्ना किसानों का गन्ना खरीदने की बात कही है लेकिन मान्यवर, यह समितियां बिल्कुल निष्प्रभावी हो गयी हैं उनके द्वारा भुगतान नहीं हो पा रहा है। मान्यवर अगर भुगतान की सी0डी0 बनती है तो पैसा समितियों को दें। अगर पैसा भुगतान हो जाये तो किसानों को लाभ होगा। मान्यवर, गन्ना खरीद के हर सेंटरों पर घटतौली की बातें सामने आती हैं इस पर ध्यान देने की

आवश्यकता है। मान्यवर इसी बजट पुस्तिका में 2010-11 की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है कि अंतर ग्रामीण सड़क निर्माण योजना जिला योजना वर्ष 2010-11 में 50 प्रतिशत अंशदायी आधार पर स्वीकृत सामान्य मद में रुपये 1849 लाख तथा एस0सी0पी0 मद में रुपये 600 लाख अर्थात कुल रुपये 2449 लाख का उपयोग करते हुए सामान्य मद के अर्न्तगत 195.78 किमी0 तथा एस0सी0पी0 मद के अर्न्तगत 65.46 किमी0 लम्बी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

मान्यवर, एक मिनट बोल लेने दें। मान्यवर सेंटरों पर घटतौली से किसान काफी परेशान होता है। यही नहीं वहां पर उतराई के नाम पर 50 से लेकर 100 रुपये ले लिये जाते हैं। मान्यवर यह व्यवस्था करायी जाये कि किसानों से उतराई का पैसा न लिया जाये। मान्यवर इसी तरीके से जो यह पुस्तिका है उसमें दिया हुआ है कि चीनी मिलों को उनकी आवश्यकतानुसार गन्ने की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु पर्याप्त गन्ना क्षेत्र व गन्ना का आवंटन करना, गन्ना किसानों को उनके द्वारा समिति के माध्यम से आपूर्ति किये गये गन्ने के मूल्य का भुगतान कराया जाना तो मान्यवर मेरा यह कहना है कि इसे सुनिश्चित भी कराया जाये। मान्यवर मेरे कुछ सुझाव हैं। गन्ना समितियों को मजबूत करने के सम्बन्ध में। समय से सट्टा नीति घोषित करने मूल्य घोषित करने सुरक्षण क्षेत्र घोषित करने, घटतौली रोकना, फर्जी गन्ना भुगतान के आंकड़े दिखाना। क्रय केन्द्रों पर कृषकों को गन्ना उतराई 100 रु0 ट्राली से रोकना। ब्याज सहित बकाया भुगतान कराना जिसमें शुगर केन कन्ट्रोल आदेश 1966 के अनुरूप। गन्ना बाहुल्य क्षेत्रों को गन्ना बेल्ट घोषित करना। गन्ना कैलेण्डर में 6 माह की जगह 150 दिन का कैलेण्डर बनवाना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद भुगतान न करने पर कार्यवाही करना। क्रेशरों पर गन्ना का रेट तय करना। गन्ना किसानों का बीमा कराना। गन्ना किसानों का प्रतिनिधि मण्डल को अन्य प्रदेशों व देशों में खेती सीखने हेतु भेजना। गन्ना समितियों को भुगतान व पर्ची निकालने का कार्य देना। गन्ना समितियों के अध्यक्षों को व बोर्ड को और अधिकार देना। हमारी सरकार द्वारा गन्ना मूल्य बढ़ोत्तरी 118 से बढ़ाकर 250 रु0 कर देना। ब्याज दिलाना, भुगतान कराना। सपा द्वारा गन्ना मूल्य 350 रु0 घोषणा-पत्र में दर्शाना उसे दिलाया जाय। मान्यवर, तो जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में वायदा किया है उसको पूरा करें।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कहा है कि रेट बढ़ायेंगे।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया-

मान्यवर, मैं यही कहूंगा कि जो मैंने सुझाव दिये हैं उन पर आप अमल करा दें तो गन्ना किसानों का बहुत भला होगा और प्रदेश का विकास होगा। धन्यवाद।

*श्री राधे श्याम सिंह-

मान्यवर, मा0 अध्यक्ष जी आपने गन्ना विकास विभाग के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं, मान्यवर गन्ना विकास विभाग का बजट जो मा0 शिवपाल सिंह यादव जी ने प्रस्तुत किया है वह प्रदेश के किसानों के हित में है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में उद्योग के नाम पर चीनी मिलें एक स्थान रखती हैं। यह चीनी मिलें देश की आजादी के पहले से स्थापित हैं 1928, 1932 और वर्ष 1935 में लगायी गयी थी।

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन चीनी मिलों को एक-एक करके गैर समाजवादी पार्टी की सरकारें जब-जब बनी तब-तब बेचने का काम किया, बन्द करने का काम किया। निगम की जो 21 चीनी मिल बेचने की बात हो रही है इसका दौर जब यह प्राइवेट सेक्टर में चीनी मिलें थीं तो 1972 में यह कहकर सरकार ने अपने निगम के अधीन ले लिया कि इसको प्राइवेट सेक्टर के मालिक नहीं चला पायेंगे और 1972 से ले करके 1996 के बीच में किसी चीनी मिल की क्षमता को बढ़ाने का काम सरकारों ने नहीं किया। 1996 से चीनी मिलों के बन्दी का दौर शुरू हुआ पहली बार गोरखपुर मंडल में 4 चीनी मिल को बन्द करने का फरमान तत्कालीन 1996 में भाजपा की सरकार में हुआ इसमें घुगली की चीनी मिल, छितौनी की चीनी मिल, लक्ष्मीगंज की चीनी मिल और रामकोला खैतान की चीनी मिल 4 चीनी मिलों को बन्द करने का फरमान लखनऊ से जारी हुआ। सौभाग्य से आज जो गन्ना आयुक्त के पद पर बैठे हैं रिजवी साहब ये उस समय एमडी थे इन्होंने उस समय घुगली चीनी मिल बन्द किया, छितौनी बन्द किया, रामकोला में आये, रामकोला के मजदूरों ने किसानों ने अपनी बात इनके सामने रखा और इनके प्रयास से वहां के गन्ना आन्दोलन के प्रयास से रामकोला खैतान और लक्ष्मीगंज की चीनी मिल चलाई गयी लेकिन गोरखपुर मंडल में हम लोगों को विरासत के रूप में 22 चीनी मिल मिली और 22 चीनी मिलों में 13 चीनी मिल बन्द हैं। हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि हमारे उधर के माननीय सदस्य कह रहे थे कि 3 हजार करोड़ रुपये गन्ना मूल्य बकाया है। यह 3 हजार करोड़ रुपया गन्ना मूल्य बकाया समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब-जब समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में आती है नई चीनी मिल लगवाती है और बकाया गन्ना मूल्य किसान का जो बाकी होता है उसको प्राथमिकता से देती है। समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता किसान है और चीनी उद्योग है। उत्तर प्रदेश में जहां 165 चीनी मिलें थी आज हट करके 124 चीनी मिलें हमारे आपके और किसानों के बीच में हैं। 21 चीनी मिलों को पूर्व की सरकार ने बन्द करके हजारों मजदूरों को बेरोजगार करने का काम किया। किसानों को भुखमरी की स्थिति पैदा करने का कम किया। हमारे जनपद पडरौना कुशीनगर में 10 चीनी मिल हैं इसी प्रदेश में किसी को सौभाग्य नहीं मिला होगा कि एक छोटे से जिले में 10 चीनी मिल हो लेकिन दुर्भाग्य से 10 चीनी मिल में 4 चीनी मिल वर्तमान में बन्द है। आज हम आपसे कहना चाहते हैं गोरखपुर जिले में 3 चीनी मिल हैं दो चीनी मिल बन्द हैं। महराजगंज जिले में 4 चीनी मिल है 3 चीनी मिल बन्द है, देवरिया में 5 में 4 चीनी मिल बन्द हैं। हम कहना चाहते हैं कि गोरखपुर मंडल में देश की आजादी के बाद कोई नई चीनी मिल लगी है। साढ़े तीन सौ करोड़ की लागत से जो आज 35 मेगावाट बिजली भी बनाती है हाटा के डाढ़ा में वह समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के शिलान्यास के बाद वह चीनी मिल बनकर तैयार है। आज सरदार नगर बन्दी के कगार पर है, आज पिपराइच बन्द है, आज लक्ष्मीगंज बन्द है, आज रामकोला खैतान बन्द है अगर ढाड़ा की चीनी मिल नहीं चली होती तो आज 30 लाख किसान जो पडरौना जिले में है आज उनके सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी होती। पिछली सरकार ने जो हमारे जनपद में, हमारे प्रदेश की, हमारे मंडल की चीनी मिलें बिकी हैं औने-पौने दाम पर बिकी है। हमारे लक्ष्मीगंज की चीनी मिल जिसकी अनुमानित लागत हमारे सर्किल रेट के हिसाब से जो लगा था राम कोला खेतान का लगभग 50 से 60 लाख रुपया अनुमानित लागत था वह बिका 4 करोड़ में, हमारे खड्डा की चीनी मिल वह तत्कालीन जिलाधिकारी ने सर्किल रेट पर दाम निकाला था 90 करोड़ रुपया उस जिलाधिकरी का ट्रांसफर पूर्व की सरकार ने करा दिया और 23 करोड़ में आईपीएल के हाथ में बेच देने का काम किया। हम बधाई देना चाहते हैं मा0 मंत्री जी को जिन्होंने कहा है कि जो मिल में घपला हुआ है, जो घोटाला हुआ हैं उसकी जांच करायी जायेगी और जो दोषी

है हम उनके खिलाफ हम कड़ी कार्यवाही करेंगे। हमारे लक्ष्मीगंज की चीनी मिल, जहां चीनी मिल के क्षेत्र के अलावा तीस एकड़ की जमीन जिसमें गन्ने की खेती होती है। कुल मिलाकर के 50 से 60 करोड़ रुपया उसकी लागत है, 3 करोड़ 75 लाख रुपये में लक्ष्मीगंज की मिल बंद कर दी गयी। हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो अरबों रुपये का घोटाला किया गया है। इसकी जांच करायी जाये। देवरिया की चीनी मिल 13 करोड़ में बिकी है, उसकी अनुमानित और सर्किल लागत 80 करोड़ रुपया हैं भटनी की चीनी मिल की अनुमानित लागत 70 करोड़ रुपया है और वह 10 करोड़ में बिकी है। बैतालपुर चीनी मिल की अनुमानित लागत है 90 करोड़ और वह बिकी है 13 करोड़ 90 लाख में। हम आपसे कहना चाहते हैं कि पूर्वांचल का किसान जो खेती पर ही आधारित है। खेती करके गन्ना पैदा करके अपनी बेटी की शादी करता है, अपने बेटे की पढ़ाई करवाता है, परिवार की दवाई करता है, उसकी पूरी आवश्यकता गन्ने की खेती पर निर्भर है। हम बधाई देना चाहते हैं, अभी ढाई महीने की सरकार है। ढाई महीने के अंदर जो हमारे प्रदेश में 3 हजार करोड़ रुपया जो लगभग बकाया है। आपका निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर। जो लगभग 24 सौ करोड़ बकाया है। 545 करोड़ सरकारी चीनी मिलों पर बकाया है। हम बधाई देना चाहते हैं प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को जिन्होंने 400 करोड़ रुपये सरकार बनते ही खजाना खाली होने के बाद भी प्रदेश के गन्ना किसानों की खुशहाली के लिए गन्ना मूल्य देने का काम किया और किसानों का समय से गन्ना मूल्य का भुगतान होगा, किसानों का गन्ना समय से बिक जाये तो किसानों की खुशहाली आ जायेगी। एक मांग हमारी यह है मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी से कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ना शोध केन्द्र स्वर्गीय बाबू गेंदा सिंह ने स्थापित किया था। आज वह जीर्ण-शीर्ण हो गया है। जहां पर डायरेक्टर बैठा करते थे आज वहां डिप्टी डायरेक्टर और कर्मचारी हैं। हम मंत्री जी से मांग करना चाहते हैं कि वह पूर्वांचल का जो शोध केन्द्र है, जहां से हम गन्ना बीज की प्रजातियां पैदा करते हैं, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए आदेश करें और जो बंद चीनी मिल हैं उन्हें पूर्वांचल के किसानों की खुशहाली के लिए, पुनः चलाने का प्रयास करें। मा0 अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री सुरेश राणा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गन्ना बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं ग्राम्य विकास पर बोलना चाह रहा था, लेकिन आपका प्रवास पूरे प्रदेश के अंदर रहता है और आप प्रत्येक क्षेत्र के सदस्य के बारे में भी जानते हो। आपने कहा था कि मुझे गन्ने पर बोलना है। मान्यवर, अभी बसपा के मा0 सदस्य बोल रहे थे और वास्तव में उन्होंने जिस बात को कहा और उस बात को सुनकर मुझे बड़ी हंसी आयी, वे गन्ना पूजा के विषय में बात कर रहे थे कि कैसे गन्ने की पूजा होती है। गन्ने की पूजा तो उन्होंने पिछली बार कर दी और गन्ने की जैसी पूजा इस देश के अंदर बहुजन समाजवादी पार्टी के लोगों ने की है, वैसी पूजा तो मैं समझता हूं कि आज तक गन्ने की किसी ने नहीं की है। और अभी चर्चा थी शुगर मिल बेचने की, मा0 शिवपाल यादव जी बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं और पहले भी मैंने कहा है कि जब-जब भ्रष्टाचार की कोई बात आती है, तो हमेशा सामने से आवाज आती है कि सरकार गंभीर है। सरकार जांच कर रही है। अभी मैं अपने क्षेत्र की बात करूं रोहाना शुगर फैक्ट्री, अभी आपने सी0एन0जी0 रिपोर्ट की भी बात कही। इस शुगर फैक्ट्री के पास साढ़े सात सौ बीघा जमीन है और मान्यवर, वहां जमीन का रेट 5 हजार रुपये गज हे और 56 करोड़ रुपये में बेच दी। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जैसे ही पहली बुग्गी लेकर के किसान शुगर मिल में जाये, सीजन प्रारम्भ हो। यदि आप गन्ना किसान का आंसू पोछना चाहते हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप गन्ना किसान को मुस्कराते देखना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले उन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजिये, जिन्होंने गन्ना किसानों की आंखों में आंसू पैदा किये हैं और उनकी मिलों को कूड़े के भाव में बेचा है। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं, सब लोग मुख्य मंत्री की तारीफ करते हैं, मैं भी कहता हूं कि युवा मुख्य मंत्री हैं, सरकार आपकी आयी है एजेण्डे के साथ-साथ इस विषय को ले करके कि भ्रष्टाचारियों को जेल कौन भेजेगा। आज जब हम जनता के बीच जाते हैं तो तमाम लोगों का एक ही सवाल रहता है लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने में इतना विलम्ब यानी कि कहीं न कहीं, कुछ न कुछ गड़बड़ी की बू आनी शुरू हो गयी है। लोगों ने तो दबी जबान से कहना शुरू कर दिया है कि इस सरकार से उम्मीद थी और उम्मीद यह थी कि इन माफियाओं को जिन्होंने भ्रष्टाचार के सारे रिकार्ड तोड़े हैं उन्हें सत्ता में आते ही जेल भेजना पहली प्राथमिकता होगी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रदेश भ्रष्टाचार से तभी मुक्ति पायेगा जब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी। मान्यवर, आज गन्ने पर शोध करने के लिए या तो एन0एस0आई0 कानपुर है या बच्चों को पूना जाना पड़ता है, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि एक और ऐसा इंस्टीट्यूट हमारे प्रदेश के अन्दर आये ताकि बच्चे अनुसंधान से सम्बन्धित विभिन्न डिग्री चाहे वह शुगर टैक हो, चाहे वह पैन का कोर्स हो बहुत महत्वपूर्ण कोर्स है दसवीं के बाद होता है और छात्रों को रोजगार मिल जाता है, चाहे इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियर का मामला हो यह भी बड़े रोजगार का विषय है, ऐसा ही यहां एक केन्द्र आ जाये। मान्यवर, 13 से रिकवरी साढ़े आठ तक आ गयी और विभिन्न प्रकार के अनुसंधान केन्द्र हमारे पास हैं उन पर दुनिया भर का पैसा खर्च हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं इस विषय की जांच हो, 13 से रिकवरी साढ़े आठ पर आ गई है, यह रिकवरी बढ़े, गन्ना किसानों को फायदा हो और जब चीनी उद्योग को फायदा होगा तो गन्ना किसानों को भी फायदा होगा। उद्योग और किसान तभी खुश रहेंगे जब उद्योग और किसान दोनों का संयुक्त रूप से फायदा होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं हुआ। इस सरकार से ज्यादा उम्मीदें इसीलिए है क्योंकि जब गन्ना किसानों की बात आती है तो किसानों के नेता के रूप में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का नाम भी आता है। इसलिए पहली सरकार के लोग तो कई बार कह दिया करते थे कि हमारा वोटर तो गन्ना बोता ही नहीं है। प्रदेश की जनता कम से कम आपसे इस प्रकार की उम्मीद नहीं करती है। आप गन्ना किसानों के साथ न्याय करें, गन्ना प्रदेश के किसानों से जुड़ा हुआ बड़ा विषय है और एक उद्योग भी है आप इस पर विशेष रूप से चिन्तन करके काम करें और आपने एक घोषणा भी की थी कि साढ़े तीन सौ रुपये का आप रेट देंगे, आप गन्ना किसानों को गन्ने का भरपूर रेट दें। गन्ना पूजा तो उन्होंने कर दी, हमारे दायीं ओर बायीं ओर बैठे लोगों ने चर्चा कर ली, टूजी स्पेक्ट्रम पर भी चर्चा हुई, भ्रष्टाचार के विश्वविद्यालय हैं। चारों तरफ अंधेरा था, शुगर मिल बेची जा रही थी, भ्रष्टाचार का हाहाकार था तब डूबते सूरज ने कहा कि कोई है जो मेरे काम को अंजाम दे सके। एक दिये ने कहा कि यदि हुक्म हो मेरे आका तो जितना मैं कर सकता हूं करूंगा और दिया मुस्कराया, और जब दिया जला तो चारों ओर रोशनी हो गयी। इस दिये के रूप में प्रदेश की जनता ने आपको बहुमत दिया है आप प्रदेश की जनता को रोशनी दीजिए। यदि आप प्रदेश की जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान भी नाराज होंगे और प्रदेश की जनता भी नाराज होगी। आप प्रदेश की जनता को मुस्कराहट दें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

चौधरी फसीहा बशीर (गजाला लारी)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमें बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जो 21 शुगर फैक्ट्री बेची गयी थीं पिछली सरकार में उन्हीं में से एक हमारे रामपुर में भटनी शुगर फैक्ट्री है, जिसको पिछली सरकार में बेच दिया गया। इन्हीं की सरकार में उसकी मालियत लगभग सवा अरब रुपये लगायी गयी थी लेकिन उसको सिर्फ पांच करोड़ रुपये में बेच दिया गया। सबसे तकलीफदेह बात यह है कि इस फैक्ट्री की बुनियाद नूरी मियां के द्वारा रखी गयी थी। मान्यवर, उस वक्त उनकी बेटी की शादी हमारे लारी परिवार में हुई थी, इसलिए हम लोगों को मालूम है कि जब उन्होंने उसकी बुनियाद रखी तो वहां पर उन्होंने काफी लोगों को बसाया और चूंकि वह वार्ड भटनी टाउन में है तो उसका नाम उन्होंने नूरीगंज रख दिया था। तकरीबन वहां पर पचास परिवार बसे हुए हैं तो जो यह शुगर फैक्ट्री बिकी है इस शुगर फैक्ट्री के साथ ही उस पूरे वार्ड को बेच दिया गया। इसके अलावा जब नूरी मियां का इन्तकाल हो गया तो उसी फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में कब्रगाह बनवायी गयी और उनकी अहलिया का भी वहा पर कब्र है तो उन कब्रगाहों को भी फैक्ट्री के साथ-साथ बेच दिया गया। चूंकि यहां पर हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि इनके नापाक इरादों को कामयाब न होने दिया जाये कम से कम जो जिन्दा हैं जो नूरीगंज में बसे हुए हैं उनको उजड़ने से बचाया जाये, बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी मा0 मंत्री जी ने कहा कि शुगर मिल को औने-पौने दामों पर बेचा गया। मा0 मंत्री जी मैं भली-भांति जानता हूं कि माननीय मुलायम सिंह जी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को हमेशा अपना नेता माना है और उनके दिखाये रास्ते पर चलने का काम किया है। माननीय मुलायम सिंह जी ने हमेशा किसानों के हितों की बात की है जब पहले उनकी सरकार थी तब मैं पढ़ा करता था तब भी किसानों के भले का काम मा0 मुलायम सिंह जी ने किया था। यदि वास्तव में आप किसान हितैषी हैं और आप मा0 मुलायम सिंह जी की सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं, किसान को बढ़ाना चाहते हैं तो मुझसे पहले जैसा कि मेरे साथी मा0 सदस्य ने कहा कि जिन्होंने घोटाले किये हैं उन्हें सजा देने का काम कीजिए। जिन्होंने गलत तरीके से मिलों को बेचने का काम किया है उन्हें सजा देने का काम किया जाये। अभी बसपा के एक साथी कह रहे थे कि इधर घोटाले हुए उधर घोटाले हुए बड़ी अजीब बात है हम अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चों हमने गलती की तुम गलती मत करना लेकिन बहुजन समाज पार्टी के नेता नये सदस्यों को यह सिखाना चाहते हैं कि हमने गलती की है, आगे फिर हम गलती करेंगे और तुम भी गलती करो। माफ कीजिएगा हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है कि पूर्व में जो गलतियां हुई हों, सो हुई हों, अगर हमें मौका मिला तो हम आगे गलतियों नहीं करेंगे और ऐसी ही उम्मीद हमें अपने युवा नेता सदन श्री अखिलेश यादव जी से भी है। मैं यह नहीं चाहता कि आप किसी व्यक्ति की जांच करायें लेकिन आप घोटालों की जांच करायें, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति उस घोटाले के पीछे हो उसे सजा मिलनी चाहिये। मेरी गुजारिश है मा0 मंत्री जी मेरा एक सुझाव है कि आजकल पश्चिम में एक बीमारी गन्ने में बहुत बढ़ रही है जिसे ग्रासीशूट का नाम दिया जाता है। जब गन्ना बोया जाता है तो उससे गन्ना उबर ही नहीं पाता है बिल्कुल घास की तरह हो जाता है। मेरा अनुरोध है कि इसके सम्बन्ध में जरूर कुछ प्रयास किया जाये इससे गन्ना किसानों को लाभ होगा।

प्रदेश में एक बड़ी दिक्कत सबसे ज्यादा यह है कि किसानों को पिछली सरकार में लूटा गया पीटा गया, अवैध वसूली की गयी, चाहे वह बिजली के नाम पर हो या किसी और चीज के नाम पर, चूंकि बिजली भी गन्ना किसानों से सम्बन्धित है इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। मेरा अनुरोध है आपसे कि मेरे जनपद मुजफ्फरनगर और प्रबुद्धनगर में शामली शुगरमिल और तितावी शुगर मिल में आप जांच करा लीजिए वहां किसानों को धमकाने का काम किया जाता है। अवैध रूप से वहां दादाओं को बैठा करके चाहे वह मैली की ठेकेदारी हो, शीरे का मामला हो, खोई का मामला हो, कोई भी मामला हो, दादाओं को पाल करके किसानों को धमकाया जाता है इसकी आप जरूर जांच करा लीजिएगा। अभी एक नयी यूनियन बनी है तितावी शुगर मिल में, जिन मजदूरों ने यूनियन बनायी है, वह किसानों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उन्हें राइफल से धमकाया जाता है। खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन मिल द्वारा कराया गया और मिल के लोगों ने शामिल हो करके किसानों और मजदूरों को पिटवाया। मेरा अनुरोध है मा0 मंत्री जी कि आप इसकी जांच जरूर करा लीजिएगा। जिक्र करते हैं कि घटतौली, घटतौली, घटतौली। मान्यवर, मैं किसान के दर्द को जानता हूं, मैं खुद किसान परिवार से आता हूं। घटतौली के नाम पर पैसा वसूलने का काम पिछली सरकार में किया गया था इसे मैं भली-भांति जानता हूं, मेरा अनुरोध है कि घटतौली को रोकने का काम कीजिए, किसान हित में काम कीजिए तो आने वाला समय आपको दुहाई देगा राजनीतिक फैसले जब आप लीजिए तो आप किसानों के हित में काम कीजिएगा, कोई याद करे न करे इस प्रदेश की जनता आपको याद करेगी और पूरा किसानों का कुनबा आपको दुहाई देने का काम करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री अभय नारायण सिंह पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने गन्ना जैसे महत्वपूर्ण बजट के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं मा0 गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आप लोगों को जानकारी होगी कि गन्ना उत्पत्ति का मूलस्थान भारतवर्ष है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में गन्ना व इससे तैयार की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख पाया जाता है। वर्ष 1920 में इण्डियन शुगर कमेटी की स्थापना की गयी थी। प्रदेश गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, देश का प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य है। गन्ना कृषकों की मदद की दृष्टि से शुगर फैक्ट्रीज कन्ट्रोल ऐक्ट, 1938 में लागू किया गया तथा वर्ष 1953-54 में इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम लागू हुआ। सम्पूर्ण भारत का लगभग 43 प्रतिशत गन्ना क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, चीनी उत्पादन सम्पूर्ण भारत के सापेक्ष लगभग 24 प्रतिशत है। हमारी सरकार की नीति गन्ना किसानों एवं चीनी मिलों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना तथा दोनों के सम्यक् हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।

प्रदेश में पहली शुगर मिल प्रतापपुर, देवरिया में स्थापित हुई थी और वर्तमान में कुल 124 चीनी मिलों द्वारा पेराई का कार्य किया जाता है। गन्ना विकास विभाग द्वारा गन्ना कृषकों को उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं में सुधार, संवेदनशीलता तथा पारदर्शिता लाने व जन सामान्य को सूचनायें आसानी से उपलब्ध कराये जाने हेतु मेरी सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तृत उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। सम्पूर्ण भारतवर्ष के कुल गन्ना क्षेत्रफल का लगभग 43 प्रतिशत अकेले उत्तर प्रदेश में है। गन्ना उत्पादकता तथा चीनी रिकवरी बढ़ाने के लिए नयी योजनाओं का समावेश मेरी सरकार द्वारा

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया जा रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना काल में सघन गन्ना विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम वर्ष 2012-13 में इस मद में 700 लाख रुपये व्यय करने का लक्ष्य मेरी सरकार द्वारा रखा गया है। हमारी सरकार द्वारा पेराई सत्र 2012-13 में 20 सहकारी चीनी मिलों को चलाये जाने एवं 727.55 लाख कुन्तल गन्ना पेरकर 68.51 लाख कुन्तल चीनी का उत्पादन किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

श्री अध्यक्ष-

आप बजट पढ़ रहे हैं।

श्री अभय नारायण सिंह पटेल-

मान्यवर, मेरा निर्वाचन क्षेत्र सगड़ी, मऊ जनपद से लगा हुआ है और मेरे क्षेत्र के गन्ना कृषकों द्वारा उत्पादित किया गया लगभग सम्पूर्ण गन्ना शुगर मिल घोसी जनपद मऊ को आपूर्ति किया जाता है जिसमें मुख्य गांव हैं रोशनगंज, हैदराबाद, उरदिहा, इस्माइलपुर, अचलनगर, अराजी अजगरा मगर्वी, अराजी अजगरा, देवारा खास राजा, हाजीपुर। इन्हीं गांवों के गन्ना उत्पादकों की बदौलत घोसी शुगर मिल चल रही है, लेकिन महुला गढ़वल बांध की उत्तर की ओर से इन सभी ग्राम पंचायतों का रास्ता न होने के कारण इन कृषकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष-

अब रहने दीजिए।

श्री अभय नारायण सिंह पटेल-

अतः मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वर्ष 2012-13 में सड़कों के निर्माण कार्य हेतु जो 4453 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है, उसमें से थोड़ा धन मेरे निर्वाचन क्षेत्र को आवंटित करते हुए उक्त गन्ना कृषकों की सुविधा के लिए संबंधित मार्ग बनवाने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि मेरे दल के माननीय सदस्य श्री वीरपाल सिंह राठी, चौधरी चरण सिंह जी की उस कर्मभूमि से चुनकर के आते हैं जहां गन्ना बहुतायत में पैदा होता है। मेरे दल की तरफ वह बोलेंगे, कृपया उनको समय देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री वीरपाल राठी-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी मा0 मंत्री जी इस सम्मानित सदन में अपना भाषण प्रस्तुत कर रहे थे और उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि प्रदेश के अंदर चीनी उद्योग अच्छी तरह से फल और फूल रहा है। उन्होंने किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं का भी उल्लेख किया है। लेकिन मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। गन्ने को ऐसे हल्के ढंग में लिया जाये, मैं नहीं मानता। मान्यवर, इन्होंने मिला-जुला, जो आज स्टेटमेन्ट गन्ना पेमेन्ट को लेकर दिया है वो शर्म की बात है। सबसे बड़ी समस्या पेमेन्ट की है। इन्होंने मिला जुला स्टेटमेन्ट दिया कम्परेटिव स्टेटमेंट दिया। यह नहीं बताया कि कितना गन्ना पेमेन्ट कितना शेष है। यह भी नहीं बताया कि किस

मिल पर सबसे ज्यादा गन्ने का भुगतान शेष है। यह भी नहीं बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश का कितना गन्ना पेमेन्ट है। मान्यवर, जो आंकड़े विभाग ने दे दिये वही माननीय मंत्री जी ने यहां पर प्रस्तुत कर दिये। जो क्षेत्र उत्तर प्रदेश का गन्ने का है वही माननीय मंत्री जी ने यहां पर प्रस्तुत कर दिया। जो चीनी की रिकवरी है वही मंत्री जी ने यहां पर प्रस्तुत कर दी। मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि किसान की जोत का 85 प्रतिशत गन्ना किसानों का मिलों को लेने का हक है। लेकिन 50 प्रतिशत गन्ना मिल किसानों का पेरती है। बाकी गन्ना कोल्हू और क्रेशरों में जाता है। खाण्डसारी उद्योगों में जाता है। कोने-कोने गांव के हम वायदा करते हैं किसानों से जब हम सड़कों पर होते हैं तो कहते हैं कि हम गन्ने का वाजिब मूल्य दिलायेंगे। फसलों का वाजिब मूल्य दिलायेंगे यह वायदा करते हैं लेकिन आधा गन्ना कोल्हू क्रेशर में औने-पौने भाव में जाता है। कोई व्यवस्था सरकार की नहीं रही आजादी से लेकर आज तक कोई व्यवस्था गन्ने पर नहीं बन पायी। बहुत सी सरकारें रहीं समाजवादी पार्टी की भी सरकारें रहीं बहुजन समाज पार्टी की भी सरकारें रही किसी ने भी गन्ने पर इतना ध्यान नहीं दिया तब से आज तक जितना भी समय गुजरा आजादी से लेकर आज तक कोई भी ऐसा वर्ष नहीं गया होगा जिस वर्ष के अन्दर गन्ने का भुगतान शेष न रहा हो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चाहे मंत्री मण्डल का आदेश हो जनता में एक सवाल खड़ा है। जनता पूछना चाहती है, जनता कहना चाहती है कि सरकार बड़ी है या मिल मालिक बड़े हैं। जनता पूछना चाहती है कि मिल मालिक बड़े हैं या सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना करते हैं तीन आदेश किए सात मई, सात जून, तीन बार के आदेश हुए। अभी आप कह रहे थे कि जून में उन्होंने भुगतान कर दिया बहुत से पेमेन्ट अवशेष है 15 हजार करोड़ का अब भी उन पर अवशेष है। तीन हजार करोड़ जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि भुगतान अवशेष है उसमें कुछ भुगतान किया गया लेकिन मान्यवर अभी भी बहुत अवशेष है। मेरे यहां मिलकपुर चीनी मिल पर 88 करोड़ गन्ना भुगतान अब भी शेष है। लेकिन कोई चिन्ता नहीं है किसान अपने बच्चों के लिए कैसे व्यवस्था करें। यहां पर माननीय मंत्री जी विद्युत मंत्री भी हैं विद्युत मंत्री की देय है किसानों पर सोसायटियों की देय है किसानों पर इधर गन्ने का पेमेन्ट नहीं उधर इनकी देयों में जेलों में किसानों को जाना पड़ रहा है। उनका रोजमर्रा बिजली वाले चालान कर रहे हैं मुकदमें ठोंक रहे हैं। चार-चार हजार रुपये का असेसमेंट लग रहा है। लेकिन कोई चिन्ता नहीं करता उनकी। अगर किसान धरती चीरकर अपने परिवार को पालने की कोशिश करता है और उसका पेमेंट न मिले यहां बहुत से माननीय सदस्य हैं अगर माननीय सदस्यों को उनको जो भत्ता दिया जाता है उनको जो सुविधायें दी जाती हैं अगर उन्हें सुविधा नहीं मिले जिस प्रकार से किसान को नहीं मिलती। अगर उन्हें सुविधा न मिले तो एक दिन भी सदन में सदस्य नहीं आयेगा। जिनके यहां गन्ना नहीं हैं वह यहां कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं। जिन्हें कोई जानकारी नहीं है गन्ने के बारे में अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि 1180 करोड़ का चपत लगाया फैक्ट्री बेच खायी बसपा सरकार ने ऐसे लोग इस सदन के अन्दर कटौती का प्रस्ताव ला रहे हैं उन्हीं के कार्यकाल का यह भुगतान है वह आज सुझाव पेश कर रहे हैं मैं एक दो सुझाव पेश करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। वैसे तो आज मेरी तैयारी थी मेरे दल के नेता माननीय दलबीर सिंह जी ने कहा था कि कटौती प्रस्ताव हमारे हिस्से में है लेकिन विपक्ष के नेता ने क्योंकि लोकदल किसानों का दल है किसानों की बात करता है चौधरी चरण सिंह की बुनियाद नीतियों पर टिका है ऐसे दल को अगर गन्ना विभाग भी न दिया जाये कितनी गलत बात है कोई विभाग ऐसा नहीं जो इस दल को दिया गया हो जो कटौती का प्रस्ताव रखे। अगर किसी ने गन्ने में क्रांति पैदा की तो माननीय चौधरी अजीत सिंह जी ने की। उद्योग मंत्री थे 45 चीनी मिलें एक साथ

दिये। मैं जब छोटा सा था। अपने गांव से गन्ना केन्द्रों पर 10 कि0मी0 दूर ले जाया करता था। 15 किलोमीटर दूर तक ले जाया करता था बोगी भर करके। चौधरी अजीत सिंह के 45 चीनी मिल देने के बाद आज मेरे गांव के अन्दर 6 केन्द्र हैं किसानों को राहत मिली है। मान्यवर, यहां घटतौली की चर्चा हुई, बहुत अच्छी बात है लेकिन कोई सुझाव भी पेश नहीं किया गया। माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा कि कौन लोग तौल कर रहे हैं ? कौन लोग तौल कर रहे हैं केन्द्रों पर ? क्या कानून है सरकार का। जो लोग तौल कर रहे हैं वह अंधे हैं, लंगड़े हैं, पागल हैं, शराबी हैं ? वह किस किस्म के हैं ? 30 हजार रुपये सिक्योरिटी के दो और तौल बाबू बन जाओ। यही नीति है और सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा सकती। सरकार यह भी नहीं सोचती कि किसानों का गन्ना क्रय केन्द्रों पर तौला जा रहा है उसमें 5-6 प्रतिशत की घटतौली कर रहे हैं। इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार कहती है माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि साइकिल चलाकर बड़ा संघर्ष करके यहां बैठे हैं। लेकिन घटतौली की कोई चर्चा नहीं। 5-6 प्रतिशत किसानों की घटतौली हो रही है, इससे बड़े और अन्याय की बात क्या होगी। इससे बड़े दुख की बात क्या होगी कि 5-6 प्रतिशत किसानों का काटा जा रहा है। तौल केन्द्र पर जो तौल बाबू बैठता है वह अनपढ़ है। अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कह रहे थे कि सोसाइटी मजबूत करते 40 चीनी मिलों का भुगतान सोसाइटी लिये बैठी है। मेरा सुझाव है कि यह सोसाइटी खत्म कर देनी चाहिये। क्या मतलब है बिचौलिये का। मेरे यहां रमाला चीनी मिल है कोई समिति नहीं है सीधे किसानों से लेन देन है। एक भी कमी उजागर कर दें। तमाम और मिलें हैं जहां गड़बड़ियां हैं। 4.22 परसेंट का उन्हें पैसा दिया जाता है और मजे मार रहे हैं और किसानों का पेमेंट नहीं दे रहे हैं। मान्यवर, एक अंतिम सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझें डर लग रहा है, आप लालबत्ती जला रहे हैं। मान्यवर, अंतिम सुझाव। ब्राजील देश है वह भी गन्ना उगाता है और हमसे ज्यादा गन्ना उगाता है। हमारे यहां से ज्यादा गन्ना पैदा होता है ब्राजील में। ब्राजील जब चाहता है जब एथनाल बना लेता है, ब्राजील जब चाहता है जब शुगर बना लेता है। अगर आपके पास व्यवस्था है किसान को ऊपर उठाने की, गन्ना विभाग को ऊपर उठाने की तो एथनाल पास कीजिये आज और अभी कहिए कि 20 परसेंट एथनाल प्रदेश में बनेगा। जब चाहे एथनाल बनायें। अगर सरकार एथनाल बनायेगी तो गन्ने किसान की तरक्की होगी अगर एथनाल नहीं बनेगा तो गन्ने की तरक्की नहीं कर सकते। जो भ्रष्टाचार पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथी कर रहे हैं, तमाम भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों रहेगा। मंत्री जी मेरी आपको यह चुनौती है कि आप घटतौली रोक दें मैं आपकी वाहि-वाहि करूंगा। नहीं रूक रही है घटतौली, मैं जानता हूं बहुत वर्षों से सुरक्षा की मीटिंग में भी कमिश्नर साहब से हम कहते आये हैं घटतौली के बारे में लेकिन आज तक नहीं रूकी। मान्यवर, अन्त में एक सेर के रूप में कहना चाहता हूं। मेरे आशियां का तू गम न कर वह जल रहा है जला करे लेकिन आप इन हवाओं को रोकिये सवाल सारे चमन का है। जय हिन्द जय भारत।

(श्री पूरनमासी देहाती व अन्य सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

देहाती जी आपके बगल में राधेश्याम सिंह जी ने चीनी के बारे में काफी बातें कहीं। आप उन्हीं से संबंधित हैं, दूसरे लोग बोलें। माननीय शिवेन्द्र सिंह, आपके घर में चीनी मिल लगी है आप बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। चलिये रुक जाइये और लोग बोलेंगे। अभी आपका नम्बर आयेगा। माननीय देहाती जी आप बैठ जाइये। यह बोल लें। आप तो रोज बोलते हैं। पहाड़िया जी क्या जेवर में गन्ना बोते हो।

श्री हेमराज वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने गन्ना विकास विभाग एवं चीनी उद्योग के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि पिछली जो सरकार थी उस सरकार ने हमारे जो गन्ना किसान थे उनको तबाह और बर्बाद कर दिया। इसी वजह से हमारे प्रदेश के किसानों ने हमारी पार्टी पर विश्वास किया और आज पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर इस सदन में भेजा। आज जिस तरह से पूरे प्रदेश के गन्ना किसानों का विश्वास हमारी पार्टी पर, हमारे नेतृत्व पर था, और उसी के चलते जो हमारे माननीय मंत्री जी ने बजट पेश किया है वह वास्तव में उन लाखों गन्ना किसानों की जो सोच है, उस पर यह बजट खरा उतरेगा। यहां पर चर्चा चल रही थी गन्ना किसानों की मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने गन्ना की सप्लाई के संबंध में किसानों को मजबूर कर दिया, बिचौलियों के हाथ गन्ना बेचने के लिए। गन्ना क्रय केन्द्रों पर चार-चार, पांच-पांच दिन भरी ठंड में, गर्मियों में किसान खड़ा रहता था और विचार करता था कि कब उसका नम्बर आये और मजबूर होकर उसे दलालों के हाथ गन्ना बेचना पड़ता था। आज जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात हुई। मैं एक बात कहना चाहता हूं हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक शुगर मिल मझौला है, जो सहकारी चीनी मिल है, जो उत्तराखंड बार्डर पर है और मेरे विधान सभा क्षेत्र के बार्डर पर आती है। मान्यवर, 1965-66में एक महिला मुख्य मंत्री ने उसका उद्घाटन किया था लेकिन पिछली सरकार में एक महिला मुख्य मंत्री के समय में वह चीनी मिल बन्द हो गयी। उस चीनी मिल को भी बेचने का पूरा षडयंत्र रचा गया लेकिन वह चीनी मिल किसानों की जागरूकता के कारण बिकने से रह गयी। मैं किताब पढ़ रहा हूं। 2011-12 में बताया गया है कि वहां गन्ने की उपलब्धता नहीं रही इसलिए चीनी मिल को बंद किया गया। जबकि हमारा जनपद गन्ना उत्पादन में अग्रणी जनपद है और हमारे क्षेत्र में जहां पर वह चीनी मिल स्थापित है वहां गन्ना किसान बहुत मेहनत से बहुत ज्यादा गन्ने का उत्पादन करते हैं। वहां पर चीनी मिल बन्द होने से वहां के जो गन्ना किसान हैं वह चीनी मिल बन्द होने की वजह से वहां से 50-60 किलोमीटर दूर गन्ना बेचने को मजबूर हैं। हमारी चीनी मिल से लगी हुई एक बिसलरी भी चालू थी, वह भी बन्द है इससे हमारी सरकार को बहुत राजस्व की प्राप्ति होती थी आज वह भी बंद है। जो गन्ने के मजदूर हैं मिल के जो कर्मचारी हैं, वह सब्जी बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। आज ऐसी दुर्दशा पिछली सरकार ने जो हमारे गन्ना किसानों की और मिल कर्मचारियों की है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी उस मझौला शुगर मिल को इस बजट में प्राविधान करके चालू किया जाये। जिससे हमारे क्षेत्र के किसानों की समस्या दूर हो सके और हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। इसी के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

*श्री गजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे गन्ना कटौती पर बोलने का मौका दिया मैं आपका धन्यवाद देता हूं अनूप शहर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। मैं वहां से चुनकर आता हूं जहां अनूप शहर क्षेत्र अकेला क्षेत्र पांच-पांच, छः-छः शुगर मिलें चलाने का काम करता है वहां भारी तादाद में गन्ना बोया जाता है। वहां का गन्ना किसान पेमेन्ट न होने पर भुखमरी के कगार पर है। एक तो ईश्वर की मार पड़ रही है सूखे की, दूसरे बिजली की मार पड़ रही है। किसान सूखे के कारण त्राहि-त्राहि कर रहा है और ऐसे में प्रशासन द्वारा छोटी-छोटी राशि पर किसान की गिरफ्तारी हो रही है। ट्रैक्टर पकड़े जा रहे

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं और किसानों को तहसीलों में बंद करके जेल भेजा जा रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की तरफ लाना चाहूंगा। जहां अनूप शहर चीनी मिल, तथा सहकारी चीनी मिल अनूप शहर का गन्ना पेमेन्ट अभी तक नहीं हुआ है। उसके साथ-साथ हमारे यहां दूसरी चीनी मिल अगौता लगती है उसका पेमेन्ट नहीं हुआ किसान परेशान है। इसी के साथ-साथ जो हमारे क्षेत्र में गन्ना बोया हुआ है, उसमें बीमारी लग गयी है वह सूखे की बीमारी है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो बीमारी है उसकी ओर ध्यान दें जो हमारे क्षेत्र में गन्ना सूख रहा है किसान अपने खून पसीने से सींचकर उस गन्ने को बड़ा किया और आज वह गन्ना आज सूखने के कगार पर है मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वहां अधिकारियों को भेजकर उस बीमारी को दिखवाने का काम करें कि जो फसल पकी है और जो किसान खून पसीने से पाल रहा है वह सूख रही है।

श्री गजेन्द्र सिंह-

वह सूखने की कगार पर जा रही है, बर्बाद हो रही है। इसके साथ-साथ माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा, अनूप शहर चीनी मिल के चारों तरफ जो रास्ते हैं, वह टूटे हुए हैं, उन्हें ठीक कराया जाये, जिससे गन्ना लेकर पहुंचने वाले किसानों को दिक्कत न हो। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको धन्यवाद।

(कई सदस्यों को बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग भूमिका न बनाइये, आप अपने क्षेत्र की जो समस्या हो वह बताइये।

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, धर्मार्थ कार्य, राज्य मंत्री (श्री राजीव कुमार सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने गन्ना मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर उसके पक्ष में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं मुख्य रूप से दो-तीन चीजें आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। पहली चीज जो है, हमारे क्षेत्र में गन्ने में बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन गयी है, अरली गन्ना, सामान्य प्रजाति का गन्ना और रिजेक्टेड गन्ना, इन तीन का घपला मिलें कर रही हैं। इनमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिस तरीके की फसल है, उस तरीके से पैसा दिया जाये। दूसरी सबसे ज्यादा परेशानी इस समय है, जो कांटे हैं, 5 टन और 10 टन के हैं, इन कांटों को 20 टन का कर देना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं, डीजल की परेशानी लेबर की परेशानी और कांटे पर जाने के बाद में सबसे ज्यादा परेशानी यह आती है कि ज्यादा गन्ना है उसको किस तरीके से बेचें। इसलिए 20 टन के कांटे लगाने की आवश्यकता है। मान्यवर, एक फेरी कानून है, जैसे नदी के उस पार हमारी बहुत सारी ग्राम सभायें हैं और उन ग्राम सभाओं का गन्ना वहां पर फेरी के जो ठेकेदार हैं, वह लाने नहीं देते हैं और तरह तरह की अड़ंगेबाजी होती है। इसके लिए फेरी कानून में है कि अगर मिल चाहे तो अपने गन्ने की ढुलाई की परमीशन उस कानून के तहत मिल सकती है, डिस्टिक मजिस्ट्रेट से। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा। सबसे ज्यादा घटतौली की समस्या है, यह समस्या बहुत ही विकराल है। इस समस्या के निदान के लिए इस तरीके से व्यवस्था की जाये जिससे घटतौली न हो। मैं बताना चाहूंगा की मेरे विधान सभा क्षेत्र में परसावल है, कनिपार है, बांस गांव है, बिलार आदि ग्राम सभायें हैं और घाघरा के उस पार जो बजाज की फैक्ट्री है, उसके कांटे लगे हुये हैं लेकिन वहां पर कूत में गन्ना लिया जाता है, वहां तौल नहीं होती है। अगर कोई जांच एजेंसी ऐसी बना दी जाये कि

ऐसे कांटों पर जहां गन्ने की तौल कूत करके हो रही है, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिये और सबसे आखिर में मेरा एक सुझाव है, पिछली बार गन्ना संरक्षण की मीटिंग में यह बातें बहुत विस्तार से आयी थी जिस तरीके से हार्टीकल्चर में केले के ऊपर सब्सिडी है, नरेगा से, लहसुन पर है और कई चीजों पर है, उसी प्रकार से नरेगा में इसके लिए भारत सरकार को लिखना चाहिये कि उसी पद्धति पर निराई गुड़ाई, फर्टीलाइजर और पेस्टीसाइड पर सब्सिडी दी जाती है, उसी तरीके से गन्ने की खेती पर भी दी जाये। इससे गन्ने की खेती करने वालों को लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप सब लोग भूमिका न बनायें, अपने क्षेत्र के बारे में 2-2 मिनट कह लें, जितने लोग खड़े हैं, सबको मौका मिल जायेगा। संजय कपूर जी, दो मिनट से ज्यादा नहीं।

श्री संजय कपूर-

माननीय अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हम लोग जब बचपन में गन्ना बोते थे तो पूरे साल की इकोनामी इस पर डिपेंड करती थी कि गन्ना कैसा पैदा होगा। मैं गन्ने का किसान रहा हूं मेरे खानदान में बचपन से बहुत बड़े पैमाने पर गन्ने की पैदावार हुआ करती थी। मैं विलासपुर तहसील से आता हूं जो प्रदेश की शुरू की दो तीन तहसीलों में कृषि उपज के मामले में जानी जाती है। आज हालात यह है कि हमारे रूद्रविलास चीनी मिल है जो कोआपरेटिव की चीनी मिल है वह नेशनल हाईवे 87 पर है। पिछली सरकार उसे बेचना चाहती थी। मैंने इसी सदन में उस समय इसका विरोध किया था कि इस चीनी मिल को न बेचा जाये और इस चीनी मिल की जो जमीन है वह 100 एकड़ से ज्यादा जमीन है, उसकी 10 एकड़ जमीन बेचकर उसमें नया प्लान्ट लग सकता है और रेनावेशन हो सकता है। क्योंकि इस समय मिल की 15-20 हजार कु0 प्रतिदिन खपत है। उसमें न किसानों को भी समस्या आ रही है और उसकी मिल की आमदनी भी घाटे में जा रही है। अगर उसको रेनोवेशन कर लिया जायेगा तो उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। पिछले सदन में मैंने इसको उठाया था। मैं चाहूंगा कि अगर आप वाकई किसानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है। आज तक वहां पर गन्ने के किसानों के बकाये का भुगतान नहीं हो पाया है। किसान बहुत परेशान है। यह महत्वपूर्ण चीनी मिल है। यहां पर गन्ने की अच्छी पैदावार है। अगर आप उस चीनी मिल की जमीन को बेचकर नया प्लांट लगा देंगे तो उस क्षेत्र की जनता को भी फायदा मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

श्री संजय कपूर जी, देखिये अब साढ़े आठ बज गया है। बस करिये। अब नहीं लिखा जायेगा। माननीय योगेश जी बोलिये।

श्री योगेश प्रताप सिंह-

योगेश भइया माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे गन्ना विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मान्यवर, समय तो आपने बहुत कम दिया। हम चूंकि गन्ना क्षेत्र के रहने वाले हैं और गन्ना किसान है और गन्ना किसानों का ही संघर्ष करके यहां

तक पहुंचे हैं। भाई संजय कपूर जी भी अभी गन्ना किसानों की बात कह रहे थे। मान्यवर, भारत सरकार ने रंगराजन कमेटी बनायी है और रंगराजन कमेटी की जो रिपोर्ट आयी है इसमें मुझे जानकारी मिली है कि इसको लेकर प्रमुख सचिव स्तर पर अभी एक बैठक भी हुई है उसमें गन्ना आयुक्त भी थे। अगर रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दी गयी तो इस प्रदेश का गन्ना किसान ही नहीं बल्कि गन्ना भी समाप्त हो जायेगा। गन्ना एकमात्र ऐसी फसल है जिसमें किसानों की पूरी भागीदारी होती थी, सुरक्षण प्रस्ताव में हम जाते थे गन्ना मूल्य तय करने में हमारी भागीदारी होती थी। सेन्ट्रल अलाटमेंट में हमारी भागीदारी होती थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि सुरक्षण का प्रस्ताव बंद कर दिया जाये। प्रदेश सरकारों द्वारा गन्ना मूल्य तय करने का अधिकार ही खत्म कर दिया जाये। सेन्ट्रल गवर्नमेंट जो गन्ना मूल्य तय करेगी वही गन्ना का रेट माना जायेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि उस रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश की सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिये। शुगर केन कंट्रोल परचेज एक्ट की बात हो रही थी। हमारे सारे साथी कह रहे थे कि घटतौली हो रही है। गन्ना में घटतौली होती है, की भारतीय जनता पार्टी के समय से ही इसकी शुरूआत हुई है। गन्ना किसानों के गन्ना तौल में क्रय केन्द्र पर एक प्रतिनिधि मिल का हुआ करता था। एक प्रतिनिधि गन्ना समितियों का हुआ करता था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस समय मा0 श्री ओम प्रकाश सिंह जी गन्ना मंत्री थे उस समय उन्होंने सहकारी समितियों को कमजोर करने का काम किया। आज किसी भी गन्ना क्रय केन्द्र पर किसी भी समिति का एक भी कर्मचारी तौल में नहीं रहता है। केवल तौल चीनी मिल का कर्मचारी करता है। वह मिल मालिक का नौकर है वह हमारे हित के लिए नहीं बैठा है। वह जिसकी नौकरी करता है उसके हित के लिए बैठा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि शुगर मिल कन्ट्रोल परचेज एक्ट है उस एक्ट के तहत गन्ना की खरीद होती है आज उसकी पूरी तरह से उपेक्षा हो रही है। अभी हमारे साथी जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है। गन्ना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बात उन्होंने बहुत अच्छी कही। उन्होंने सिकन्दर से गन्ने का इतिहास शुरू किया था। लेकिन बात शुरू होती है महराजा इच्क्षाकु से। गन्ना महाराजा इच्क्षाकु के समय से है। तब इच्छुसे ईख होकर के गन्ने की तरफ बढ़कर आया है और आज जो स्थितियां गन्ना किसान की है कि किस तरह से गन्ना खत्म किया जा रहा है। 21 चीनी मिलें बेच दी गयी। जरवल चीनी मिल भी बेची गयी। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं कि उस शुगर मिल की जितनी सर्किल रेट पर कीमत थी उससे 10 प्रतिशत पर चीनी मिल बेची गयी। उस समय जब जिलाधिकारी बहराइच ने जब रजिस्ट्री करने से मना कर दिया तो जिलाधिकारी को आठ दिन के लिए जबरदस्ती छुट्टी भेज दिया गया और जबरदस्ती उस फैक्ट्री की रजिस्ट्री करायी गयी आज आईपीएल के हाथ में वह फैक्ट्री है, आईपीएल वालों के ऊपर हमारा सात करोड़ बकाया है। हम सौभाग्यशाली हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमारे नेता हैं और जब हमारी पूर्व सरकार थी, तीन चीनी मिलें गोण्डा क्षेत्र में लगी थीं, बजाज शुगर फैक्ट्री, मैजापुर शुगर फैक्ट्री, दतौली शुगर फैक्ट्री और तीनों शुगर फैक्ट्री लगने के बाद गोण्डा जनपद में शुगर फैक्ट्रियों की संख्या पांच हो गई थीं और आज पांचों शुगर फैक्ट्रियां चल रही हैं, लेकिन दर्द है हमारी चीनी मिल 15 साल पहले लगायी गयी थी जरवल आज उसको नीलाम कर दिया गया। आज वह मिल मालिक के हाथ में है, आईपीएलके हाथ में उसे सौंप दिया गया है। आईपीएल पूरी तरह से गन्ना किसान का शोषण कर रही है और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि गन्ना किसानों के लिये जो हमारे मा0 मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं और साथ ही साथ यह मांग करता हूं कि गन्ना किसानों के हितों की रक्षा की जाय, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

लोकेश दीक्षित जी, सिर्फ दो मिनट में आप अपनी बात कह लें।

श्री लोकेश दीक्षित-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मुझे बोलने का मौका मिला। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, माननीय अध्यक्ष जी मैं बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात को विराम दूंगा। पहले तो मैं आदरणीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि बहुत अच्छा उन्होंने बजट रखा, पर एक छोटी सी बात अपनी कहना चाहता हूं। हमारे लोकदल वाले भाई भी कह रहे थे कि यह किसानों की बात कहां जानते हैं, अभी मिल के बारे में हमारे तमाम साथियों ने बड़ी-बड़ी बातें कहीं। मान्यवर, दो तरह की बातें होती हैं, लिखितम और वक्तम, लिखितम में हमेशा दम होता है और वक्तम में दम नहीं होता मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, भारत वर्ष में अगर कोई नेता है तो एक मात्र नेता है जिसको किसानों की फिकर है, जब से 1947 से देश आजाद हुआ तब से लेकर 2007 तक गन्ने का रेट मात्र 115 रुपये प्रति कुन्तल रहा और एक नेता को किसानों की पूर्ण रूप से फिकर थी। उस नेता ने किसानों के दर्द पर मरहम लगाने का काम किया, उस महान नेता का नाम है बहन कुमारी मायावती, यह लिखित में है। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं मलकपुर शुगर मिल है एक मोदी का है, जबसे आपकी सरकार आई है, उस पर बकाया 80 करोड़ रुपये का है। जब उसने देखा मार्च के अन्दर सरकार समाजवादी पार्टी की बन गई उसने एक पैसा भी किसान को नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश उसके पास गया, उसने पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना कर दी। मा0 मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि बागपत जिला जो है वहां के किसान पूर्णरूप से गन्ने पर ही अपने बच्चों का पालन-पोषण करता है, अगर किसी के पास दस बीघा जमीन भी है तो वह नौ बीघा जमीन पर गन्ना बोने का काम करता है और नौ बीघा गन्ना किसी मिल या छोटे कोल्हू पर देने का काम करता है। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लघु उद्योग की अगर बात होती है, छोटे-छोटे कोल्हू कश्यप समाज के लोग, प्रजापति समाज के लोग, गरीब लोग लगा लेते हैं और उससे गुड़ हमको मिलता है वह छोटे कोल्हू से मिलता है और जो कच्ची खाण्ड हमको मिलती है वह कोल्हू से मिलती है पर शासन-प्रशासन के लोग उन गरीब लोगों पर इतने हावी रहते हैं कि उन पर तरह-तरह के टैक्स लगा दिये जाते हैं, उनको पीड़ित किया जाता है, उनको शोषित किया जाता है, उनको बैंक भी एक पैसा नहीं देता है, चूंकि वह गरीब आदमी है इसलिये उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि लघु उद्योग जब तक हमारे देश में नहीं पनपेगा, गरीब आदमी का भला होने वाला नहीं, किसान का भला होने वाला नहीं है, आप कितना भी चिल्ला-चिल्ला के कर लो, लेकिन अगर किसी भी नेता को किसानों की फिकर है तो उसका नाम है बहन कुमारी मायावती जी। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अगर यह जो हमारे एक भी सदस्य बोलना चाहता है तो कहते हैं कि जांच बिठा देंगे, अरे भइया काहे की जांच, अरे अगर देश को लूट लिया तो बैठी हुई केन्द्र सरकार ने लूट लिया, अगर उससे पहले लूटा तो इन्होंने लूटा और अब जो लूट रहे हैं तो वह यह लूट रहे हैं, जांच काहे की बिठा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

लोकेश जी अब आप बैठ जायं, हां गुलाम मोहम्मद जी आप अपनी बात कहें।

श्री गुलाम मोहम्मद-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सिवालखास विधान सभा क्षेत्र मेरठ से आया हूं, जो पूरी तरह से गन्ना क्षेत्र है। मोहतरम् मा0 मुलायम सिंह यादव के पहले दौर में, दौर-ए-हुकूमत में जितना गन्ने का भाव बढ़ाया गया, गन्ने का मूल्य दिलाया गया और गन्ना किसानों का जो दर्द उनके दिल में था। वो सारे किसानों को मालूम है। मोहतरम् मुलायम सिंह यादव जी अगर रामकोला काण्ड होता है, किसानों पर गोली चलती है तो वहां भी हम लोग धरना देकर के बैठते हैं, हमेशा उनके साथ में रहे। आज हम सिर्फ दरख्वास्त करना चाहते हैं कि ये बजट, बहुत अच्छा बजट है, इससे अच्छा बजट और हो नहीं सकता। ये बजट गन्ना किसानों के लिये, उनकी तरक्की के लिये, उनकी खुशहाली के लिये बहुत अच्छा बजट है। मैं अपने क्षेत्र की एक दो समस्यायें रख करके आप से इजाजत चाहूंगा। हमारे क्षेत्र में आजादी से पहले मोहिउद्दीन चीनी मिल लगी थी और उस चीनी मिल के आस-पास के किसानों ने हमेशा फायदा उठाया, वो हमेशा उनकी खुशहाली का जरिया बनी। लेकिन आज बदकिस्मती से पिछली सरकार ने उसको बेचने का प्रयास किया, उसको बेच दिया गया लेकिन उसके बाद में फिर वो मामला नहीं बना, लेकिन वो चीनी मिल बन्द है। मैं चाहूंगा कि उस चीनी मिल को चलवाया जाये आस-पास के किसानों का गन्ना वहां सप्लाई होता है और हम लोगों के बुजुर्गों की जिन्दगी जुड़ी हुई थी तो इसी के लिये एक शेर सुनाते हुये अपनी बात खत्म करता हूं।

''तू ने सींचा था मईसट को मेरे बुजुर्गों की,
तुझको दम तोड़ते हम से नहीं देखा जाता।''

मान्यवर, गन्ना किसानों को उनका मूल्य, जो बाकी पैसा बचा हुआ है वो दिलाने की अपील की जाती है और इस चीनी मिल को चलवाने की दरख्वास्त की जाती है शुक्रिया।

(कई मा0 सदस्यों के साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

देखिये, सुनो, अब नहीं। अब 2 घण्टे चर्चा हो गयी, आप लोग अपना लिख के दे दीजिये, ये प्रोसीडिंग में आ जायेगा, प्रोसीडिंग में लिखा रहेगा, अब बैठ जाइये।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

मा0 अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी भाई सदस्य महोदय ने अभी बताया कि समितियों को अधिकार दिये जायें। यही बात मैंने यहां से उठायी थी कि गन्ना समितियों को शुगर केन परचेजर्स को . . . . .

श्री अध्यक्ष-

आप दो मिनट में समाप्त करिये।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

जब वहां पर समिति का हमारी 164, 165 समितियां काम कर रही हैं, हजारों कर्मचारी वहां तैनात हैं, उनकी ड्यूटी क्यों नहीं होनी चाहिये। एक चीज मैं आपसे और बताना चाहता हूं, जैसा सदस्य महोदय ने बताया कि चीनी मिल गेट पर, परचेज सेण्टर पर जब आदमी परची लेकर अरली वैरायटी की जाता है, जनरल किस्म के, सामान्य प्रजाति की पर्ची लेकर जाती है तो उसको रिजेक्टेड

वैरायटी में मिल के कर्मचारी रात के 12 बजे उस पर रिजेक्टेड लिख देते हैं। मान्यवर, यह बहुत बड़ी समस्या है। रात 12 बजे न कोई गन्ने का अधिकारी है, न कोई नेता है, न कहीं कुछ है। एक दो घण्टे वो मारा-मारा फिरता है और उसके बाद वहीं 20 रुपये कम, 15 रुपये कम वाली लेकर के चले जाते हैं। ये धांधली मान्यवर, चीनी मिलों द्वारा की जा रही है। एक तरफ ये 50, 60 चीनी मिल मालिक हैं, दूसरी तरफ 30, 32 लाख कमजोर, गरीब और मजलूम किसान हैं, बीच में सरकार का काम है। हम लोगों का काम है कि गरीबों को उनका हक दिलायें। और दूसरी चीज यह है और मैं बताना चाहता हूं कि नेशनल एवार्ड फार ई-गवर्नेस-2011 भारत सरकार का मिला है उत्तर प्रदेश सरकार को कि उसने गन्ना सूचना प्रणाली बनायी थी। 30 लाख किसानों को मोबाइल नम्बर लेकर उसका गन्ना सर्वे, पर्ची, तौल, भुगतान एस0एम0एस0 के माध्यम से उस समय भेजने का काम हमारी सरकार ने किया।

श्री अध्यक्ष-

आप सुझाव दीजिये न। अपनी सरकार का बखान अब मत करिये, उस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। अब सुझाव देना हो तो दीजिये।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

मान्यवर, सुझाव ही है कि एक तो ये व्यवस्था की जाये।

श्री अध्यक्ष-

हां, बस ऐसे कहिये।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

कि जब आदमी गन्ना लेकरके चीनी मिल पर जाता है तो उसकी वैरायटी सही लिखी जाये, उसको रात में भागना न पड़े, हमारी समिति का आदमी मौजूद है, उसकी ड्यूटी लगायी जाये, उसके माध्यम से उसके गन्ने की तौल लिखी जाये। दूसरी चीज मान्यवर, कि सट्टा समय से बनवा दिये जायें। मान्यवर, तीसरी चीज कि चीनी मिल सही समय से चलवा दी जायें जिससे गेहूं, लाही, सरसों इनकी फसलें बो दी जायें। मान्यवर, गन्ने का रेट चीनी मिल चलने से पहले डिक्लेयर हो जाये। चीनी मिल चलने से पहले सुरक्षण का आदेश भी पहुंच जाये जिससे कि अफरा-तफरी का माहौल न हो।

श्री अध्यक्ष-

ये सुझाव आप पहले दे चुके हैं, जब आप बोल रहे थे। आप पढ़ते नहीं हैं।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

मान्यवर, एक बात और है कि पेराई सत्र 6 महीने का रखा गया है, 180 दिन का पेराई सत्र है।

(श्री बंशी सिंह पहाड़िया द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

पहाड़िया जी, लिख के दे दीजिये, आ जायेगा। प्रोसीडिंग में सब आ जायेगा। जो आप बोलेंगे, वो यहां लिखा जाता है, लिख जायेगा।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

मान्यवर, 180 दिन का पेराई सत्र है, जो 12 पक्षों से 6 माह का है, उसको 150 दिन का कराया जाये। इसी के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। धन्यवाद।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग लिख के दे दीजिये, प्रोसीडिंग में आ जायेगा। आप जो बोलेंगे, वही लिखा जायेगा। हम लिखवा देंगे, बैठिये।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

मान्यवर, 180 दिन का पेराई सत्र, 12 पक्ष, 6 महीने का कैलेण्डर घटा कर 150 दिन का किया जाये। मान्यवर, इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

कई सदस्यों के बोलने का प्रयास करने पर।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग लिखकर दे दीजियेगा मैं कार्यवाही में शामिल करा दूंगा।

श्री शिव पाल सिंह यादव-

मान्यवर, याद होगा 2003 उस समय किसकी सरकार थी कौन मुख्यमंत्री थे। कितना किसानों का बकाया था शायद 16 सौ करोड़ रुपये। मा0 अध्यक्ष जी आपको तो याद होगा।

श्री अध्यक्ष-

लगभग 25 सौ करोड़ रुपये था बकाया उस समय।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, उस समय किसान मारा-मारा घूम रहा था। पूरा प्रदेश जानता है कि उस समय मिल मालिकों से मिलकरके रिश्वत किसने ली थी। मान्यवर, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट।

मान्यवर, 28 चीनी मिलों की सूचना मेरे पास है सबकी सूचना मेरे पास है। मान्यवर, हमारी सरकार की नीति के कारण केवल गुड़ पर से नियंत्रण हटाया था और मिल मालिक किसानों के दरवाजे जा रहे थे और 300 तथा 350 रुपये का रेट दे रहे थे। उस समय मा0 मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे। हमारी सरकार फिर नीति बनायेगी। मान्यवर, जो यह कह रहे हैं चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं मान्यवर, 100 करोड़ रुपये से ऊपर रिश्वत ली गयी थी।

(सत्ता पक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें)

मान्यवर, हम फिर से नीति बनायेंगे ताकि गन्ना किसानों को लाभ मिल सके। मान्यवर, चीनी विक्रय प्रक्रिया को हम बना रहे हैं। ई-टेण्डर ऑन लाइन चीनी विक्रय प्रक्रिया लागू करने का प्रस्ताव है। मान्यवर, घटतौली की बहुत शिकायतें हैं। मान्यवर, 9 सहकारी चीनी मिलों में 75 इलेक्ट्रानिक कांटे भी लगाये जायेंगे और अगले साल शत-प्रतिशत इलेक्ट्रानिक कांटे लगेंगे।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, यह मेरे पास पूरा रिकार्ड है। मान्यवर, हर गांव जिला सीतापुर जो निजी क्षेत्र में है उसमें 90.57 करोड़ रुपये बकाया है। मनकपुर चीनी मिल पर 88.4 करोड़ रुपये बकाया है। मम्बहाना मेरठ चीनी मिल पर 86.80 करोड़ रुपये बकाया है। इस तरह से कुल मिला करके निजी क्षेत्र पर 2432 करोड़ रुपया बकाया है। मान्यवर, इसी तरह से सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों पर 533.27 करोड़ रुपये बकाया है। यह किसके समय का है। आप बता दें। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश 7 जून के लिये है। लेकिन हमारी सरकार आज ही आदेश दे रही है कि निजी क्षेत्र के चीनी मिलों के बकाये का भुगतान किया जाये और सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों का भी कराया जायेगा।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, पश्चिमी क्षेत्र में गन्ने में घासीय प्ररोह रोग का प्रकोप बढ़ा हुआ है जिसकी जांच हेतु गन्ना शोध संस्थान, शाहजहांपुर तथा भारतीय गन्ना शोध परिषद् से वैज्ञानिकों का दल भेजा गया है। रोग पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा गठित रंगराजन कमेटी की प्रस्तावित संस्तुतियों में से गन्ना मूल्य निर्धारण तथा संरक्षण समाप्त करने की संस्तुतियों का राज्य सरकार समर्थन नहीं करती है। गन्ना शोध सेन्टर जहां भी बन्द हैं अभी बताया था राधेश्याम सिंह विधायक जी ने, जहां पर भी गन्ना शोध सेन्टर बन्द हैं उसको शीघ्र चलाया जायेगा। निजी क्षेत्र पर जितना भी बकाया है उसका शीघ्र भुगतान कराया जायेगा और बन्द चीनी मिलें जहां पर भी हैं जितनी भी चीनी मिलें बन्द हैं उनको चलाया जायेगा। तो यह हमारी सरकार की नीति है और यहां तो चीनी मिलें बेची गयीं पता ही है आपको और इस तरह से बेची गयी चीनी मिलें जैसे इनको दहेज में मिली हों, ऐसे बेच डाली औने-पौने में यह सही है कि हम जांच करायेंगे उसकी और निश्चित चाहे अधिकारी हों, कोई भी हो चाहे पूर्व मंत्री हों, चाहे पूर्व मुख्य मंत्री हों, जो भी उसमें आयेगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी चाहे उसको जेल भेजना पड़े, जेल भी जाना पड़ सकता है कानून से बड़ा कोई नहीं है इसलिये मैं यही आपको आश्वासन देता हूं और गन्ना पर किसानों पर हमारी सरकार ने जब भी हमारी सरकार रही सबसे ज्यादा किसानों को गन्ने की कीमत मिली, समय से गन्ने का भुगतान हुआ तो इसलिये सब लोग हमारी नीतियों का समर्थन करें और कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें इसमें सभी की भलाई है, गन्ना किसान इससे खुशहाल होगा। इसलिये हमारा अनुरोध है कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले लो और बजट पास करो।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

मान्यवर, मैंगो बेल्ट मलिहाबाद घोषित है, आंवला बेल्ट घोषित है, गन्ना बाहुल्य क्षेत्र की माननीय मंत्री जी घोषित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

अब सोच पाये, कटौती पर नहीं रक्खे। वापस नहीं ले रहे हैं, अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,35,07,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,89,56,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-22, खेल विभाग

वाह्य सहायतित परियोजना, अम्बेडकर ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास, खेलकूद युवा कल्याण मंत्री (श्री कामेश्वर उपाध्याय)-

मा0 अध्यक्ष जी मैं, आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22-खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 79,01,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22-खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 79,01,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-91, संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन, नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)-

मा0 अध्यक्ष जी मैं, आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प

एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,73,63,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,73,63,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 29 जून, 2012 को नियम-51 की कुल 41 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से निम्नलिखित सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं।

पहली सूचना श्री राधे श्याम (वक्तव्य हेतु स्वीकृत) की जनपद हरदोई की ग्राम सभा भगतूपुर संतपुर में कोटेदार द्वारा खाद्यान्न एवं मिट्टी का तेल ब्लैक किये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री रामवीर उपाध्याय की उत्तर प्रदेश में प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के 800 से अधिक रिक्त पड़े पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के बाबा बाजार विकास खण्ड मंबइ में साधन सहकारी समिति गणेशपुर में गेहूं क्रय केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में है। निम्नलिखित सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं जिसमें चौथी सूचना प्रमोद तिवारी की प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ नियुक्त शिक्षकों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत जमुना के बीहड़ क्षेत्र अर्जुनपुर गढ़ा में स्थापित राजकीय इण्टर कालेज में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठीं सूचना श्री प्रभु दयाल बाल्मीकि की थाना ठाकुरगंज, जनपद लखनऊ पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही व सुरक्षा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट की आज श्री पूरन प्रकाश जी आये थे कि नहीं आये थे। आज तो वे आये नहीं थे तो इनका कौन लिख कर दिया। इसकी जांच कराइये। हमने भी देखा आज वह आये ही नहीं थे। किसी ने भी उनका लिखकर दिया हो तो यह गलत बात है। श्री पूरन प्रकाश जी, नहीं आये थे। यह नहीं लिया जायेगा। आठवीं सूचना श्री मदन गोपाल वर्मा की जनपद फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के ग्राम बसन्त खेड़ा व सुल्तानगढ़ के बीच 133 के0वी0ए0 विद्युत् उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है। नौंवी सूचना श्री सतीश महाना की जनपद कानपुर स्थित श्यामलाल गुप्ता पार्षद राजकीय बालिका इण्टर कालेज, नरवल में प्रयोगशालाओं में संसाधनों एवं उपकरणों को उपलब्ध कराते हुये अध्यापकों की कमी को भी दूर कराये जाने के सम्बन्ध में है। इन दोनों सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की जाती हैं-

1-श्री शेर बहादुर सिंह।

2-श्री जय प्रकाश अंचल।

3-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य।

4-श्री संजय कपूर।

5-श्री रामहेत भारती।

6-श्री जगपाल सिंह।

7-श्री शमशेर बहादुर सिंह उर्फ शेरू भैय्या।

8-श्री अगयश रामसरन वर्मा।

9-श्री जगन प्रसाद गर्ग।

10-श्रीमती अनुप्रिया पटेल।

11-श्री लोकेश दीक्षित।

12-श्री बंशी सिंह पहाड़िया।

13-श्री मनबोध प्रसाद।

14-श्री पूरन प्रकाश।

15-श्री भीम प्रसाद सोनकर।

16-डा0 रमेश चन्द्र बिन्द।

17-श्री राज नारायण बुधौलिया।

18-श्री विजय बहादुर यादव।

19-श्री विजय कुमार पासवान।

20-डॉ0 मो0 मुस्लिम।

21-श्री रविदास मेहरोत्रा।

22-श्री गुटियारी लाल दुवेश।

23-श्री सुरेश कुमार खन्ना।

24-श्री उमेश पाण्डेय।

25-श्री गंगा सिंह कुशवाहा।

26-श्री राधेश्याम जायसवाल।

27-श्री अजय मिश्रा।

28-श्री कालीचरन सुमन।

29-श्री मुकुट बिहारी वर्मा।

30-डॉ0 पूर्णमासी देहाती।

31-श्री राधे लाल रावत तथा

32-श्री शारदा प्रताप शुक्ला।

श्री संजय कपूर-

मान्यवर, पूरन प्रकाश जी अनुपस्थित थे, उनकी जगह मेरी सूचना नियम 51 में ले लीजिये, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पूरन प्रकाश जी का आया कैसे, उसकी तो जांच कराई जायेगी और पूरन प्रकाश जी की जगह श्री संजय कपूर जी की सूचना जो उ0 प्र0 में सन् 1960 में विस्थापित बंगाली परिवारों को 30 वर्ष की कृषि भूमि की लीज डीड किये जाने के बावजूद भूमिधरी अधिकार न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है को केवल वक्तव्य के लिये ली जाती है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, एक सूचना नियम-51 में रामहेत भारती जी के नाम से है, उस पर वक्तव्य आ जाता तो बड़ी कृपा हो जाती।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव के गोदाम प्रभारी की संलिप्तता से गोदाम पर खाद्यान्न माफियाओं का कब्जा होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना पर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

जनपद श्रावस्ती की तहसील भिनगा में स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध बालू खनन कराने तथा करोड़ों रुपये के सरकारी राजस्व का नुकसान पहुंचाने के सम्बन्ध में श्री अब्दुल मशहूद खाँ द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

माननीय सदस्य श्री अब्दुल मशहूद खाँ द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना विषयक पत्र . . . .

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

डा0 वकार अहमद शाह-

[दिनांक 15-06-2012 पर जांच कराकर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश जिलाधिकारी, श्रावस्ती एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0 प्र0, लखनऊ को दिये गये। जिलाधिकारी, श्रावस्ती के फैक्स दिनांक 27-06-2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण की जांच उप जिलाधिकारी, भिनगा से करायी गयी। उप जिलाधिकारी, भिनगा ने राजस्व निरीक्षक, तुलसीपुर, नायब तहसीलदार तथा तहसीलदार के साथ संयुक्त रूप से स्थलीय जांच करके आख्या उपलब्ध करायी है। जांच आख्या में उल्लेख किया गया है की जांच के समय खनन हेतु स्वीकृत गाटा संख्या 1288 में खनन पाया गया। नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लिखित तथ्य कि बालू खनन पट्टे के नाम पर स्थानीय अधिकारियों की संलिप्तता से अवैध खनन किया जा रहा है उससे सरकारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। जांच से यह तथ्य सही नहीं पाया गया। बालू खनन क्षेत्र मोतीपुरकला का स्वीकृत पट्टा गाटा संख्या 1288 की चौहद्दी इस प्रकार है उत्तर-गाटा संख्या 1287 व 1281, दक्षिण-चकमार्ग गाटा संख्या 1289, पूरब-चकमार्ग 1280 तथा पश्चिम 1286 है। इस प्रकार नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लिखित तथ्य जांच से असत्य पाये गये हैं जिससे किसी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अब्दुल मशहूद खां-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि अधिकारियों द्वारा कूटरचित ढंग से तैयार किया गया यह वक्तव्य पूरी तरह गलत व भ्रामक है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस अवैध खनन के प्रकरण की गोपनीय जांच करवायेंगे, जांचोपरान्त यदि मेरी बात सत्य है तो गलत जवाब देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे तथा अवैध खनन से हुये राजस्व नुकसान की पूर्ति के लिये आवश्यक कदम उठायेंगे ?

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, इसका परीक्षण करा लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। करा लेंगे।

जनपद फतेहपुर के क्षेत्र जहानाबाद में यमुना नदी पर पीपे के पुल के स्थान पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन गोपाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

माननीय सदस्य विधान सभा श्री मदन गोपाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक . .

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

डा0 वकार अहमद शाह-

[15-06-12 को प्रमुख सचिव, विधान सभा को दी गयी सूचना में यह अवगत कराया गया है कि विधान सभा क्षेत्र 238, जहानाबाद, फतेहपुर में यमुना नदी पर पूर्ववर्ती स0पा0 सरकार द्वारा विकास खण्ड खजुहा बारा गांव में पीपे का पुल स्थापित किया गया था। जो कि आज तक चला आ रहा है। पीपे का पुल बांदा जनपद को सीधे जोड़ता है। चूंकि बांदा व जहानाबाद फतेहपुर सम्पर्क मार्ग हेतु स्थायी पुल का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पुल के निर्माण कार्य से बांदा व फतेहपुर की दूरी काफी कम हो जाती है और आवागमन हेतु और व्यापारिक गतिविधियों हेतु पुल का निर्माण कराया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है।

मा0 सदस्य द्वारा उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि प्रस्तावित स्थल पर यमुना नदी पर लोक निर्माण विभाग द्वारा पीपे का पुल बनाया जाता है, जिससे होकर यातायात गुजरता है तथा वर्षा ऋतु में स्टीमर चलाया जाता है, जिससे लोगों का आवागमन सम्भव हो पाता है। उक्त स्थल से 45 किमी0 अपस्ट्रीम में यमुना नदी पर बांदा-हमीरपुर-कानपुर मार्ग पर हमीरपुर शहर के निकट 750.30 मी0 लम्बा सेतु बना है एवं 23 किमी0 डाउन स्ट्रीम में बहराइच-बांदा-सागर मार्ग पर चिल्लाघाट में 1087.88 मी0 लम्बा सेतु बना हुआ है।

उक्त स्थल के दोनों तरफ मुख्य जिला मार्ग है तथा नदी के दोनों ओर बारा धौरहरा, कोरौली, ककवारा, रेगोना, गराईपुर, कुकेठी मदुरी, डेरवा मऊदेव, जाफरगंज, उमरिहा बाजार, मुइयारानों बाजार, नरूआ मण्डी पैलानी डेरा, गलौली, गढ़ोला, तनकामऊ, कान्हाखेड़ा, नरौली, गौरीखुर्द, गाजीपुर अमचौली, चन्दवारी आदि गांव लाभान्वित होंगे तथा बांदा से जहानाबाद जाने की दूरी लगभग 30 किमी0 कम हो जायेगी। उक्त सेतु के निर्माण में 3600.00 लाख की धनराशि लगने का अनुमान है। इस सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद लखनऊ के गढ़ी कनौरा में खुले एवं गन्दे नाले से हो रही दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

माननीय सदस्य द्वारा यह सूचना दी गयी है . . . .

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

डा0 वकार अहमद शाह-

[कि ''कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र कैण्ट के अन्तर्गत आरती नगर, गढ़ी कनौरा में एक खुला एवं गन्दा नाला है, जिसकी लगभग लम्बाई 200 मीटर है और लगभग चौ0 10 फिट है। जिसके दोनों तरफ घनी आबादी निवास करती है। उक्त नाला खुला होने के कारण कई बार छोटे-छोटे बच्चों एवं वृद्ध लोगों के साथ दुर्घटनायें हो चुकी हैं। नाला खुला होने से एवं उसकी गन्दगी से क्षेत्रीय लोगों में तरह-तरह की बीमारियां फैल रही हैं। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त खुले हुये नाले को भूमिगत किये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया गया परन्तु अभी तक शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है। अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं शासन से वक्तव्य/कार्यवाही की मांग के साथ-साथ उपरोक्त नाले को भूमिगत कराये जाने की मांग करता हूं।''

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त नाला हड्डीखेड़ा रेलवे लाइन से प्रारम्भ होता है जो आरती नगर, गढ़ी कनौरा, प्रेमवती नगर होते हुये हैदर कैनाल में मिल जाता है। नाले की कुल लम्बाई लगभग 550 मीटर है। 200 मीटर की लम्बाई में दोनों तरफ आबादी स्थित है। नाले की चौड़ाई विभिन्न स्थानों में तीन से चार मीटर तक है। 200 मीटर लम्बाई की आबादी क्षेत्र में नाला पक्का है जिसमें जल निकासी सुचारुरूप से हो रही है। पूर्व में नाले की दीवार कई स्थान पर क्षतिग्रस्त हो गयी थी जिसे जनहित में आवश्यकतानुसार ठीक करा दिया गया है। वर्तमान में नाले की सफाई का कार्य कराया जा रहा है, जो वर्षा ऋतु से पूर्व पूर्ण हो जायेगा। उक्त आबादी क्षेत्र में नाले को आर0सी0सी0 स्लैब डालकर कवर करने की कोई योजना अभी नगर निगम, लखनऊ में प्रस्तावित नहीं है।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था ठीक न कराये जाने एवं रात में माओवादियों द्वारा की जा रही लूट-खसोट को रोकने में असफल होने के सम्बन्ध में श्रीमती लालमुन्नी सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा प्रश्नगत सूचना के माध्यम से निम्न बिन्दु उठाये गये हैं...

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

डा0 वकार अहमद शाह-

[विधान सभा क्षेत्र शोहरतगंज जनपद सिद्धार्थनगर के अंतर्गत शोहरतगढ़ है, जो नेपाल सीमा से सटा हुआ है। सीमा से सटे होने के कारण आये दिन माओवादी चले आते हैं और अप्रिय घटनायें घट जाती हैं, क्योंकि शोहरतगढ़ में बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है। क्षेत्र में बिजली कभी आती है और कभी आती भी नहीं है, जिससे आये दिन रात के समय माओवादियों द्वारा लूट-घसोट हो जाती है। अगर पूरे क्षेत्र में यानी शोहरतगढ़ जो नेपाल सीमा से सटे हैं, खासकर उन क्षेत्रों में बिजली बिल्कुल आती नहीं है। इस समस्या को देखते हुए बिजली की व्यवस्था तत्काल उपलब्ध कराया जाना जनहित में आवश्यक है। पूरे क्षेत्र में बिजली रात के समय लगभग शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक उपलब्ध करायी तो ऐसी घटनायें कम घटेंगी। नेपाल सीमा से मात्र 45 कि0मी0 की दूरी पर विधान सभा क्षेत्र हमारा पड़ता है। सीमा से सटे होने के कारण ऐसी स्थिति में घटनायें अक्सर होती हैं। यह प्रकरण जनहित से जुड़ा हुआ है। अति महत्वपूर्ण एवं गम्भीर प्रकरण है।

इस संदर्भ में अवगत कराना है कि जनपद सि़द्धार्थनगर के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ को विद्युत आपूर्ति 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र शोहरतगढ़ तथा 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र देवरूआ से पोषित विभिन्न 11 के0वी0 पोषकों यथा शोहरतगढ़, बरगदवा, करहिया करौती, बढ़नी, रामनगर तथा परसा पोषकों से विद्युत आपूर्ति की जाती है। इस क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति 12 घंटे (रात्रि 22 से प्रातः 05 एवं प्रातः 10 से अपराह्न 15 बजे तक) दिया जाना आदेशित है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण विद्युत् की मांग में भारी बढ़ोत्तरी हुई है। फलतः विद्युत् की उपलब्धता मांग के अनुरूप न होने के कारण तथा राष्ट्रीय ग्रिड की सुरक्षा हेतु आकस्मिक कटौती किया जाना अपरिहार्य हो जाता है। उपलब्ध विद्युत् के दृष्टिगत् माह जून, 2012 (01.06.12 से 24.06.12 तक) में दी गयी औसत विद्युत् आपूर्ति 9.00 घंटे की गयी है। विद्युत् की उपलब्धता में सुधार होने पर विद्युत् आपूर्ति 12 घंटे शिड्यूल के अनुरूप की जा सकेगी।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र द्वारा कुशीनगर में बस डिपो की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर परिवहन मंत्री का वक्तव्य

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि हाटा तहसील . . . .

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

डा0 वकार अहमद शाह-

[जनपद कुशीनगर में आती है जिसका मुख्यालय पडरौना है। पडरौना में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का डिपो निर्माण प्रगति पर है। तहसील हाटा से पडरौना मुख्यालय की दूरी 38 किमी0 है जो पडरौना-गोरखपुर के मुख्य मार्ग पर स्थित है। हाटा से लखनऊ, कानपुर के लिए कुल 07 बसे जाने तथा 06 बसें आने के लिए प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पडरौना के लिए परिवहन निगम की 50 अप एवं 50 डाऊन सेवायें प्रतिदिन तथा गोरखपुर से तमकुही रोड के लिए 30 अप व 30 डाऊन बस सेवायें हाटा होकर संचालित हैं। पडरौना मुख्यालय में निर्माणाधीन डिपो शीघ्र ही प्रारम्भ होने वाला है जिसके प्रारम्भ होने के बाद स्वाभाविक रूप से सेवाओं में और वृद्धि होगी। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत हाटा में बस डिपों बनाया जाना निगम हित में सम्भव नहीं है।]

श्री राधेश्याम सिंह-

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो उत्तर मिला है उसमें कहा गया है हाटा में बस डिपो बनाया जाना निगम हित में संभव नहीं है। क्योंकि वह तहसील है और पिछड़ा क्षेत्र है, वहां रेलवे लाइन नहीं है। मेरा कहना यह है कि पडरौना से बसें गोरखपुर लखनऊ, कानपुर आती हैं, उन बसों का ठहराव हाटा तहसील मुख्यालय पर करा दिया जाये, इसका कम से कम एक आदेश आपकी तरफ से हो जाये कि यह बसे हाटा, तहसील मुख्यालय पर रुकें।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, इसको दिखवा लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

यह सब आश्वासन बनता जा रहा है, जाने रहियेगा। करना पड़ेगा।

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में स्थापित विद्युत उपकेन्द्र का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

माननीय सदस्य द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना में यह बिन्दु उठाया गया है कि . . . .

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

डा0 वकार अहमद शाह-

[जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में 33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र अतिभारित है। विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से न मिलने के कारण जनता में काफी रोष व्यापप्त है तथा काफी संख्या में जनता धरने पर है। यहां पर 10 एम0वी0 एक अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर लगना अति आवश्यक है जिससे किसानों व जनता को विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से प्राप्त हो सके। यदि इसे अविलम्ब नहीं कराया गया तो किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घट सकती है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बिलासपुर पर एक 10 एम0वी0ए0 एवं एक 5 एम0वी0ए0 का परिवर्तक स्थापित है। 10 एम0वी0ए0 का परिवर्तक अतिभारित है। इस अतिभारिता को दूर करने के लिए वर्तमान में लगे हुए 5 एम0वी0ए0 परिवर्तक की क्षमतावृद्धि 10 एम0वी0ए0 किया जाना प्रस्तावित है, जिस पर अतिभारित परिवर्तक (10 एम0वी0ए0) का भार स्थानान्तरित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त एक नया विद्युत उपकेन्द्र 33/11 के0वी0 माटखेड़ा भी निर्माणाधीन है। वर्तमान पोषकों का भार नव निर्मित विद्युत उपकेन्द्र पर स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। यह कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष (2012-13) में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अतिभारिता समाप्त हो जायेगी।]

श्री संजय कपूर-

माननीय अध्यक्ष जी, एक बात माननीय मंत्री जी पूछना चाहेंगे, यह जो जवाब आया है, यही पहले भी आया था। मैं पिछले विधान सभा में भी यह मामला उठाया था। तब भी यह कहा गया कि 5 से 10 एम0वी0 का इस्टीमेट है और इसे लगा दिया जायेगा। इसकी कोई समयसीमा निर्धारित कर दें कि यह कब तक लगेगा। तीन साल से यही जवाब आ रहा है। 10 एम0वी0 का ट्रांसफारमर लगना है, वहां तहसील हेडक्वार्टर है, दो घन्टे लाइट मुश्किल से मिलती है। तहसील हेडक्वार्टर पर लाइट न होना बड़े दुर्भाग्य की बात है।

लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

बहुत जल्दी वहां ट्रांसफारमर लग जायेगा।

श्री संजय कपूर-

बहुत-बहुत धन्यवाद।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद इलाहाबाद के ग्राम नैनी चक गुलाम में बन्द पड़ी त्रिवेणी इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड की भूमि अधिग्रहीत कर स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खेलकूद, युवा कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय ''गामा पाण्डेय'' माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के तहत सूचना दी गयी है . . . .

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

डा0 वकार अहमद शाह-

[कि जनपद इलाहाबाद में ग्राम नैनी चक गुलाम, परगना अरैल, तहसील करछना में त्रिवेणी इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड स्थापित थी यह कि कम्पनी लगभग 20 वर्षों से बन्द हो चुकी है जिसको भू-माफिया कब्जा करना चाहते हैं। जबकि उक्त भूमि को बिना उ0प्र0 सरकार की अनुमति के विक्रय करने का अधिकार कम्पनी में निहित नहीं था।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण करते हुए 25.59 एकड़ भूमि को अधिग्रहीत करके बजट प्रावधान में लेकर स्टेडियम बनाये जाने की मांग करता हूं।

मदन मोहन मालवीय स्टेडियम को हटाये जाने का निर्देश इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा हो चुका है।

एतिहासिक चन्द्रशेखर आजाद पार्क में वर्ष 1960 से स्थापित मदन मोहन मालवीय स्टेडियम, इलाहाबाद के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तुत प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय ने मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए अपने निर्णय दिनांक 20-03-2007 सिविल संख्या-6211-2000 में यह अध्यापित किया है कि यदि उ0प्र0 पार्क, खेल मैदान, ओपेन स्पेश (प्रिय रिजर्वरेशन एन्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1975 के लागू होने के दिनांक पर अगर पार्क, खेल मैदान एवं ओपेन स्पेश किसी कार्य के लिये प्रयोग हो रहा हो, तो उसे उसी कार्य हेतु प्रयोग करते रहने दिया जाय। उपरोक्त परिस्थितियों में वर्ष 1975 से पूर्व 1960 से शहर के मध्य स्थापित एक मात्र स्टेडियम है, जिसमें लगभग एक हजार खिलाड़ी निरन्तर प्रातः एवं सायंकाल प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों पदक अर्जित कर प्रदेश व देश को गौरवान्वित कर रहे हैं तथा प्रायः जनपदीय व राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में आयोजन हेतु प्रयोग किया जा रहा है जो मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय व ऐक्ट, 1975 के अनुरूप है। ऐसी परिस्थिति में स्टेडियम को कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का कोई विधिक औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

जनपद इलाहाबाद में ग्राम नैनी चक गुलाम, परगना अरैल, तहसील करछना में त्रिवेणी इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड की भूमि 25.59 एकड़ पर स्टेडियम निर्माण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यह भूमि का प्रकरण राजस्व विभाग से संबंधित है, चूंकि मदन मोहन मालवीय स्टेडियम इलाहाबाद को हटाये जाने को कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है इसलिए ग्राम नैनी चक गुलाम, परगना अरैल, तहसील करछना में त्रिवेणी इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड की उक्त भूमि की स्टेडियम हेतु आवश्यकता नहीं है।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद इलाहाबाद अन्तर्गत मेजा रोड कोहड़ार खीरी मार्ग के गड्ढायुक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि जनपद इलाहाबाद . . .

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

डा0 वकार अहमद शाह-

[मेरे विधान सभा के अंतर्गत मेजारोड कोहड़ार खीरी मार्ग निकलती है, जो लोक निर्माण विभाग की मुख्य सड़क है, जिस पर राष्ट्रीय ताप विद्युतगृह निर्माणाधीन है और इसी मार्ग से मिला हुआ पांच-सात क्रेशर प्लान्ट संचालित हैं।

भारी वाहनों के चलने के वजह से पूरी सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। इन क्रेशर प्लान्टों के चलते इस मार्ग पर पड़ने वाले तमाम ग्रामों के नागरिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। लगभग अब तक सैकड़ों मौत हो चुकी हैं।

उक्त के संबंध में स्थिति यह है कि मेजा-कोहड़ार घाट-खीरी एक महत्वपूर्ण प्रमुख जिला मार्ग सं0-162ई, झांसी-इलाहाबाद-मिर्जापुर राष्ट्रीय मार्ग सं0-76 ई के 435 कि0मी0 से दाहिने प्रारम्भ होकर महत्वपूर्ण कस्बों कोहड़ार घाट, खीरी बाजार, में लालतारा होते हुए भारतगंज-प्रतापपुर राज्य मार्ग सं0-102 के 59 कि0मी0 में मिलता है। इस मार्ग की कुल लम्बाई 37.00 कि0मी0 है। प्रथम चरण में मार्ग का 16 कि0मी0 से 36 कि0मी0 राज्य योजना के अंतर्गत चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य स्वीकृत होने के उपरान्त पूर्ण कराया जा चुका है।

उक्त मार्ग के किनारे आठ क्रेशर प्लान्ट चल रहे है, जिससे जी0एस0बी0, क्रस्ट-स्टोन बैलास्ट/ग्रिट आदि का उत्पादन एवं ढुलाई किया जाता है।

क्रेशर प्लान्टों से उत्पादित किये गये जी0एस0बी0 मैटेरियल हैवी ट्रको (हाइवा, 10 चक्का, डमपर) आदि से लगभग 1100 ट्रके प्रतिदिन सामग्री लादकर अन्य जिलों को जाते हैं, जिसके कारण उक्त मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। उक्त मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद बहराइच के कैसरगंज विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ठीक करने के लिए दूसरा फीडर लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकुट बिहारी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्या मंत्री का केवल वक्तव्य

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना में यह बिन्दु उठाया गया है कि.....

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

डा0 वकार अहमद शाह-

[जनपद बहराइच के कैसरगंज विधान सभा क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह फेल है। 24 घण्टे में से 8 घण्टे बिजली वह भी कई खण्डों में आती है। जरवल कस्बा तथा जरवल रोड बाजार के लोग लो-वोल्टेज से परेशान हैं। इस भीषण गर्मी में पंखे चलते नहीं, मात्र हिलते हैं, बल्ब टिम-टिमाते हैं, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। लो-वोल्टेज के कारण पानी की टंकी भर नहीं पाती है तथा व्यक्तिगत पम्प, समरसेबल आदि भी नहीं चल पा रहे हैं। क्षेत्र की जनता लो-वोल्टेज की समस्या से परेशान है, जनमानस में हाहाकार मचा हुआ है। इसकी शिकायत करने के बावजूद विद्युत आपूर्ति एवं लो-वोल्टेज की समस्या का निदान न होने के कारण किसी भी समय कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। जनता की मांग है कि दूसरा फीडर लगाकर विद्युत आपूर्ति की जाय।

इस संबंध में अवगत कराना है कि जनपद बहराइच के कैसरगंज विधान सभा क्षेत्र में 132 के0वी0 उपकेन्द्र बहराइच के 33 के0वी0 कैसरगंज पोषक पर स्थित 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र कैसरगंज से शिड्यूल के अनुसार 10 घण्टे की विद्युत आपूर्ति की जा रही है। भीषण गर्मी के कारण वर्तमान में 132 के0वी0 उपकेन्द्र बहराइच से पोषित 33 के0वी0 पोषकों पर विद्युत भार सामान्य से अधिक होने के कारण सभी अतिभारित हैं। 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र के पावर परिवर्तकों के टेप पोजीशन को अधिकतम पर सेट करते हुए 11 के0वी0 लाइन पर सामान्य विभव पर विद्युत आपूर्ति दिये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

वर्तमान में जरवल कस्बा तथा जरवल रोड को विद्युत आपूर्ति करने के लिए दूसरा फीडर उपलब्ध नहीं है, फिर भी उपरोक्त स्थानों पर लो-वोल्टेज की समस्या को दूर करने हेतु जरवल कस्बा में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण प्रस्तावित है। भूमि उपलब्ध होने पर उपकेन्द्र का निर्माण कराकर जरवल कस्बा तथा जरवल रोड की लो-वोल्टेज की समस्या का निदान किया जायेगा।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत 20 साल पहले स्वीकृत हुए राजकीय बालिका विद्यालय के भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

इस संबध में अवगत कराना है कि जनपद बलिया के तहसील रसड़ा में नगर क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय कन्या . . . .

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य श्रम एवं सेवा योजन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

डा0 वकार अहमद शाह-

[हाई स्कूल की स्थापना सन् 1986 में हुई थी जो इण्टर स्तर पर वर्ष 2009 में उच्चीकृत हुआ। विद्यालय नगर क्षेत्र में संचालित है विद्यालय का अपना भवन नहीं है विद्यालय पूर्व में किराये के भवन में संचालित था। वर्तमान में पुराने तहसील भवन की जमीन पर निर्मित टीन शेड में संचालित किया जा रहा है। उक्त विद्यालय में कक्षा-6 से कक्षा-12 तक कक्षायें संचालित हैं। जिनमें कुल छात्राओं की संख्या-122 हैं एवं 14 शिक्षिकायें पद स्थापित हैं।

2-उक्त विद्यालय के लिए नगर क्षेत्र की सीमा में भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। पूर्व में पुराने तहसील भवन के क्षेत्र जो लगभग 48 डिसमिल भूमि पर निर्मित है। पुराने तहसील का भवन काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है जिसको ध्वस्त कराकर निर्माण किया जा सकता है। इसको ध्यान में रखते हुये पुरानी तहसील भवन की भूमि राजकीय कन्या इण्टर कालेज के नाम शीघ्र दर्ज कराये जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं। भूमि की उपलब्धता होने पर भवन निर्माण हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद मेरठ में घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा प्रश्नगत सूचना के माध्यम से निम्न बिन्दु उठाये गये हैं ..

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

डा0 वकार अहमद शाह-

[मेरठ जनपद में घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली के कनेक्शन नहीं मिलने से काफी दिक्कतें आ रही हैं। भयंकर गर्मी के मौसम में बिजली न होना उपभोक्ताओं के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं है। विद्युत अधिकारियों ने बिजली घरों पर नोटिस चस्पा कर दिये हैं कि बिजली मीटर नहीं हैं इसलिए विद्युत् कनेक्शनों के लिए आवेदन न करें। पिछले छः माह से मेरठ जनपद में उपरोक्त समस्या का सामना विद्युत उपभोक्ताओं को करना पड़ रहा है। सभी अधिकारियों से वार्ता करने के उपरान्त भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। नये बिजली कनेक्शन मिलने से जहां एक ओर उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है, वहीं दूसरी ओर विद्युत विभाग के अधिकारी इसकी आड़ में बिजली चोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। विद्युत मीटर की उपलब्धता क्यों नहीं, जबकि इसका भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। यह जांच का विषय है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस संदर्भ में अवगत कराना है कि जनपद मेरठ में घरेलू उपभोक्ताओं को माह अप्रैल 2012 में 2970 नग, मई 2012 में 2512 नग एवं जून, 2012 (01-06-12 से 10-06-12 तक) में 846 नग बिजली के नये कनेक्शन मीटर लगाकर निर्गत किये गये हैं। ''विभाग में मीटर नहीं, इसलिये विद्युत कनेक्शनों के लिये आवेदन न करें'', की नोटिस विद्युत उपकेन्द्रों पर चस्पा नहीं की गयी है। वर्तमान में भण्डार में लगभग 7842 मीटर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 5000 मीटरों का निरीक्षण कराया जा चुका है, जिसमें से 1250 मीटर उपलब्ध हो गये हैं, शेष मीटर भी एक सप्ताह में प्राप्त हो जायेंगे। आगामी आने वाले माह में मीटरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 55000 मीटरों की क्रयादेश के विरुद्ध आपूर्ति प्रतीक्षित है। इस प्रकार मीटर उपलब्ध रहेंगे तथा नये कनेक्शनों पर मीटर लगाकर कनेक्शन को निर्गत भी किया जायेगा। उपखण्ड अधिकारी स्तर पर कैम्प लगाकर भी नये संयोजन निर्गत किये जा रहे हैं एवं बिजली चोरी को रोकने हेतु समय-समय पर चेकिंग कराई जाती है तथा गठित टीमों द्वारा रात में भी चेकिंग की जाती है, जिससे विद्युत चोरी पर अंकुश लगाया जा सके एवं उपभोक्ताओं को सुचारु रूप से विद्युत दी जा सके।]

जनपद गोरखपुर के नगर पंचायत क्षेत्र सहजनवां में विद्युत की आपूर्ति गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के फीडर से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ बृजेश सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा प्रश्नगत सूचना के माध्यम से निम्न बिन्दु उठाये गये हैं . . .

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

डा0 वकार अहमद शाह-

[सहजनवां विधा सभा के नगर पंचायत क्षेत्र सहजनवां में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण स्थापित है, गीडा में विद्युत आपूर्ति बराबर रहती है, लेकिन गीडा क्षेत्र के बीच में नगर पंचायत सहजनवां है, वहां विद्युत नहीं रहती है, लोकहित को देखते हुए आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि सहजनवां नगर पंचायत में विद्युत आपूर्ति गीडा क्षेत्र से किया जाये।

इस संदर्भ में अवगत कराना है कि जनपद गोरखपुर के नगर पंचायत क्षेत्र सहजनवां में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) स्थापित है। गीडा को विद्युत आपूर्ति 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र गीडा से पोषित 11 के0वी0 पोषक गीडा से की जाती है, जो औद्योगिक पोषक है, जिसमें 24 घण्टे बिजली आपूर्ति किया जाना आदेशित है। माह जून, 2012 (01-06-12 से 24-06-12 तक) उक्त पोषक से औसत विद्युत आपूर्ति 22.30 घंटे की गयी है।

नगर पंचायत सहजनवां को विद्युत आपूर्ति 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सहजनवां से पोषित 11 के0वी0 पोषक सहजनवां से की जाती है। ग्रामीण शिड्यूल के अनुसार सहजनवां क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति 10 घंटे किया जाना आदेशित है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण विद्युत की मांग में भारी बढ़ोत्तरी हुई है। विद्युत की उपलब्धता मांग के सापेक्ष कम होने तथा राष्ट्रीय ग्रिड की सुरक्षा के दृष्टिगत कभी-कभी आकस्मिक कटौती किया जाना अपरिहार्य हो जाता है। फलतः नगर पंचायत सहजनवां को माह जून 2012 (01-06-12 से 24-06-12 तक) में औसत विद्युत आपूर्ति 08.30 घंटे की जा सकी है। विद्युत की उपलब्धता में सुधार होने पर यथा आदेश विद्युत की आपूर्ति सम्भव हो सकेगी।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मऊ के मधुबन विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत घाघरा नदी के किनारे स्थित परसिया, जैरामगिरी, सूरजपुर आदि ग्रामों के किनारे बांध का उच्चीकरण एवं बोल्डर पिचिंग का कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री उमेश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा श्री उमेश पाण्डेय द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा . . .

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

डा0 वकार अहमद शाह-

[की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 15-06-2012 को निम्नलिखित सूचना दी गई है :-

''कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद मऊ के मेरे विधान सभा क्षेत्र मधुबन के अन्तर्गत घाघरा नदी के किनारे ग्राम परसिया, ग्राम जैरागिरी, ग्राम सूरजपुर आदि ग्राम बसे हुए हैं उक्त नदी के किनारे पर बांध बना हुआ है जो कि अत्यन्त जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है एवं वह बांध कई जगह पर अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गया है। वर्षा के दिनों में बाढ़ आने पर कभी भी उक्त बांध टूट सकता है, जिससे सैकड़ों गांव तबाह एवं बर्बाद हो जायेंगे। क्षेत्रीय जनता में हमेशा अप्रिय घटना घटित होने की आशंका बनी रहती है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त बांध का उच्चीकरण एवं बोल्डर पिचिंग कराये जाने हेतु उच्च अधिकारियों एवं प्रशासन से कई बार अनुरोध किया गया है परन्तु अभी तक शासन द्वारा उक्त बांध के उच्चीकरण एवं बोल्डर पिचिंग कार्य न किये जाने से क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।''

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं शासन से वक्तव्य की मांग के साथ-साथ उपरोक्त बांध के उच्चीकरण एवं बोल्डर पिचिंग कार्य किये जाने की भी मांग करता हूं।

2-मा0 सदस्य विधान सभा, श्री उमेश पाण्डेय द्वारा दी गयी उपर्युक्त सूचना पर केवल वक्तव्य निम्नवत् है-

जनपद मऊ मधुबन विधान सभा क्षेत्र में स्थित ग्राम परसिया, ग्राम जयरामगिरी आदि को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने हेतु घाघरा नदी के दायें तट पर हाहा नाला तटबंध निर्मित है, जिसकी लम्बाई 9.60 कि0मी0 है। सूरजपुर आदि ग्रामों को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने हेतु घाघरा नदी के दायें तट पर सूरजपुर तटबन्ध निर्मित है, जिसकी लम्बाई 12.80 कि0मी0 है। इन ग्रामों की सुरक्षा हेतु ये तटबंध क्रमबद्ध रूप से मऊ-बलिया की सीमा तक बने हुए हैं। वर्तमान में तटबंध सुरक्षित हैं एवं आगामी बाढ़ में सुरक्षा प्रदान करने हेतु उपयुक्त अवस्था में है। किसी भी आकस्मिकता से निपटने हेतु पर्याप्त व्यवस्था कर ली गयी है।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन रात्रि 08 बजकर 57 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)।

लखनऊ :
दिनांक 29 जून, 2012

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-204 विधान सभा-04-10-2012-813 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।